Friday, 24th August, 1990

लोक सभा

वाद-विवाद

(नवम माला)

खंड 8

(7 से 23 अगस्त, 1990/16 श्रावण से 1 भाद्र, 1912 (शक)

तीसरा सत्र, 1990/1912 (शक)

(खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 24 अगस्त, 1990/ 2 भाद्र, 1912 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
3	नीचे से 7	"श्रा" के स्थान पर "श्री" पढ़िये ।
121	13	"चौधरा" के स्थान पर "चौधरी" पढ़िये ।
168	नीचे से 5	"जानों" के स्थान पर "जोन्स" पढ़िये ।
240	6	"अध्यअ महोदय" के स्थान पर "अध्यक्ष महोदय" पढ़िये ।

विषय-सूची

नवम माला, खण्ड 9, तीसरा सत्र, 1990/1912 (शक)

अंक 11, शुक्रवार, 24 अगस्त, 1990/2 भाद्र, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1—3
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	3—38
*तारांकित प्रश्न संख्या : 224, 225, 228 और 229 ...	3—35
प्रश्नों के लिखित उत्तर	38—214
तारांकित प्रश्न संख्या : 226, 227 और 231 से 242 ...	38—55
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2587 से 2637, 2639 से 2677, 2679 से 2807 और 2809 से 2816 ...	56—214
मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के सरकार के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के बारे में	214—222
सभा पटल पर रखे गए पत्र	222—236
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	236
(एक) तीसरा प्रतिवेदन—प्रस्तुत	236
(दो) कार्यवाही सारांश—सभा पटल पर रखे गये	236
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	236
दूसरा प्रतिवेदन—प्रस्तुत	

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय | पृष्ठ

सभा का कार्य 237

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य ... ... 247—250

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ... ... 247—250

नियम 377 के अधीन मामले ... ... 251—255

(एक) वन संरक्षण अधिनियम के उपबन्धों को, विशेषकर उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में, शिथिल किए जाने की मांग

श्री हरीश रावत ... ... 251—252

(दो) काजू बोर्ड का गठन किए जाने की मांग

श्री एस० कृष्ण कुमार 252

(तीन) मोहनलाल गंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) में बार-बार आने वाली बाढ़ की रोकथाम के लिए कदम उठाए जाने की मांग

श्री सरजू प्रसाद सरोज ... ... 252—253

(चार) बिहार तथा देश के अन्य भागों से बंगलादेश को पशुधन के चोरी छिपे व्यापार को रोके जाने की मांग

श्री युवराज 253

(पांच) मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग

श्री रामेश्वर पाटीदार 253

(छः) मिदनापुर, पश्चिम बंगाल की सुवर्ण रेखा परियोजना को शीघ्र मंजूरी दिए जाने की मांग

श्री सुधीर गिरि 254

(सात) विशाखापट्टनम और इच्छापुरम के बीच के क्षेत्र को दक्षिण मध्य रेलवे को अंतरित किए जाने की मांग

श्री के० राम मोहन राव 254

(आठ) बैंकों द्वारा सेवा प्रभारों में हाल में की गई वृद्धि पर पुनर्विचार किए जाने की मांग

श्री जे० पी० अग्रवाल ... ... 254—255

नियम 193 के अधीन चर्चा ... ... 255—262

खाड़ी की स्थिति के संबंध में मास्को, वाशिंगटन, अमान, बगदाद तथा कुवैत के अपने हाल में किए गए दौरे के बारे में विदेश मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य

श्री गिरधारी लाल भार्गव ... ... 255—259

श्री एडुआर्डो फैलीरो ... ... 259—261

श्री समरेन्द्र कुन्डू ... ... 261, 309—311

श्री यादवेन्द्र दत्त ... ... 311—313

श्री भोगेन्द्र झा ... ... 313—317

श्री टी० बशीर ... ... 317—319

श्री इन्द्र कुमार गुजराल ... ... 320—322

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति ... 262

आठवां प्रतिवेदन—स्वीकृत

विधेयक पुरःस्थापित

(एक) बौद्ध विवाह विधिमान्यकरण विधेयक

श्री सुदाम दत्तात्रेय देशमुख 263

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 327 आदि में संशोधन)

श्री भोगेन्द्र झा 263

(तीन) इलैक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति (मान्यता) विधेयक

श्री जगन्नाथ सिंह 263

(चार) बाल कल्याण विधेयक

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 264

(पांच) नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) संशोधन विधेयक

(धारा 2 और 3 में संशोधन)

श्री सुदाम दत्तात्रेय देशमुख 264

विषय	पृष्ठ
अनाज बोर्ड विधेयक—वापस लिया गया	265—299
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री यादवेन्द्र दत्त	265—268
श्री सन्तोष कुमार गंगवार	268—269
श्री राम लाल राही	269—271
श्री राज मंगल पांडे	271—277
श्री प्रेम प्रदीप	277—279
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	279—281
श्री रमेश चेन्नीथाला	281—282
श्री मान्धाता सिंह	282—287
श्री बालासाहिब विखे पाटिल	287—289
श्री हुक्मदेव नारायण यादव	289—292
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति	292—294
प्रो० प्रेम कुमार धूमाल	294
श्री नीतीश कुमार	294—297
संविधान (संशोधन) विधेयक	299—308
(अनुच्छेद 263 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा	299
आधे घंटे की चर्चा	299
भारत पर्यटन विकास निगम और संयुक्त राज्य अमरीका के होटल कारपोरेशन के बीच समझौता	
श्री बृज भूषण तिवारी	299—302
श्री भवानी शंकर होटा	302—304
प्रो० यदुनाथ पाण्डेय	304—305
श्री सत्यपाल मलिक	305—308

लोक सभा

शुक्रवार, 24 अगस्त, 1990/2 भाद्र, 1912 (शक)

लोक सभा 11.03 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को अपने भूतपूर्व सहयोगी श्री मुल्की राज सैनी के दु:खद निधन की सूचना देनी है । श्री मुल्की राज सैनी उत्तर प्रदेश के देहरादून निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1971—77 की अवधि के दौरान पांचवी लोक सभा के सदस्य रहे । इससे पहले वह 1967-68 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहें ।

श्री सैनी एक प्रमुख स्वतंत्रता सैनानी और सक्रिय सांमाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता होने के साथ-साथ कई सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं से सम्बद्ध थे । कृषि में भी उनकी गहरी रुचि थी। वह एक योग्य सांसद थे और सभा की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेते थे और इसमें उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान भी किया था ।

श्री सैनी का निधन 78 वर्ष की आयु में 15 जुलाई, 1990 को सहारनपुर में हुआ ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में सदन मेरे साथ है ।

अब सदस्यगण थोड़ी देर के लिए दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान स्वरूप थोड़ी देर के लिए मौन खड़े हों ।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे ।)

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के रास्ते सारे बंद हैं। लोग कैसे आएंगे ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह तो सवाल-जवाब का समय है । ठीक है, वह तो बाद में कर लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, लोग यहां कैस आएंगे, सारे रास्ते बंद हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : चौधरी मोशाय, हम जानते हैं। प्रश्न-काल को तो चलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, संसद् सदस्यों को यहां तक आने ही नहीं दिया जा रहा है। उनको यहां पहुचने की भी सुविधा नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सरकार को सीरियसली नोट करना चाहिए और बताना चाहिए कि इस बारे में क्या पॉलिसी है।

[अनुवाद]

कोई भी किसी पर ध्यान नहीं दे रहा है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके साथ सहमत हूं, लेकिन सवाल इस बात का है कि अभी तो प्रश्न-काल को चलने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय वित्त मंत्री भी इस बात का गर्व करते हैं कि यदि वे यहां हैं, तो ऐसे विवाद उत्पन्न नहीं होते और जो होते हैं, वह उनकी सहायता से सुलझ जाते हैं। अब वे यहां उपस्थित हैं। आपके द्वारा हम वित्त मंत्री से अनुरोध करते हैं कि वे भी दखल दें और यह सुनिश्चित करें कि विवाद का फैसला कर्मचारियों के पक्ष में हो। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, आने-जाने का कोई साधन नहीं है। मुश्किल से घर पहुंच पाते हैं और यहां समय पर आ ही नहीं पाते हैं। सब रास्ते दिल्ली में बंद किए हुए हैं।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं सिर्फ यही प्रार्थना करूंगा कि यह आंदोलन और नहीं चलना चाहिए। इसे सुलझाने के लिए वार्ता होनी चाहिए। इसके बहुत खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे सभी दलों को बुलाकर एक तरह की आपसी समझ बनाने का प्रयास करें। हम इसे अधिक समय तक जारी रहने नहीं दे सकते···**(व्यवधान)** हमें तुरन्त जरूरी उपाय करने होंगे···**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : चौधरी साहब, आप किसके बारे में कह रहे हैं? क्या आल इण्डिया इंस्टीट्यूट के बारे में कह रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, कुछ न कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए। यहां तक आने के लिए मुझे भी 10 बजे नोटिस डालने के लिए बस और रिक्शा पकड़ कर बहुत मुश्किल से आया हूं और अब जाकर मैं यहां नोटिस डाल पाया हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। क्वश्चन-ऑवर चलने दीजिए जटिया साहब। 12 बजे के बाद देखेंगे। आप बैठ जाएं। अब आप अपना प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कमल चौधरी : महोदय, सदस्य संसद भवन में किस प्रकार घुसें? संसद भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं···(व्यवधान) आप सदस्यों से लोक सभा में आने की आशा कैसे कर सकते हैं? यही सवाल है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम मूक दर्शक कैसे बने रह सकते हैं? (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप तो आ चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए कुछ होना चाहिए। मैम्बर पार्लियामेन्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। सारे रास्ते बंद हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाएं। मैं खड़ा हूं। आप लोग बैठ जाएं।

सुनिए, सवाल यह है कि दो बातें एक साथ उठा रहे हैं। मैं मानता हूं कि बाहर कुछ दिक्कतें हैं। मैम्बर पार्लियामेंट में नही आ पा रहे हैं। यह बात क्वश्चन-आवर के बाद उठाएंगे। लेकिन सैफुद्दीन चौधरी साहब का सवाल दूसरा है। इसलिए मेरा कहना यह है कि पहले क्वश्चन-आवर को चलने दीजिए। सरकार इसके बारे में कुछ सोचे और बोले। हम क्वश्चन-आवर को क्यों रोकें। इसलिए जटिया जी, आप अपना प्रश्न पूछिए।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

11.09 म० पू०

राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम में हिन्दी और अंग्रेजी के कार्यक्रम

***224. श्री सत्यनारायण जटिया** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1990 से जुलाई, 1990 तक दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम के अंतर्गत हिन्दी और अंग्रेजी के कार्यक्रमों को प्रतिदिन औसतन कितना समय दिया गया;

(ख) क्या राष्ट्रीय नेटवर्क के अंतर्गत कार्यक्रमों के प्रसारण समय में और हिन्दी फीचर फिल्मों के दिनों में कोई परिवर्तन किया गया है अथवा करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) दूरदर्शन के राष्ट्रीय और नेटवर्क कार्यक्रमों के प्रसारण के अंतर्गत हिन्दी के कार्यक्रमों को औसतन 47 प्रतिशत और अंग्रेजी के कार्यक्रमों को 42 प्रतिशत समय दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। यह निर्णय, अनिवार्य रूप से, दूरदर्शन के कार्यक्रमों की समय सूची को, देश के विभिन्न भागों के दर्शकों की आवश्यकताओं के, और अनुकूल बनाने के लिए लिया गया था।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि दूरदर्शन के राष्ट्रीय और नेटवर्क कार्यक्रमों के प्रसारण में 47 प्रतिशत हिन्दी के कार्यक्रम और 42 प्रतिशत अंग्रेजी के कार्यक्रमों को समय दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, हिन्दी देश की जनभाषा है और इस दृष्टि से कार्यक्रमों के अंदर हिन्दी को ज्यादा महत्ता दी जानी चाहिए, लेकिन कार्यक्रमों के अंदर 42 प्रतिशत स्थान अंग्रेजी को मिला है, हमारा यह कहना है अंग्रेजी को स्थान मिलने से विरोध नहीं है किन्तु हमारी स्थानीय भाषाओं को अधिक से अधिक समय मिलना चाहिए और उस दृष्टि से क्या सरकार कोई ऐसी नीति बना रही है जिससे प्रांतीय भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन मिले ? मैं जानना चाहूंगा कि यह जो अनुपात दिया गया है, क्या यह वास्तविक अनुपात के अनुकूल है ? यदि नहीं है तो मंत्री जी क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, सदस्य जानते हैं कि राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम सभी राज्यों में प्रसारित होता है और विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाएँ हैं। लगभग 14 भाषाएँ हैं। राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम में सभी भाषाओं के साथ-साथ न्याय करना संभव नहीं है। राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम में हम अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं के कार्यक्रमों को लगभग बराबर समय देते हैं, और हम प्रादेशिक केन्द्रों से प्रादेशिक भाषाओं के कार्यक्रमों को भी महत्व देते हैं। वास्तव में जब से नई सरकार ने कार्यभार संभाला है, तब से प्रादेशिक केन्द्रों के समय में एक घण्टे की वृद्धि की गई है।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जाटिया : अध्यक्ष महोदय, जैसा कहा है कि हम क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, पर बिना स्टूडियो कायम किए हुए कवरेज नहीं होता है, मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है क्योंकि वहां कोई स्टूडियो की व्यवस्था नहीं है। इसलिए में जानना चाहता हूं कि क्षेत्रीय दृष्टि से प्रतिनिधित्व समाचारों में हो सके और अन्य सारी कार्यवाहियों में भी हो सके, इस दृष्टि से मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों में दूरदर्शन स्टूडियो कायम करने के लिए सरकार क्या कोई कार्यक्रम निर्धारित करने जा रही है ?

श्री पी० उपेन्द्र : कुछ दिन पहले मैं मध्य प्रदेश गया था और वहां के दूरदर्शन, रेडियो के बारे में विवरण भी मांगा था। अभी भोपाल में एक स्टूडियो बन रहा है। जब भोपाल में स्टूडियों बन जाएगा तो मध्य प्रदेश में और ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम बनाने के लिए सुविधा हो जाएगी।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नीथाला : महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार जानती है कि

मलयाली फिल्मों को उतना समय नहीं दिया जा रहा जितना अन्य प्रादेशिक भाषाओं के कार्यक्रम को दिया जा रहा है । अगर हां तो, क्या मंत्री इसके लिए उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री पी० उपेन्द्र : मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हमें मलयाली फिल्मों से कई प्रस्ताव मिले हैं क्योंकि उन्होंने कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं और उनमें से कई प्रतीक्षा सूची में भी हैं । हम मलयाली फिल्मों के साथ न्याय कर रहे हैं । मैं उन्हें लिखित में राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम में दिखाई गई मलयालम फिल्मों की प्रतिशतता भी बता सकता हूं ।

श्रीमती उमा गजपति राजू : अध्यक्ष महोदय, आजकल भाषा एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है । मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगी कि वे दक्षिण भारत के संसद सदस्यों को, जो हर समय भाषा का मुद्दा उठाते रहते हैं आश्वासन दें कि हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी को भी राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम में समय दिया जाए ।

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, उत्तर से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम में सौ प्रतिशत में से 47 प्रतिशत कार्यक्रम हिन्दी के हैं, 42 प्रतिशत अंग्रेजी के लिए और 11 प्रतिशत अन्य भाषाओं के लिए है । मैं ऐसा नहीं सोचता कि अंग्रेजी को कुछ कम समय मिल रहा है ।

[हिन्दी]

श्री आरिफ बेग : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि हम पूरे देश में 42 वर्षों की आजादी में एक ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं कर पाए कि दक्षिण में हम नार्थ की भाषाओं का प्रचार कर सकें और उत्तरी क्षेत्र में दक्षिणी भाषाओं का प्रचार कर सकें । क्या हम दूरदर्शन के माध्यम से ऐसा कोई कार्यक्रम शुरू नहीं कर सकते जिससे पूरे देश में एकता स्थापित हो जाए और भाषा का मसला जो बड़ा गंभीर होता चला जाता है, उसे रोकने में दूरदर्शन सफलता के साथ आगे बढ़े ।

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम में हम विशेषकर संगीत और नृत्य और दूसरे ऐसे विषयों पर कार्यक्रम देते हैं जो पूरे भारत में पसंद किए जाते हैं । वे दक्षिण के साथ-साथ उत्तर भारत से भी होते हैं और सारे राज्यों के लोग इन कार्यक्रमों को देखते हैं । मेरे ख्याल में हम विभिन्न राज्यों के विभिन्न कार्यक्रमों को दिखा कर अपनी ओर से राष्ट्रीय एकता बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं । हम सभी राज्यों के कार्यक्रम दिखा रहे हैं ।

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : कुछ ऐसे कार्यक्रम भी होते हैं जिनमें भाषा की जरूरत ही नहीं होती ।

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुण्डा : हमारे देश की राजभाषा हिन्दी है । दूरदर्शन में जो समाचार उद्घोषक होते हैं वे ऐसी हिन्दी बोलते हैं कि लगता है कि अंग्रेजी का मिला-जुला बोल रहे हों । ऐसा लगता है कि हम हिन्दी का अपमान कर रहे हैं । क्या मंत्री महोदय इस अशुद्ध हिन्दी को शुद्ध करने की ओर कदम उठाऐंगे ?

श्री पी० उपेन्द्र : ऐसी हिन्दी प्रयोग करेंगे जो सब समझ सकें । पूरी संस्कृत मिली हुई हिन्दी प्रयोग करेंगे तो सब लोग समझ नहीं सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : हिन्दी के बजाए हिन्दुस्तान कहिए तो समाधान हो जाएगा ।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : वास्तव में देखा जाए तो, अगर अशुद्ध हिन्दी बोली जाए तो, यह उड़िया और बंगाली दोनों के बहुत पास आ जाती है। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री पी० उपेन्द्र : हिन्दी भी कई तरीके की होती है। दक्षिण के लोग एक हिन्दी बोलते हैं, बंगाल वाले दूसरी तरह की हिन्दी बोलते हैं। हिन्दुस्तान में अंग्रेजी भाषा ऐसे ही है।

[अनुवाद]

हमें इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूं इसमें कुछ गलत नहीं हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री से एक मूलभूत विषय पर पूछना चाहूंगा। हमने देखा है कि जो प्रादेशिक भाषा के कार्यक्रम होते हैं वे सिर्फ स्थानीय द्वितीय चैनल पर आते हैं, विशेषतौर पर तमिलनाडु में। हम जानते हैं कि हमारे संविधान में हिन्दी के अतिरिक्त जितनी अन्य राष्ट्रीय भाषाएँ हैं, उनके लिए सिर्फ 11 मिनट का समय दिया गया है, जैसा कि अभी-अभी मंत्री जी ने कहा है। यह प्रतिशतता बहुत कम है। अगर हम वास्तव में राष्ट्रीय एकता चाहते हैं तो, हमारी अनुसूची में दी हुई इन राष्ट्रीय भाषाओं के समय में वृद्धि की जानी चाहिए और जब तक इनका समय बढ़ाया नहीं जाता, तब तक भाषा की यह समस्या बनी रहेगी।

क्या मंत्री महोदय इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ?

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, जब से हम आए हैं दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए समय, जोकि आवश्यक रूप से क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, उसमें एक घंटे की वृद्धि कर दी गई है। इससे पहले ये कार्यक्रम 6.30 बजे से शुरू हुआ करते थे अब हम इन्हें 5.30 बजे से शुरू कर रहे हैं।

जहां तक मद्रास केन्द्र का सम्बन्ध है, अब चैनल 1 में, क्षेत्रीय तमिल कार्यक्रम 5.30 बजे से शुरू होकर 9 बजे तक जारी रहते हैं अर्थात यह हिन्दी में राष्ट्रीय समाचारों के समाप्त होने तक जारी रहते हैं। इसके अलावा चैनल 2 में तमिल कार्यक्रम 8.40 पर शुरू होते हैं और 10.30 बजे तक जारी रहते हैं। इसका अर्थ है कि तमिल कार्यक्रम चाहे चैनल 1 पर हो अथवा चैनल 2 पर, वह सायं 5.30 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक जारी रहते हैं। वास्तव में, मद्रास में हमने तमिल कार्यक्रमों में वृद्धि की है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न को बिल्कुल नहीं समझा है। मेरे प्रश्न को पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। हम मद्रास क्षेत्रीय केन्द्र के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि, यहां, जो समय आप राष्ट्रीय भाषाओं के लिए देते हैं अथवा जिन्हें आप क्षेत्रीय भाषाएं पुकारते हैं, वह बहुत ही सीमित हैं। क्या आप इसके लिए अधिक समय देंगे ताकि राष्ट्रीय एकता पर उसका प्रभाव पड़े ? मैं क्षेत्रीय केन्द्रों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं।

श्री पी० उपेन्द्र : क्षेत्रीय कार्यक्रम यहां केवल क्षेत्रीय फिल्मों के रूप में हैं और कभी-कभी अन्य कार्यक्रम महीने में एक बार होते हैं। यहां संगीत और नृत्य के कार्यक्रम भी हैं जिन्हें हमने यहां 11 प्रतिशत में हिसाब में नहीं लिया है। वे कार्यक्रम भी हैं। लेकिन उनमें भाषा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहां संगीत का 'राष्ट्रीय' कार्यक्रम है और नृत्य का 'राष्ट्रीय' कार्यक्रम है। अतः वे भी किसी

भाषा विशेष में होते हैं। अभी इस प्रतिशत में वृद्धि करना संभव नहीं है क्योंकि, या तो हमें इसके लिए हिन्दी अथवा अंग्रेजी को त्याग करना होगा जो कि वांछनीय नहीं है।

[हिन्दी]

प्रो० महादेव शिवनकर : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय एकात्मकता की दृष्टि से हिन्दी के प्रोग्राम ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से पिछड़े इलाकों में पहाड़ों और जंगलों के आदिवासी, बनवासी उनको सुन सकें इसके लिए क्या आप कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं ? महाराष्ट्र के गढ़चिरोली और चन्द्रपुर जिलों में यह कार्यक्रम सुनायी दे सकें क्या ऐसी कोई व्यवस्था आप करने जा रहे हैं ? ब्रह्मपुरी में एक रिले सेंटर स्थापित करने की कई दिनों से लोगों की मांग है। क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि चन्द्रपुर जिले में ब्रह्मपुरी में रिले सेंटर स्थापित करने पर शासन जल्दी विचार करेगा ? इसके साथ-साथ अकोला में रिले सेंटर जो माननीय मंत्री महोदय के उद्‌घाटन की इन्तजार कर रहा है क्या इसका उद्‌घाटन मंत्री महोदय शीघ्र करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : हमें दूरदर्शन के लिए नए रिले केन्द्र तथा स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र खोलने के लिए बहुत से सुझाव प्राप्त हुए हैं। हमने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पहले ही कुछ योजनाओं को अस्थाई रूप से अन्तिम रूप दे दिया है और योजना आयोग से अन्तिम स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही हमें योजना आयोग से धन राशि प्राप्त होगी, हम इसे अन्तिम रूप दे देंगे और इन केन्द्रों की भी घोषणा कर देंगे। ब्रह्मपुरी भी उन केन्द्रों में से एक है। वास्तव में अकोला केन्द्र सितम्बर अथवा अक्तूबर तक स्थापित्त कर दिया जाएगा। हम इसे स्थापित करेंगे।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मेरा प्रश्न श्री कुमारमंगलम द्वारा पूछे गए प्रश्न के क्रम में है। क्योंकि राष्ट्रीय नेटवर्क, सम्पूर्ण देश के लिए है। मैं नहीं समझती कि अन्य राष्ट्रीय भाषाओं को भी कुछ समानता देने में क्या आपत्ति हैं, ताकि कम से कम राष्ट्रीय नेटवर्क पर अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों को एक तिहाई समय दिया जा सकता है।

श्री पी० उपेन्द्र : जी नहीं, जैसाकि मैंने कहा, क्षेत्रीय भाषाओं के लिए इस समय 11 प्रतिशत समय पहले ही निर्धारित है। इसके अलावा, संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी है। यदि आप उसमें इसे भी जोड़ दें, तो इस प्रतिशत में काफी वृद्धि हो जाएगी। लेकिन मैं नही समझता कि इस प्रतिशत में अभी वृद्धि करना संभव है।

श्री संतोष मोहन देव : इससे पहले कि प्रसार भारती विधेयक पारित हो ......(व्यवधान) हमें उपेन्द्र भारती दूरदर्शन से काम चलाना होगा। उन्होंने बहुत ही सही कहा है कि क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं पर भी बल दिया गया है। इसी को उद्देश्य मानते हुए पिछली सरकार ने विशेष-कर बंगलादेश और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसा किया—जिसका आप भी पालन कर रहे हैं, आपने दूरदर्शन तथा आकाशवाणी नेटवर्क को मजबूत करने का भी प्रयास किया, और हाल ही में, आपने अमृतसर और अन्य केन्द्रों को मजबूत करने के लिए पंजाब में कुछ योजनाओं की घोषणा की है, जिसकी सभी ने बहुत ही प्रशंसा की थी। मैं नहीं जानता कि क्या, प्रसार भारती विधेयक को पारित किये जाने के बाद, आप यही व्यवस्था बनाए रखेंगे।

लेकिन, शिलांग और सिल्चर जैसे कुछ स्टूडियो जो कि शुरू किये गए थे और जिनके बारे में यह माना गया था कि वे 1989 तक पूरे हो जाएंगे, वे तैयार हैं, क्या कारण है कि आप उनका उद्‌घाटन नहीं कर रहे हैं ; और इस प्रकार इन दूरदर्शन स्टूडियो के माध्यम से लोगों को उनकी क्षेत्रीय संस्कृति

दिखाए जाने से वंचित रखा जा रहा है ? इन स्टूडियो का बहुत शीघ्र उद्घाटन करने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री पी० उपेन्द्र : जैसाकि श्री संतोष मोहन देव ने ठीक ही कहा है, हम सीमावर्ती क्षेत्रों में ट्रांसमिशन सुविधाओं को बहुत महत्त्व दे रहे हैं । हम इसे जारी रखेंगे ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के सम्बन्ध में भी, विगत में बहुत सी योजनाएं शुरू की गई हैं । वे अपने अन्तिम चरणों में है अथवा पहले ही पूरी हो चुकी हैं । वास्तव में, मैं कार्यक्रमों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए कल गुवाहाटी जा रहा हूं । जितना शीघ्र संभव हो सकेगा इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा । हम कर्मचारियों की तैनाती की प्रतीक्षा कर रहे हैं । इसके लिए कर्मचारियों की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है । मैंने संघ लोक सेवा आयोग से भी बातचीत की है, और उन्हें चयन कार्य को शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया है । यदि वे इसे समय पर पूरा नहीं कर सकते, हम उनसे एक बार छूट देने के लिए कहेंगे ताकि हम सीधी भर्ती कर सकें । जैसे ही हमें कर्मचारी मिल जाएंगे, हम उन्हें भी शुरू कर देंगे ।

[हिन्दी]

श्री कपिल देव शास्त्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जैसा कुमारमंगलम् जी ने कहा, दक्षिण भारतीय भाषाओं को उत्तरी क्षेत्र में उतना महत्व नहीं मिलता, जितना अंग्रेजी को मिलता है । मैं आपके माध्यम से सरकार से मह प्रार्थना करता हूं कि दक्षिण भारतीय भाषाऐं तमिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम, बंगला, गुजराती और मराठी को उतना ही महत्व मिलना चाहिए, जितना हिन्दी को मिलना चाहिए और उनका स्थान अंग्रेजी के कोटे से काट लिया जाय और सब भाषाओं को बराबर कर दिया जाय । दक्षिण भारतीय भाषाओं को महत्व मिलना ही चाहिए ।

[अनुवाद]

श्री पाल आर० मन्टोष : दूरदर्शन पर जो अंग्रेजी भाषा बोली जाती है उसमें इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है कि आम लोग उसे समझ नहीं सकते । मेरा सुझाव है कि दूरदर्शन में प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए शब्दसंग्रह 2000 अथवा 3000 शब्दों तक सीमित रखा जाए, जिससे कि सामान्य लोग भी इसे समझ सकें ।

श्री पी० उपेन्द्र : मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, श्री सनत कुमार मंडल ।

(व्यवधान)

आयकर और उत्पाद शुल्क की बकाया राशि

*225. **श्री सनत कुमार मंडल** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों, कम्पनियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों तथा व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध 1 जुलाई, 1990 की स्थिति के अनुसार एक करोड़ और इससे अधिक राशि का आयकर बकाया था ;

(ख) उन फर्मों और कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिसके विरुद्ध 1 जुलाई, 1990 की स्थिति के अनुसार एक करोड़ और इससे अधिक राशि का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बकाया था ; और

(ग) करों की इस बकाया राशि की वसूली के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं तथा यदि कुछ मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं तो उनके शीघ्र निपटान के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) :

(क) 555 कम्पनियां, व्यक्तिगत फर्में और अविभाजित हिन्दू परिवार ऐसे हैं जिनके पास विवरण-1 में दिए गए विस्तृत ब्यौरे के अनुसार 31.3.90 को एक करोड़ रु० तथा उससे अधिक की आयकर की राशि बकाया है।

(ख) 140 फर्में और कम्पनियां ऐसी हैं जिनके पास विवरण-2 में दिए गए विस्तृत ब्यौरे के अनुसार 1.7.90 को एक करोड़ रु० तथा उससे अधिक की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की राशि बकाया है।

(ग) उपर्युक्त प्रशासनिक विधिक और आवश्यक समझे जाने वाले अन्य कदम उठाए जाते हैं। अदालतों में अनिर्णीत पड़े मामलों पर शीघ्र सुनवाई करने तथा वसूली के खिलाफ स्थगन आदेशों को रद्द करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

विवरण-1

कंपनियों व्यक्तियों फर्मों हिन्दू अविभाजित परिवारों की सूची जिनके विरुद्ध 31-3-1990 की स्थिति के अनुसार एक करोड़ रुपए से अधिक का आयकर बकाया है

क्र०सं०	कर निर्धारिती का नाम	बकाया राशि
1.	पालीस्टील (इंडिया) लि०	226.51
2.	रुस्तम मिल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि०	110.32
3.	मै० मेहसाना डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव मिल्स प्रोडक्ट्स कार्पो०	1827.55
4	मै० रेप्रोपैक प्रा० लि०	125.48
5.	मै० कालिंदी इन्वेस्टमेंट (प्रा०) लि०	299.62
6.	श्री एच० आर० त्रिवेदी	594.10
7.	आर० एन० श्रोफ नाडियाड	186.18
8.	श्री जी० आर० मलहोत्रा	103.32
9.	मै० इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि०	247.13
10.	मै० अहमदाबाद मैन्यूफैक्चरिंग एण्ड कैलिको प्रिंटिंग कम्पनी लि०	249.32
11.	इंडकान मार्केटिंग कंपनी लि०	131.52
12.	मै० प्रवीण प्रकाश फैमिली ट्रस्ट	175.19
13.	श्री एन० आई० पटेल	335.28
14.	श्री एन० आई० पटेल	212.13
15.	श्री मोहम्मद अख्तर हुसैन	112.91
16.	अलकापुरी इन्वेस्टमेंट (प्रा०) लि०	353.40
17.	श्री एन० आई० पटेल और अन्य	1412.79

क्र०सं०	कर निर्धारिती का नाम	बकाया राशि
18.	श्री जीवाभाई ए० पटेल	130.33
19.	श्री अंबालाल वी० पटेल	139.82
20.	श्री शांतिलाल नागरदास सुपारीवाला	199.79
21.	मै० सूरत इलैक्ट्रिसिटी क० लि०	182.57
22.	श्री कांतिलाल एच० माली	122.65
23.	श्री वी० सी० श्रौफ	156.00
24.	श्री पोपटलाल कांजी छेलानी	160.53
25.	दिलीप कुमार हंसराज	302.02
26.	श्री ज्योतेन्द्र सिंहजी विक्रम सिंहजी जाडेजा	199.89
27.	मै० सनराइज टाइल्स(प्रा) लि०	157.79
28.	श्री एस० एन० वाडियार	954.03
29.	मै० कर्नाटक स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाइज कार्पो० लि०	898.80
30	हेगड़े एण्ड गोले लि०	116.62
31.	श्री वी० टी० शंकर हेगड़े	151.95
32	मै० कर्नाटक एग्रोकार्न प्रोडक्ट्स लिमिटेड	105.08
33	मै० भारत इलेक्ट्रानिक्स लि० बंगलौर	989.39
34.	मै० बी० ई० एम० एल०	180.80
35.	मै० एस्मार शिपिंग लि०	421.87
36.	मै० पायथोगोरस कम्यूनिकेशंस सिस्टम्स लि०	109.05
37.	मै० बेटामेटैक्स (प्रा) लि०	118.06
38.	मै० कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट कार्पो०	338.79
39.	श्री वासुमल भगवान दास	131.37
40.	श्री वासुमल भगवान दास	316.58
41.	मै० इंडियन टेलीफोन इंड० लि०	1305.00
42.	मै० एस्केएफ लि०, बंगलौर	167.00
43.	श्री पी० आर० मेटरानी	132.86
44.	मै० वी० एस० डांपो एंड कंपनी प्रा० लि०	575.86
45.	श्री ए० विश्वनाथ	431.80
46.	सेसा गोंव लिमिटेड	192.55
47.	मै० डेम्पो माइनिंग कार्पो० लि०	111.21
48.		
49.	मै० मेघजी गिरधारीलाल	163.09
50.	नंदलाल भंडारी एंड संस प्रा० लि०	120.26
51.	कल्याण साल्वेंट एक्स्ट्रैक्शन लि०	144.21
52.	मै० आइशर मोटर्स लिमिटेड, इंदौर	100.16
53.	मै० नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर लिमिटेड	197.25
54.	जी एण्ड एच सेक्रान इलेक्ट्रोड्स (प्रा०) लिमिटेड	209.39
55.	मै० विजय कुमार राजेन्द्र कुमार एण्ड कं०	152.35
56.	मै० एम० पी० फाइनेंशियल कार्पो०	127.18
57.	मै० जौरा सुगर मिल्स लि०	111.24
58.	श्री लोकूमल सी० विरमानी	268.04

क्र०सं०	कर निर्धारिती का नाम	बकाया राशि
59.	मै० राम कुमार जालान	527.55
60.	मै० कन्डोई ब्रदर्स	334.30
61	महाबीर प्रसाद आर० कन्डोई	102.64
62.	मै० कैमिकल्स एण्ड रिजाइंस लि०	167.00
63.	मै० टेल्को लि०	2193.00
64.	मै० टाटा आयल मिल्स क० लि०	559.00
65.	मै० टाटा सन्स	273.00
66	मै० माधव लाल एण्ड क० (प्रा०) लि०	178 59
67.	मै० इण्डियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स (बोम्बे) प्रा० लि०	1228.48
68.	मै० इण्डियन हुम पाइप क० लि०	179 00
69	वालचन्द नागर इंडस्ट्रीज लि०	277.63
70.	मै० इंडियन होटल्स क० लिमिटेड	129.00
71.	मै० नेशनल रेडियो इलेक्ट्रिक क० लि०	125.39
72.	मै० वोल्टास लि०	532.00
73.	मै०वेस्टर्न इण्डिया एसपीजी क० लि०	187.00
74.	मै० पूना इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रियल क० लि०	260.73
75.	मै० टाटा हाऊसिंग डवलपमेंट कार्पो०	158.00
76.	मै० होक्स्ट इण्डिया लि०	101.00
77.	मै० प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि०	571.00
78.	मै० काटन कार्पो० आफ इण्डिया	121.00
79.	मै० आन्ध्रा वेली पावर सप्लाई क०	679.00
80.	टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सप्लाई क०	517.00
81.	मै० सचिन ट्रांस० (प्रा०) लि०	129.00
82.	श्री अजित के० मेहता	197.00
83.	मै० एस० एम० डाइकेमिकल्स (प्रा०) लि०	346.00
84.	मै० कानाकम्बार इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग क० लि०	200.00
85.	मै० अडवानी ओरलिकन लि०	195,00
86.	सेरल (इण्डिया) लि०	267.30
87.	इण्डियन सीविंग मशीन क० लि०	138.00
88.	मै० टाटा आइरन एण्ड स्टील क० लि०	584.00
89.	श्री राजेश खन्ना	115.12
90.	मै० कमल विजय प्रोडक्शंस	120.77
91.	श्री अर्जुन हिंगोरानी	280.71
92.	मै० नवरंग सिने सेंटर प्रा० लि०	575.97
93.	लेट श्री सायाजीराव गायकवाड़	186.29
94.	श्री अमजद खान	118.59
95.	मै० टाटा पावर क० (ए०) लि०	1254.00

क्र०सं०	कर निर्धारिती का नाम	बकाया राशि
96.	मै० जोली मेकर प्रीमिसेज को-आपरेटिव सोसायटी लि०	212.95
97.	मै० टी० वी० पटेल प्रा० लि०	352.10
98.	इण्डियन आयल कार्पो० लि०	4692.00
99.	मै० नेशनल ओरगनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज लि०	2285.10
100.	मै० पारिक मार्केटिंग (प्रा०) लि०	128.29
101.	मै० पोलियोलोफिन इंड-स्ट्रीज लि०	277.84
102.	मै० हिन्दुस्तान लीवर लि०	1367.08
103.	मै० मफतलाल इंडस्ट्रीज लि०	208.95
104.	मै० निर्लोन सेंथेटिक्स फाईबर्स एण्ड केमिकल्स लि०	835.48
105.	सूरज डाइमण्ड (प्रा०) लि०	100.56
106.	इण्टरनेशनल कम्प्यूटर्स (आई) मार्केट लि०	243.06
107.	मै० इंडियन ओरगनिक केमिकल्स क० लि०	157.52
108.	मै० बिलिमोरिया कंस्ट्रक्शन लि०	154.73
109.	मै० इंडियन डाइस्टफ इण्डस्ट्रीज लि०	117.05
110.	मै० भारत पेट्रोलियम कार्पो० लि०	1696.00

क्र०सं०	कर निर्धारिती का नाम	बकाया राशि
111.	मै० इंडिया सुगर रिफाइ-नरीज लि०	123.51
112.	डा० सी० बी० जैन	156.39
113.	मै० नेशनल बिल्डिंग कार्पो० लि०	145.66
114.	मै० आटोमोबाइल पीउगट फ्रांस	104.43
115.	मितसुबिशी इलेक्ट्रिक कार्पो०	109.79
116.	मै० नोवा एस० पी० ए० ओफिसिंग एण्ड मेटल मशींस	114.18
117.	मै० टेलर डाईविंग कार्पो० (प्रा०) लि०	180.93
118.	मै० भाटिया एण्टर-प्राइजेज	184.51
119.	श्री विनोद भाटिया	139.12
120.	अमेरिकन एक्सीस बैंक	1140.53
121.	मै० ओरसन इलेक्ट्रो-निक्स लि०	144.00
122.	मै० आई० सी० आई० सी० आई० लि०	1906.17
123.	मै० इंण्टरएक्निक कंसल्टेंट्स (प्रा०) लि०	244.27
124.	मै० कास्टल राक सी (प्रा०) लिमिटेड	205.03
125.	मै० मेकर डिवलपमेंट सर्विस लिमिटेड	1094.00
126.	मै० लैंडी ए० जी०	1147.74
127.	मै० न्यू ईरा फैबरिक (प्रा०) लिमिटेड	189.47

क्र०सं०	कर निर्धारिती का नाम	बकाया राशि
128.	मै० ई० मैकर (आई) लिमिटेड	152.00
129.	मै० एक्सलो (आई) लिमिटेड	112.00
130.	मै० जीतपान होल्डिंग्स (प्रा०) लिमिटेड	819.00
131.	मै० बाम्स होल्डिंग्स (प्रा) लिमिटेड	787.00
132.	मै० आरतीलाल चैमुक्स लि०	136.00
133.	मै ओरसी होल्डिंग्स (प्रा) लिमिटेड	819.00
134.	मै० मामन होल्डिंग्स (प्रा०) लिमिटेड	383.00
135.	मै० यूनियन बैंक आफ इण्डिया	1005.94
136.	मै० स्टेन्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	430.00
137.	मै० एस० बी० एम० इंजीनियरिंग प्रोडक्स (प्रा०) लिमिटेड	147.00
138.	मै० कैनरा इलैक्ट्रीक्स सर्विस क० लिमिटेड	218.00
139.	श्री डी० एम० पवार	174.86
140.	मै० महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लिमिटेड	259.94
141.	मै० वैनीलाल एक्सपोर्ट्स हाउस (प्रा०) लिमिटेड	104.32
142.	एसोसेटेड सीमेंट क० लिमिटेड	119.66
143.	डी० सी० दमनी	104.36
144.	एच० सी० दमनी	108.68
145.	मै० जे० बी० बोद एण्ड क० लिमिटेड	130.12
146.	मै० महेन्द्रा उजीन एण्ड स्टील क० (प्रा) लिमिटेड	252.43
147.	मै० ओटिस एलीवेटर्स क० (इण्डिया) लिमिटेड	332.52
148.	भंवर लाल बी० जैन	252.47
149.	इंदरमल मनजी	229.80
150.	स्टेट आफ श्री महेन्द्रा सिंह	126.52
151.	श्रीमती विजय कुनवरब आफ मोरवी	125.70
152.	श्री एन० सी० देवकी	119.62
153.	श्री शांतिलाल पी० जैन	136.03
154	श्री मयूरध्वज सिंह एल० एच० श्रीमती विजय कनबर्स आफ मोरवी	108.68
155.	श्रीमती गीतेश बंसल	125.06
156.	श्री निखल ए० डोलका	1213.87
157.	श्री सुरेन्द्र कुमार गर्ग	295.14
158.	मै० सत्यम्स कम्यूनिकेशन्स	346.94
159.	मै० साई इंटरप्राइज्स	156.71
160.	मै० अलमांडीना कन्स्ट्रक्टिंग इस्टेबलीस्टमेंट क०	148.83
161.	मै० छाबड़ा इन्टरनेशनल	148.83
162.	श्री एस० एल० अरोड़ा	117.78
163.	श्री एस० के० सूद	184.58
164.	श्री सतीश सूरी	130.20
165.	श्री किशोरीलाल रामजी	165.37

क०सं०	कर निर्धारिती का नाम	बकाया राशि
199.	मै० नागपाल स्टेनलैस स्टील (प्रा०) लिमिटेड	680.29
167.	इचजे इन्डस्ट्रीज (प्रा०) लिमिटेड	138.00
168.	मै० इण्डियन प्लाईउड मैनु० क० लिमिटेड	627.45
169.	मै० दुर्गाप्रसाद रामचंद्रन (प्रा०) लिमिटेड	171.62
170.	मै० वीरेन्दर केनोल लि०	142.61
171.	मै० जौन संस एण्ड जोन संस लिमिटेड	139.00
172.	मै० क्रांपटन ग्रीव्स एण्ड क० लिमिटेड	452.55
173.	मै० एक्वेटियस एजेंसी (प्रा०) लिमिटेड	410.49
174.	मै० ज्योप्रे मैनर्स एण्ड क० लिमिटेड	118.00
175.	श्री एस० राजन आर० राजन एंड श्री कृष्ण पी० जिन्दल का० ए० ओ० पी०	135.56
176.	मै० इ० डब्ल्यू० ए० सी० सलोरस लिमिटेड	196.27
177.	मै० देसा स्टील लिमिटेड	150.00
178.	मै० लैब्रटीज एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	107.00
179.	मै० गैमोन इंडिया लिमिटेड	420.00
180.	मै० पारीख ब्रदर्स	1168.38
181.	मै० गिलन्डिया लिमिटेड	167.20
182.	मै० जीलिक लिमिटेड	138.01
183.	श्री० आर० के० पारीख	696.62
184.	श्री एन० के० पारीख	658.75
185.	मै० एक्सपो टेडर्स क०	445.50
186.	मै० जीस्स इंजीनियरिंग क०	113.04
187.	मै० निकोलर्स लेब्रोटीज लिमिटेड क०	116.56
188.	इडियन रेयर अर्थस लिमिटेड	470.39
189.	कपाड़िया कंन्स० क० (प्रा०) लिमिटेड	198.29
190.	मै० इंटरनेशनल टाटा मैनेजमेंट लिमिटेड	109.08
191.	मै० ब्लू स्टार लिमिटेड	173.52
192.	मै० रायल वैस्टन क०	106.57
193.	महाराष्ट्रा स्टील रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन	1100.50
194.	मै० राष्ट्रीय कैमीकल्स एंड फर्टीलाइजर लिमिटेड	405.10
195.	मै० यूनीवर्सल फैरो एड एलाई क० (प्रा०) लिमिटेड	177.45
196.	मै० इन्डेन इडस्ट्रीज लि०	136.08
197.	मै० डैनेमैटीक फोरजिंग्स (प्रा०) लिमिटेड	100.77
198.	मै० माथुर प्लेट० (इ०)लि०	133.42
199.	श्री एस० आर० मोरका	108.61
200.	मै० इनजरसल रैड (इं०) लि०	195.68
201.	मै० गोवर्धन इन्वेस्टमेंट कं०	113.05

क०सं०	कर निर्धारिता का नाम	बकाया राशि
202.	मै० के० रहिजा कंस्ट्रक्सन लि०	145.98
203.	जे० बी० ए० प्रिंटिग इंक्स (प्रा०) लिमिटेड	1108.13
204.	मै०आई० ए० ई० सी (इ०) लि०	121.36
205.	मै० रिलाइंस इंड० लिमिटेड	1248.62
206.	मै० सीमेन्स इंडिया लि०	1157.90
207.	मै० धर्मजी मोरारजी कैमीकल्स क० लिमिटेड	129.85
208.	मै० कैनोन ड्रीकले एंड क० लि०	288.24
209.	मै० सफारी इंडस्ट्रीज लि०	133.06
210.	मै० बी० आई० पी० इंडस्ट्रीज लि०	132.33
211.	मै० लक्ष्मी चन्द भागजी	615.46
212.	मै० बुश इंडिया लिमिटेड	184.10
213.	मै० केबल कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	249.98
214.	मै० जैनिथ टिन वर्क्स	157.96
215.	श्री एस० एन० कपाड़िया	714.74
216.	मै० डोंरा कैडिया डैवलपमेंट क० (प्रा०) लिमिटेड	128.34
217.	बेननेट कौलमैन एंड क० लि०	128.35
218.	हिन्दुस्तान फैरेडो (प्रा०) लि०	224.08
219.	मै० सोहल इंजी० वर्क्स	122.59
220.	श्री भूपट रे के० सेठ	115.28
221.	श्री मनसुख एम० जगदे	118.07
222.	श्री जे० बी० रूपानी	522.78
223.	मै० मशीनरी मैनुफैक्चरर्स कारपो० लि०	178.76
224.	मै० दामोदर वैली कारपो०	106.40
225.	मै० बादलीपुर टी क० लि०	116.07
226.	मै० जी० ई० सी० (इं०) लि०	131.89
227.	मै० ऋषि गैस (प्रा०) लि०	129.14
228.	मै पीको इलैक्ट्रीकल्स एंड इलैक्ट्रोनिकल्स लि०	551.99
229.	श्री मेजर देवदत्त	203.68
230.	मै० ईस्टर्न पेपर मिल्स लि०	135.00
231.	मै० ब्रुक बांड इंडिया लि०	733.12
232.	मै० मैकलीड रूसल इंडिया लि०	113.68)
233.	मै० मैकनील एंड मैगर लि०	210.54
234.	मै० गुडरेक ग्रुप लि०	182.29
235.	मै० ए० तोश एंड संस	148.52
236.	श्री हरिदास मुन्द्रा	839.60
237.	श्री रामनाथ बजोरा	116.53
238.	मै० कोहिनूर रबड़ वर्क्स (प्रा०) लि०	217.88
239.	ईस्ट इंडिया होटल्स लि०	562.46
240.	मै० इलाहाबाद बैंक	931.31
241.	मै० बंगाल लैम्प्स लि०	165.99
242.	मै० जी० एस० अटवाल एंड क० (इंजी०)	136.62

क्र०सं०	कर निर्धारिती का नाम	बकाया राशि
243.	श्री चन्द्र नाथ बनिक	267.06
244.	मै० सीता कास्टींग (प्रा०) लि०	
245.	मै० फेवरेट स्माल इंवेस्टमेंट लि०	195.09
246.	मै० यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बेंक लि०	158.32
247.	मै० कपारी होम प्रोडक्ट्स लि०	100.58
247.	मै० न्यू तबैको कार्पो० लि०	267.51
249.	मै० यूनाइटेड बैंक आफ इं०	1142.50
250.	मै० बाटा इंडिया लि०	144.36
251.	मै० जैमेक (इं०) लि०	187.36
252.	मै० जी० एस० पटवाल एंड कं० असनशोल	134.11
253.	मै० ग्रेट ईस्टर्न होट आथो० लि०	188.78
254.	मै० ओबराय होटल (प्रा०) लि०	185.06
255.	मै० संचयिता इंवेस्टमेंट	1767.50
256.	मै० लक्ष्मीदास प्रेमजी	136.81
257.	मै० गणपति एक्सपर्ट्स लि०	671.18
258.	मै० बी० एन० ईलास कं० लि०	107.58
259.	मै० डाबर इं० (प्रा०) लि० (डा० एस० के० बर्मन)	182.88
260.	मै० पोद्दार ब्रादर्स	125.08
261.	मै० सूरज मल नागर मल	315.82

क्र०सं०	कर निर्धारिती का नाम	बकाया राशि
262.	मै० मार्शल संस एंड कं० (इं०) लि०	160.66
263.	मोती लाल मालपानी (डिसीस्ड) एल०/एच० नंदकिशोर मालपानी	110.22
264.	डिसीरगढ़ पावर सप्लाई कं० लि०	102.15
265.	श्री काशी नाथ राय	683.83
266.	श्री लक्ष्मीनारायण खेमका	200.03
267.	श्री हरीराम अग्रवाल	164.60
268.	मै० केरल स्टेट सिविल सप्लाईस क० लि०	266.21
269.	मै० भगीरथ इंजी० कं० लि०	292.07
270.	ट्रावनकोर इल० केमी० इंड० लि०	150.21
271.	आर० भारथन	127.35
272.	मै० जोसफ मिचेल एंड ब्रा०	165.02
273.	श्री एल० कुन्जु	161.54
274.	इंडियन रेलवे कंस्ट्र० कं० लि०	284.14
275.	मै० गणेश फ्लोर मि० लि०	260.58
276.	डा० जे० डि० धर्मा तेजा	1814.92
277.	मै० इंडियन टूरिज्म डि० कार्पो०	309.05
278.	मै० के० फिल्मस (प्रा०) लि०	121.13
279.	महर्षि इंस्टी० आफ क्रिएटिव इंटेलीजेंस	190.57
280.	धर्मा प्रतिष्ठानम	721.00

क्र०सं०	कर निर्धारिती का नाम	बकाया राशि
281.	श्रीमती गायत्री देवी	109.47
282.	श्री जगत सिंह	164.00
283.	श्रीमती उर्वशी देवी	108.90
284.	मै० धर्मा सिंह राम सिंह मो० (प्रा०) लि०	131.89
285.	मै० ट्रेड फेयर आथो० आफ इं० लि०	462.78
286.	मै० बर्मेठ (इं०) (प्रा०) लि०	197.42
287.	एन० टी० पी० सी० लि०	111.24
288.	मै० इंडियन कम्यूनिकेशन नेटवर्क लि०	141.50
289.	मै० एरो लेदर (प्रा०) लि०	127.76
290.	मै० इंटरनेशनल एयरपोर्ट आथो० आफ इण्डिया लि०	3076.56
291.	मै० भारत हैवी इले० लि०	4737.43
292.	नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रो इलैक्ट्रिक कार्पो० लि०	109.73
293.	श्री ओ० पी० गुप्ता	100.89
294.	मै० एसोसियेटिव एग्रीकल्च-रल डिवलपमेंट फाउंडेशन सोसायटी	143.9.0
295.	मै० पर्ल साइकिल इंडस्ट्रीज (प्रा०) लि०	150.68
296.	मै० बंसल एक्सपोर्ट्स (प्रा०) लि०	1020.86
297.	मै० ऐलेनबेरी एंड कं० (प्रा०) लि०	147.87

क्र०सं०	कर निर्धारिती का नाम	बकाया राशि
298.	मै० भारत यूनियन एजेंसीज (प्रा०) लि०	140.30
299.	श्री ओ० पी० अरोड़ा	218.43
300.	प्रोजेक्ट एंड इक्वीपमेंट कार्पो० आफ इंडिया लि०	122.62
301.	मै० एमपको इंडिया लि० (आई० डब्ल्यू० सी०)	118.92
302.	मै० एन० पी० सी० सी०	205.45
303.	मै० रोजर इंटरप्राइसिस	265.64
304.	मै० दिव्या इंटरनेशनल	360.17
305.	मै० दिल्ली आटोमोबा-इल्स	742.90
306.	मै० दिर्शा होल्डिंग	110.80
307.	श्री डब्ल्यू० एन० चड्ढा	4262.13
308.	मै० इंडियन एअरलाइंस	852.93
309.	मै० भारत होटल	676.11
310.	मै० कैम्पा बीवरेजिस	171.01
311.	मै० भारत एल्यूमिनियम कं० लि०	136.69
312.	मै० बी० जी० फाईनेंस इंडस्ट्रीज	147.34
313.	मै० मंगेश्वर लि०	280.97
314.	श्री प्रीतपाल सिंह	241.50
315.	मै० राजस्थान मरकंटाइल कं० लिमिटेड	233.32
316.	मै० प्रेस स्टील एंड फेब्रीकेशन लि०	107.56
317.	मै० इलैक्ट्रोनिक्स कार्पो० ऑफ इंडिया लि०	216.57
318.		

क्र०सं०	कर निर्धारिती का नाम	बकाया राशि
319.	मै० लिक्वर्स इंडिया (प्रा०) लि०	204.82
320.	मै० नजीम सप्लीमेंट ज्वेलरी ट्रस्ट	181.02
321.	बद्राचलम पेपर्स बोर्ड	120.15
322.	मै० फिलो फाम (प्रा०) लि०	114.93
323.	ए० पी० स्टेट सिविल सप्लाई कार्पो०	1683.00
324.	मै० ए० पी० स्टेट एसेन्शियल कमोडिटीज कार्पोरेशन	443.25
325.	इंडियन ओशियन अलाइनमेंट प्रा० लि०	106.49
326.	मै० स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	557.56
327.	मै० सिंह पॉल्यूटरी (प्रा०) लि०	109.71
328.	मै० आंध्रा बैंक	184.88
329.	सेंट जोसफ्स एजुकेशन सोसायटी	104.89
330.	मै० आंध्रा स्टील एंड हार्डवेयर कार्पो० (प्रा०) लि०	328.50
331.	राजेन्द्र प्लास्टिक इंडस्ट्रीज	111.44
332.	श्री गिरधारी लाल गुप्ता	155.75
333.	सर्राफ टैक्स्टाइल्स मिल्स (प्रा०) लि०	320.60
334.	श्री हेमचन्द गोलेचा, जयपुर	370.25
335.	मै० ओम मेटल एंड मिनिरल (प्रा०) लि०	291.27
336.	श्री नामीचंद वर्णाक्त	144.00
337.	श्रीमती पुष्पा देवी टाक एल/एच ऑफ लेट श्री बालकिशन टाक	209.45
338.	मै० रजा टैक्स्टाइल्स लि० रामपुर	284.94
339.	श्रीमती दर्शनी देवी खुराना झांसी	102.77
340.	मै० गिरि लाल मामचंद एंड कंपनी	105.04
341.	मै० डरमोट इंटर० इंका कंपनी	1798.49
342.	मै० सुमिटोमो हेवी इंड० कं०	1227.92
343.	ब्राउन एंड रूट इंट० कंपनी	1758.22
344.	गल्फ फ्लीट मेरीन ऑपरेशन	1813.40
345.	डी० पी० जे० डी० सी०	4151.34
346.	ओकानाकन हेलीकोप्टर्स लि०	268.10
347.	मेकालैंड इंट० इन्का०	143.52
348.	अटवुड इंट० इन्क०	602.28
349.	स्वायर पैसेफिक ऑफशोर	1303.52
350.	ई० टी० पी० एम०	1199.84
351.	निप्पोन केशन के० के० जापान	1592.01
352.	साडको इंट० इंका० ए०	9001.01

क्र०सं०	कर निर्धारिती का नाम	बकाया राशि
353.	वाइकिंग आफशोर	114.49
354.	स्कलंबरगर फार-ईस्ट	641.98
355.	हुंडई कार्पो० एंड एच० एच० टी०	3669.23
356.	जियोफिजिकल सर्विस इंटरनेशनल	174.88
357.	डॉवेल स्कलंबरगर	107.82
358.	हैलीबर्टन ऑफशोर डायरेक्ट	366.10
359.	ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन	13428.94
360.	मैसर्स यू० पी० स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड	533.70
361.	अपट्रान इण्डिया लि०	108.75
362.	यू० पी० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	349.63
363.	मैसर्स मुरादाबाद सिन्टेक्स लिमिटेड	135.82
364.	धामपुर शुगर मिल्स लि०	167.65
365.	मैसर्स पी० आई० सी० यू० पी० लखनऊ	158.92
366.	मैसर्स इन्डो गल्फ फर्टिला-इजर्स एण्ड केमीकल कारपोरेशन	137.32
367.	मैसर्स यू० पी० स्टेट मिनरल डिवेलपमेंट कारपोरेशन	118.00
368.	मैसर्स यू० पी० स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	33914.52
369.	मैसर्स जे० पी० इन्डस्ट्रीज लि०	425.50

क्र०सं०	कर निर्धारिती का नाम	बकाया राशि
370.	मैसर्स हरिजन एण्ड निर्बल वर्ग आवास निगम लि०	176.00
371.	मै० हैन्डलूम इन्टेन्सिव डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट लि०	131.37
372.	तमिलनाडु इन्डस्ट्रियल डिवेलपमेंट कारपोरेशन	104.61
373.	मै० तमिलनाडु इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन	1388.94
374.	मै० लंदन रबर कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड	207.93
375.		
376.		
377.	मै० एक्सप्रेस न्यूजपेपर लिमिटेड	326.03
378.	मै० एग्लों फ्रेंच टेक्सटाइल लिमिटेड	394.31
379.	मै० चागलरयाम को-ओप० शुगर मिल्स लिमिटेड	118.29
380.	मै० लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड	138.12
381.	मै० इण्डियन एक्सप्रेस (मदुरै)(प्रा०) लि० कंपनी	224.16
382.	मै० बालाजी डिस्टिरीज लिमिटेड	167.56
383.	डा० के० जगदेशन हाई रोड मद्रास	107.40
384.	मै० विजया प्रोडक्ट (प्रा०) लिमिटेड	623.10
385.	मै० टी० एन० स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	738.47
386.	मै० चोरदिया ब्रदर्स	105.46
387.	मै० मार्शल संस कंपनी (मार्कि०) लिमिटेड	207.74

क्र० सं०	कर निर्धारिती का नाम	बकाया राशि
388.	मै० इस्सर गुजार लि०	1695.45
389.	श्री एस० ए० कारीन	124.78
390.	मद्रास फर्टिलाइजर्स	153.26
391.	इण्डिया मीटर्स लि०	106.16
392.	मै० एम० आर० एफ० लिमिटेड	505.98
393.	श्री एस० अहमद यासीन	103.89
394.	मै० जनता जनता स्कीम सरहिंद	591.66
395.	पंजाब आनन्द बैटरी लि०	127.63
396.	मै० इन्डस्ट्रियल केबल्स (इण्डिया) लिमिटेड	152.46
397.	मै० सोमानी पिलिंगटन लिमिटेड	284.41
398.	मै० न्यूसम प्लास्टिक लि० (फरीदाबाद)	251.24
399.	मै० बिहार स्टेट फोरेस्ट डिवलेप० कारपोरेशन लि०	415.78
400.	मै० एस० सी० सी० एल० रांची	136.87
401.	मै० मेकन (इ०) लि०	189.30
402.	मै० उड़ीसा फारेस्ट कारपोरेशन लिमिटेड	203.62
403.	मै० नेशनल अल्मूनियम कम्पनी लिमिटेड	198.51
404.	मै० प्रदीप फोस्फेट लिमिटेड	182.57
405.	मै० जार्ज विलियम संस (आसाम) लिमिटेड	210.36
406.	मै० ए० वी० सी० इण्डिया लिमिटेड	138.03
407.	मै० श्री छत्रपति शक्कर कारखाना लिमिटेड	106.64
408.	सोहकारी सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड	219.19
409.	श्री भगवती सहकारी शक्कर कारखाना लि०	166.92
410.	बालारपुर इन्डस्ट्रीज लि०	114.71
411.	श्री श्रीकृष्णा जानकी लाबंद	152.43
412.	मै० आर० वी० श्रीराम दुर्गा प्रसाद एण्ड फतह चंद मेरिन्दर (एकपोर्टर)	323.17
413.	मै० आर० बी० श्रीराम दुर्गा प्रसाद (प्रा० लि०)	234.33
414.		
415.	मै० अशोका मार्किटिंग लिमिटेड	106.45
416.	मै० वाल्टर बुशनेल(प्रा०) लिमिटेड	128.82
417.	मै० टी० किंग (प्रा०) लि०	110.06
418.	श्री चैनरूप भानसाली	143.56
419.	मुरलीधर एण्ड कम्पनी एक्सपोर्ट (प्रा०) लि०	138.80
420.	मै० डनलप इण्डिया लि०	7208.13
421.	मै० फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड	229.41
422.	श्री चन्द्रा कान्ता सेठ	136.15
423.	श्री सुगम चंद अग्रवाल एण्ड कम्पनी	119.65
424.	मै० डंकन एग्रो इन्डस्ट्रिज लिमिटेड	706.43
425.	मै० कान्टीनेंटल कॉस्ट० लिमिटेड	4470.45

क्र० सं०	कर निर्धारिती का नाम	बकाया राशि
426.	डालमिया सिमेंट भारत लिमिटेड	1145.03
427.	डी० एस० कन्स्ट्र० (प्रा०) लिमिटेड	1488.71
428.	दिल्ली आटोमोबाइल (प्रा०, लिमिटेड	503:24
429.	मैं० एस्कार्ट्स ट्रैक्टर लिमिटेड	1306.72
430.	डालमिया डेरी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	316.33
431.	ई० सी० ई० इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	507:94
432.	मैं० एस्कार्ट्स लि०	3253:87
433.	गोटजे इण्डिया लि०	644:62
434.	मैं० गुड इयर इण्डिया लिमिटेड	181.51
435.	हरप्रसाद एण्ड कम्पनी लिमिटेड	289.91
436.	मैं० निकिताशा इण्डिया (प्रा०) लिमिटेड	360.46
437.	मैं० सुपर कैसेट इन्डस्ट्रीज (प्रा०) लिमिटेड	117.23
438.	मैं० एस्कार्ट्स जे० सी० बी० लिमिटेड	211.92
439.	श्री पी० पी० गुप्ता	230.31
440.	उड़ीसा सीमेंट लि०	552.28
441.	स्वदेशी पोलीटेक्स लि०	103.17
442.	कापरी इन्टरनेशनल (प्रा०) लिमिटेड	162.25
443.	जे० के० सिन्थेटिक लि०	4421.60
444.	मैं० राजस्थान वूल्स इन्डस्ट्रीज	112.26
445.	डायर इन्टरनेशनल (प्रा०) लिमिटेड	267.87
446.	कॉनटीनेन्टल मार्किटिंग (प्रा०) लिमिटेड	141.97
447.	मैं० जे० इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड	190.32
448.	श्री नरेन्द्र आनन्द	103.12
449.	मैं० श्री राम पिस्टन एण्ड रिंग्स लिमिटेड	124.39
450.	मैं० ऊषा रेक्टीफायर कारपोरेशन (इण्डिया) लि०	200.71
451.	मोदी इन्डस्ट्रियल लि०	1197.99
452.	मैं० कानकर्ड इन्टरनेशनल (प्रा०) लिमिटेड	1454,22
453.	मोदी पान लिमिटेड	2814.58
454.	मदन मोहन लाल श्रीराम (प्रा०) लिमिटेड	357.23
455.	मैं० वेस्टन इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड	130.76
456.	मैं० डी० सी० एम० लि०	694.00
457.	उषा माइक्रो प्रोसेस सेन्ट्रल लिमिटेड	129.10
458.	मोदी रबर लिमिटेड	4014.11
459.	ऊषा इन्टरनेशनल लि०	166.66
460.	सेम्का एविऐशन लि०	296.06
461.	एन० एल० मल्होत्रा	102.96
462.	मैं० किशन चन्द एण्ड कम्पनी ऑयल इन्डस्ट्रीज	100.60
463.	मैं० प्योर ड्रिंक्स लि०	361.23
464.	मैं० प्योर ड्रिंक्स (न० दिल्ली) लिमिटेड	1192.28

क्र०सं०	कर निर्धारिती का नाम	बकाया राशि
465.	प्योर ड्रिंक्स (प्रा०) लि०	114.75
466.	श्री सुधीर एम० जावेरी	154.89
467.	मै० ओरके सिल्क मिल्स लिमिटेड	1865.19
468.	मै० जी० टी० सी० इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	10435.46
469.	मै० नारंग होटल (प्रा०) लिमिटेड	3 38.49
470.	श्री ओ० पी० मानसिंगका	114.69
471.	श्री अमिताभ बच्चन	281.63
472.	ओम सदन (प्रा०) लि०	487.75
473.	मै० वेस्ट कोस्ट बिल्डर्स (प्रा०) लिमिटेड	233.80
474.	श्री एम० एल० गुप्ता	291.96
475.	मै० क्रीसेन्ट बिलडर्स (प्रा०) लिमिटेड	179.51
476.	श्री ओ० पी० नावानी	177.42
477.	मै० इंडस्ट्रीयल मीटर्स लिमिटेड	155.47
478.	श्री जी० एम० राय	161.55
479.	श्री प्रकाश मेहरा	181.07
480.	मै० ओम बिलडरर्स (प्रा०) लिमिटेड	237.96
481.	श्री बी० जिन्क के० जैन	135.91
482.	मै० पारी कन्स्ट्रक्शन (बम्बई) (प्रा०) लि०	322.13
483.	मै० विकास परमिसिस	514.75
484.	मै० अमोरटेक्स ऐजेन्सी (प्रा०) लिमिटेड	176.33
485.	मै० वलिया कैमीकल्स एण्ड ट्रेडिंग (प्रा०) लि०	574.61
486.	मै० सौराष्ट्र बाल पैन लिमिटेड	204.25
487.	मै० डागा फाइबर्स (प्रा०) लिमिटेड	111.04
488.	श्री भमंल लोढा	124.66
489.	श्री घनश्याम दास बिजानी	125.64
490.	अम्बालाल साराभाई इन्टरप्राइजेज (प्रा०) लि०	557.58
491.	श्री सूकर नारायण बखिया	2624.93
492.	मै० बिनॉय एजेन्सी	161.44
493.	श्री के० बी० वर्मा	208.11
494.	श्री भानाभाई के० पटेल	359.47
495.	मै० वल्लभ ग्लास वर्क्स (प्रा०) लिमिटेड	100.32
496.	निरमा कैमीकल्स वर्क्स (प्रा०) लिमिटेड	600.15
497.	निरमा स्पेसिफिक फैमिली ट्रस्ट	292.73
498.	सी० ए० तकतवाला	170.78
499.	पटेल स्पेसिफिक फैमिली ट्रस्ट	118.36
500.	के० कछारादास पटेल फैमिली ट्रस्ट	180.80
501.	मै० हाईनप फूड एण्ड ऑयल्स इन्डस्ट्रीज (प्रा०) लि०	182.80
502.	मै० हरिसिद्ध स्पेसिफिक फैमिली ट्रस्ट	535.40
503.	अम्बिका स्पेसिफिक फैमिली ट्रस्ट	187.35

क्र० सं०	कर निर्धारिती का नाम	बकाया राशि
504.	एस० के० पटेल फैमिली ट्रस्ट	163.28
505.	मै० इलैकॉन इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड	147.55
506.	श्री पी० जे० फर्नांडिज, बंगलौर	137.98
507.	मै० के० सी० पी० लि०	152.83
508.	ए० पी० पेपर मिल्स लि०	247.68
509.	श्री एम० सुब्बारामी रेड्डी एल० एच० ऑफ राघव रेड्डी	165.80
510.	मै० के० एस० दत्तात्रेय, बंगलौर	132.00
511.	श्री एम० श्रीनिवासुलु रेड्डी	117.85
512.	मै० अरविन्द परिमाला वर्क्स, मैसूर	152.73
513.	मै० मैक्डोवैल एण्ड कम्पनी, बंगलौर	679.33
514.	प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन (प्रा०) लि०	134.28
515.	दीपक रोडलाइन्स	576.87
516.	इण्डियन न्यूमैटिक रॉक ड्रिल्स (प्रा०) लिमिटेड	248.28
517.	मै० के० वेंकटेश दत्त, बंगलौर	150.08
518.	मै० दीपक ट्रांसपोर्ट एजेन्सीज	407.57
519.	डंकन टोबैको लि०	1111.86
520.	मै० काठमन्डरामी रेड्डीनैल्लोर	178.10
521.	मै० आन्ध्र शुगर्स लि०	285.74

क्र०सं०	कर निर्धारिती का नाम	बकाया राशि
522.	श्री एस० सेवक	170.65
523.	मै० अरुणा इन्टरनेशनल (प्रा०) लिमिटेड	355.62
524.	मै० सुजाता फिल्म्स (प्रा०) लिमिटेड	610.46
525.	श्री एन० के० महनोत	186.80
526.	श्री सी० सी० एल्बर्ट	190.47
527.	जी० वेन्टाटेश्रम	111.78
528.	श्री के० सुब्रामणियन अय्यर	114.77
529.	श्री विनोद कुमार दिघवानिया	4166.62
530.	श्री अनुपम कुमार दिघवानिया	323.75
531.	दीन दयाला दिघवानिया	317.80
532.	पवन कुमार दिघवानिया	558.81
533.	अनिल कुमार दिघवानिया	953.43
534.	रतन लाल दिघवानिया	400.95
535.	इन्डो स्टील प्रॉडक्ट्स (प्रा०) लिमिटेड	194.15
536.	मनोज कुमार दिघवानिया	201.70
537.	साउथ इन्डिया ऑयरन एण्ड स्टील कम्पनी	168.03
538.	हैदर इन्टरप्राइजेज	233.64
539.	श्री पी० गोविन्दस्वामी	165.61
540.	आर० लक्ष्मणदास	177.80
541.	पी० के० बालामुर्गेश	117.42
542.	मै० वी० जी० पी० हाउसिंग (प्रा०) लि०	168.90
543.	रयाला कार० (प्रा०) लि०	153.78

क्र०सं०	कर निर्धारिती का नाम	बकाया राशि
544.	श्रीमती आर० जयाप्रदा	162.81
545.	मै० श्री रंगनाथन एण्ड कम्पनी	132.62
546.	श्री एम० पी० पुरुषोत्मन	111.09
547.	श्री ए० थॉगम	147.62
548.	आर० एल० धनबाला	159.09
549.	मै० सर्दन पैट्रो-कैमीकल इण्डिया कारपोरेशन लि०	491.54
550.	श्री एस० सुन्दरम पिल्लै	104.51
551.	मै० इन्डो नेशनल लि०	149.17
552.	द थान्थी ट्रस्ट	266.50
553.	मै० कोरोमन्डल इन्डैग प्रॉडक्ट्स इण्डिया (प्रा०) लिमिटेड	186.40
554.	मै० मोहन ब्रोवरीज़ एण्ड डिस्टिलरीज	236.84
555.	मै० डायनाविजन लि०	139.79
556.	मै० सॉउथ इण्डियन कार० (एजेन्सीज) लिमिटेड	264.87
557.	मै० वोरियन कैमिकल्स एण्ड डिस्टिलरीज लि०	313.91
558.	मै० त्रिची एवरेस्ट ऑटो-मोबाइल्स (प्रा०) लि०	111.27
559.	श्री एस० बालासुब्रामणियम	104.13
560.	श्री ए० बालासुब्रामणियम	167.83

नोट 1. क्रम सं० 48, 318, 375, 376 तथा 414 की प्रविष्टियों को काट दिया गया है।

नोट 2. मैसर्स आई० टी० सी० लि० के मामले में लगभग 64.58 करोड़ रुपये की मांग की गई थी परन्तु इससे पहले कि उन्हें मांग का नोटिस भेजा जाता, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अंतरिम निषेधादेश जारी करते हुए विभाग को कर-निर्धारण आदेश तथा मांग नोटिस जारी करने में रोक लगा दी। अतः इस मांग को नहीं दर्शाया गया है।

विवरण-2

उन कम्पनियों की सूची जिनके पास 1-7-1990 की स्थिति के अनुसार एक करोड़ रुपये तथा उससे अधिक की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की राशि बकाया है।

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	राशि (लाख रुपये में)
1.	ए० सी० सी० लिमिटेड	129.33
2.	अहमदाबाद श्री रामा कृष्णा मिल्स	158.24
3.	एअर कंट्रोल एण्ड केमिकल्स	195.22
4.	एलकोबेक्स मेटल्स (प्रा०) लिमिटेड	598.24
5.	अमरपाली स्ट्रक्चर्स	110.00
6.	अम्बिका मिल्स	215.61
7.	अरुणा मिल्स लिमिटेड	112.50
8.	अरविन्द मिल्स लिमिटेड	283.50
9.	अशोक लेलैंड लिमिटेड	254.81
10.	अशोक मिल्स लिमिटेड	122.00
11.	एशियन पेंटस	160.00
12.	एग्रो फूड प्रोडेक्स लिमिटेड	278.87

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	राशि (लाख रु० में)
13.	आलविन लिमिटेड	1031.78
14.	बजाज आटो लिमिटेड	306.81
15.	बंगाल पेपर मिल वर्क्स लिमिटेड	233.27
16.	ब्रेमेल रबरस	215.47
17.	बाटा इंडिया लिमिटेड	115.94
18.	बम्बई टायर इंटरनेशनल लिमिटेड	1223.00
19.	ब्रेलको मेटल इंडस्ट्रीज	212.00
20.	सीम इलेक्ट्रोनिक्स	284.00
21.	सीएट टायर्स	477.07
22.	कालिको मिल्स	146.84
23.	केंटरीडस (प्रा०) लिमिटेड	285.76
24.	कर्माशियल अहमदाबाद मिल्स	266.00
25.	कंट्रेल पल्प मिल्स लिमिटेड	118.00
26.	सेन्चूयरी इन्का लिमिटेड	133.80
27.	कोरामेंडल सिगरेट कम्पनी	133.85
28.	दुर्गापुर सीमेंट वर्क्स	500.00
29.	डनलप इंडिया लिमिटेड	101.93
30.	डा० बैंक एण्ड कम्पनी	132.28
31.	डाई-इची (के०) लिमिटेड	174.38
32.	इलेकोन इंजी० कम्पनी लिमिटेड	212.08
33.		
34.	फेबरं (आई०) लिमिटेड	137.00
35.	फरीक (इंडिया) लिमिटेड	391.15
36.	गेनन डंकरले एण्ड कम्पनी लिमिटेड	139.79
37.	गरवारे पेन्ट्स	208.00
38.	गरवारे पोलिएस्टर एण्ड कम्पनी	322.68
39.	गाडफारए फिलिप्स (आई) लिमिटेड	347.00
40.	गोदरेज सोप्स लिमिटेड	430.00
41.	गुडइयर (आई०) इंडिया	202.57
42.	गुजरात मशीनियरी मेन्यू-फेक्चरिंग लिमिटेड	118.03
43.	गुजरात प्लास्टिक इंडस्ट्रीज	210.00
44.	जी० एस० एफ० सी० लिमिटेड	117.00
45.	जी० एन० एफ० सी० लिमिटेड	380.00
46.	हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्स लिमिटेड	560.79
47.	हिल्टन टोबेको	745.00
48.	हिमेटिक मोटर्स प्रा० लिमिटेड	210.00
49.	हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड	492.53
50.	हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड	222.50
51.	आई० टी० सी० लिमिटेड	11800.00
52.	जे० के० काटन मिल्स	163.22
53.	जे० के० इंडस्ट्रीज	124.82
54.	जैन स्पिनर्स लिमिटेड	110.81
55.	जयपुर सिनटेक्स	180.62
56.	जयपुर उद्योग लिमिटेड	829.66
57.	जानसन एण्ड जानसन	182.00
58.	जय इंजीनियरिंग वर्क्स	175.74
59.	जगदीश आयल इंडिया लिमिटेड	149.00

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	राशि (लाख रु० में)
60.	जे० के० सिन्थेटिक्स लिमिटेड	102.00
61.	जे० के० स्टेप्ल एण्ड टोस	122.18
62.	काईवान कारमेटिक	642.00
63.	केसेट केमिकल्स	195.03
64.	लखनपाल नेशनल लिमिटेड	151.00
65.	एल० डी० टेक्सटाइल्स	171.00
66.	एल० एम० एल० फाइबर	436.00
67.	एम० एम० रबर कम्पनी	133.75
68.	एम० आर० एफ० लिमिटेड	453.70
69.	मद्रास शीट ग्लास	117.10
70.	महिन्दरा एण्ड महिन्दरा	379.05
71.	मेन्यूफेक्चरिंग टेक्नालजी इंडिया (लिमिटेड)	152.76
72.	मे एण्ड बेकर	121.00
73.	मेटल बाक्स (आई०) लिमिटेड	328.76
74.	मेटल फोरजिंग्स (प्रा०) लिमिटेड	193.55
75.	माइको लिमिटेड	343.31
76.	मिहिर टेक्सटाइल	440.10
77.	माडर्न सिनटेक्स	120.48
78.	मोदी क्लाथ मिल्स	117.00
79.	मोदी जेरोक्स लिमिटेड	313.10
80.	मोदीपन लिमिटेड	1178.00
81.	मफतलाल फाइन स्पिनिंग एण्ड मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि०	130.00
82.	मरकरी पलास्टर	155.00
83.	महिन्द्रा सिन्टर्ड लि०	164.13
84.	माधवानगर मिल्स लि०	126.94
85.	महालक्ष्मी ग्लास वर्क्स	1170.00
86.	नोसिल	501.00
87.	नेशनल कार्बन कम्पनी	115.00
87.	नवसारी कोटन एण्ड सिल्क मिल्स	109.00
89.	ओ० आर० जी० सिसटम्स	298.00
90.	ओरियन्ट पेपर मिल्स	180.61
91.	पी० डी० आई० ई० एल०	183.00
92.	पीको इलैक्ट्रोनिक्स	133.80
93.	पनामा लैब० प्रा० लि०	220.45
94.	पारले प्रोडक्ट्स (प्रा०) लि०	180.00
95.	पियामा इन्डस्ट्रीज	334.86
96.	प्रीमियर टायर्स	220.80
97.	पुनालूर पेपर मिल्स	773.23
98.	पंजाब नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०	181.66
99.	क्वाड्रोमेटिक इंजिनियरिंग प्रा० लि०	110.00
100.	रिलायन्स कैमोटैक्स इंडस्ट्रीज	110.50
101.	राधा डाइंग	348.00
102.	रैलिस मशीन लि०	144.00
103.	रैलिफैन	172.00
104.	रैलिवोल्फ	218.00

क्र०सं०	कम्पनी का नाम	राशि (लाख रु० में)	क्र०सं०	कम्पनी का नाम	राशि (लाख रु० में)
105.	राम गोपाल प्रा० लि०	386.00	122.	टिन प्लेट कम्पनी (आई) लि०	178.00
106.	रोहतास इंडस्ट्रीज	195.77	123.	थर्मेक्स लि०	100.49
107.	रूस्तम मिल्स एण्ड इंडस्ट्रीज	138.00	124.	टैक्सन रबर प्रोडट्स	124.63
108.	शार्प (इन्ड) प्रिन्ट्स	152.96	125.	टीटागढ़ पेपर मिल्स	581.00
109.	श्री वल्लभ ग्लास वर्क्स	1137.83	126.	यूनिवर्सल हाइड्रो कार्बन	115.00
110.	सर सिल्क लि०	221.10	127.	अपर इण्डिया पोलीमर्स	322.46
111.	सरपुर पेपर मिल्स	700.15	128.	अप्ट्रोन डिजिटल सिस्टम्स	147.63
112.	सोमानी पिलकिंगटन्स लि०	166.31	129.	यूटिलिटी इन्जिनियरिंग (आई) लि०	1147.00
113.	स्पैरर इक्वपमैंट	113.00	130.	विजय सिन्थैटिक्स प्रिंट्स	264.00
114.	स्पेशल स्टील लि०	187.00	131.	विक्रांत टायर्स लि०	115.39
115.	स्ट्रैंच फाइबर्स (प्रा०) लिमिटेड	148.90	132.	वोल्टास लि०	238.00
116.	सुनील प्लास्टिक्स	410.89	133.	विजया प्रोडक्शन	469.00
117.	श्री मारोली विभाग खंड उद्योग मण्डली लि०	132.00	134.	वी० एक्स० एल० इंडिया लि०	101.00
118.	श्री रायलसीमा पेपर मिल्स लि०	764.83	135.	विट्रूर ग्लास	2554.00
119.	स्वर्ण टोबाको प्रोडक्ट्स लि०	1395.39	136.	वजीर सुल्तान टोबाक्को	921.43
120.	सेवा पेपर लि०	101.00	137.	वाटर डैवलपमैंट सोसाइटी	330.50
121.	टिसको	542.00	138.	विन्डो ग्लास लि०	219.84
			139.	विप्रो इन्फोरमेशन टैक्नोलोजी लि०	304.58
			140.	वुड पेपर लि०	128.00

श्री सनत कुमार मंडल : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि इस प्रकार आयकर और उत्पाद शुल्क की आमदनी न करने के कारणों में से एक मुख्य कारण यह है कि चूक करने वाले इन व्यक्तियों के पास धन और राजनीतिक सम्बन्ध है जैसे असीमित संसाधन विद्यमान हैं और वे न्यायालयों में चले जाते हैं और स्थगन आदेश प्राप्त कर लेते हैं जिससे वे सरकार को लम्बे समय तक चलने वाले मुकदमों में शामिल कर लेते हैं जोकि कई वर्षों तक चलते हैं; यदि हां, तो इन चूक करने वालों को उच्च न्यायालयों में न्यायिक कार्यवाहियां शुरू करने और इस

प्रकार कई वर्षों तक अदायगी न किये जाने को रोकने के लिए वर्तमान विधान में संशोधन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

प्रो० मधु दंडवते : आपके माध्यम से, मुझे सभा को आश्वासन देने दीजिए कि जहां तक आय कर और उत्पाद शुल्क की बकाया राशि का सम्बन्ध है, हमें उनके राजनीतिक सम्बन्ध अथवा व्यापार अथवा औद्योगिक महत्व अथवा उस प्रकार की किसी बात से बिल्कुल कुछ लेना-देना नहीं है। हमें केवल इस बात से लेना-देना है कि उन्हें कितनी राशि देय है और जहां पर अनियमितताएं हुई हैं, वे कितनी धनराशि की अदायगी कर चुके हैं। मैंने 500 कम्पनियों और व्यक्तियों की सम्पूर्ण सूची दे दी है तथा 140 फर्मों की एक सूची भी दी है जिनके जिनके पास धनराशि बकाया है। जहाँ तक स्थगन आदेश और अन्य प्रक्रिया का सम्बन्ध है, यह न्यायायय के हाथ में है। मैं नहीं समझता कि इस स्तर पर कानून में कोई परिवर्तन की आवश्यकता है। जो बात आवश्यक है वह यह है कि जो कानूनी प्रक्रिया उपलब्ध है उसे प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाय। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि हम जो भी संभव होगा हम अपनी ओर से करने का पूरा प्रयास करेंगे।

श्री सनत कुमार मंडल : ऐसे बड़े चूक करने वालों के मामले में, क्या सरकार, उन्हें विदेशी भ्रमणों के लिए विदेशी मुद्रा देने से मना करने, नए आय कर लाइसेंस (आई/एल० एस०) जारी करने और वर्तमान कानूनों और आदेशों को कड़ाई से लागू करने पर विचार करेगी जिससे कि उन्हें करों की चोरी आदि असामाजिक और राष्ट्र विरोधी कार्यों के लिए दण्ड दिया जा सके, जिनकी वजह से राज कोष को नुकसान हो रहा है ?

प्रो० मधु दण्डवते : बैंक खाते जब्त करने तथा उनकी सम्पत्ति जब्त करने और उनके विरुद्ध मुकदमे दायर करने जैसे विभिन्न प्रकार के दण्ड की पहले ही इसमें व्यवस्था की गई है। हम बकाया धनराशि के भुगतान के लिए इन सभी तरीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : क्या प्रत्यक्ष करों के तिमाही संग्रह के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है; यदि हां, तो क्या इसमें वर्ष 1990-91 की पहली तिमाही के दौरान लक्ष्य से अधिक संग्रह हुआ है ?

प्रो० मधु दण्डवते : हमने कार्य योजनाएं पहले ही शुरू कर दी हैं। हम देखते हैं कि कुछ सम्पत्ति गुप्त हैं, उस पर कर की अदायगी नहीं की गई है, हमने इस सम्बन्ध में बड़े पैमाने पर छापे मारने की हिदायतें दे दी हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि पिछले पखवाड़े में अनेक छापे मारे गए और इसके फलस्वरूप हमने छुपाई गई आय का पता लगाया है। जहां तक पिछले महीनों के तत्काल प्रभाव का सम्बन्ध है, यद्यपि मैं अभी इस बारे में आंकड़े नहीं दे सकता लेकिन मैं इन आंकड़ों के बारे में माननीय सदस्यों को सूचित करूंगा।

[हिन्दी]

श्री एम० बागा रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस मद के तहत कितनी रकम वसूल होगी और तमाम लोगों से कितना टोटल अमाउँट कलेक्ट होना है।

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक इनकम टैक्स का सवाल है, बकाया अभी तक 6495 करोड़ है।

श्री राम नाईक : मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट देखने से पता लगता है कि कई नेशनलाइज बैंक्स जैसे इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक,

आफ इंडिया, इंडस्ट्रियल बैंक, आंध्रा बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक और कई केन्द्रीय सरकार के संस्थान जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथारटी, ट्रेड फेयर अथारटी, बी० एच० ई० एल० आदि पर बहुत बड़े पैमाने पर एरियर्स बकाया हैं, करोड़ों रुपया आना बाकी है। मेरा कहना है कि कम से कम राज्य तथा केन्द्र सरकार के जो अंडरटेकिंग्स हैं, उनकी तरफ से तो एरियर्स जल्दी मिलने चाहिए, क्या इसके लिए सरकार कोई विशेष योजना बनाएगी, यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या होगी?

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, बैंक अकाउंट फ्रीज करने का प्रावधान तो है, लेकिन बैंक्स फ्रीज करने का प्रावधान हम लोगों के पास नहीं है, फिर भी आपने ठीक कहा कि कई सार्वजनिक संस्थानों के पास काफी बकाया है, उनकी फहरिस्त मैंने यहां पेश की है और बकाया वसूली के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इन सारे संस्थानों को केन्द्र सरकार की सहायता की काफी जगहों पर आवश्यकता होती है, तो हम उनको बताने वाले हैं कि अगर बकाया नहीं दिया जाता तो सहायता देते समय हम लोगों को भी विचार करना होगा। जब आप सुविधाएं हम लोगों के पास से पाते हैं, तो बकाया को देखते हुए किस हद तक सुविधा प्रदान करनी है, इस पर भी विचार करना होगा।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द्र पाल : महोदय, वक्तव्य में दी गई सूची से हमें पता चलता है कि आय कर का बकाया न देने वालों में कुछ तो बड़े घराने हैं। उत्पाद शुल्क न देने वालों की दूसरी सूची में भी बड़े घराने हैं और बड़े घरानों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य को देय राशियों की अदायगी नहीं की है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन बड़े घरानों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई अध्ययन कराया गया है जो देय राशियों की समय पर अदायगी करने में विफल रहे।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय सदस्य सही कह रहे हैं। बड़े घराने काफी अधिक लाभ अर्जित करते हैं, उनकी अत्यधिक आय है और उनकी तरफ बकाया राशि भी बहुत अधिक है और यदि आप सूची पर गौर करें तो इसमें हमने मोटे तौर पर जो कुछ दर्शाया है उससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उनका कथन सही है। कम आय वालों का आय कर भी कम होता है और उनकी तरफ बकाया राशि भी कम है। लेकिन हम यह सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम उठा रहे हैं कि जब भी जुर्माना लगाया जाए और अभियोग चलाया जाए और अन्य कदम उठाए जाएं तो जिनपर अत्यधिक राशि बकाया है उन पर ध्यान केन्द्रित किया जाय और हमें इससे कुछ अच्छे परिणाम मिल रहे हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय सभा को बताएंगे कि जारी किए गए नोटिसों की तुलना में आयकर की वसूली का प्रतिशत कितना रहा? कर-निर्धारण किया जाता है और उसके बाद मांग-नोटिस जारी किया जाता है। इस वसूली का प्रतिशत क्या है? क्या यह मात्र 20 या 30 प्रतिशत ही नहीं है? इस सम्बन्ध में तुरन्त ध्यान देने की जरूरत है और नोटिसों की तुलना में वसूली की प्रतिशत में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए इस विशेष समस्या पर क्या कोई तीव्र अभियान चलाया जाएगा?

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक 1990-91 के मौजूदा बजट में अनुमानित आयकर वसूली का सम्बन्ध है, मोटे तौर पर यह लगभग 5000 करोड़ रुपये है।

मैं यह अच्छी तरह से कह सकता हूं कि यह लगभग 25 से 30 प्रतिशत है। आपका यह अनुमान सही है। मेरे विचार से यह अधिक सन्तोषजनक प्रतिशत नहीं है। यही कारण है कि **(व्यवधान)**

श्री जी० एम० बनातवाला : यह आश्चर्यजनक बात है **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : कुछ लोग कम प्रतिशत से भी हैरान नहीं होते। यह आपके हैरान होने की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। फिर भी, मैं मानता हूं कि यह सन्तोषजनक प्रतिशत नहीं है और कुछ बड़े घरानों पर छापों सहित हमारे विभिन्न प्रयास बेहतर प्रतिशत प्राप्त करने के लिए ही हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि धीरे-धीरे आयकर और उत्पाद शुल्क की वसूली में वृद्धि हो रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आगामी वर्ष भी अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, अपना अनुपूरक प्रश्न करने से पूर्व मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। राज्य सभा में हमें प्रश्नों के उत्तर भेजे जाते थे। यहां पर केवल पांच या छः प्रतियां हैं और लोग इन पृष्ठों को ले जाते हैं। इससे हम उत्तर नहीं देख पाते। यदि हमें उत्तर भेजने की व्यवस्था की जाए तो यह हमारे लिए सहायक होगी।

इस सूची में, जहां तक मैं देख सका, सबसे बड़ी दोषी कम्पनी, जिसका माननीय वित्त मंत्री ने उल्लेख नहीं किया है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज है उसकी तरफ 150 करोड़ रुपये बकाया हैं। 600 करोड़ रुपये की बकाया राशि में से इन पर लगभग 150 करोड़ रुपये बकाया हैं। यह बहुत आश्चर्यजनक स्थिति है। सरकारी क्षेत्र की इकाई इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी दोषी कम्पनी है। कर विभाग तथा सरकारी क्षेत्र की इकाई के बीच सम्बन्ध बड़े कौतूहल भरे हैं। वे अदालत में भी जाते हैं और भूल जाते हैं कि दोनों ही भारत सरकार को स्पष्टीकरण देने के लिए उत्तरदायी हैं। क्या यह सुनिश्चित करना वित्त मंत्रालय का कार्य है कि भविष्य में ऐसी घटना न घटे और ऐसे मामलों में प्रत्यक्ष रूप में समझौता हो जाए? यह मेरे प्रश्न का भाग 'क' है।

मेरे प्रश्न का भाग 'ख' यह है। आपके मुताबिक यह कुल बकाया है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने भी इसका उल्लेख किया है। प्रत्यक्ष करों के रूप में 6000 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। क्या मंत्री महोदय ने बजट घाटा तैयार करते समय इस राशि को भी लिया है अथवा क्या उन्होंने यह पूर्वानुमान लगाया है कि इस राशि का पचास या साठ प्रतिशत वसूल किया जाएगा और इतना घाटा कम हो जाएगा?

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने भाग क, ख, और ग प्रश्न किए हैं। वह भूल गए कि प्रारम्भ में उन्होंने केवल प्रश्न क पूछा था।

उनके प्रश्न का भाग क यह था कि अनेक कम्पनियां तथा संस्थाएं इसमें शामिल हैं और क्या उन्हें इसकी पूरी सूची प्राप्त होगी। पूरी सूची 57 पृष्ठों में है। मैं इस बारे में प्रसन्न नहीं हूं। लेकिन सूची बहुत बड़ी होने के कारण उपलब्ध है। मेरे विचार से यह प्रश्न के उत्तर के साथ भी संलग्न है। यह पहले से ही है **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम और अधिक प्रतियां चाहते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं शुद्धि के अध्यधीन माननीय सदस्य को सूचित करता हूं कि इस 57 पृष्ठ के दस्तावेज की 500 प्रतियां पहले ही तैयार हैं और ये नोटिस आफिस को दे दी गयी थी। निःसन्देह यहां पर सन्दर्भ हेतु कुछ प्रतियां उपलब्ध रहेंगी। लेकिन मैं समझता हूं कि यदि आप नोटिस आफिस में गए हैं और अपना उत्तर लिया है, जैसा कि सदैव ही मैं करता था, संभवतः आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। श्रीमती गीता मुखर्जी जैसी चुस्त सांसद ऐसा करती है··· **(व्यवधान)**

श्रीमती गीता मुखर्जी : दुर्भाग्य से, इस उत्तर के साथ ये पृष्ठ संलग्न नहीं हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे अफसोस है । मैं अपना धन्यवाद वापस लेता हूं ।

मुझे अफसोस है कि कुछ सदस्य इन्हें प्राप्त नहीं कर सके । हमारे पास पर्याप्त प्रतियां है और इन्हें भेजने में कोई कठिनाई नहीं होगी···(**व्यवधान**)

श्री वसंत साठे : यहां पर यह प्रथा थी कि संसद में राजनैतिक पार्टियों को तो एक प्रति भेजी जाती थी । आमतौर पर हमें यह प्राप्त होती थी । कभी-कभी यह दिया जाता है और कभी-कभी नहीं । यदि कम से कम यह भी किया जाये तो हम इसे देख सकेंगे ।

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक मान्यता प्राप्त दलों का संवन्ध है यह आपको पत्रों में मिल जायेंगे । लेकिन यदि आपको यह नहीं मिलता है तो यह हमारी गलती है । फिर यह ग्रन्थालय में भी उपलब्ध होंगे । जहां तक सूची का संबंध है मेरा यह निर्देश था कि इसे सभी 500 सदस्यों में बांटा जाए । फिर भी मैंने आपका सुझाव नोट कर लिया है ।

उनके प्रश्न के भाग (ख) में यह पूछा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में कई संगठन हैं और उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया हैं कि उन पर काफी बड़ी संख्या में बकाया रहता हैं और यह जानते हुये कि यह सार्वजनिक क्षेत्र से संबद्ध हैं यह मामले भी न्यायालय में चले जाते हैं, सरकार इन सार्वजनिक क्षेत्रों से जुड़ी हुई है अतएव मामलों कों आपसी बातचीत से सुलझा लिया जाना चाहिए । मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भविष्य में ऐसे लेन देन को आपसी बातचीत से सुलझाया जायेगा न कि न्यायालय द्वारा । ऐसा ही किया जायेगा ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह आई० टी० आई० नहीं है अपितु इंडियन ऑयल है ।

प्रो० मधु दण्डवते : आखिर में उन्होंने एक ठोस सुझाव दिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को इन मसलों को तय करते समय सरकार के हित का भी ध्यान रखना चाहिए और बजट बनाते समय सरकार को उनके हित का ध्यान रखना चाहिए, उन्होंने यह प्रश्न पूछा है कि सरकार क्या इस तथ्य को ध्यान में रखेगी कि आयकर का कुछ प्रतिशत ही वसूला जा सकता हैं । वास्तव में जब हम बजट प्रस्तुत करते हैं उसमें कुल राजस्व, कर से प्राप्त राजस्व और अन्य राजस्व, तथा कुल व्यय का उल्लेख होता है, हम निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार चलते हैं ! यदि आयकर 5000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है तब हम यह मानने लगते हैं कि यह 2500 करोड़ रुपये तो होगा ही फिर जिन्हें आयकर देना होता है वह यह मानकर चलते हैं कि सरकार इस तथ्य को मानती है कि इसमें आधी राशि की आयकर चोरी तो हमेशा होगी ही । अतः वह इसी के अनुसार ही कार्य करते हैं । यह खतरनाक स्थिति है । किसी भी राष्ट्र के बजट के आयकर और प्रत्यक्ष कर के निर्धारित लक्ष्य पूरे नही होते हैं । वह यह मानकर चलते हैं कि इतना राजस्व प्राप्त होना है । मुझे खेद है कि हम इस सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकते ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैंने यह कहा था कि आप मोजूदा बकाया को भी इसमें शामिल कीजिए ।

प्रो० मधु दण्डवते : जी हां, यह बात तो है ।

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि देश के कई बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों में उत्पाद कर के दस हजार करोड़ से ज्यादा के मामले बम्बई उच्च न्यायालय में थे और बम्बई उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने फैसला किया कि यह पैसा

व्यापारियों को वापिस नहीं किया जाए बल्कि एक कंज्युमर वेलफेयर फण्ड बनाकर उसमें पैसा रख दिया जाए, अगर सरकार नहीं देना चाहती। उस फैसले के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। 1981 के एक परिपत्र के आधार पर मार्च-90 में वित्त मंत्रालय के किसी पदाधिकारी ने एक परिपत्र जारी कर दिया। उनके आधार पर यह दस हजार करोड़ से ज्यादा उत्पाद कर के पैसे व्यापारियों को वापिस कर दिया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था और पूर्व पीठ ने फैसला किया कि व्यापारियों को वापिस नहीं देना चाहिए बल्कि कंज्युमर का पैसा है तो कंज्युमर वेलफेयर फण्ड नहीं बनाकर व्यापारियों को पैसा वापिस करने के लिए जिस मंत्रालय के अधिकारी ने 81 के परिपत्र को मार्च 90 में नवीकरण किया है। उस अधिकारी ने सरकार की राय से परामर्श किया, सरकार की जानकारी से किया या खुद ने पचास हजार करोड़ से ज्यादा पैसा व्यापारियों को वापिस करने का निर्णय लिया। जब उस अधिकारी ने सरकार की राय के बगैर ही परिपत्र जारी किया तो वह अधिकारी दोषी है या नहीं। उन बड़े कारखानेदार के साथ वित्त मंत्रालय में बैठे हुए कुछ अधिकारियों की सांठ-गांठ है या नहीं। लगातार देश के गरीबों और उपभोक्ताओं का पैसा एक्साइज ड्यूटी की मार्फत उद्योपतियों को वापिस करते रहे जो कि दस हजार करोड़ से ज्यादा का मामला है।(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने बताया वह मैं बता रहा हूं। यह सवाल 11 क्रमांक पर प्रश्न संख्या **233** में एडमिट किया गया है, लेकिन 11 सवाल तक हम नहीं पहुंच पाते इसलिए अच्छा हुआ हुक्मदेव जी ने मौका दिया सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करने के लिए। मैं थोड़ा ज्यादा समय लेना चाहूंगा, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसको लेकर कई सदस्यों के दिलों में सन्देह है। यह बात सच है कि जब एक्साइज और कस्टम ड्यूटी ऐक्ट के मुताबिक एक्साइज और कस्टम ड्यूटी मैनुफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स के पास से सरकार कलैक्ट करती है, रेवेन्यू विभाग कलैक्ट करता है तो उसमें कानून का हस्तक्षेप होता हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैनुफैक्चरर्स से निर्धारित ड्यूटी से ज्यादा वसूल कर ली जाती है, जैसे इनकम टैक्स के मामले में होता है। कई लोगों की शिकायत है और यह सच है कि मैनुफैक्चरर्स के पास से जब ज्यादा पैसा ड्यूटी के रूप में ले लिया जाता है तो जब उसको वापस करने का सवाल आता है तो जो मैनुफैक्चरर्स और ऐक्सपोर्टर्स ज्यादा पैसा देते हैं वे सारा बोझ ग्राहकों पर कई मर्तबा डाल देते है और उनका पैसा एक तरह से वसूल हो जाता है, लेकिन अगर सरकार और रेवेन्यू विभाग बाद में उनको पैसा दे तो एक तो वे ग्राहकों से पहले ही वसूल कर लेते हैं और दूसरी तरफ सरकार से उनको पैसा मिल सकता है, उसको कोर्ट में अनजस्ट इनरीचमैंट कहा जाता है। इस तरह से ये सारे मैनुफैक्चरर्स गलत तरीके से धनी बनने की कोशिश करते हैं। जिसके हम खिलाफ हैं। हुक्मदेव जी ने जो जिक्र किया है उसके बारे में कहना चाहता हूं कि अलग-अलग हाई-कोर्ट्स ने अलग-अलग निर्णय किये हैं। बम्बई हाई-कोर्ट की फुल बेंच ने निर्णय दिया है उसमें पहले हिस्से में कहा है कि इसी प्रकार सरकार मैनुफैक्चरर्स के पास वापस जायेगी पैसा देने तो जिन्होंने ग्राहकों पर पहले ही बोझ डाला हैं जो गलत तरीके से धनी बनने का मौका उनको मिलता है, यह गलत हैं। लेकिन उन्होंने यह बोझ ग्राहकों पर डाला हैं या नहीं यह कोर्ट के सामने फैसला होना चाहिए, उसका निर्णय मैं अभी नहीं देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी मामला हैं, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के पीछे छिपना नहीं, चाहता हूं। मैंने जवाब दिया है 233 में उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं। आज सुबह मैंने कहा कि टाईपिंग मिस्टेक से एक वाक्य रह गया था। मैं पढ़कर बताता हूं।

[अनुवाद]

'हमें नागरिकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह दावा किया गया है कि चूंकि कर का भार वास्तव में उपभोक्ताओं पर पड़ता है अतः यदि इसकी कोई वापसी देय हो तो उसका उपयोग लोक कल्याण की स्कीमों में किया जाना चाहिये।'

[हिन्दी]

उनको वापस देने के बाद पब्लिक वेलफेयर स्कीम ग्राहकों के लिए अच्छी हो सकती है। उनको देनी चाहिए। यह मैं अनाउंस करना चाहता हूं, यह रह गया था।

[अनुवाद]

'इस सुझाव पर सरकार विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करके विचार करेगी। निर्माताओं और आयातकों के वापसी दावों को स्वीकृत करने वाले राजस्व विभाग के 28 मार्च, 1990 के परिपत्र को इसी बीच रोक दिया गया है, जिसमें मूल भार को उन्होंने उपभोक्ताओं पर डाल दिया है।'

[हिन्दी]

मैंने जवाब के जरिये अपने विभाग को आदेश दिया है कि जब तक हम लोग फैसला न करें, अगर जरूरी हो तो हम कानून में तब्दीली करनी होगी, लेकिन जल तक यह न हो इस प्रकार से जिन्होंने यह काम किया है और जो सर्कुलर में हिदायत थी उसको रोक लो, उस पर एक्शन मत लो और मैनुफैक्चरर्स को फायदा मत उठाने दो। यह मैं हुक्मदेव को ही नहीं, सारे सदन को कहना चाहता हूं।

मध्य प्रदेश को सहायता

*228. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश सरकार के बजट घाटे को देखते हुए इस राज्य को विशेष सहायता देने पर सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार के बजट में दिखाया गया है कि राज्य सरकार का विचार चालू वर्ष की प्रक्षिप्त कमी को अतिरिक्त संसाधन जुटाकर, बेहतर राजस्व संग्रहण करके तथा व्यय मे किफायत बरत के पूरा करने का है। इस प्रकार राज्य को बजट घाटे को पूरा करने हेतु कोई विशेष सहायता दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के जवाब से निराशा हाथ लगी है। मध्य प्रदेश हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है और इतनी खनिज रायल्टी में मदद करने के बाद भी मध्य प्रदेश के लोग पिछड़े हुए हैं। वहां सबसे ज्यादा हरिजन, आदिवासी और गरीब तबके के लोग रहते हैं। आज भी 56 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अभी आठवीं प्लान शुरू हो चुकी है। क्या इन लोगों को ऊपर उठाने के लिए जब से मध्य प्रदेश सरकार बनी है इन लोगों को आश्वासन दिया था कि भारत सरकार स्पेशल मदद करके आपके प्रदेश को मजबूती दिलायेगी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि 8वीं योजना में इन लोगों को मदद करने के लिए आपके पास कौन-कौन सी योजनायें हैं, आप कैसे इनकी मदद करेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उसके दो हिस्से हैं। पहला तो घाटे के सिलसिले में है कि जब से वहां पर नयी सरकार बनी तो पुराने घाटे का बोझा रहा है, उस सवाल को हल करने के लिए केन्द्र की तरफ से कितना अनुदान मिलेगा ? मेरे पास मध्य प्रदेश के फाईनेंस मिनिस्टर के बजट भाषण का हिस्सा है। उन्होंने कई योजनायें तैयार की है। उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा है कि सभी उपायों से वर्ष 1990-91 में 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी जिससे घाटा कम होकर 115.47 करोड़ रुपये रह जायेगा। इस घाटे की पूर्ति

व्यय में मितव्ययता तथा बकाया राशि बेहतर वसूली द्वारा करके किया जायेगा। यह आश्वासन उन्होंने खुद दिया है। माननीय सदस्य को खुशी होगी कि फाईनेंस कमीशन और गाडगिल फार्मूले के तहत ऐसे कई प्रावधान हैं जिनके जरिये मध्य प्रदेश को ही नहीं बल्कि सारे राज्यों को मदद मिल सकती है और मैं इस प्रश्न का लाभ उठाकर आपको बताना चाहता हूं कि जहां केन्द्र अलग-अलग टैक्सेज इकट्ठा करता है, एक्साईज ड्यूटी है, इन्कम टैक्स है एवं पैसेंजर्स सर्विसेज के लिए टैक्सेज इकट्ठा करती है उसमें मध्य प्रदेश सरकार 1090.72 करोड़ रुपये की एंटाईटल है और यह उसे मिलना ही चाहिये। 23.8.90 तक जो अमाऊंट रिलीज किया गया है वह 334.68 करोड़ रुपये है। 1990-91 के लिए प्लान रेवेन्यू डेफेसिट ग्रांट 141.45 करोड़ रुपये है जिसमें से अभी तक इन लोगों को हमने 70.72 करोड़ दिया है। जहां तक नेचूरल कलेमिटीज रिलीफ फण्ड का सवाल है, सैण्ट्रल कंट्रीब्यूशन 27.75 करोड़ रुपये है और पूरे साल के लिए अभी तक हम लोगों ने 13.88 करोड़ दिया है। उसके बाद सैण्ट्रल प्लान असिस्टेंस के रूप में एन्टाईटलमेंट 503.19 करोड़ रुपये में से हम लोगों ने दे दिया है 153.92 करोड़ रुपया। सदन को यह जानकर खुशी होगी कि राज्य को पूरे साल के लिए 1763.11 करोड़ रुपया मिलना है जिसमें से अभी तक 4 महीनों में हमने 573.24 करोड़ रुपया दिया है। मैं समझता हूं कि इस आधार पर मध्यप्रदेश राज्य के लिए कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी जिसमें वह अपनी सारी प्लान ले सकेगी।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मंत्री महोदय ने बताया कि मध्य प्रदेश के फाईनेंस मंत्री ने कुछ योजना बनाकर भेजी है जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने "पटवा फार्मूला" दिया है, उस फार्मूले के आधार पर मध्य प्रदेश की सहकारी समितियां कितना कर्जा माफ करने जा रही हैं? उसमें भारत सरकार का कितना हिस्सा है, यह मैं जानना चाहता हूं?

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष जी, सारे देश के लिए जो लोन वेवर की योजना बनायी है और हम लोगों ने ऐलान किया था कि जहां तक पब्लिक सैक्टर्स के बैंक, स्टेट बैंक, रीजनल रूरल बैंक के लोन का सवाल है जो शर्तें हमने लगायी, उसके मुताबिक 100% बोझा केन्द्रीय सरकार उठायेगी और जहां तक को-आप्रेटिव बैंक, लैण्ड डेवलेपमेंट बैंक से कर्जे लिए है, उनके बोझ का आधा हिस्सा केन्द्रीय सरकार उठायेगी और आधा हिस्सा वहां की राज्य सरकार उठायेगी लेकिन मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री ने हमारे साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हम आपकी स्कीम को अमल में लायेंगे लेकिन हम इस स्कीम को आगे चलकर और ज्यादा लिबरेलाइज करना चाहते हैं। हमारी उनके साथ काफी बातचीत हुई और मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मान लिया कि जो हिस्सा हमारा केन्द्रीय योजना के अनुसार है, उसके लिये हमें केन्द्र से सहायता मिलेगी और उन्हें इजाजत मिलनी चाहिये कि इस योजना को और लिबरेलाइज करके जितना ज्यादा बोझ आयेगा, उसे उठाने की उन्हे इजाजत दी जाये। उन्हें यह इजाजत दे दी गयी है। इस प्लान को मौडिफाई करने की इजाजत उन्हें दे दी गयी है और मैं समझता हूं कि अब केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच इस सवाल पर किसी तरह का झगड़ा नहीं है।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : सर, मैंने टोटल अमाउन्ट के बारे में पूछा था उसका कोई उत्तर नहीं आया।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष जी, वह फीगर्स इसलिये मैं अभी नहीं दे सकता क्योंकि अलग-अलग बैंकों की तरफ से जो ऐसेसमैंट किया जायेगा और जो आंकड़े तैयार होंगे, उसके बाद ही सारी स्थिति स्पष्ट हो पायेगी। फिर भी मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि सारे देश के बारे में हम लोगों ने जो अनुमान लगाया है, उसके मुताबिक 4 हजार करोड़ रुपये के कर्ज की आवश्यकता होगी।

श्री छविराम अर्गल : अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश एक पिछड़ा राज्य है और उसमें हरिजन, आदिवासी भी काफी संख्या में हैं, कई इलाके ऐसे हैं जो हरिजन और आदिवासी बाहुल्य हैं। इसके अतिरिक्त कई क्षेत्र डाकुओं से प्रभावित भी हैं। मध्य प्रदेश के सभी स्रोतों से केन्द्रीय शासन को जो आय होती है, गाडगिल फार्मूले के तहत, हमारे मध्य प्रदेश की महति आवश्यकताओं को देखते हुए, केन्द्र से मिलने वाली राशि को क्या बढ़ाये जाने पर केन्द्र सरकार विचार करेगी ताकि मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य का समुचित विकास हो सके।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष जी, जो गाडगिल फार्मूला बना है, मैं यहां विट्ठल राव जी के बारे में जिक्र कर रहा हूं, वह फार्मूला दूसरे गाडगिल साहब का था, उस फार्मूले में एक बार संशोधन हो चुका है, उसके मुताबिक केन्द्र की तरफ से जो अनुदान किसी राज्य को दिया जाता है, उसमें अलग-अलग समस्याओं को वेटेज दी जाती है, जैसे जनसंख्या के आधार पर 60 प्रतिशत, उस राज्य में हर इंसान की जो आमदनी होगी, पर कैपिटा इन्कम के मुताबिक 20 प्रतिशत, उसके साथ ही वहां जितना टैक्सेज का मोबिलाइजेशन होगा, या दूसरे कार्यक्रम, फिस्कल प्रोग्राम हाथ में लिये जायेंगे और वहां की राज्य सरकार जो काम करेगी उसके मुताबिक 10 परसेंट, वहां की जो स्पेशल प्रौब्लम्स होंगी जैसे डैजर्ट प्रौब्लम है, आदिवासी प्रौब्लम है हिल स्टेट की प्रौब्लम्स हैं, उनके लिये भी 10 परसेंट वेटेज दिया जायेगा। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि गाडगिल फारमूले के मुताबिक, मध्य प्रदेश में जो आदिवासी इलाके हैं, उनकी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, स्पेशल प्रौब्लम के आधार पर, जो कुछ मदद हो सकती है, वह मध्य प्रदेश को जरूर मिलेगी क्योंकि मेरी जानकारी है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां बड़ी संख्या में ट्राइबल बैल्ट्स हैं, इसलिये आपने जो सुझाव दिया है, मैं उससे अपनी सहमति व्यक्त करता हूं, स्वीकार करता हूं।

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने ऋण मुक्ति योजना के तहत 493 करोड़ रुपये की राशि माफ करने की घोषणा की है, जिसमें से केन्द्र सरकार द्वारा केवल 83 करोड़ रुपये की राशि दिया जाना प्रस्तावित है। जब मंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया है कि हम उसमें अधिकाधिक राशि देंगे तो उस योजना को सफल बनाने के लिये, आश्वासन को दृष्टि में रखते हुए क्या 83 करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर कम से कम आधा करने का प्रयास करेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक ऋण मुक्ति का सवाल है, सभी राज्यों के लिए हमने कुछ नॉर्म्स बनाये हैं। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के साथ हमारी बातचीत हुई है। इतना ही नहीं, नेशनल डेवलपमैंट कोंसिल की बैठक में हमारी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत हुई है। अब यदि हर दो महीने बाद हम उन नॉर्म्स को बदलने की कोशिश करेंगे तो जो होने वाला है, वह भी नहीं हो पायेगा। वैसे मेरी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के साथ बातचीत हो चुकी है, उन्होंने मान लिया है, उन्होंने यह कहा है कि आपकी स्कीम को हम इम्पलीमैंट करेंगे और जो आपने तय किया है उतनी राशि ले लेंगे और उससे आगे बढ़कर जो कुछ हमें करना है, उसके बाद आवश्यक संसाधनों को इकट्ठा करने का काम हम खुद करेंगे।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० में कर्मचारियों की संख्या

[अनुवाद]

*229. **श्री समरेन्द्र कुण्डू** :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० में वर्ष 1983 से 1990 तक वर्ष-वार इसके

अलग-अलग संयंत्र/एकक/कार्यालय में स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी और उनमें से कार्यकारी एवम् गैर-कार्यकारी अधिकारियों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के इन संयंत्रों/एककों/कार्यालयों में इस समय रिक्त पदों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) पिछले कुछ वर्षों में सेल मंजूरी तथा रिक्तियों से संबंधित पद्धति से हटकर जनशक्ति के बजटीय नियंत्रण के आधार पर कार्य करना शुरू कर दिया है।

"सेल" के इस्पात संयंत्रों में आवश्यकता से अधिक जनशक्ति है अतः सेल के प्रयास इस दिशा में हैं कि स्टाफ को सेवा निवृत्ति/स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के माध्यम से पृथक करके पुनः प्रशिक्षण और पुनः तैनाती करके जनशक्ति का इष्टतमीकरण किया जा सके।

"सेल" की भारी संख्या में इकाइयां, खानें, शाखाएं, स्टॉकयार्ड और अन्य कार्यालय हैं और वर्ष 1983 से प्रत्येक वर्ष के संबंध में बजटीय और उनमें से प्रत्येक की बजटीय और वास्तविक जनशक्ति जिसे कार्यपालक और गैर-कार्यपालक पदों के संबंध में अनेक वर्षों में बांटते हुए जानकारी के संकलन में अत्यधिक समय और श्रम लगेगा जो उपयोगिता के अनुरूप नहीं हो पाएगा।

तथापि, वर्ष 1985-86 से 1989-90 तक सेल संयंत्रों तथा केन्द्रीय इकाइयों बजटीय जनशक्ति की स्थिति तथा जनशक्ति की सुलभ वास्तविक स्थिति अनुलग्नक में दी गई है।

हालांकि सेल में समग्र रूप से कोई रिक्ति नहीं है, फिर भी स्टाफ के कार्य स्वरूप अथवा विशेष दक्षता की जरूरत के कारण कुछ रिक्तियां होती रहती हैं। इन रिक्तियों को पदोन्नति, पुनः तैनाती अथवा नई भर्ती, जैसी आवश्यकता हो, के द्वारा भरी जाती है।

अनुलग्नक

(तारांकित प्रश्न सं० 229)

श्रमिक शक्ति की स्थिति

इकाई		1985-86 (31 मार्च, 86 की स्थिति के अनुसार)	1986-87 (31.3.87 की स्थिति के अनुसार)	1987-88 (31-3.88 की स्थिति के अनुसार)	1988-89 (31.3.89 की स्थिति के अनुसार)	1989-90 (31.3.90 की स्थिति के अनुसार)
भिलाई इस्पात संयंत्र	ब*	64,729	64,251	63,174	60.454	58,654
	वा*	65,189	64,231	62,395	60,897	59,578
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	ब	34,905	34,680	34,000	32,850	32.000
	वा	34,819	34,480	33,696	32,847	32,117
राउरकेला इस्पात संयंत्र	ब	39,827	38,806	37,9[illegible]9	37,050	36,050
	वा	39,447	38,932	37,973	37,045	36,049
बोकारो इस्पात संयंत्र	ब	52.375	52,787	52,459	51,700	51,300
	वा	52,961	52,590	52,012	51,772	51,911
मिश्र इस्पात संयंत्र	ब	7,395	7,361	7,280	7,250	7,050
	वा	7,337	7,271	7,174	7.115	6,988
सेलम इस्पात संयंत्र	ब	1,234	1,234	1,253	1,253	1,303
	वा	1,220	1,206	1,237	1,247	1,345
केन्द्रीय इकाइयां	ब	6,805	6,828	6,920	7,015	6,904
	वा	6,866	6,913	6,928	6,876	6,927
कुल :	ब	207, 270	205, 947	203, 065	197, 572	193, 261
	वा	207, 839	205, 623	201, 415	197, 799	194, 915

ब*—बजट और वा*—वास्तविक

श्री समरेन्द्र कुन्डू : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने मात्र कार्यकारी अधिकारियों और गैर-कार्यकारी अधिकारियों और कार्यपालक के पदों का ब्यौरा पूछा था। लेकिन उत्तर में कहा गया है कि वर्ष 1983 से प्रत्येक वर्ष के संबंध में वास्तविक जनशक्ति जिसे कार्यपालक और गैर कार्यपालक पदों के संबंध में अनेक वर्षों में बांटते हुए जानकारी में अत्याधिक समय और श्रम लगेगा…" मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से सहमत नहीं हूं और मैं महसूस करता हूं कि मुझे इस उत्तर को स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैं वह आंकड़े देता हूं जिससे मैं समझता हूं कि जानकारी को छुपाने का प्रयास किया गया है। स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित पर्सनल एंड वेज मैनूल पत्रिका के 1983 के अंक के चौथे पृष्ठ पर यह कहा गया है कि 1983 में 2805 अधिकारी और 36,350 गैर-कार्यकारी श्रेणी तीन और चार के कर्मचारी थे अर्थात कुल 39,115 कर्मचारी थे और उसी प्रकाशन में 1990 में 31 मई में प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह दिया गया है :

> "अधिकारियों या कार्यकारी अधिकारियों की संख्या बढ़कर 3,507 हो गई, जबकि श्रमिकों अर्थात् गैर-कार्यपालकों की संख्या घटकर 36,170 हो गयी और कुल योग घटकर 35,824 हो गया।"

यह राऊरकेला संयंत्र के विषय में है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि इंजिनियरों के बेरोजगार होने के कारण कुछ अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए लेकिन सवाल यह है कि जानबूझकर पदों को खाली रखा जाता है और ठेकेदार के श्रमिकों को रखा जाता है, हमें बताया गया है कि श्रेणी तीन और श्रेणी चार के कोई पद खाली नहीं हैं। मेरी जानकारी के अनुसार अकेले राऊरकेला इस्पात संयंत्र में 9,000 से अधिक पद खाली हैं। अतः मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि राऊरकेला इस्पात संयंत्र में 9000 पद खाली हैं और क्या स्थानीय लोग इन पदों के भरे जाने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। दूसरी बात उत्पादन और नियोजन में तारतम्य होना चाहिए जबकि भारत इस्पात प्राधिकरण में 5 मिलियन टन से उत्पादन बढ़कर 12 मिलियन टन हो गया है लेकिन कार्मिकों की संख्ता कम हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों में यह सामान्य बात है। सरकार लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहती है अतः माननीय मंत्री कृपया यह बताएं कि सरकार इस असंतुलन को दूर करने के लिए क्या प्रयास कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कागज, लुगदी और रद्दी कागज का आयात

***226. श्री बाबूभाई मेघजी शाह :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के कागज, लुगदी और रद्दी कागज का आयात किया गया ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1985-86 से 1989-90 के दौरान कागज, लुगदी तथा रद्दी कागज के आयात दर्शाने वाला विवरण पत्र

मात्रा—मी॰ टन में

मूल्य—लाख रुपये में

मद का नाम	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. अखबारी कागज	200556	13039	234442	12133	251372	18508	201306	19670	199913	22367
2. छपाई कागज अखबारी कागज को छोड़कर तथा ,रोल्स अथवा शीट्स लिखाई कागज)	12180	5208	13598	4489	15172	4204	13057	2333	10863	2005
3. रोल्स तथा शीट्स में क्राफ्ट पेपर तथा गत्ता	2566	246	2895	329	4917	760	6327	1035	7837	1395
4. रोल्स या शीट्स में कागज तथा गत्ता, अन्यत्र उल्लेख नहीं	9764	1651	7400	1601	2939	744	3683	1392	3988	1542
5. रोल्स अथवा शीट्स में कोरूगोटिड, क्रेप्ड़, क्रिंकल्ड अथवा परफोरेटिड कागज तथा गत्ता	745	85	661	72	10	1	63	18	51	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. कागज छपाई अथवा लिखाई कागज को छोड़कर और इम्प्रेगोटिड को टिड सर्फेस कलई, कलई, सर्फेस डेकोरेटिड अथवा प्रिन्टिड गत्ता	9526	1965	9476	2440	3958	1660	4674	1109	4047	1402
7. कन्वर्टिड कागज तथा गत्ता अन्यत्र उल्लेख नहीं	440	30	204	25	765	249	367	94	325	121
8. आकार अथवा प्रकार से कटा हुआ कागज तथा गत्ता	69	26	108	42	923	507	235	111	297	99
9. लुगदी	294370	13021	274334	14783	264399	17352	394063	25218	450578	30388
10. रद्दी कागज	256823	8163	295389	9568	209291	6502				
कुल योग :—	787039	43435	838507	45482	753746	50488	623875	50980	677899	59342

अ = विनिर्दिष्ट अनन्तिम आंकड़े

व्यापारिक संगठनों के विदेश स्थित कार्यालय

***227. श्री के० एस० राव :**

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यापारिक संगठनों के विदेशों में स्थित कुछ कार्यालयों को बन्द करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो बन्द किये जाने वाले कार्यालयों की संख्या तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन कार्यालयों को बन्द करने के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की कितनी बचत होगी ;

(घ) क्या इनके बन्द होने से निर्यात व्यापार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ;

(ङ) इन कार्यालयों को बन्द किये जाने के पश्चात इन देशों में इनके कार्यों की किस एजेंसी द्वारा देखभाल की जायेगी ; और

(च) इन कार्यालयों के बन्द किये जाने से कितने अधिकारियों और कर्मचारियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उनके सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) एस० टी० सी०, एम० एम० टी० सी०, पी० ई० सी०, टी०डी० ए०, एम्पीडा, डी० बोर्ड तथा स्पाइसेस बोर्ड के विदेश स्थित सभी कार्यालयों को भारत बिजनेस इन्टरनेशनल लिमिटेड (बी०बी०आई०एल०) के नवगठित एकीकृत कार्यालयों में विलीन करने का निर्णय किया गया है। इन संगठनों के 16 मौजूदा कार्यालय बन्द करने का प्रस्ताव है। इनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन संगठनों के अन्य कार्यालय बी० बी० आई० एल० के एकीकृत कार्यालयों में विलीन कर दिए जाएंगे।

(ग) इस सुव्यवस्थीकरण के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा बचत की ठीक-ठीक राशि का भारत विजनेश इन्टरनेशनल लिमिटेड (बी० बी० आई० एल) हिसाब लगा रहा है।

(घ) जी, नहीं। यह निर्णय वाणिज्य मंत्रालय के नियंत्रण वाले कुछ संगठनों के विदेश स्थित कार्यालयों का कार्य संचालन सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

(ङ) भारत बिजनेस इन्टरनेशनल लि० (बी० बी० आई० एल०) उन संगठनों के हितों की देखभाल करेगा; जिनके कार्यालय बन्द किए जा रहे हैं या बी० बी० आई० एल० के एकीकृत कार्यालयों में विलीन कर लिए गए हैं।

(च) सम्बन्धित संगठनों के साथ विचार विमर्श करके इसका हिसाब लगाया जा रहा है।

विवरण

उन विदेश स्थित कार्यालयों की सूची जिन्हें बन्द किया जाना है

संगठन का नाम	**स्थिति**
स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन	जेद्दाह
	पेरिस
	टोक्यो
	कोलम्बो
	माले
	सिडनी
	बर्लिन
प्रोजेक्ट एण्ड इक्विपमेंट कार्पोरेशन	मास्को
	ढाका
ट्रेड डेवलपमेंट अथारिटी	कुआलालम्पुर
	हरारे
टी बोर्ड	कैरो
	सिडनी
	न्यूयार्क
	ब्रूसेल्स
स्पाइसेस बोर्ड	बहरीन

टिप्पणी : नेरोबी स्थित एस० टी० सी० कार्यालय फ्रैंकोफोन, अफ्रीका में उपर्युक्त स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश में बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाले खनिज

[हिन्दी]

*231. **श्री सुखेन्द्र सिंह :**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में वाणसागर परियोजना से किन-किन खनिजों के पानी में डूब जाने की आशंका है ; और ऐसे प्रत्येक खनिज का मूल्य क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने इन खनिजों के पानी में डूबने से पहले इन्हें निकालने के लिए कोई योजना तैयार की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) :

(क) से (ग) मध्य प्रदेश में वाणसागर परियोजना के अंतर्गत जिस खनिज के पानी में डूबने की संभावना है, वह लोहा और इस्पात उद्योग की धमन भट्ठी और इस्पात गलन भट्ठी में प्रयोग

होने वाला चूना पत्थर है। पानी में डूबने वाले चूना पत्थर का मूल्य अनुमानतः 312 करोड़ रुपये आंका गया है। छोटी महानदी के दाएं किनारे के चूनापत्थर को डूबने से बचाने के लिए एक बांध बनाने का प्रस्ताव है। इस उपाय से चूनापत्थर के 73 मिलियन टन स्व-स्थानिक भंडार पानी में डूबने से बच जाएंगे। नदी के दाएं किनारे पर इस समय बोकारो स्टील लिमिटेड द्वारा खनन किया जा रहा है। उनका इरादा बाएं किनारे से भी अधिकांश भंडारों को निकाल लेने का है जिसके लिए राज्य सरकार से स्वीकृति लेने के बाद भूमि अधिग्रहण और स्थानीय बस्ती को हटाने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

विदेशी मुद्रा व्यय में कमी

*232. **श्री बालेश्वर यादव :**

श्री फूल चन्द्र वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा व्यय में कमी करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा में वृद्धि करने के लिए आयात पर नियंत्रण करने और निर्यात को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई है ;

(घ) यदि हां, तो गत वर्ष के व्यय की तुलना में इस वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की संभावना है ; और

(ङ) इस नीति के कारण इस वर्ष के प्रथम तीन महीनों में विदेशी मुद्रा की कितनी बचत हुई ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) :

(क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय दो श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, अर्थात्

(i) सरकार द्वारा विदेशों में स्थित कार्यालयों, विदेश यात्राओं और विदेश मंत्रालय के समग्र विदेशी व्यय में किफायत ;

(ii) चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम का ईमानदारी से पालन करके आयात बिल में कटौती ; चुने हुए क्षेत्रों द्वारा आवश्यक कच्ची सामग्री और कल-पुर्जों के आयात के लिए मुक्त विदेशी मुद्रा जारी करने में कटौती ; और आयात संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर० ई० पी० लाइसेंस के प्रयोग पर अधिक जोर देना। इनके परिणामों के बारे में कोई मूल्यांकन करना अभी जल्दबाजी होगी।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) विदेशी मुद्रा की स्थिति पर इन नीतियों के प्रभाव का अलग से मूल्यांकन करना कठिन है।

निर्माताओं आदि को करों की वापसी

*233. **श्री हर्षवर्धन :**

श्री शंकर मुंजारे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुम्बई तथा गुजरात उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय ने भी यह विनिर्णय दिया है कि निर्माताओं अथवा व्यापारियों को लेवी, टाल टैक्स, उपकर आदि जैसे विभिन्न करों की वापसी गैर कानूनी है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उक्त न्यायालयों ने क्या टिप्पणियां की हैं ;

(ग) क्या उक्त न्यायालयों ने समय-समय पर यह विनिर्णय दिये हैं कि ऐसी धनराशि, जो वस्तुतः उपभोक्ताओं की ही है, जन कल्याण योजनाओं में उपयोग की जानी चाहिए ; और

(घ) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने एक परिपत्र के माध्यम से निर्माताओं, व्यापारियों, बिचौलियों, आदि को उक्त धनराशि वापस किये जाने की अनुमति किन कारणों से दी है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (घ) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की राशियों को उन लोगों को वापिस किये जाने के प्रश्न पर विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय ने परस्पर विरोधी अभिमत व्यक्त किये हैं जिन्होंने इनका भार पहले ही उपभोक्ताओं पर डाल दिया है । न्यू इंडिया इंडस्ट्रीज लि० के मामले में बम्बई उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा इस मामले की पुनरीक्षा की गई थी तथा 27.11.89 को दिये गये अपने निर्णय में, न्यायालय ने यह निर्णय दिया— "यदि विधि प्राधिकार के बिना कर एकत्र कर लिया गया हो तो राज्य को उसे वापस करना होगा । सामान्यतः, गैर कानूनीं तौर पर एकत्र किये गए कर को उस व्यक्ति को वापस किया जाना चाहिये जिससे यह एकत्र किया गया हो । तथापि, विधि प्राधिकार के बिना एकत्र किये गये कर की वापसी स्वीकृत किये जाने के मामले में अनुचित रूप से धनी होने की अवधारणा पूर्ण रूप से असंगत नहीं है ।" कोर्ट ने आगे यह निर्णय दिया कि "रिट न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह इस बात से स्वयं संतुष्ट हो कि कर भार वास्तव में अन्य व्यक्तियों पर डाल दिया गया है तथा रिट याचिकादाता के पक्ष में वापसी के किसी आदेश के परिणामस्वरूप वह अनुचित रूप से और धनी हो जाएगा ।" न्यायालय ने और आगे यह निर्णय दिया कि "हमने इस प्रश्न की और आगे जांच नहीं की है कि क्या उक्त सिद्धांत कर वापसी के लिए सिविल न्यायालयों के समक्ष अथवा विभागीय कार्यवाहियों के लिए पड़े विचाराधीन मुकदमों में भी लागू होंगे अथवा नहीं ।" यह मामला अब फिर दुबारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पड़ा है और उसके निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है ।

2. उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय को रिट संबंधी जो क्षेत्राधिकार प्राप्त है इनका प्रयोग करते हुए इस संबंध में सभी निर्णय दिए गए हैं । इन न्यायालयों को, विभागीय अधिकारियों के विपरीत इक्विटी के सिद्धान्तों से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं । अतः विभागीय अधिकारियों को उन आधारों पर कानून के तहत प्राधिकृत वापसियों को रोकने का कोई विधिक प्राधिकार प्राप्त नहीं है जिनके बारे में विधि में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है । सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण में मैसर्स आनन्द मैटल एण्ड स्टील वर्क्स बनाम समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मामले में दिए गए अपने आदेश में इस अभिमत की पुष्टि की है । इस सम्बन्ध में कानूनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड ने दिनांक 28.3.1990 को एक परिपत्र जारी किया था ।

3. हमें नागरिकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह दावा किया गया है कि चूंकि कर का भार वास्तव में उपभोक्ताओं पर पड़ता है, अतः यदि इसकी कोई वापसी देय हो तो उसका उपयोग लोक कल्याण की स्कीमों में किया जाना चाहिए । इस सुझाव पर सरकार द्वारा विधि मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जाएगा ।

अनुसूचित जनजातियों के लोगों को ऋण राहत

[अनुवाद]

*234. **श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुसूचित जनजातियों के लोगों के ऋणों को माफ करने की कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) और (ख) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषकों, भूमिहीन कृषकों, कारीगरों और बुनकरों को 10,000/- रुपए तक की ऋण राहत प्रदान करने के लिए कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 तैयार की है। जहां तक सहकारी क्षेत्र के बैंकों का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों से उसी ढंग की योजना तैयार करने के लिए कहा गया है। इस योजना के अन्तर्गत पात्रता निर्धारित करने का मानदण्ड ऋण प्राप्त करने का उद्देश्य है न कि ऋण-कर्ताओं का वर्ग/उनकी श्रेणी है यह वह योजना या कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराया गया था। इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित पात्र ऋणकर्ता प्रस्तावित राहत के हकदार होंगे।

सोने के आयात में छूट देने का प्रस्ताव

[हिन्दी]

*235. **श्री मंजय लाल :**

श्री आर० एन० राकेश :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारी मात्रा में स्वर्ण आभूषणों को निर्यात करने के लिए सोने के आयात में छूट देने का विचार है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इसके परिणाम स्वरूप सोने की तस्करी पर रोक लगने अथवा इसके कम होने की सम्भावना है ;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) सरकार का सोने के मूल्य कम करके अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) स्वर्ण आभूषणों को बनाने और निर्यात करने के लिए सोने के आयात की पहले ही अनुमति दी गई है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सोने के इस प्रकार के आयात से सोने की तस्करी पर सामान्यतः अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) चूंकि सोना कोई अत्यावश्यक वस्तु नहीं है, इसलिए सरकार का इसकी कीमतों पर नियंत्रण नहीं है।

विदेशों में तैयार किये गये कार्यक्रम

*236. **श्री बृज भूषण तिवारी :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में तैयार किये गये प्रायोजित और गैर-प्रायोजित ऐसे कार्यक्रमों की संख्या और नाम क्या हैं, जिन्हें गत दो वर्षों के दौरान दूरदर्शन पर प्रसारण हेतु स्वीकार किया गया है ; और

(ख) इन कार्यक्रमों पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी: उपेन्द्र) :

(क) और (ख) दूरदर्शन ने वित्तीय वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान कुल 70 विदेशी कार्यक्रमों का आयात किया। इन कार्यक्रमों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं। इन कार्यक्रमों के आयात पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

अमरीकी डालर	—2,23,952.00
पौंड	—1,45,810.00
ड्यूस यार्क	— 63,782.00

विवरण

क्रम संख्या	वर्ष 1988-89 के दौरान आयात किये गए कार्यक्रमों के नाम
1.	नेशनल ज्योग्राफिकल स्पेशल (2)
	(क) अमोंग दि वाइल्ड चिम्पांजीज
	(ख) पोलर बार अलर्ट
2.	ही मैन एण्ड दि मास्टर्स आफ दि यूनीवर्स
3.	मिकी एण्ड डोनाल्ड
4.	म्यूजिक प्रोग्राम
	(क) डेविड एसेक्स
	(ख) पाप एक्सपलोजन 1
	(ग) पाप एक्सपलोजन 2
	(घ) स्टोन्स इन दि पार्क
5.	रिटर्न आफ दि शेरलाक होम्स
6.	अनास्टेशिया (2 पार्ट्स)
7.	एडवेंचर आफ हक फिन्न
8.	डाक्टर फिशर आफ जिनेवा

क्र० सं०	वर्ष 1988-89 के दौरान आयात किए गए कार्यक्रमों के नाम
9.	आस्कर वाइल्ड (3 पार्ट्स)
10.	शाजम
11.	(क) सरवाईवल सीरि० 25
	(ख) सरवाईवल : पर्सपेक्टिव आफ पैराडाइज
	(ग) सरवाईवल : विंग्ड मैसेंजर
12.	ट्रेजर आइलैंड
13.	बालीमोवर, डोड्डर, शेल्फवोर्ट एन्ड ग्लाडबेरी
14.	ए क्रिसमस कैरोल
15.	दि विंटर आफ इनचेंटमेंट
16.	किलिंग आन दि एक्सचेंज
17.	दि विंड इन दि विल्लोज
18.	विस्पर आफ क्लोक-1
19.	एड्स (पहला भाग)
20.	वंडरफुल विजार्ड आफ ओ० जेड०
21.	डेरिक

क्र० सं०	वर्ष 1989-90 के दौरान आयात किए गए कार्यक्रमों के नाम
1.	टिना टर्नर (2 भाग)
2.	इंटीमेट कान्टेक्ट
3.	इंस्पेक्टर मोर्स
4.	एस्केप फ्राम सोबीबोर (3 भाग)
5.	दिब्रेट्स
6.	अरेथा फ्रेंकलिन (2 भाग)
7.	सिंड्रेला—दि शोमरुट गो ऑन
8.	स्पिटिंग इमेजेस
9.	दि कटिंग ऐज
10.	दि एसिड टैस्ट
11.	दि फोर होर्समैन
12.	फादर टाईम (पहला भाग)
13.	स्पोर्ट्स एक्सपलेन्ड
14.	माडल मैजिक
15.	स्पिटिंग इमेज-डाउन एण्ड आउट इन दि वाइट हाऊस
16.	स्पिटिंग इमेज दि रोन एण्ड नेंसी शो

क्र० सं०	1989-90 के दौरान आयात किए गए कार्यक्रमों के नाम
17.	स्पिटिंग इमेज—1987 मूवी अवार्ड्स
18.	यस्टरडे ड्रीम
19.	कमिंग थ्रू
20.	लोस्ट एम्पायर्स
21.	शेड्स आफ डार्कनेस
22.	प्रिज़नर आफ जेदा
23.	वेनिटी फेयर
24.	दोरोथी सेयर्स
25.	वुदरिंग हाइट्स
26.	आर्किटेक्चर एट दि क्रासरोड्स
27.	ऐज आफ अनसर्टेनिटी
28.	किलयरेंस
29.	ओकावांगो
30.	फुटस्टेप्स
31.	मिनियेचर वर्ल्ड
22.	इवानहोब
33.	इकोनोमिक्स मेड ईज़ी
34.	मार्शल मैक्लुहान
35.	म्यूजिक आफ मैन
36.	ट्रेवलिंग लाइट
37.	डेरिक
38.	ओल्ड फाक्स
39.	सफर दि चिल्ड्रन
40.	फिल्म्स
	ब्लैक मेल
41.	दि ब्ल्यू ऐंजल
42.	कैथेरीन दि ग्रेट
43.	एक्सटेसी
44.	लाईव इन एक्साईल
45.	एम
46.	दि मैन हू नियु टु मच
47.	दि सकरलेट पिम्परनल
48.	प्राइवेट लाईव्स आफ हेनरी—7
49.	थर्टी नाईन स्टेप्स

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा मध्य प्रदेश के लिए पुर्नवित्त पोषण सुविधा

*237. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में किसानों को बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की कितनी राशि का वित्त पोषण राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किया गया ;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान इन बैंकों द्वारा सिंचाई के लिए पम्प-सेट भी उपलब्ध कराये गये थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके दोषपूर्ण होने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) दोषपूर्ण पम्प-सेट सप्लायरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ।

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने मध्य प्रदेश के विभिन्न बैंकों को पुर्नवित्त के रूप में वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान क्रमश: 105.32 करोड़ और 91.23 करोड़ और 118.89 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की है ।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने यह भी सूचित किया है कि लघु सिंचाई गतिविधियों के अंतर्गत बैंकों द्वारा इस अवधि में सिंचाई के लिए पम्प सेट भी उपलब्ध कराए गए हैं । राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को खराब पम्प सेटों की आपूर्ति की कोई शिकायत नहीं मिली है। अलबत्ता, जब कभी इस तरह की शिकायत मिलती है तो उस पर उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है ।

राष्ट्रीय नेताओं के जीवन पर वृत्तचित्र

[अनुवाद]

238. **श्री शंकरसिंह वघेला :**

श्री प्यारे लाल खण्डेलवाल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ राष्ट्रीय नेताओं के जीवन और उनकी उपलब्धियों पर वृत्तचित्र तैयार करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो पहले ही बनाये गये तथा बनाये जाने वाले ऐसे वृत्तचित्रों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को इस योजना में शामिल किया गया है अथवा किया जायेगा ; और

(घ) वृत्तचित्र बनाने के लिए प्रमुख व्यक्तियों के चयन हेतु क्या दिशा निर्देश अपनाये जाते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) वृत्तचित्र बनाने के लिए प्रमुख व्यक्तियों के जीवनियों के चयन के संबंध में कोई मार्ग-दर्शन/मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गये हैं। तथापि, राष्ट्रीय विषयों पर वृत्तचित्र बनाना फिल्म प्रभाग का सामान्य कार्य है। जब भी किसी राष्ट्रीय नेता/स्वतंत्रता सेनानी पर वृत्तचित्र बनाने का कोई सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त होता है, उस पर गुण दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

विवरण

राष्ट्रीय नेताओं पर फिल्मों, जिन्हें पहले ही तैयार कर लिया गया, की सूची

1. ग्लिम्पिसेस आफ गांधीजी (1949) (महात्मा गांधी)
2. जवाहरलाल नेहरू (1957)
3. लोकमान्य तिलक (1957)
4. हिज़ मेमौरी वी चेरिश (1959) (मानवता की सेवा में महात्मा गांधी जी का जीवन और कार्य)
5. दि लास्ट जरनी—1959 (गांधी जी की हत्या)
6. रविन्द्रनाथ टैगोर—1961 (दीर्घ पाठ)
7. विनोबा भावे, दि मैन—1963 (एल० वी०)
8. एंड सो टू स्लीप—1964 (जवाहरलाल नेहरू)
9. लास्ट चेस्टर—1964 (जवाहरलाल नेहरू)
10. ए मैन आफ पीस-1966 (स्व० प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री का दाहसंस्कार तथा अस्थि विसर्जन संस्कार)
11. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्, भारत के राष्ट्रपति—1966
12. होमेज टु लाल बहादुर शास्त्री—1967
13. लाला लाजपत राय—1968
14. इंदिरा गांधी-प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया—1968
15. थाट्स इन ए म्यूजियम—1968 (जवाहर लाल नेहरू)
16. डा० जाकिर हुसैन-ए लाइफ आफ डेडीकेशन, 1969
17. ट्रिब्युट टु ए स्कालर स्टेट्स मैन—1969 (डा० जाकिर हुसैन)
18. 85 नायक इन पॉल पोरबंदर—1969 (महात्मा गांधी)
19. महात्मा—1969 (पूर्ण लम्बाई का वृत्तचित्र)
20. सरदार पटेल—1970

21. भगत सिंह—1970
22. देश बंधु चितरंजनदास—1971
23. वी रिमेम्बर—1971 (महात्मा गांधी)
24. रोज काल्ड जाकिर हुसैन—1972
25. दि फ्लेम बर्नस ब्राइट—1973 (नेताजी सुभाष चन्द्र बोस)
26. नेताजी—1973
27. अवर इन्दिरा—1973 (श्रीमती इन्दिरा गांधी)
28. छत्रपति शिवाजी—1974
29. पोर्टरेंट आफ ए प्राइम मिनिस्टर—1974 (श्रीमती इन्दिरा गांधी)
30. हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय—1974
31. बाबा शेख फरीद—1974
32. सरोजनी नायडू-दि नाइटऐंगल आफ इंडिया—1975
33. श्री अरविंदो-ग्लिम्पिसेस आफ हिज लाईफ—1975
34. स्वामी दयानन्द सरस्वती—1975
35. दि प्राईम मिनिस्टर—1976 (स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी)
36. लव इन एक्शन—1976 (मदर टेरेसा)
37. बाघ जतिन—1977 (जतिन्द्रनाथ मुकर्जी)
38. जे० पी०—1977 (लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण)
39. सैल्यूट टु दि प्रेजीडेंट फखरूद्दीन अली अहमद—1977
40. गुरू तेग बहादुर—1977
41. डा० मोहम्मद इक्बाल—1978
42. राजाजी—1978 (चक्रवर्ती राजगोपालाचारी)
43. फखरूद्दीन अली अहमद—1978
44. देशरत्न राजेन्द्र प्रसाद—1979
45. कमलादेवी चट्टोपाध्याय—उनके जीवन तथा कार्य की प्रशस्ति—1979
46. दादाजी साधु वासवानी—1979
47. गुरू अमर दास—1979
48. ईश्वर चन्द्र विद्यासागर—1980
49. आचार्य कृपलानी—1980
50. बाबू राजेन्द्र प्रसाद—1980
51. बाबासाहेब अम्बेडकर—1981

52. डा० बी० सी० राय—1981
53. जवाहरलाल नेहरू एंड हिज विजन—1981
54. स्टीडपास्ट विस्डम—1981 (आचार्य विनोबा भावे)
55. ए लाईफ लांग वारियर—1981 (सेनापति बापट)
56. ए सांग फार बिरसा—1981 (बिरसा मुंडा)
57. बाबा आमटे—1981
58. अबुल कलाम आजाद—1982 (मौलाना अबुल कलाम आजाद)
59. खुसरो—ए नेम टु बी रिमेम्बर्ड—1982 (अमीर खुसरो)
60. नीलम संजीव रेड्डी-प्रेजीडेंट आफ इंडिया—1983
61. चंद्रशेखर आजाद—1983
62. मेमोरेबल मोमेंट्स—1983 (जवाहरलाल नेहरू तथा इन्दिरा गांधी के पिता पुत्री का संबंध)
63. नेहरू इन रिमेम्बरेंस—1983
64. पुरुषोत्तम दास टंडन—1983
65. वीर सावरकर—1983
66. महाकवि भारती—1983 (महाकवि सुब्रमण्य भारती)
67. बादशाह खान—1983
68. महाराजा रंजीत सिंह—1983
69. मौलाना मोहम्मद अली जौहर—1984
70. नेहरू-1984 (पूरी लंबाई की डाक्युमेंटरी—भारत-सोवियत संघ निर्माण)
71. राव तुलाराम—1984
72. राजा राम मोहन राय—1984
73. दादा साहेब गायकवाड—1984
74. बाबा जस्सा सिंह अहलुवालिया—1985
75. दि फ्रंटियर गांधी—1985
76. इन्दिरा गांधी 1917—(1985)
    1984
77. इन्दिरा प्रियदर्शिनी—1985
78. इन्दिराज विजन—1985 (श्रीमती इन्दिरा गांधी)
79. कर्मयोगी आचार्य काकासाहेब कालेलकर—1985

80. हरिन्द्रनाथ दि वर्सेटाइल—1985
81. कामराज—1985
82. विनोबा भावे-दि मैन—1985 (संशोधित पाठ)
83. इन्दिरा गांधी ए ट्रिब्यूट—I(1985)
84. ए ट्रिब्यूट टु श्रीमती इन्दिरा गांधी बाई आशा सचदेव-II—1985
85. दि सियर टू वाक्स अलोन—1985 (जे० कृष्णमूर्ति)
86. मैथिली शरण गुप्त—1986
87. कमला नेहरू (1986)
88. शाह नवाज खान—1986
89. डा० श्री कृष्णा सिन्हा—1987
90. सन आफ दि माउंटेन—1987 (पंडित गोविंद बल्लभ पंत)
91. एस० सत्यामूर्ति (1987)
92. पथिक—1987 (श्री काकासाहेब अलियास एन० वी० गाडगिल)
93. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्-प्रेजीडेंट आफ इंडिया (संशोधित), 1988
94. जवाहरलाल नेहरू-दि यूनिवर्सल मैन (1990)

निकट भविष्य में तैयार की जाने वाली फिल्मों की सूची

1. स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह
2. स्वर्गीय श्री एम० एन० राय
3. बाबू जगजीवन राम
4. स्वर्गीय श्री आसफ अली
5. श्री गणेश शंकर विद्यार्थी
6. श्री के० एम० मुंशी
7. सरदार पटेल
8. डा० बाबासाहेब अम्बेडकर
9. स्वर्गीय श्री वी० कृष्ण मेंनन
10. सरोजनी नाइडू
11. लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोलोई
12. बी० जे० खेर
13. स्वामी हरिदास जी
14. श्री रामकृष्ण परमहंस
15. श्री टी० प्रकाशम

बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश में स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत दिया गया ऋण

[हिन्दी]

*239. **श्री हरीश रावत** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न लीड बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश में स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों तथा शहरी बेरोजगारों को अब तक कुल कितनी राशि के ऋण मंजूर किये गये हैं ;

(ख) क्या इस राशि के उपयोग किये जाने के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो कितने प्रतिशत बेरोजगार व्यक्तियों ने इस स्वीकृत राशि से अपने कारोबार शुरू कर दिये हैं ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (ग) शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना और शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश में मंजूर किए गए कुल ऋण और हिताधिकारियों की संख्या नीचे दी गई है :—

	हिताधिकारियों की संख्या	मंजूर की गई ऋण राशि (करोड़ रुपए)
(i) शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना (1983-84 से 1989-90 तक)	172914	326.63
(ii) शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम (1986-87 से 1989-90 तक)	150256	62.39

2. दोनों योजनाओं में मंजूर की गई और संवितरित की गई राशि के उपयोग से संबंधित स्थिति की राज्य मुख्यालयों और जिलों में नियमित रूप से आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति और जिला परामर्शदात्री समिति की बैठकों में समीक्षा की जाती है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किए गए अध्ययनों और इन बैठकों में प्राप्त किए गए अनुभवों के आधार पर यह प्रमाणित हुआ है कि सामान्यत: ये योजनाएं संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

कम्पनियों के शेयरों पर प्रीमियम

*240. **श्री दौलत राम सारण** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा पूंजी निवेशकों के हितों की रक्षा तथा पूंजी बाजार के स्वस्थ विकास की दृष्टि से शेयर बाजार में प्रवेश करने वाली कम्पनियों के शेयरों पर प्रीमियम का निर्धारण करने तथा शेयरों का उचित मूल्यांकन करने के लिए निर्धारित दिशा निदेशों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : शेयरों के मूल्यांकन संबंधी मार्ग-निर्देश हाल ही में प्रेस को भेजे गए हैं। एक संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

विवरण

मूल्यांकन मार्ग-निर्देशों का उद्देश्य किसी कम्पनी के ईक्विटी शेयरों का मूल्य अर्थात् उचित मूल्य का निर्धारण अत्यन्त उत्तम ढंग से किया जाना है। साधारणतः यह निवल परिसंपत्ति मूल्य और लाभ अर्जक क्षमता मूल्य पर आधारित होता है। उचित मूल्य के निर्धारण में शेयरों की बाजार कीमतें भी कुछ सीमा तक अपनी भूमिका निभाती हैं।

हालांकि उचित मूल्य निर्धारण में उक्त मार्ग-निर्देश एक विस्तृत पैरामीटर का काम करते हैं फिर भी, उचित मूल्य निर्धारण करते समय पूंजी निर्गम नियन्त्रक कम्पनी के ट्रैक-रिकार्ड और बाजार परिस्थितियों आदि जैसी बातों को भी ध्यान में, रखता है।

अभ्रक व्यापार निगम में कर्मचारियों की संख्या

[अनुवाद]

*241. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अभ्रक व्यापार निगम के कर्मचारियों की संख्या को कम करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरूण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) मिटको को एम०एम०टी०सी० के एक विभाग के रूप में कार्य करने हेतु उसमें विलय करने, के सरकारी विनिश्चय के परिणामस्वरूप एम० एम० टी० सी० ने एक समिति गठित की है ताकि अभ्रक प्रभाग की संगठनात्मक संरचना और स्टाफ के पेटर्न की जांच की जा सके। कार्यशक्ति के संबंध में विनिश्चय उस स्टाफ पैटर्न पर निर्भर करेगा जिसका समिति द्वारा कार्यभार को देखते हुए सुझाव दिया जाएगा।

काफी उद्योग में संकट

*242. **श्री वी० कृष्ण राव** :

श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी के बीजों के लिए काफी उत्पादकों को प्राप्त होने वाले मूल्य तथा उपभोक्ताओं द्वारा काफी पाउडर के लिये अदा किये जाने वाले मूल्य में भारी अंतर है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार काफी उत्पादकों को गभीर संकट से बचाने के लिये विपणन नीति में आमूल परिवर्तन करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरूण कुमार नेहरू) : (क) और (ख) जून, 1990 के दौरान काफी बीजों की औसत नीलामी कीमत तथा काफी पाउडर की औसत बाजार कीमत निम्नानुसार थी ;

(रुपये प्रति कि०ग्रा०)

ग्रेड	औसत नीलामी कीमत	औसत बाजार कीमत	
बागान "ए"	32.80	बागान	46.70
अरेबिका चेरी 'ए बी'	24.90		
अरेबिका चेरी "पी बी"	28.50	अरेबिका चेरी	42.65
रोबुस्टा चेरी "ए बी"	25.80		
रोबुस्टा चेरी "पी बी"	25.80		29.00

काफी बीजों की औसत नीलामी कीमत तथा काफी पाउडर की औसत बाजार कीमत में अन्तर मुख्यत: रोस्टर/खुदरा विक्रेता द्वारा काफी बीजों को काफी पाउडर में बदलने में रोस्टिंग से होने वाली लगभग 20% की हानि के कारण है। इसके अलावा, बाजार व्यय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा स्थानीय करों के कारण भी काफी बीजों की नीलामी कीमत तथा काफी पाउडर की बाजार कीमत में अन्तर होता है।

(ग) और (घ) इस समय काफी उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में मन्दी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। काफी उपजकर्ताओं को राहत प्रदान के लिए, सरकार ने पहले ही निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(क) काफी की न्यूनतम रिलीज कीमत (एम० आर० पी०) दिनांक 8 मार्च, 1990 से निम्नानुसार बढ़ा दी गई है :

ग्रेड	संशोधन-पूर्व कीमत	संशोधन पश्चात कीमत
अरेबिका	19.81 रु० प्रति किग्रा०	20.37 रु० प्रति किग्रा०
रोबुस्टा	15.90 रु० प्रति किग्रा०	16.64 रु० प्रति किग्रा०
कम्पोजिट	10.18 प्रति बिन्दु	10.57 प्रति बिन्दु

(ख) काफी पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 105 रु० प्रति क्विंटल से घटाकर 50 रु० प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

(ग) काफी बोर्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले फसल ऋणों के पुनर्भुगतान को पुनः निर्धारित किया गया है। काफी उपजकर्ता काफी बोर्ड द्वारा काफी सीजन 1989-90 के लिए प्रदत्त फसल ऋणों को पुनर्भुगतान अब एक की बजाए दो किस्तों में कर सकते हैं।

(घ) नई आयात निर्यात नीति में आर० ई० पी० लाइसेंस की दर को 4% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है।

लघु एककों के उत्पादकों के विपणन के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की नई योजनाएं

2587. श्री परसराम भारद्वाज :

श्री इरा अन्बारासु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु क्षेत्र के एककों के उत्पाद के विपणन की व्यवस्था करने हेतु वित्त प्रदान करने

तथा उनके उत्पादों के बिक्री मुल्यों की वसूली में देरी को कम करने हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने कोई नई योजनाएं आरम्भ की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने लघु उद्योग क्षेत्र की विपणन संरचना को मजबूत बनाने और उसका प्रसार करने तथा उसके उत्पादों की बिक्री की वसूली को तेज करने के लिए नई सहायता योजना लागू की है। गावों छोटे कस्बों, अर्ध-शहरी क्षेत्रों और बड़े शहरों में विपणन संरचना के निर्माण के लिए अलग-अलग योजनाएं बनाई गई हैं ताकि लघु उद्योग क्षेत्र के सभी खंडों अर्थात कुटीर उद्योग, अति लघु और आधुनिक लघुगामी एककों को सहायता प्रदान की जा सके।

विशेषज्ञ विपणन अभिकरणों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने की योजना :

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक निगमित क्षेत्र/सहकारी क्षेत्र, भलीभांति स्थापित स्वयं सेवी समूहों और विपणन अभिकरणों के विशेषज्ञ विपणन अभिकरणों को विशेष रूप से बड़े शहरों में लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादों के विपणन के लिए नए बिक्री केन्द्र स्थापित करने या विद्यमान शोरूम का नवीकरण करने/विस्तार करने के लिए प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करेगा।

विपणन उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए पुनर्वित्त योजना :

ऐसे व्यक्तियों, भागीदारी फर्मों, गैर सरकारी और सरकारी लिमिटेड कपनियों को, जिन्हें विपणन का अनुभव है और जो अति लघु और कुटीर उद्योगों के उत्पादों के विपणन के लिए 10 लाख रुपए तक की लागत के बिक्री केन्द्र खोल सकते हों, इस योजना के अंतर्गत सहायता दी जाएगी। योजना के अंतर्गत सहायता राज्य वित्त निगमों, दोहरे कार्य करने वाले राज्य औद्योगिक विकास निगमों और बैंकों की मार्फत दी जाएगी।

चल बिक्री वाहनों की खरीद के लिए पुनर्वित्त योजना :

योजना के अंतर्गत उन्हीं संस्थानों को सहायता प्रदान की जाएगी जिनका अनुमोदन खादी और ग्राम उद्योग कमीशन, अपने ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत खादी और ग्राम उद्योग के उत्पादों की बिक्री हेतु वाहनों की खरीद के लिए करेगा। प्रति वाहन ऋण 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा। योजना के अंतर्गत सहायता राज्य वित्त निगम, दोहरा कार्य करने वाले लघु उद्योग विकास निगमों और बैंकों के मार्फत दी जाएगी।

बिलों की प्रत्यक्ष भुनाई योजना :

इस योजना के अंतर्गत जबकि लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माता—विक्रेता पूंजी उपस्कर प्राप्त मशीनरी के लिए तुरंत भुगतान प्राप्त करेगा, खरीददार को 5 से 7 वर्षों की अवधि में आसान किस्तों पर आस्थगित भुगतान की सुविधा प्रदान की जाएगी।

अल्पावधिक बिल पुनर्भुनाई योजना :

इस योजना के अंतर्गत लघु उद्योग एककों द्वारा सप्लाई की गई वस्तुओं से सम्बद्ध व्यापारिक बिलों को, जिनकी बकाया प्रयोग अवधि 90 दिनों से अधिक नहीं है और जिनके साथ वैध दस्तावेज, जैसेकि इनवाइस, प्रेषण का प्रमाण पत्र, लारी/रेलवे रसीद आदि हों, अनुसूचित बैंकों में भुनाया जा सकता है और ये बैंक बाद में इसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से पुनः भुना सकते हैं।

स्वरोजगार के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऋण दिया जाना

2588. **श्री साइमन मरांडी**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वरोजगार के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार युवकों को ऋण प्रदान करने हेतु कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी अधिकतम ऋण सीमा निर्धारित की गई है ;

और

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऋण प्रदान करने के लिए बनाई गई अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्व-रोजगार योजना तथा शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्यों का कम से कम 30% अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए आरक्षित है । भारत सरकार लाभार्थियों को दी जाने वाली कुल वित्तीय सहायता का 25% भाग पूंजीगत सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराती है । शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत सम्मिश्रित ऋणों में औद्योगिक कार्यों के लिए 35,000/- रुपए तक, सेवा एककों के लिए 25,000/- रुपए तक तथा व्यापारिक कार्यों के लिए 15,000/- रुपए तक का ऋण मंजूर किया जाता है । शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को दी जाने वाली ऋण की सीमा 5,000/- रुपये है ।

(घ) शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्व-रोजगार योजना तथा शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम के अलावा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को ऋण देने के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले परिवारों में से कम से कम 30% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने चाहिए । विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपने कुल अग्रिमों का 40% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को उपलब्ध कराना पड़ता है ।

हरे काजू की खरीद हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण

2589. *श्री ए० विजयराघवन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों ने चालू वर्ष के दौरान कितने हरे काजू की खरीद की है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हरे काजू की खरीद हेतु केरल को कोई ऋण दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या भारतीय रिजर्व बैंक का आगामी वर्षों के दौरान भी ऋण देने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा में विभिन्न खानों द्वारा उत्पादन

2590. **श्री लोक नाथ चौधरी :**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क तथा डोलोमाइट की कुल कितनी खानें हैं तथा सातवीं योजना के दौरान उनका, वर्षवार कुल उत्पादन कितना रहा;

(ख) वर्तमान में इन खानों में, एकक वार, अवशिष्ट शेष खनिजों की मात्रा कितनी है;

(ग) उन खानों की संख्या कितनी हैं जो समापन के चरण पर पहुंच चुकी हैं; और

(घ) उन खानों की संख्या कितनी है जिन्हें अलग-अलग एक वर्ष तथा पांच वर्ष तक कार्यानुमति प्राप्त हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री विनेश गोस्वामी) : (क) विभिन्न खानों की कुल संख्या तथा वर्ष 1985 से 1989 तक उनसे उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है :

(उत्पादन हजार मी० टन)

	1985		1986		1987		1988		1989	
	उ०	सं०	उ०	सं०	उ०	सं०	उ०	सं०	उ०	सं०
(i) लौह अयस्क	6860	69	7805	75	8601	79	7465	81	7489	76
(ii) मेंगनीज अयस्क	412	43	446	51	498	57	484	64	485	64
(iii) क्रोमाइट	492	13	561	15	580	15	574	15	946	15
(iv) डोलोमाइट	926	10	989	11	967	9	1034	8	1089	10

(ख) 1.1.1985 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में इन खनिजों के निक्षेप नीचे दर्शाए गए हैं :

(i) डोलोमाइट　　5630 लाख मी० टन

(ii) लौह अयस्क　　26020 लाख मी० टन

(iii) मैंगनीज अयस्क　　336 लाख मी० टन

(iv) क्रोमाइट　　515 लाख मी० टन

(ग) लौह/मैंगनीज/क्रोमाइट/डोलोमाइट खानों में से कोई भी खान रिक्त होने की स्थिति में नहीं पहुंची है, तथा

(घ) तीन लौह अयस्क खानें तथा छः मैंगनीज अयस्क खानें कार्यानुमति से कार्य कर रही हैं।

दिल्ली दूरदर्शन से तेलगू कार्यक्रमों का प्रसारण

2591. **श्री बी० एन० रेड्डी :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली दूरदर्शन से तेलगू जानने वाले दर्शकों के लिए प्रसारित किए जाने वाले तेलगू कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या हैं और उनकी प्रसारण अवधि कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : दिनांक 1.1.90 से दिनांक 1.7.90 तक की अवधि से संबंधित अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1 जनवरी से 1 जुलाई, 1990 की अवधि के दौरान तेलुगु कार्यक्रमों का ब्योरा

क्रम संख्या	शीर्षक	प्रसारण की तारीख	प्रसारण का समय	अवधि	चैनल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	प्रादेशिक भाषा का कार्यक्रम वृंदावन भजन (तेलुगु)	5.2.90	1740	19" 35"	दिल्ली-1
2.	स्वाति मुंथ्यम-तेलुगु फीचर फिल्म	11.2.90	1330	135'	-तथैव-
3.	चित्रमाला-केवल एक गीत	12.2.90	2010	5'	-तथैव-
4.	चित्रमाला-केवल एक गीत	26.2.90	2010	4'	-तथैव-
5.	फीचर फिल्म-सुडीगुंडालू	25.3.90	1126	131'	-तथैव-
6.	चित्रमाला	26.3.90	2010	4'	-तथैव-
7.	प्रादेशिक भाषा का कार्यक्रम-तेलुगु	6.4.90	1740	19' 42"	-तथैव-
8.	प्रादेशिक भाषा का कार्यक्रम-तेलुगु	20.4.90	1740	19' 42"	-तथैव-
9.	प्रादेशिक भाषा का कार्यक्रम-तेलुगु	9.5.90	1740	20' 36"	-तथैव-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	दानवीर कर्ण-तेलुगु फीचर फिल्म	27.5.90	1030	195'	दिल्ली-1
11.	चित्रमाला तेलुगु गीत	28.5.90	2030	4'	-तथैव-
12.	प्रादेशिक भाषा का कार्यक्रम-तेलुगु	30.5.90	1740	16'	-तथैव-
13.	प्रादेशिक भाषा का कार्यक्रम-तेलुगु	5.6.90	1740	24' 20"	-तथैव-
14.	चित्रमाला	11.6.90	2010	3' 30"	-तथैव-
15.	चित्रमाला	25.6.90	2010	4'	-तथैव-
16.	लोकसंगीत तेलुगु	27.6.90	1348	12'	-तथैव-
17.	मां भूमि-तेलुगु फीचर फिल्म	1.7.90	1130	105'	-तथैव-
				724' 25"	
				12 घण्टे, 4 मिनट, 25 सैकेंड	

बैंकिंग कर्मचारियों को पेंशन सुविधाएं

2592. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्री नन्दलाल मीणा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग कर्मचारियों को पेंशन सुविधाएं देने संबंधी कोई अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का निर्णय क्या है; और

(ग) इस पेंशन योजना में अनुमानित रूप से अतिरिक्त वार्षिक व्यय कितना हो ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) बैंक कर्मचारी संघों ने बैंक कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में पेंशन की मांग की है। पता चला है कि भारतीय बैंक संघ ने अंशदायी भविष्य निधि के बदले पेंशन देने के प्रश्न पर बैंकों के कर्मकार कर्मचारी संघ के साथ विचार-विमर्श किया है लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हो सका है।

(ग) उपरोक्त को देखते हुए यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

राजस्थान में बैंक शाखाएं खोलना

2593. श्री कैलाश मेघवाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जिलावार कितनी बैंक शाखाएं खोलने की सिफारिश की गई, कितने मामलों में लाइसेंस जारी किये गए, वास्तव में कितनी शाखाएं खोली गई और खोली गई ऐसी वाणिज्यिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखाओं का पृथक्-पृथक् ब्यौरा क्या हैं; और

(ख) राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्रों की उस सूची का ब्यौरा क्या है जिसके आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखा लाइसेंस आवंटित किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। गत शाखा लाइसेंसिंग नीति (1985 से 1990 तक) की अवधि के लिए शाखा खोलने के वास्ते राजस्थान राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सिफारिश

की गई केन्द्रों की संख्या और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आबंटित किए गए केन्द्रों की संख्या नीचे दी गई है :

(i) राज्य सरकार की सिफारिश	502
(ii) आबंटित किए गए केन्द्रों की संख्या	352

गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में वास्तव में खोली गई शाखाओं की संख्या नीचे दी गई है :

(क) वाणिज्यिक बैंक	222
(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	109

फिल्मों का निर्माण

2594. **प्रो० रासा सिंह रावत** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और भाषा-वार कितनी फिल्मों का निर्माण किया गया और इन फिल्मों के मुख्य विषय/विषय-वस्तु क्या हैं; और

(ख) इस समय फिल्म सेंसर बोर्ड के विचाराधीन कितनी फिल्में हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास देश में बनाई गई फिल्मों के बारे में राज्य-वार और भाषा-वार अांकड़े नहीं हैं। तथापि, दो विवरण संलग्न हैं। विवरण संख्या-1 में 1987, 1988 और 1989 के दौरान बोर्ड द्वारा उसके 6 प्रादेशिक केन्द्रों में प्रमाणित भाषा-वार भारतीय फीचर फिल्मों (सेल्यूलायड) की संख्या दर्शायी गई है। विवरण संख्या-2 में बोर्ड द्वारा 1987 1988 और 1989 के दौरान प्रमाणित भारतीय फीचर फिल्मों का विषयपरक वर्गीकरण दर्शाया गया है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे यथाशीघ्र सभा पटल पर रखा जायेगा।

विवरण-1

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के 6 प्रादेशिक कार्यालयों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रमाणित भारतीय फीचर फिल्मों (सेल्युलाइड) की भाषावार संख्या

क्र० सं०	भाषा	बम्बई	कलकत्ता	मद्रास	बंगलौर	त्रिवेन्द्रम	हैदराबाद	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1987	**भारतीय फीचर फिल्में (सेल्युलाइड)**							
1.	तमिल	2	—	146	4	6	9	167
2.	तेलुगु	1	—	61	4	4	93	163
3.	हिन्दी	96	4	31	4	5	10	150
4.	मलयालम	—	—	13	5	85	—	103
5.	कन्नड़	—	—	—	87	1	—	88
6.	बंगला	—	35	—	—	—	—	35
7.	मराठी	27	—	—	—	—	—	27
8.	भोजपुरी	11	3	—	—	—	—	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	गुजराती	11	—	—	—	—	—	11
10.	उड़िया	—	9	—	—	—	—	9
11.	पंजाबी	8	—	—	—	—	—	8
12.	असमिया	—	8	—	—	—	—	8
13.	हरियाणवी	6	—	—	—	—	—	6
14.	नेपाली	1	5	—	—	—	—	6
15.	राजस्थानी	4	—	—	—	—	—	4
16.	गढ़वाली	3	—	—	—	—	—	3
17.	कुमाऊंनी	1	—	—	—	—	—	1
18.	ब्रजभाषा	1	—	—	—	—	—	1
19.	तुलु	—	—	—	1	—	—	1
20.	अंग्रेजी	—	—	—	—	1	—	1
कुल		172	64	251	105	102	112	806

क्र० सं०	भाषा	बम्बई	कलकत्ता	मद्रास	बंगलौर	त्रिवेन्द्रम	हैदराबाद	कुल
1988	भारतीय फीचर फिल्में (सेल्युलाइड)							
1.	हिन्दी	132	4	25	2	4	15	182
2.	तेलुगु	1	—	63	5	7	86	162
3.	तमिल	1	—	122	9	2	18	152
4.	मलयालम	—	—	10	3	69	1	83
5.	कन्नड़	—	—	—	67	—	—	67
6.	बंगला	—	37	—	—	—	—	37
7.	मराठी	22	—	—	1	—	—	23
8.	उड़िया	—	16	—	—	—	—	16
9.	भोजपुरी	4	4	—	—	—	—	8
10.	असमिया	—	7	—	—	—	—	7
11.	राजस्थानी	7	—	—	—	—	—	7
12.	गुजराती	6	—	—	—	—	—	6
13.	पंजाबी	6	—	—	—	—	—	6
14.	अंग्रेजी	2	1	—	—	2	—	5
15.	हरियाणवी	5	—	—	—	—	—	5
16.	उर्दू	3	—	—	—	—	—	3
17;	नेपाली	1	1	—	—	—	—	2
18.	मणिपुरी	—	1	—	—	—	—	1
19.	तुलु	—	—	—	1	—	—	1
	कुल	190	71	220	88	84	120	773

क्र० सं०	भाषा	बम्बई	कलकत्ता	मद्रास	बंगलौर	त्रिवेन्द्रम	हैदराबाद	कुल
1989	भारतीय फीचर फिल्में (सेल्युलाइड)							
1.	हिन्दी	124	4	21	3	14	10	176
2.	तेलुगु	—	—	63	8	8	73	152
3.	तमिल	1	—	125	2	3	17	148
4.	मलयालम	—	—	31	1	63	1	96
5.	कन्नड़	3	—	2	70	—	—	75
6.	बंगला	1	49	—	—	—	—	50
7.	मराठी	30	—	—	—	—	—	30
8.	उड़िया	—	13	—	—	—	—	13
9.	भोजपुरी	3	7	—	—	—	—	10
10.	गुजराती	9	—	—	—	—	—	9
11.	राजस्थानी	7	—	—	—	—	—	7
12,	असमिया	—	4	—	—	—	—	4
13.	पंजाबी	2	—	—	—	—	—	2
14.	अंग्रेजी	1	—	1	—	1	—	3
15.	हरियाणवी	3	—	—	—	—	—	3
16.	सम्बलपुरी	—	1	—	—	—	—	1
17.	कारबी	—	1	—	—	—	—	1
18.	तुलु	—	—	—	1	—	—	1
	कुल	184	79	243	85	89	101	781

विवरण-5

वर्ष, 1987, 1988 और 1989 के दौरान प्रमाणित भारतीय फीचर फिल्मों (सेल्युलायड) के विषयपरक वर्गीकरण

क्र० सं०	वर्गीकरण	बम्बई	कलकत्ता	मद्रास	बंगलौर	त्रिवेन्द्रम	हैदराबाद	कुल
1987								
1.	सामाजिक	103	63	179	65	61	90	563
2.	आपराधिक	33	—	47	36	22	10	148
3.	ऐतिहासिक	4	—	—	—	1	1	6
4.	भक्ति	7	—	9	—	1	1	18
5.	डरावनी	3	—	1	1	3	2	10
6.	पौराणिक	2	1	3	3	—	1	7
7.	फंतासी	3	—	6	—	6	1	16
8.	बाल फीचर	2	—	—	6	—	—	2
9.	बाल फीचर फंतासी	1	—	—	—	—	—	1
10.	जीवनी संबंधी	—	—	2	2	—	—	3
11.	स्टंट	—	—	2	—	1	5	8
12.	दंतकथा संबंधी	—	—	—	1	—	—	1
13.	[illegible]	1	—	—	—	—	—	1
14.	अन्य	13	—	2	1	5	1	22
	कुल	172	64	251	105	102	112	806

क्र० सं०	वर्गीकरण	बम्बई	कलकत्ता	मद्रास	बंगलौर	त्रिवेंन्द्रम	हैदराबाद	कुल
1		3	4	5	6	7	8	9
1988								
1.	सामाजिक	131	64	152	51	50	88	536
2.	अपराध	24	—	45	24	23	16	132
3.	पौराणिक	4	1	—	—	1	1	7
4.	फंतासी/अपराध	1	—	—	—	—	—	1
5.	डरावनी	5	2	4	3	1	2	17
6.	दंतकथा	4	1	1	1	—	—	7
7.	बाल फीचर/प्रधान रूप से शिक्षाप्रद	1	—	—	—	—	—	1
8.	बाल फीचर	1	—	1	—	—	—	2
9.	भक्ति	3	—	10	1	—	—	14
10.	सामाजिक/अंग्रेजी	1	—	—	—	—	—	1
11.	ऐतिहासिक	2	—	—	—	2	—	4
12.	साहसिक कार्य	2	—	—	—	—	—	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	भक्ति/फंतासी	1	—	—	—	—	—	1
14.	अपराध/साहसिक कार्य	1	—	—	—	—	—	1
15.	फंतासी	2	3	7	1	7	1	21
16.	एक्शन	1	—	—	—	—	—	1
17.	दार्शनिक	1	—	—	—	—	—	1
18.	भक्ति/दंतकथा संबंधी	1	—	—	—	—	—	1
19.	एक्शन/रोमांचक	1	—	—	—	—	—	1
20.	कामेडी	1	—	—	—	—	—	1
21.	डरावनी/फंतासी	1	—	—	—	—	—	1
22.	जीवनी पर आधारित	—	—	—	2	—	—	2
23.	स्टंट	—	—	—	—	—	8	8
24.	अन्य	1	—	—	5	—	4	10
	कुल	190	71	220	88	84	120	773

क्र० सं०	वर्गीकरण	वम्बई	कलकत्ता	मद्रास	बंगलौर	त्रिवेन्द्रम	हैदराबाद	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1989								
1.	सामाजिक	117	76	197	58	58	54	560
2	अपराध	29	—	27	20	23	28	127
3.	पौराणिक	6	—	1	1	1	1	10
4.	मामाजिक/अपराधिक	1	—	—	—	—	—	1
5.	भयावह	5	—	4	—	—	6	15
6.	दंतकथा	—	—	—	1	1	—	2
7.	बाल फीचर	5	—	—	—	—	—	5
8.	भक्ति	—	1	7	1	—	—	9
9.	सामाजिक/कामेडी	1	—	—	—	—	—	1
10.	ऐतिहासिक	—	—	—	—	2	—	2
11.	अपराध/सुपर नेचुरल	1	—	—	3	—	—	1
12.	फंतासी	3	1	3	3	2	—	12
13.	एक्शन	1	—	—	—	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	राजनीतिक	—	—	—	—	—	2	2
15.	एक्शन/साहसिक कार्य	1	—	—	—	—	—	1
16	कामेडी	7	—	1	—	—	1	9
17.	जीवनी संबंधी	3	1	—	—	—	—	4
18.	स्टंट	—	—	1	—	2	2	5
19.	सामाजिक/दंतकथा संबंधी	1	—	—	—	—	—	1
20.	सामाजिक/फंतासी	1	—	—	—	—	—	1
21.	प्रेम	—	—	—	—	—	1	1
22.	रोमांचक	1	—	—	—	—	—	1
23.	अन्य	1	—	2	1	—	6	10
	कुल	184	79	243	85	89	101	781

निर्यात हेतु "ड्यूटी ड्रा बैंक" सूची

2595. **श्री मनोरंजन भक्त :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात हेतु नई "ड्यूटी ड्रा बैंक" सूची के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है;

(ख) क्या विभिन्न प्रकार के उत्पादों की दरों में वृद्धि की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां । निर्यातों के लिए नई शुल्क प्रतिअदायगी अनुसूची 20.6.90 से लागू है ।

(ख) और (ग) विविध उद्योगों को समाविष्ट करते हुए कुल मिला कर 126 मदों की दरों में वृद्धि की गई है । इंजीनियरिंग क्षेत्र में, इनमें ये मदें शामिल हैं—चमकीली छड़ें और शाफ्टिंग्स, तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन, निर्माताओं द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला लोहे का सामान तथा पीतल की अन्य वस्तुएं, "हाई स्पीड स्टील" से निर्मित औजार, कृषि सम्बन्धी उपकरण, टैक्सटाइल मशीनरी की कई मदें, विद्युत चालित अपकेन्द्री पम्प, यात्री कारें, स्टेटर और रोटर, प्रैशर कुकर, डीप वैल हैंड पम्प, डाइ कास्ट रोटर्स, एल्युमीनियम पिस्टन/पिस्टन एसेम्बली आदि । इलैक्ट्रानिक उद्योग के मामले में इसके अंतर्गत रिमोट कन्ट्रोल सहित 20" के टेलीविजन, 20" के ब्लैक एण्ड व्हाइट टेलिविजन सेट, 20" और 14" की ब्लैक एण्ड व्हाईट टेलीविजन पिक्चर ट्यूब, जी० एल० एस० लैम्प आदि आते हैं । यह वृद्धि रसायनों, रोगन और रंगद्रव्य की कतिपय श्रेणियों, विभिन्न प्लास्टिक उत्पादों, टैक्सटाइल और टैक्सटाइल उत्पादों (उदाहरणार्थ कढ़ाई किए हुए सूती वस्त्र, सूती थैले, 1000/- रुपये प्रति वर्ग-फुट से अधिक मूल्य के कालीन आदि) और नानाविधि उत्पादों में भी दिखाई देती है, उदाहरणार्थ, चटनी तथा मसालेदार पेस्ट तथा शीशे की बोतलों में बंद अचार, एस्बेस्टास सीमेंन्ट उत्पाद, बाईसिकिल/साईकिल-रिक्शे की ट्यूब, साज-सामान, आडियो कैसेट, मैटेलिक जिप फास्टनर, फाउन्टेन पेन, बाल प्वाइंट पेनों के लिए जॉटर रिफिल आदि ।

न्यायाधीशों का स्थानांतरण

2596. **श्री जनार्दन पुजारी :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों के दौरान उच्च न्यायालय के स्थानांतरित किए गए मुख्य न्यायाधीशों के नाम क्या-क्या हैं ;

(ख) क्या स्थानांतरण से पूर्व न्यायाधीशों से परामर्श किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या नीति अपनाई गई है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) पिछले तीन मासों के दौरान, दो अवर न्यायाधीशों, अर्थात् न्यायमूर्ति श्री पी० एस० मिश्र को पटना उच्च न्यायालय से मद्रास उच्च न्यायालय में और न्यायमूर्ति श्री एस० के० देसाई को मुम्बई उच्च न्यायालय से केरल उच्च न्यायालय में, स्थानांतरित किया गया ।

(ख) प्रधानुसार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने स्थानांतरण के प्रस्ताव के बारे में दोनों न्यायाधीशों को सूचित किया, उस पर उनकी प्रतिक्रिया पर विचार किया और तब लोकहित में उनके स्थानांतरण के लिए अपनी सिफारिश, भारत सरकार को भेजी।

(ग) नीति के रूप में भारत सरकार न्यायाधीशों का स्थानांतरण, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर ही करेगी।

नई आयात-निर्यात नीति के संबंध में उत्तर प्रदेश से अभ्यावेदन

[हिन्दी]

2597. **श्री एम० एस० पाल :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई आयात-निर्यात नीति के विरुद्ध उत्तर प्रदेश से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) इस अभ्यावेदन में क्या मामले उठाये गये हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) जी, हां। नई आयात-निर्यात नीति के प्रावधानों के खिलाफ उत्तर प्रदेश से प्राप्त सुझाव सामान्यतः शुल्क मुक्त आयात प्रतिपूर्ति योजना की वापसी, एक्सपोर्ट हाउस स्टेटस ब्लैंकेट एडवांस लाइसेंस की मंजूरी के लिए अवसीमा को घटाना आर० ई० पी० अतिरिक्त लाइसेंसों के बदले में स्वदेशी उत्पादकों द्वारा कच्चे माल और मशीनरी की मदों की आपूर्ति को डीम्ड एक्सपोर्ट स्टेटस की मंजूरी, आयात-निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाना आदि, आदि से सम्बन्धित है।

(ग) आयात-निर्यात नीति/कार्य-विधियों की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और विभिन्न हिस्सों से प्राप्त अभ्यावेदनों की तकनीकी प्राधिकारियों के परामर्श से जांच की जाती है और सभी संगत तथ्यों पर विचार करके और अर्थव्यवस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

आयकर आयुक्तों की पदोन्नति

[अनुवाद]

2598. **श्री शीबू सोरेन :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर उपायुक्त सम्बन्धी विभागीय पदोन्नति समिति ने अप्रैल, 1988 में आयुक्त पद पर पदोन्नति के लिए 79 उपायुक्तों की एक सूची तैयार की थी;

(ख) यदि हां, तो सूची तैयार करने के बाद क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) इस सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने उपायुक्तों के नाम शामिल किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा संस्तुत किए गए 79 अधिकारियों में से सरकार ने 78 अधिकारियों को पदोन्नति हेतु अनुमोदित किया, जिनमें से 5 अधिकारी अनुसूचित जाति के हैं

एवं एक अधिकारी अनुसूचित जनजाति का है । इसके अतिरिक्त, सरकार ने ऐसे दो और अधिकारियों की पदोन्नति को अनुमोदित किया है, जिनकी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा संस्तुति नहीं की गई थी । इस प्रकार, सरकार द्वारा अनुमोदित की गई 80 अधिकारियों की सूची में से उन छः मामलों को छोड़कर, जिनमें सतर्कता-मंजूरी रोक दी गई है, सभी मामलों में पदोन्नति सम्बन्धी आदेश जारी कर दिए गए हैं।

प्रसंस्कृत खाद्य-पदार्थों के निर्यात की नीति

2599. **श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा एन्ड दिल्ली चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ने प्रसंस्कृत खाद्य-पदार्थों के निर्यात एवं कृषि वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने और वास्तविक उपभोक्ता तक इसे पहुंचाने के लिए एक स्पष्ट नीति बनाने की मांग की है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (घ) यह बात सरकार के ध्यान में लाई है कि किए गए अध्ययन के आधार पर पी० एज० डी० चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने संसाधित खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए रणनीति हेतु कुछ सिफारिशें दी हैं । इनमें अन्य बातों के साथ-साथ एक स्थायी नीति ढांचा, ध्यान केन्द्रित करने के लिए थ्रस्ट क्षेत्रों का पता लगाना, प्रौद्योगिकी का उदारीकृत आयात, बाजार सम्पर्क आदि शामिल हैं । यह अध्ययन एवं सिफारिशें देश के उत्तरी भागों के विशेष संदर्भ में है। इन तथा इसी प्रकार की सिफारिशों पर सरकार द्वारा संसाधित खाद्य-पदार्थों के निर्यात बढ़ाने के लिए नीति सम्बन्धी पहल करते समय विचार किया गया है।

अनिवासी भारतीयों की जमा राशि

2600. **श्री अशोक आनन्द राव देशमुख :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर अनिवासी भारतीयों के जमा खाते की राशि क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर अनिवासी भारतीयों के जमा खातों की राशि का विवरण निम्नानुसार है :

	संचयी अनिवासी जमा
31.3.86	5650
31.3.87	7847
31.3.88	10054
31.3.89	14154
31.3.90	17809

सोने की नई खानों की खोज

2601. **श्री बबन राव ढाकणे :**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सोने की कितनी नई खानों का पता लगाया गया है ;

(ख) ये सोने की खानें कहां-कहां स्थित हैं ;

(ग) इन खानों में सोने का लगभग कितना भंडार है ; और

(घ) सोने की नई खानों का पता लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) सांतवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वर्ण गवेषण परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :

परियोजना/खंड	जिला व राज्य	आकलित भंडार (मिलियन टन)	ग्रेड (ग्राम/टन)
1. चिगारगुंटा खान	चित्तूर, आंध्र प्रदेश	1.352	2.52
2. रामगिरी (येरप्पागंटालप्पा)	अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	0.036	2.5
3. ओल्ड बिसनाथम	चित्तूर, आंध्र प्रदेश	0.135	5.10
4. होसुर चेम्पियन पूर्व	धारवाड़, कर्नाटक	0.438	2.84
5. बुद्धिनी	रायचूर, कर्नाटक	0.210	2.16
6. मैसूर खान खंड	धारवाड़, कर्नाटक	0.090	2.72
7. चेम्पियन पश्चिम लोड	धारवाड़, कर्नाटक	1.92	2.3
8. केम्पिनकोट	हासन, कर्नाटक	0.515	2.96
9. कुन्दरकोचा	सिंहभूम, बिहार	0.008	13.11

(घ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और खनिज गवेषण निगम, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के साथ सक्रिय रूप से नयी स्वर्ण खानों के गवेषण में लगे हुए हैं। चिगारगुंटा खान 250 टन दैनिक स्वर्ण अयस्क के उत्पादन के लिए विकसित की जा रही है। शेष निक्षेपों के विदोहन का निर्णय उनकी प्रौद्योआर्थिक उपादेयता पर निर्भर करेगा।

स्पंज लौह का उत्पादन

2602. **श्री बलवंत मणवर :**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार, स्पंज लौह निर्माता एककों की विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) अगले तीन वर्षों के दौरान स्पंज लौह की अनुमानित मांग कितनी होगी;

(ग) क्या स्पंज लौह के उत्पादन के लिए कोई नए उत्पादन एकक स्थापित किए जा रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या लौह अयस्क के बड़े निर्यातक, गोआ में नए स्पंज लौह एककों की स्थापना का विरोध कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) स्पंज लौह के उत्पादन के बारे में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) इस समय स्पंज लोहा बनाने की स्थापित क्षमता 14 लाख मी० टन है। इसका राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

राज्य	स्थापित क्षमता (लाख टन)
आन्ध्र प्रदेश	0.6
बिहार	1.2
गुजरात	8.0
महाराष्ट्र	1.5
उड़ीसा	2.7

(ख) स्पंज लोहा इस्पात गलन स्क्रैप का एक आंशिक अनुकल्प है। अनुमान है कि आगामी 3 वर्षों के दौरान स्क्रैप की कुल मांग 90 लाख मी० टन से 110 लाख मी० टन के बीच होगी। इस समय लगभग 30% की सीमा तक स्पंज लोहा, गलन स्क्रैप के बदले में इस्तेमाल किया जा सकता है।

(ग) और (घ) स्पंज लोहे की निम्नलिखित नई उत्पादन इकाइयां स्थापित की जा रही हैं :

कम्पनी	इकाई का स्थान	संयंत्र-क्षमता (प्रतिवर्ष लाख मी० टन)
(i) गोल्डस्टार स्टील एण्ड एलाय लि०	आन्ध्र प्रदेश में विजियानगरम के नजदीक	2.2
(ii) जिन्दल स्ट्रीप्स	रायगढ़ म० प्र०	3.0
(iii) ग्रामीण इन्डस्ट्रीज लि०	रायगढ़, महाराष्ट्र	6.0
	कुल :	11.2

(ङ) और (च) सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(छ) देश में स्पंज लोहे के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने स्पंज लोहे के विनिर्माण को लाइसेंस-मुक्त कर दिया है।

हिमाचल प्रदेश में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मण्डलीय कार्यालय खोलना

[हिन्दी]

2603. **श्री प्रेम कुमार धूमल :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का हिमाचल प्रदेश में अपना मण्डलीय कार्यालय खोलने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हमीरपुर जिले में इस कार्यालय को खोलने की मांग की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

अफ्रीका परियोजना विकास

[अनुवाद]

2604. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यात-आयात बैंक ने अफ्रीका परियोजना विकास में भाग लेने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के साथ कोई सहयोग स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्यात-आयात बैंक में कितनी धन-राशि निर्धारित की है ;

(ग) वर्ष 1989-90 में अफ्रीका परियोजना विकास में निर्यात आयात बैंक द्वारा वित्त पोषित विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उस वर्ष इन कार्यक्रमों पर कितनी धन-राशि खर्च की गई ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय निर्यात आयात बैंक ने सूचित किया है कि अफ्रीका परियोजना विकास निधि में भाग लेने के लिए उसने विश्व बैंक समूह के अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के साथ सहयोग किया है । भारतीय निर्यात आयात बैंक ने 50 लाख रुपए की धनराशि निर्धारित की है । इसका व्यय भारतीय रुपए में होगा ।

(ग) और (ग) भारतीय निर्यात आयात बैंक ने सूचित किया है कि 1989-90 के दौरान किसी कार्यक्रम को कवर नहीं किया जा सका क्योंकि यह दिसम्बर 1989 में ही शुरू हुआ । तदनुसार उस वर्ष कोई राशि खर्च नहीं की गई ।

उत्पादनकारी निवेश में पूंजी लगाना

2605. **श्री शांताराम पोटदुखे :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर-उत्पादनकारी धन को इकट्ठा करने को निरुत्साहित करने के लिए कदम उटाने की संभावनाओं का पता लगा रही है और पूंजी बाजार सहित सभी चैनलों के माध्यम से बचत को उत्पादनकारी निवेश में लगाने को प्रोत्साहन दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित उपायों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उपर्युक्त उपायों के फलस्वरूप उत्पादनकारी निवेश में कुल कितना धन लगाया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) सरकार निवेश के उत्पादनकारी स्वरूपों के महत्व से परिचित है । इस महत्त्व को ध्यान में रखते हुए उत्पादनकारी तथा समाज के लिए वांछनीय माध्यमों में बचतों के प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए समय-समय पर नीति संबंधी घोषणा की जाती है ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बहादुर सैनिकों पर फिल्में

2606. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन द्वारा गत एक वर्ष के दौरान अपने राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम में कितनी फिल्में दिखाई गई ;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान दिल्ली दूरदर्शन पर राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों के उन बहादुर सैनिकों और भूतपूर्व शासकों से संबंधित फीचर फिल्में दिखाई गई जिन्होंने मातृभूमि के लिए महान योगदान दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र द्वारा पिछले एक वर्ष अर्थात् अगस्त, 1989 से जुलाई, 1990 के दौरान राष्ट्रीय नेटवर्क पर 146 फिल्में दिखायी गयीं ।

(ख) और (ग) चालू वर्ष के दौरान दिल्ली और इससे जुड़े हुए ट्रांसमीटरों पर ऐसी तीन फिल्में दिखाई गयीं । इन फिल्मों के नाम हैं :—

1. लाड्डो बसन्ती (हरियाणवी)
2. शेर शिवाजी (हिन्दी)
3. जय बाबा राम देव (हिन्दी)

होम्योपैथी दवाइयों का आयात

2607. **श्री उत्तम राठौड़** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाईल्यूशंस मदर टिंक्चर, बायो केमिष्ट दवाईयों जैसी होम्योपैथी की दवाईयों का बड़ी मात्रा में आयात किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इन दवाईयों के आयात की अनुमति देने का क्या औचित्य है जबकि उन्हें देश में ही कम कीमतों पर बनाया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्री धरन) : (क) और (ख) मानक और क्वालिटी की देशी दवाओं को सरलता से उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए होम्योपैथिक दवाईयां परिष्कृत रूप में अथवा होम्योपैथिक औषधियां (एकल) मूल रूप में और/या किसी भी क्षमता (पोटेंसी) के आयात की अनुमति वास्तविक उपयोग/स्टाक और बिक्री के लिए सभी व्यक्तियों को दी जाती है। इससे स्वदेशी रूप से निर्मित होम्योपैथिक दवाओं को बढ़ावा मिलेगा।

मध्य प्रदेश में "नेशनल इंस्टाच्यूट ऑफ सेकेण्डरी स्टील टैकनोलाजी की स्थापना

2608. **श्री माधवराव सिंधिया** :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में एक "नेशनल इंस्टीच्यूट आफ सैकेण्डरी स्टील टैकनोलाजी" की स्थापना करने का विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह संस्थान किस जगह स्थापित किया जाएगा ;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में यदि कोई निर्णय किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (घ) संस्थान के स्थान-स्थिति के बारे में अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है।

जम्मू में पर्यटन का विकास

2609. **प्रो० राम गणेश कापसे** :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार जम्मू डिवीजन के पर्यटन के अधिक संभावनाओं वाले अनेक स्थानों के पर्यटक मानचित्र पर लाने का है ;

(ख) यदि हां, तो पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने वाले स्थानों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इन पर्यटन स्थलों के कब तक विकसित हो जाने की संभावना है तथा इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित मानचित्र में जम्मू के महत्त्वपूर्ण पर्यटक स्थलों यथा वैष्णो देवी, तत्ता पानी और कुड को दिखाया गया है।

(ख) और (ग) पर्यटन का विकास एवं संवर्धन करना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन विभाग राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों पर धन की उपलब्धता, प्रस्तावों

के गुण-दोष तथा उनकी पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए राज्य सरकारों के परामर्श से केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है ।

सूरतगढ़, राजस्थान में उच्च शक्ति वाला आकाशवाणी केन्द्र

[हिन्दी]

2610. **श्री शोपत सिंह मक्कासर :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरतगढ़, राजस्थान में एक उच्च शक्ति वाला आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र से प्रसारण कब तक शुरू होने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) आकाशवाणी सूरतगढ़ के वर्तमान 20 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर की शक्ति को बढ़ा कर 300 कि० वा० मी० वे० करने का कार्यक्रम है । वहां पर 300 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर की संस्थापना कार्य पूरा हो चुका है और वर्तमान में, प्रसारण-टैस्ट किए जा रहे हैं । अक्तूबर 1990 के अंत तक नियमित प्रसारण शुरू करने का कार्यक्रम हैं ।

केरल के नदी-सैरगाहों का विकास

[अनुवाद]

2611. **श्री पी० ए० एन्टनी :**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अथईपल्ली और वजस्वल में नदी-सैरगाहों के लिए वित्तीय सहायता तथा विशेष अनुभव प्राप्त करने के लिए इन परियोजनाओं के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

किसानों के ऋण माफ करने के प्रस्ताव का ऋण की वसूली पर प्रभाव

2612. **श्री ए० के० राय :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों द्वारा लिये गये ऋण को माफ करने के सरकार के निर्णय से राष्ट्रीयकृत बैंकों, विशेष रूप से उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जो ऋण माफी निर्णय का लाभ पाने के इच्छुक सभी ऋण प्राप्तकर्ताओं द्वारा ऋण की किस्तों की अदायगी न किये जाने की गम्भीर स्थिति का सामना कर रहे हैं, के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) इस गम्भीर स्थिति से उबरने तथा इन बैंकों के सामान्य कामकाज की सुनिश्चितता बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार की गई कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत उधारकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली राहत का बोझ सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में पूरी तरह भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने ऋण राहत योजना के संबंध में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पहले ही विस्तृत मार्गनिर्देश जारी कर दिए हैं और उनसे उन उधारकर्ताओं की सूची तैयार करने के लिए कहा है जो इस योजना के अंतर्गत राहत के पात्र होंगे। इससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उन उधारकर्ताओं के खिलाफ वसूली के प्रयास तेज कर सकेंगे जो इस योजना के अंतर्गत नहीं आते। नकदी संबंधी समस्याओं को दूर करने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को समर्थ बनाने के वास्ते राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने ऋण सीमाओं की मंजूरी एवं परिचालन के संबंध में कई रियायतें प्रदान की हैं तथा कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना के अंतर्गत अग्रिम भुगतानों की मंजूरी भी प्रदान की है। आशा की जाती है कि योजना के एक बार पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाने पर बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की नकदी संबंधी स्थिति में सुधार होगा और किसान नए अग्रिम के लिए पात्र होंगे।

त्रिवेन्द्रम में केनरा बैंक की शाखाएँ

2613. **श्री ए० चार्ल्स** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम में केनरा बैंक की कितनी शाखाएं हैं ;

(ख) त्रिवेन्द्रम में पिछले तीन वर्षों के दौरान केनरा बैंक द्वारा वित्त पोषित लघु औद्योगिक इकाईयों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, ऐसी छोटी औद्योगिक इकाईयों की कुल संख्या कितनी रही जिन्होंने अतिरिक्त वित्त अथवा रूग्ण इकाईयों को सक्षम बनाने हेतु प्रदत्त की जाने वाली सुविधाओं की मांग की है, तथा ऐसे मामलों की कुल संख्या कितनी है जिनमें पुनरुज्जीवन हेतु प्रदत्त की जाने वाली सुविधाएं दी गई हैं ; और

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान जिन इकाईयों ने लघु उद्योग सेवा संस्थान (एस० आई० एस० आई०), त्रिचुर के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया, उनका विवरण दीजिये तथा अस्वीकार करने के कारण कौन से हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) त्रिवेन्द्रम जिले में केनरा बैंक की 14 शाखाएं कार्य कर रही हैं।

(ख) पहली जनवरी, 1987 से 31 मार्च, 1990 की अवधि के दौरान केनरा बैंक ने त्रिवेन्द्रम में 434 लघु औद्योगिक एककों का वित्तपोषण किया है।

(ग) पहली जुलाई, 1987 से 30 जून, 1990 की गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान 196 रुग्ण लघु औद्योगिक एककों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(घ) एक मामले में, अर्थात् मैसर्स सोलर पेंट एंड कैमिकल्स, त्रिवेन्द्रम के मामले में, बैंक ने लघु उद्योग सेवा संस्थान, त्रिचूर के प्रस्ताव को नामंजूर किया था। नामंजूर करने के कारणों में अन्यों के साथ-साथ प्रवर्तक की प्रबंधकीय सक्षमता पर लघु उद्योग सेवा संस्थान की रिपोर्ट में विपरीत टिप्पणियां और एकक के परिचालन से हुए बहुत घाटे का कारण शामिल था।

गढ़वाल में टी० वी० टॉवर की स्थापना

2614. **श्री सी० एम० नेगी :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गढ़वाल के जन प्रतिनिधियों से वहां एक टी० वी० टॉवर की स्थापना के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार का प्रत्युत्तर क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, हां। इस आशय के अनुरोध समय-समय पर प्राप्त हुए हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश के पौढ़ी गढ़वाल जिले में पौढ़ी में एक अल्प शक्ति (100 कि० वा०) दूरदर्शन ट्रांसमीटर और श्रीनगर में एक दूरदर्शन ट्रांसपोजर पहले से ही कार्यरत हैं तथापि मसूरी के उच्च शक्ति (100 कि० वा०) दूरदर्शन ट्रांसमीटर से भी जिले के भागों में दूरदर्शन सेवा सुलभ होती है। देश के कवर न हुए भागों विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में शीघ्रातिशीघ्र दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने का सरकार का प्रयास है लेकिन यह कार्य इस प्रयोजन के लिए धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए चरणों में किया जा सकता है।

उत्पाद शुल्क की बकाया राशि

[हिन्दी]

2615. **श्री काशीराम राणा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार उत्पाद शुल्क की कितनी राशि बकाया थी ;

(ख) यह राशि कितने मामलों से सम्बद्ध है ;

(ग) इस राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) उन पार्टियों का ब्यौरा क्या है जिनके मामले में यह बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) लगभग 1014.32 करोड़ रुपए।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) बकाया राशियों की वसूली करने के लिए कानूनी, प्रशासनिक तथा अन्य उपाय, जो आवश्यक समझे जाते हैं, किए गए हैं तथा किए जाते रहेंगे। न्यायालयों से महत्वपूर्ण मामलों की शीघ्र सुनवाई करने तथा एक ही प्रकार के मामलों को इकट्ठा करने के लिए कहा गया है तथा महत्वपूर्ण मामलों में विशेष वकील नियुक्त किए जाते हैं। हाल ही में केवल न्यायालय संबंधी मामलों, कानूनी मसलों तथा न्यायनिर्णयन के बारे में कारंवाई करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 18 बड़े समाहर्तालयों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता के ग्रेड के अधिकारियों को तैनात किया गया है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया में चपरासी के रूप में सफाई कर्मचारियों आदि की नियुक्ति

[अनुवाद]

2616. **डा० पी० वल्लल पेरुमान :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया ने सफाई कर्मचारियों, हमाल, फराश आदि की चपरासी के पद पर नियुक्ति हेतु, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तत्संबंधी अनुदेशों के अनुरूप, कभी कोई परीक्षा आयोजित की है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) बैंक में क्षेत्र-वार सफाई कर्मचारियों आदि की चपरासी के रूप में नियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले कितने पद खाली हैं ; और

(ग) क्या बैंक का इस संबंध में इन बकाया खाली पदों को भरने का विचार है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि उसने कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी पुस्तिका के पैरा 6.12 में दी गयी हिदायतों का अनुपालन करने के लिए अपने सभी अंचल/क्षेत्रीय कार्यालयों को चपरासियों के रूप में सफाई कर्मचारियों/फराशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उपयुक्त हिदायतें जारी की हैं। बैंक को उम्मीद है कि इस संबंध में पिछली बकाया को पूरा कर दिया जायेगा।

बाइबल का दूरदर्शन पर प्रसारण

2617. **प्रो० सावित्री लक्ष्मण :**

प्रो० के० वी० थामस :

श्री मुलाई के० एम० मैथ्यू :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाइबल संबंधी एक धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए तैयार है ;

(ख) यदि हां, तो प्रसारण के लिए इसकी कितनी कड़ियां तैयार हो गई हैं ;

(ग) यह धारावाहिक दूरदर्शन पर कब से दिखाया जाएगा ; और

(घ) इसके प्रसारण में देरी के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) जी नहीं। कार्यक्रम की आरंभिक कड़ी "पायलट" के अलावा निर्माता ने दूरदर्शन को प्रस्तावित धारावाहिक की कोई कड़ी उपलब्ध नहीं करायी है।

(ग) और (घ) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, दूरदर्शन धारावाहिकों के लिए समय (स्लाटिंग) का निर्धारण निर्माता द्वारा दूरदर्शन को अपेक्षित संख्या में कड़ियां उपलब्ध कराने पर और प्रसारण के प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा उन कड़ियों को उपयुक्त पाए जाने पर ही किया जाता है।

दीनार के मूल्य में गिरावट के कारण कुवैत में भारतीय कामगारों को हानि

2618. **श्री एस० कृष्ण कुमार :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत के दीनार का मूल्य गिरकर मात्र 5.50 रुपए रह गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप कुवैत में कार्यरत भारतीय कामगारों को भारी नुकसान हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कुल कितनी हानि होने का अनुमान है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) मध्य पूर्व में अनिश्चित स्थिति के बाद यह बताया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, कुवैती दीनार सहित खाड़ी की करेंसियां स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यद्यपि अनाधिकारिक तौर पर विभिन्नभिन्न दरें बताई गई हैं। फिर भी कुवैती दीनार के लिए, विनिमय बाजार के अभाव में और इसके लिए बोलियों के अभाव में रुपए की दृष्टि से दीनार के वर्तमान मूल्य के सम्बन्ध में सरकारी आंकड़े इस समय नहीं हैं।

(ग) और (घ) हालांकि यह सच है कि कुवैत में भारतीय श्रमिकों को विदेशों में कुवैती दीनार को भुना न पाने के कारण हानि हुई है, किन्तु हानि की मात्रा का अनुमान लगाना संभव नहीं है। खाड़ी के देशों से वापिस लौटने वाले अनिवासी भारतीयों द्वारा खाड़ी की करेंसियों, जैसे कि कुवैती दीनार, बहरीन दीनार, ओमानी रियाल, सऊदी रियाल और संयुक्त अरब अमीरात दिरहम के करेंसी नोटों को भुनाने में आने वाली समस्याओं को कम करने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर प्राधिकृत डीलरों के विनिमय काउंटरों को इन करेंसियों को प्रति पारपत्र 5000/- रुपए तक के बराबर की रूपान्तरण सुविधा की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है।

गुजरात में पर्यटन विकास के लिए सहायता

2619. **श्री जयन्ती लाल वीरचन्द भाई शाह :**

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में पर्यटन विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सरकार को गत दो वर्षों के दौरान कोई प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन प्रस्तावों पर विचार किया है और धनराशि मंजूर की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) और (ख) 1989-90 के दौरान पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं :—

1. सापुतारा पहाड़ी पर "ए" टाइप की 5 कुटीरों तथा "बी" टाइप की 5 कुटीरों का निर्माण।

2. राजकोट और वापी में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं।

वर्ष 1990-91 के लिए गुजरात राज्य सरकार के परामर्श से प्राथमिकता प्राप्त स्कीमों की सूचना निम्नानुसार है :—

(क) पलिटाना में यात्री निवास।

(ख) सोमनाथ, उकाई झील और उभारत में पर्यटक परिसर।

(ग) हर्सेहाद में आठ कमरों के निर्माण सहित आनन्द, अंबाजी में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं।

(घ) जलक्रीड़ा उपकरण।

(ङ) प्रचार सहित मेलों एवं त्यौहारों के लिए टेंट-आवास।

(च) पतंग उत्सव आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता।

(छ) नवरात्र त्यौहार हेतु प्रचार एवं पुरस्कार।

(ग) और (घ) पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि निम्नानुसार है :—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
		(लाख रुपयों में)	
1.	सापुतारा पहाड़ी पर 5 'ए' टाइप और 5 "बी" टाइप कुटीरों का निर्माण	15.96	5.00
2.	राजकोट में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	16.50	5.00
3.	वापी में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	15.18	5.00

गुजरात सरकार ने 1990 के लिए प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं/स्कीमों के अनुमानों के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्टें अभी तक प्रस्तुत नहीं की हैं, इसलिए वित्तीय सहायता का अनुमान लगाना कठिन है।

स्थायी परामर्शदाताओं की नियुक्ति

2620. **श्री ए० के० ए० अब्दुल समद :**

श्री हुकुमदेव नारायण यादव :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने विभिन्न स्तरों पर अपनी ओर से मामलों को निपटाने के लिए स्थाई परामर्शदाताओं की नियुक्ति की है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्थायी परामर्शदाताओं की कुल संख्या कितनी है और उनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है ;

(ग) 1 अप्रैल, 1990 को उनकी वास्तविक संख्या कितनी थी;

(घ) क्या उनकी नियुक्ति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग के लोगों और महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) तारीख 1 अप्रैल, 1990 तक नियुक्त किए गए स्थायी काउंसेलों की कुल संख्या 136 हैं, जिनमें आठ महिला काउंसेल भी हैं। उनकी नियुक्ति विधि विशेषज्ञता और बार में ख्याति के आधार पर की जाती है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के काउंसेलों की संख्या के बारे में कोई पृथक् ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

हिन्दी फीचर फिल्म "कालीबस्ती"

2621. **श्री रामजीलाल सुमन :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली शेडयूल्ड कास्ट्स वेलफेयर एसोसियेशन और डा० बी० आर० आम्बेडकर विचार मंच, दिल्ली की ओर से हिन्दी फीचर फिल्म "कालीबस्ती", जिसमें दलित समुदाय के विरुद्ध अपमान जनक संवाद बोले गये हैं, के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन अपमानजनक संवादों के हटाने के लिए क्या कार्रवाई की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) सरकार को दिल्ली शेडयूल्ड कास्ट्स वेलफेयर एसोसियेशन से हिन्दी फिल्म "कालीबस्ती" में अपमानजनक संवाद बोले जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं। चलचित्र अधिनियम 1952 (1952 का 37) की धारा 6 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक जांच पड़ताल के बाद 29 मार्च, 1989 को अपमानजनक संवाद को हटाने के आदेश दे दिये हैं।

मैंगनीज ओर इण्डिया लि० के चेयरमैन व प्रबन्ध निदेशक द्वारा की गई तथाकथित अनियमितताएं

2622. **श्री सूर्यनारायण सिंह :**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें मैंगनीज ओर इण्डिया लि० के चेयरमैन व प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध विभिन्न अनियमितताओं के आरोप हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गयी है, तो वह क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें ये आरोप लगाये गये थे मैंगनीज ओर इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उच्च ग्रेड के अयस्क को कम मूल्य पर बेचे, प्राइवेट पार्टी से कम्पनी के लिए अनुपयोगी संयंत्र खरीदे, विदेशी प्रौद्योगिकी तथा विदेशी दौरों पर अपव्यय किये, सरकारी सुविधाओं आदि का दुरुपयोग किये।

(ग) अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का कोई ठोस प्रमाण नहीं पाया गया है।

महाराष्ट्र में शहरी बैंकों को स्थापित करने का प्रस्ताव

2623. **डॉ० वेंकटेश काबड़े**

श्री हरि शंकर महाले :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार जिला और तहसील स्तर पर नए शहरी बैंक खोलने का प्रोत्साहन देती है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास महाराष्ट्र में ऐसे नए बैंकों को खोलने के लिए कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं ; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसकी लाइसेंसिंग नीति की शर्तों के अनुसार उन जिलों में नए शहरी बैंक स्थापित करने की अनुमति दी जाती है जहां शहरी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे बैंकों के प्रस्तावों पर विचार करते समय जिले को एक इकाई के रूप में लिया जाता है। पिछले लगभग तीन वर्षों की अवधि में भारतीय रिजर्व बैंक को महाराष्ट्र में नए शहरी बैंक स्थापित करने सम्बन्धी 56 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से भारतीय रिजर्व क ने 8 बैंप्रस्ताव मंजूर कर दिए तथा 41 को नामंजूर कर दिया। शेष प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन हैं। इस प्रयोजन के लिए निर्धारिन मानदंडों के पूरा होने की स्थिति में उन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा और इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

सेंसर बोर्ड के सदस्यों के चयन/मनोनयन की प्रक्रिया

2624. **श्री पा० नरसा रेड्डी :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या सेंसर बोर्ड के सदस्यों के चयन/मनोनयन की कोई प्रक्रिया निश्चित की गई है और उनका कार्यकाल कितना होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में सेंसर बोर्डों की संख्या कितनी है और ये किन-किन स्थानों पर स्थित हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) केन्द्र केन्द्र सरकार की राय में जिन व्यक्तियों में जनता पर फिल्मों के प्रभाव को परखने की योग्यता होती है। उन्हें केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया जाता है। सामान्यतया इनका कार्यकाल तीन वर्ष होता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे समाज विज्ञान, कानून, शिक्षा, कला, फिल्म निर्माण/निर्देशन इत्यादि के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया जाता है। अतः इनके चयन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, केन्द्र सरकार, सदस्यों को नियुक्त करते समय विशिष्ट व्यक्तियों/संगठनों तथा राज्य सरकारों की सिफारिशों को ध्यान में रखती है।

(ग) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का मुख्यालय बम्बई में है और बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, बंगलौर, त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद और नई दिल्ली में इसके सात प्रादेशिक कार्यालय हैं।

भारतीय उपभोक्ता-उद्योग में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रवेश

2625. **श्री आर० प्रभु :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता सामान का उत्पादन करने वाली उन कंपनियों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है जिनमें विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ साम्य पूंजी की भागीदारी से कार्य करेंगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय उपभोक्ता उद्योग में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश के फलस्वरूप भारतीय उपभोक्ताओं को क्या लाभ प्राप्त होगा; और

(घ) क्या सरकार का विचार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा अर्जित किए जाने वाले अत्यधिक लाभ में कमी लाने हेतु कोई विशेष करारोपण-उपाय अपनाने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) उपभोक्ता सामग्री तैयार करने वाली उन कम्पनियों की सूची बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है जिनमें विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां ईक्विटी पूंजी भागीदारी में कार्य करेंगी।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) कोई विशेष उपाय विचाराधीन नहीं है।

हिन्दुस्तान मोटर्स से कारों की खरीद

2626. **श्रीमती सुभाषिनी अली :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान मोटर्स से भविष्य में कारें न खरीदने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) सरकार ने सर्वश्री हिन्दुस्तान मोटर्स के साथ जब तक कि वे कार की गुणवत्ता में कुछ मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं करेंगे, तब तक लम्बी अवधि के दर ठेके तय न करने का निर्णय लिया है।

(ख) इस फर्म द्वारा पूर्ति की जाने वाली कारों की गुणवत्ता के बारे में अनेक मंत्रालयों और एजेन्सियों से शिकायतें प्राप्त होने पर, निरीक्षण अधिकारियों की एक टीम कार की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं की रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त की गई थी। टीम ने पाया कि—

(1) कार के इंजिन, इसके पुर्जे आदि जैसे सभी मुख्य स्थानों में कमियां हैं।

(2) कारें कलकत्ता से चलाकर लाई जा रही हैं और ट्रांजिट के दौरान वाहन की सर्विस कंडीशन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। डीलरों द्वारा सुपुर्दगी से पहले दी जाने वाली सर्विस भी संतोषजनक नहीं है।

(3) कार का आधारभूत डिजाइन तकनीकी रूप से पुराना हो गया है।

(4) स्प्रे प्रक्रिया द्वारा प्री-क्लीनिंग और पेंटिंग की प्रणाली पर्याप्त है ; और

(5) कुल मिलाकर गुणवत्ता संबंधी आश्वासन का अभाव है।

गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र में वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी-होल्डिंग

2627. **श्री एल० बी० सिंह :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र में सरकारी वित्तीय संस्थाओं की कितनी "इक्विटी होल्डिंग्स" हैं ;

(ख) क्या ऐसी होल्डिंग्स का अधिकांश हिस्सा "डेड होल्डिंग्स" में परिवर्तित हो गया है ; और

(ग) सरकार द्वारा सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश में ऐसी खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) छः अखिल भारतीय सरकारी वित्तीय संस्थाओं अर्थात, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार, गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र में उनकी कुल ईक्विटी धारिता का अंकित मूल्य 5180.07 करोड़ रुपये है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल ही पैदा नहीं होता।

पोलिस्टर फिलामेंट यार्न पर आयात शुल्क

2628. **श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों से पोलिस्टर फिलामेंट यार्न पर आयात शुल्क कम करने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या आयात शुल्क कम करने के परिणामस्वरूप वस्त्रों के खुदरा मूल्यों में कमी आएगी ताकि आम लोग लाभान्वित हो सकें;

(घ) क्या हस्त निर्मित कपड़े और सिंथेटिक फाइबर और यार्न पर आयात शुल्क कम करने के परिणामस्वरूप वस्त्रों के खुदरा मूल्यों में कमी नहीं आई है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वस्त्र का आयात खुला सामान्य लाईसेंस के अन्तर्गत करने की अनुमति देने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) 1990-91 के बजट में, पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न पर आयात शुल्क को मूल्यानुसार 205 प्रतिशत से घटाकर 180 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ग) और (घ) कपड़ों का खुदरा मूल्य बहुत-सी बातों पर निर्भर करता है जैसे इनके निर्माण में काम में लाये जाने वाले माल की लागत, मांग और आपूर्ति की स्थिति, मार्केटिंग पैटर्न तथा उपभोक्ता की पसन्द। यह बतलाना सम्भव नहीं है कि फाइबर और यार्न पर मात्र आयात शुल्क कम कर देने से कपड़ों के खुदरा मूल्यों में कमी आएगी या नहीं।

(ङ) निर्बाध-सामान्य-लाइसेंस के तहत वस्त्र आयात करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कर्नाटक में नगरों का दर्जा बढ़ाना

2629. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के किन नगरों का मकान भत्ते और नगर क्षतिपूर्ति भत्ते के लिए दर्जा बढ़ाकर "ग" वर्ग किया गया है अथवा करने का प्रस्ताव है ;

(ख) कर्नाटक में किन नगरों का दर्जा "ख" से बढ़ाकर "क" कर दिया गया है ; और

(ग) नगरों के दर्जे में वृद्धि किए जाने का क्या आधार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ग) सरकार ने मकान किराया भत्ता/नगर प्रतिपूर्ति भत्ता मंजूर किए जाने के प्रयोजन के लिए कुछ ऐसे शहरों का 1.7.90 से दर्जा बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है जिनकी चालू आकलनों के अनुसार जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार अगली उच्च श्रेणी में दर्जा बढ़ाए जाने हेतु अपेक्षित मानदण्ड से 10 प्रतिशत कम रह गई थी। इस आधार पर मकान किराए भत्ते के प्रयोजन के लिए कर्नाटक में निम्नलिखित 3 शहरों का दर्जा बढ़ा कर "ग" श्रेणी कर दिया गया है :

1. डंडेली
2. डोड्डाबल्लापुर
3. करवार

"ग" श्रेणी के शहर में कोई नगर प्रतिपूर्ति भत्ता स्वीकार्य नहीं है।

(ख) उपर्युक्त मानदण्ड के अनुसार कर्नाटक में कोई भी शहर "क", "ख-1" और "ख-2" के रूप में दर्जा बढ़ाए जाने की शर्तें पूरी नहीं करता है।

सलेम के लिए विश्व बैंक से सहायता

2630. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलेम नगर के विकास के लिए तमिलनाडु को विश्व बैंक द्वारा कोई सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे कौन-सी परियोजनाएं आरंभ की जायेंगी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 3002.0 लाख डालर के बराबर के आई० डी० ए० ऋण के लिए विकास ऋण करार पर 16.9.88 को हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना में सेलम सहित 10 शहरी बस्तियां शामिल हैं। इस परियोजना में म्युनिसिपल सेवाएं तथा तकनीकी सहायता व प्रशिक्षण के वित्त पोषण के लिए स्थल और सेवाओं के घटक, गन्दो बस्ती सुधार कार्यक्रम, यातायात प्रबन्ध तथा परिवहन और म्युनिसिपल शहरी विकास निधि शामिल हैं।

फलों का निर्यात

2631. श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आम और अन्य फलों का निर्यात किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों को कितनी मात्रा में ये फल निर्यात किए गए और उनसे कितनी विदेशी-मुद्रा अर्जित हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण पत्र संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए आम एवं अन्य ताजे फलों की मात्रा, अर्जित विदेशी मुद्रा तथा उन मुख्य देशों के नाम जहां उनका निर्यात किया गया नीचे दिये गए हैं :—

मात्रा — मी० टन
मूल्य — प्रति लाख रु०

(अनन्तिम)

	1987-88		1988-89		1989-90		देशों के नाम
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	
आम	20302	2333	21700	2165	11863	1745	संयुक्त अरब अमीरात, सउदी अरब, कुवैत, ब्रिटेन, बहरीन।
अन्य फल	34315	2018	17200	1530	30444	2233	संयुक्त अरब अमीरात, सउदी अरब, बंगला देश।

स्रोत : एपीडा, नई दिल्ली।

चावल का निर्यात

2632. एस० बी० थोरट :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, चावल (बासमति और अन्य किस्मों) की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया और इसका मूल्य कितना था ;

(ख) उन प्रमुख पार्टियों के नाम क्या हैं जो एक करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात कर रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार को चावल के निर्यात में निजी व्यापारियों द्वारा हेरा-फेरी करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार का खाद्यान्नों और कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु एक शीर्ष एजेंसी की स्थापना करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जानकारी संलग्न विवरणपत्र में दी गई है।

(ख) पार्टी-वार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) निम्न स्तरीय चावल के निर्यात के बारे में शिकायतें मिली हैं, किन्तु जांच से अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सरकार ने लदान-पूर्व निरीक्षण प्रक्रियाओं को कठोर कर दिया है।

(ङ) खाद्यान्न के निर्यात के लिए किसी एजेंसी की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक कृषि और प्रसंस्कृत खाद्यों के निर्यात का सम्बन्ध है इसके लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) नामक एक निकाय पहले से ही है।

विवरण

चावल का निर्यात

मात्रा —मी० टन
मूल्य करोड़ रु०

	1987-88		1988-89		1989-90	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
बासमती चावल	366111	340	349687	334	396895	412
गैर बासमती चावल	22808	12	35753	20	26705	16

स्रोत : कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण।

काफी के बीजों का खुदरा मूल्य

2633. **श्री एन० डेनिस** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी के बीजों की विभिन्न किस्मों के खुदरा मूल्यों में वर्ष 1990 के दौरान वृद्धि की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (ग) काफी बीजों के विभिन्न किस्मों की खुदरा कीमतें 16 मार्च, 28 मार्च तथा 1 जून, 1990 को बढ़ायी गयीं। इनके ब्यौरे नीचे प्रस्तुत हैं :

(कीमतें = रु० प्रति कि० ग्रा०)

किस्म तथा ग्रेड	16-3-90	28-3-90	1-6-90
बागान पी० बी०	31.20	30.65	35.20
बागान ए	29.80	29.25	33.60
रोबेस्टाचेरी ए० बी०	24.20	23.65	27.20

दिनांक 19 मार्च, 1990 से न्यूनतम रिलीज कीमत में संशोधन और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती की वजह से दिनांक 16 मार्च तथा 28 मार्च, 1990 को कीमतों में संशोधन किया गया। दिनांक 1 जून, 1990 को कीमतों में संशोधन बोर्ड के संवर्धनात्मक एकक के माध्यम से बेची गयी कच्ची काफी की खुदरा कीमतों को स्थानीय बाजार दरों के समतुल्य करने के लिए किया गया था।

उच्चतम न्यायालय में लंबित अपीलें

2634. **श्री पी० सी० थामस :**

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में निर्णय हेतु ऐसे कितने मामले लंबित हैं जिनमें अभियुक्त हवालात में बंद हैं ;

(ख) इनमें से अभियुक्तों के कितने मामले हैं जिनमें किसी निम्न न्यायालय द्वारा उन्हें निर्दोष बताया गया है ;

(ग) उच्चतम न्यायालय में लंबित अपील का सबसे अधिक अवधि का ऐसा मामला, जिसमें अभियुक्त जेल में है, कौनसा है ;

(घ) ऐसे मामले में अभियुक्त कुल कितनी अवधि तक हवालात में रहा ;

(ङ) क्या सरकार का आवश्यक सुधार करने का विचार है ताकि काफी समय तक लंबित मामलों में अभियुक्त अपना मामला प्राथमिकता के आधार पर निपटाने अथवा निर्धारित अवधि की जेल काटने के बाद अपने को जमानत पर छुड़ाने के लिए कह सके ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) और (च) सरकार, किसी ऐसे विचाराधीन कैदी को, जो एक लंबी अवधि तक निरुद्ध रहा है, कतिपय परिस्थितियों के अधीन छोड़े जाने का उपबंध करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के संशोधन के कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रही है।

बड़े व्यापारिक गृहों से आयकर वसूली

2635. **श्री सुधीर गिरि :**

श्री नाथू सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रथम बीस बड़े व्यापारिक गृहों की सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन व्यापारिक गृहों के विरुद्ध 1 अप्रैल, 1990 को आयकर और अन्य करों की कितनी राशि बकाया थी ; और

(ग) बकाया करों की राशि वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख)

20 बड़े व्यापारिक गृहों की परिसम्पत्तियां बकाया कर/शुल्क

(रु० करोड़ में)   रु० लाखों में)

क्र० सं०	औद्योगिक गृह	1988-89	1987-88	1986-87	31-3-90 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	31-3-90 को आय कर
1	2	3	4	5	6	7
1.	बिरला	6974.06	5564.37	4771.38	1363.98	281.67
2.	टाटा	6621.38	5558.56	4939.88	1440.38	6559.31
3.	रिलायंस	3241.24	2033.15	2021.53	16.16	1164.62
4.	जे० के० सिंघानिया	1828.75	1566.41	1426.67	671.81	137.16
5.	थापर	1762.52	1317.10	1151.48	111.96	199.87
6.	मफतलाल	1296.55	1131.18	1050.50	803.64	2929.14
7.	बजाज	1228.37	953.68	777.79	505.27	192.74
8.	मोदी	1192.34	902.52	860.15	3403.12	4052.48
9.	लार्जन एण्ड टूब्रो	1130.33	931.28	830.56	74.24	183.77
10.	एम० ए० चिदंमबरम	1032.23	866.56	807.50	25.80	857.23

1	2	3	4	5	6	7
11.	टी० वी० एस० आयंगार	929.06	766.81	622.77	112.54	शून्य
12.	हिन्दुस्तान लीवर	924.85	775.42	631.89	316.41	1412.67
13.	ए० सी० सी०	909.13	759.26	760.68	334.94	शून्य
14.	श्रीराम	799.17	685.36	590.90	356.19	1567.94
15.	आई० टी० सी०	742.19	567.05	552.95	12177.00	38.86
16.	यूनाइटेड ब्रेवरीज	715.71	488.84	449.56	3.17	140.83
17.	आई० सी० आई०	674.46	537.30	453.52	110.58	शून्य
18.	बंगर	657.41	651.93	678.49	149.04	311.34
19.	किरलोस्कर	633.07	517.69	474.78	315.40	शून्य
20.	वालचंद	625.75	592.39	629.47	60.00	456.48

(ग) न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामलों पर शीघ्र सुनवाई करने तथा वसूली के खिलाफ स्थगन आदेशों को रद्द करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं ।

हवाई उड़ानों को रद्द करने का पर्यटन पर प्रभाव

2636. **डॉ० सुधीर राय :**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पैमाने पर हवाई उड़ानों को रद्द करने के कारण देश में पर्यटकों के आने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1980 में भारत का पर्यटन के क्षेत्र में अठारहवां स्थान था, जो वर्ष 1988 में गिरकर अठाइसवां हो गया ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार किया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) से (ग) देश-वार पर्यटक आगमनों की सूचना के अनुसार यह सच नहीं है कि पर्यटक आगमनों की दृष्टि से 1980 से भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में बिगड़ी है। हवाई उड़ानों के हाल के निष्पादन से पर्यटकों को चिन्ता हुई है । हवाई सेवाओं में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि पर्यटकों की इस मांग को पूरा किया जा सके।

पर्वतीय पर्यटन शहरों में पैट्रोल की उपलब्धता

2637. **श्री जे० पी० अग्रवाल :**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसूरी, कश्मीर, नैनीताल आदि पर्वतीय शहरों में जाने वाले पर्यटकों को पैट्रोल प्राप्त करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार का, पर्वतीय जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को आसानी से पेट्रोल उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग को मसूरी, कश्मीर, नैनीताल, आदि पर्वतीय शहरों की यात्रा करने वाले पर्यटकों को पैट्रोल प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में मरम्मत कार्यों पर हुआ खर्चा

2639. **श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में पिछले तीन वर्षों के दौरान मरम्मत कार्यों पर वर्ष-वार कितनी राशि खर्च हुई ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस खर्च में कोई कटौती करने का है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है करने का विचार है ?

वित्तमंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे अपनी दक्षता में सुधार लाने के लिए कार्य योजना करें। बैंकों ने अपनी उत्पादकता को बढ़ाने और अपने खर्चों में कटौती करने के लिए भी कई उपाय किए हैं।

बैंकों की शाखाएँ खोलना

2640. **श्री रवि नारायण पाणि :**

श्री अनादि चरण दास :

श्री राजबीर सिंह :

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :

श्री सी० श्रीनिवासन :

श्री रमेश चेन्नीथाला :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री आर० एन० राकेश :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

श्री कल्पनाथ सोनकर :

श्री जनार्दन तिवारी :

श्री एम० एस० पाल :

श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील :

श्री बलवंत मणवर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों की शाखाएं खोलने के संबंध में राज्य सरकारों से कोई सिफारिश मुझाव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) देश में 1990 के दौरान जिलावार कितनी बैंक शाखाएँ खोलने का प्रस्ताव है ; और

(घ) उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु और गुजरात में किन-किन स्थानों पर ये शाखाएं खोली जायेंगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ· विगत शाखा लाइसेंसिंग नीति (1985-90) की अवधि 31 मार्च, 1990 को समाप्त हो गई है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आगामी नीति के लिए मार्ग-निर्देशों की घोषणा अभी की जानी है। वर्ष 1990 के दौरान देश के ज़िलों में खोली जाने वाली बैंक शाखाओं की संख्या बता पाना संभव नहीं होगा। अलबत्ता, विगत शाखा लासेंसिंग नीति की अवधि में जारी किए गए 1589 लाइसेंस उपयोग के लिए अभी तक बैंक के पास लम्बित हैं और भारतीय रिजर्व बैंक ने इन लाइसेंसों की वैधता अवधि 30 सितम्बर, 1990

तक बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु और गुजरात राज्यों में लम्बित लाइसेंसों का विवरण नीचे दिया गया है :—

राज्य	लम्बित लाइसेंसों की संख्या
उत्तर प्रदेश	181
बिहार	233
उड़ीसा	103
तमिलनाडु	33
गुजरात	33

नागालैंड को धन-राशि प्रदान करना

2641. **श्री शिकिहो सेमा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च 1990 के लिए नागालैंड सरकार को देय धन-राशि केन्द्रीय सरकार ने दे दी है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह धन-राशि कब तक दे दी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) नागालैंड सरकार को मार्च, 1990 में देय सभी धन-राशि पूरी-पूरी दे दी गई थी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बस्तर, मध्य प्रदेश में टिन धातु का दोहन

[हिन्दी]

2642. **श्री मानकूराम सोड़ी :**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में काफी मात्रा में टिन धातु के भंडार हैं और तस्कर इसका चोरी-छुपे दोहन कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में टिन निक्षेप हैं। बताया जाता है कि इस क्षेत्र में अतीत में टिन का अवैध खनन होता रहा है।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन कार्यवाही

2643. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 और 1990 के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अब तक कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ;

(ख) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई और ये मामले कब से लम्बित पड़े हैं और कितनी राशि के हैं ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई और बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) वर्ष 1989 तथा 1990 (30 जून, 1990 तक) के दौरान दर्ज किए गए, निर्णित, अधिरोपित अर्थदण्ड मामलों तथा भारतीय व विदेशी मुद्रा को जब्त करने के संबंध में दिये गए आदेश के बारे में आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

(i)	जांच के लिए दर्ज किए गए मामलों की संख्या	11,577
(ii)	कारण बताओ नोटिस, जिसमें पिछले वर्षों में निर्णित जारी किए गए नोटिस भी शामिल हैं, की संख्या	7,619
(iii)	अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि (लाख रुपये में)	30.98.73
(iv)	केन्द्रीय सरकार द्वारा जब्त की गई भारतीय मुद्रा की राशि (लाख रुपयों में)	152.59
(v)	केन्द्रीय सरकार द्वारा जब्त की गई विदेशी मुद्रा की राशि (लाख रुपये में)	137.98

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी करने के लिए किए गए उपाय

[अनुवाद]

2644. **श्री जे० चोक्का राव :**

प्रो० राम गणेश कापसे :

श्री रवि नारायण पाणि :

श्री वी० राजा रवि वर्मा :

श्री एस० कृष्ण कुमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 का बजट प्रस्तुत करने के बाद से, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) आवश्यक बस्तुओं के मूल्यों-सूचकांक का बजट से पहले का और बजट प्रस्तुत करने के बाद का ब्यौरा क्या है और इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) सरकार ने कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए एक मुश्त उपाय किए हैं। इनमें बजट घाटे में कमी करना, सरकारी व्यय में कठोर मितव्ययिता

बरतना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण, जहां तक व्यवहार्य हो आयातों द्वारा घरेलू पूर्ति को बढ़ाना और जमाखोरों तथा कालाबाजारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना शामिल हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

दिनांक 17.3.1990 और 24.3.1990 को चयनित वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक और प्रतिशत परिवर्तन।

वस्तु	थोक मूल्य सूचकांक		प्रतिशत परिवर्तन
	17.3.1990	24.3.1990	24.3.1990/17.3.1990
1	2	3	4
सभी वस्तुएं	169.6	170.6	+06
प्राथमिक वस्तुएं	166.2	166.0	—0.1
खाद्यान्न	158.8	158.7	—0.1
अनाज	151.5	150.9	—0.4
चावल	164.3	164.0	—0.2
गेहूं	138.3	136.8	— 1.1
ज्वार	127.6	128.5	+0.7
बाजरा	123.2	122.3	—0.7
दालें	204.6	207.2	—1.3
चना	187.3	190.8	+1.9
अरहर	206.7	209.6	+1.4
मूंग	208.1	207.2	—0.4
मसूर	180.0	181.6	+0.9
उड़द	250.9	255.5	+1.8
सब्जियां	159.5	162.8	+2.1
आलू	129.1	140.0	+8.4
प्याज	102.5	101.0	—1.5
फल	166.9	164.6	—1.4
दूध	202.2	202.2	स्थिर
अण्डा, मछली और मांस	181.8	181.5	—0.2
अण्डे	145.8	141.0	—3.3
मछली	179.8	179.2	—0.3
भेड़ का मांस	209.9	209.9	स्थिर

1	2	3	4
मसाले तथा गर्म-मसाले	237.7	238.9	+0.5
काली मिर्च	238.7	236.2	—1.0
मिर्च	122.3	122.3	स्थिर
हल्दी	297.4	294.3	—1.0
कपास	128.7	129.5	+0.6
कच्चा पटसन	360.0	370.3	+2.9
चाय	307.3	288.9	—6.0
कॉफी	214.2	220.8	+3.1
तेलहन	163.1	163.3	+0.1
मूंगफली के बीज	171.2	170.9	– 0.2
तोरिया और सरसों के बीज	147.0	149.0	+1.4
ईंधन, विद्युत, बिजली, लुब्रीकेंट्स	157.6	163.9	+4.6
कोयला	253.8	253.8	स्थिर
कोक	162.2	182.2	स्थिर
खनिज तेल	129.5	141.i	+9.0
मिट्टी का तेल	129.9	129.9	स्थिर
पैट्रोल	145.2	168.3	+15.9
हाई-स्पीड डीज़ल तेल	119.1	140.7	+18.1
लाइट डीजल तेल	125.1	125.1	स्थिर
विद्युत	191.6	191.6	स्थिर
विनिर्मित उत्पाद	173.7	174.3	+0.3
खाद्यान्न मिल उत्पाद	175.3	175.2	—0.1
मैदा	163.5	163.5	स्थिर
आटा	170.8	170.6	—0.1
चीनी, खांडसारी और गुड़	143.8.	146.2	+1.7
चीनी	141.5	141.6	—0.1
खांडसारी	147.6	153.0	+3.7
नमक	156.1	157.5	+0.9
खाद्य तेल	186.8	186.3	—0.3
बनस्पति	198.8	200.1	+0.7
मूंगफली का तेल	183·0	179.6	—1.9

1	2	3	4
सरसों का तेल	144.9	143.9	—0.7
नारियल का तेल	180.5	180.7	+0.1
जिंजेली का तेल	202.8	202.0	—0.4
बिनौले का तेल	211.8	212.8	+0.5
वस्त्र	168.9	168.4	—0.3
सूती वस्त्र	171.0	170.1	—0.5
सूती धागा	192.9	192.5	—0.2
सूती कपड़ा (मिल)	154.9	153.3	—1.0
सूती कपड़ा (हथकरघा)	201.6	201.6	स्थिर
सूती कपड़ा (पॉवरलूम)	173.6	179.9	+0.2
छपाई कागज (सफेद)	277.1	277.1	स्थिर
टायर	148.7	151.2	+1.7
ट्यूब	158.8	160.4	+1.0
उर्वरक	99.1	99.1	स्थिर
औषधियां और दवाइयां	147.6	147.6	स्थिर
लाण्ड्री साबुन	153.3	153.3	स्थिर
टायलेट साबुन	200.2	200.2	स्थिर
टूथ पाउडर	146.5	146.5	स्थिर
टूथ पेस्ट	173.0	173.0	स्थिर
माचिस	134.4	134.4	स्थिर
सीमेंट	157.7	160.7	+1.9
लोहा और इस्पात	193.5	195.0	+0.8
प्रवालित मिश्रधातु	210.0	210.0	स्थिर
अलौह-धातु	242.3	244.0	+0.3
रेजर ब्लेड	147.2	147.2	स्थिर
शुष्क तेल	150.5	148.4	—1.4
जी० एल० एस० लैम्प	150.3	150.3	स्थिर

अंडमान और नीकोबार द्वीप समूह में परिवहन सेवाओं में सुधार

2645. **डा० दौलत राव सोनूजी अहेर :**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और नीकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार से द्वीप समूह और मुख्य भूमि के बीच परिवहन सुविधाओं में सुधार करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन ने द्वीप समूह को एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाने की योजना प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) अण्डमान और निकोबार प्रशासन ने केन्द्रीय पर्यटन विभाग से वर्ष 1990-91 के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दो प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं :

		अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
1.	दिग्लीपुर क्षेत्र में कलीपुर में 60 बिस्तरे वाला आवास	50.00
2.	मनोरंजन पर्यटन का विकास और जलक्रीड़ा के लिए उपकरण	24.00

इन प्रस्तावों को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

विकास संबंधी कार्यों पर फिल्म का प्रसारण

2646. **श्री नानासाहिब उबर्यासिंह राव गायकवाड़ :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने पाकिस्तान में उद्योग, शिक्षा आदि के संबंध में हुए विकास कार्यों पर फिल्म का प्रसारण कियाा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान टेलीविजन ने भी पारस्परिक आदान-प्रदान के आधार पर भारत में हुए विकास कार्यों के संबंध में कोई भारतीय फिल्म का प्रसारण किया है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कार्यक्रम कितनी अवधि तक प्रसारित किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) विदेश मंत्रालय के परामर्श से और उसके माध्यम से प्राप्त "फस्ट इयर आफ डेमोक्रेसी" नामक एक पाकिस्तानी टी० वी० कार्यक्रम दिनांक 22.3.1990 को पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर दूरदर्शन द्वारा उपयुक्त संपादन के बाद प्रसारित किया गया था।

(ख) और (ग) दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय दिवसों के अवसर पर एक-दूसरे के कार्यक्रम प्रसारित करना एक पारस्परिक प्रथा है किन्तु किसी भी देश के लिए वास्तव में प्रसारित कार्यक्रमों के बारे में फीड-बैक देना अनिवार्य नहीं है। अतः इस आपसी व्यवस्था के अंतर्गत पाकिस्तान टी० वी० द्वारा प्रसारित भारतीय कार्यक्रमों की सूचना उपलब्ध नहीं है।

आर्थिक अपराधों को निपटाने के लिए न्यायालय

2647. **श्री कमल नाथ :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों को शीघ्रता से निपटाए जाने के लिए और अधिक न्यायालय स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वित्तीय सहायता देने की पेशकश की गई;

(ग) आयकर विभाग द्वारा पिछले वर्ष कुल कितने मुकदमे चलाए गए और कितनों में निर्णय दिए गए और कितनों में दोष सिद्ध हो गया; और

(घ) आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए क्या अन्य कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से यह अनुरोध करती रहीं है कि आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएं। इस प्रकार के और न्यायालयों की स्थापना करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) वित्तीय सहायता की मात्रा निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) वित्त वर्ष 1989-90 के दौरान आयकर विभाग ने अभियोजन की 8929 कार्यवाहियां शुरू की थीं। इसी वर्ष के दौरान न्यायालयों ने 415 कार्यवाहियों में अपना निर्णय दिया था जिनमें से कार्यवाहियों के 181 मामलों में दोष-सिद्धि ठहराई गई थी।

(घ) जी, नहीं। प्रत्यक्ष कर कानूनों के मौजूदा उपबन्ध पर्याप्त हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना

2648. **श्री हरीश पाल :**

क्या विधि और न्याय मंत्री जसवन्त सिंह आयोग की सिफारिश के कार्यान्वियन के बारे में दिनांक 22 दिसम्बर, 1989 के अता० प्रश्न संख्या 19 के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को जसवन्त सिंह आयोग की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना करने की सिफारिश के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस न्यायपीठ की स्थापना कब तक हो जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी सहायता

[हिन्दी]

2649. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान भारत को कौन-कौन से देश वित्तीय सहायता दे रहे हैं ; और

(ख) उक्त धनराशि के उपयोग हेतु किन-किन योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) चालू वर्ष के दौरान भारत को आस्ट्रिया बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, जर्मन संघीय गणराज्य, फ्रान्स, हंगरी, इटली, जापान, कुवैत (निधि) साउदी अरब (निधि), स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमरीका, सोवियत रूस, स्पेन, कनाडा, नार्वे, यूनाइटिड किंगडम और नीदरलैण्ड् से वित्तीय सहायता मिलने की सम्भावना है ।

(ख) वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले विभिन्न देशों द्वारा किए गए वायदे, दोनों सरकारों के बीच सहायता के लिए किए गए विचार विमर्श/करारों के बाद वचनबद्धताओं में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए, कुल सहायता के योजनावार उपयोग के बारे में बताना सम्भव नहीं है ।

दक्षिण भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पैनल का गठन

[अनुवाद]

2650. **श्री मदन लाल खुराना** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के समानांतर एक एसोसिएशन का गठन किया है; जैसा कि 6 जुलाई, 1990 के "इकोनोमिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को गैर-सरकारी बैंकों में धनराशि जमा करने की अनुमति देने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय बैंक संघ ने सूचित किया है कि कुछ समय पहले गैर-सरकारी क्षेत्र के भारतीय बैंकों के कुछ कार्यपालकों ने बैठक की थी और कुछ सामान्य किस्म के मामलों को प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक मंच बनाने का निर्णय लिया था । अलबत्ता, इससे गैर-सरकारी क्षेत्र के भारतीय बैंकों की भारतीय बैंक संघ के साथ संबद्धता में किसी तरह की कमी नहीं आयेगी ।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से मामले पर विचार किया जा रहा है ।

चीनी, पटसन और चावल का निर्यात

2651. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990-91 के दौरान कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की चीनी, पटसन और चावल का निर्यात किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : अभी तक तैयार किए गए अनुमानों के अनुसार जानकारी इस प्रकार है ।

मद	मात्रा (मी० टन में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
चीनी	22.000	20
पटसन	2,70,000	275
चावल	4,50,000	400

पांच लाख रुपए से अधिक राशि के बकाया कर

[हिन्दी]

2652. **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1990 की स्थिति के अनुसार समूचे देश में कितने तथा किन-किन व्यक्तियों पर आयकर तथा अन्य केन्द्रीय करों के रूप में पांच लाख से अधिक की राशि बकाया है; और

(ख) चालू वर्ष के अन्त तक तीन वर्षों से अधिक अवधि से बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में दिनांक 31.3.1990 की स्थिति के अनुसार नवीनतम सूचना उन मामलों के संबंध में उपलब्ध है, जिनमें आयकर/धनकर/दानकर/संपदा-शुल्क की बकाया मांग 10 लाख रु० अथवा उससे अधिक है। दिनांक 31.3.90 की स्थिति के अनुसार देश में ऐसे 5098 मामले थे, जिनमें 10 लाख रु० अथवा उससे अधिक की इस प्रकार की मांग बकाया थी। दिनांक 31.3.1990 की स्थिति के अनुसार इन कर-दाताओं की तरफ बकाया कुल मांग 4450 करोड़ रु० थी। इस बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए इन कर-दाताओं के बारे में अन्य ब्यौरे प्रस्तुत करना व्यावहारिक नहीं होगा। यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट कर-दाता के बारे में विस्तृत ब्यौरा चाहते हों तो उसे दिया जा सकता है।

(ख) करों की वसूली करने के लिए समुचित कार्यवाहियां आयकर कानून तथा प्रशासनिक, दोनों रूपों से की जाती है। विधिपरक कार्यवाहियों में ये शामिल हैं—अदायगी न करने के कारण दण्ड लगाया जाना, बैंक खातों, ऋणों आदि को कुर्क करने के लिए गार्निशी आदेशों को जारी करना, कर-वसूली अधिकारियों द्वारा कर वसूली विवरण-पत्रों को तैयार किया जाना ताकि वे परिसंपत्तियों की कुर्की/बिक्री करके वसूली कर सकें, चूककर्ताओं की संपत्ति की प्रबंध-व्यवस्था हेतु प्रापक (रिसीवर) की नियुक्ति करना, चूककर्ताओं को गिरफ्तार करना आदि। प्रशासनिक तौर पर, बकाया मांगों की घटौती हेतु कार्य-योजना-लक्ष्य निश्चित किए गए हैं तथा वसूली की प्रगति पर विभिन्न स्तरों पर निगरानी रखी जाती है।

आभूषणों के निर्यात हेतु सोने की उपलब्धता

[अनुवाद]

2653. **श्रीमती बासवराजेश्वरी :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आभूषणों के निर्यात के लिए उत्पादन करने हेतु आसानी से सोना उपलब्ध करने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में कोई ज्ञापन दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस संबंध में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (घ) सरकार ने व्यापार और उद्योग के सुझावों को ध्यान में रखते हुए आभूषणों के निर्यात उत्पादन के लिए सोने की उपलब्धता में सुधार के लिए अनेकों उपाय किए हैं। इनमें भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लि० एम०एम०टी०सी० द्वारा विशेषीकृत रत्न और आभूषण निर्यात उत्पादन कामप्लेक्सों को सोने की आपूर्ति के लिए विशेष प्रबंध, स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम का निरस्तीकरण और ऋण की उपलब्धता शामिल है। इसके अतिरिक्त, जब भी आवश्यक होता हैं व्यापार और उद्योग के परामर्श से अन्तर्निविष्ट सहायता को बढ़ाया जाता है।

निर्यात को बढ़ावा

2654. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनावश्यक नियंत्रण हटाने हेतु कोई नीति विषयक उपाय प्रारम्भ किए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) वर्ष 1990-91 के लिए निर्धारित निर्यात लक्ष्य पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उन्हें एकमुश्त सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्यातकों के किसी चयनित समूह का पता लगाया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) आयात-निर्यात नीति (भाग-II) 1990—93 के अनुसार, अधिकांश मदों के निर्यात की छूट है, केवल कुछ ही मदों पर सीमित नियंत्रण है। यह नियंत्रण आन्तरिक कमी को दूर करने, राष्ट्रीय स्रोतों को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए है। हाल ही में अनावश्यक नियंत्रण को दूर करने के लिए कुछ उपाय किए गए थे ताकि निर्यात को बढ़ाया जा सके। ये हैं : दिनांक 4 मई, 1990 से पहले पोल्यिस्टर फिलामेन्ट यार्न (सभी किस्म के) रेयन फिलामेन्ट यार्न, नायलान फिलामेन्ट यार्न विस्कोस स्टेपल फाइबर स्पन यार्न तथा उच्च निष्पादन वाले विस्कोस स्टेपल फाइबर के निर्यात के लिए निर्यात लाइसेंस अपेक्षित था। अब निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और इन मदों का निर्यात; निर्धारित उच्चतम सीमा के अन्दर सिन्थेटिक एन्ड रेयन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन, काउन्सिल, बम्बई के माध्यम से किया जा सकता है। सोल्यिम सीड, टस्क एवं पाउडर और कुथ के निर्यात को न्यूनतम निर्यात कीमत को समाप्त कर दिया गया है।

(ख) वर्ष 1990-91 के लिए निर्धारित निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से, सरकार ने औद्योगिक क्षमता को उन्नत करके, प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करके,

अवस्थापना संबंधी सुविधाओं को मजबूत बनाकर और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, निर्यात को वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम बनाने के लिए कई उपाय किए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन

2655. **प्रो० पी० जे० कुरियन :**

श्री एन० डेनिस :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या रबड़ बोर्ड ने, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए रबड़ का उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन 2,97,300 मी० टन हुआ।

(ख) और (ग) जी, हां। 8वीं योजना के लिए रबड़ बोर्ड द्वारा निम्नलिखित मुद्दों पर एक तीन सूत्रीय रणनीति का सुझाव दिया गया है।

(1) रबड़ की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र का 80,000 हेक्टेयर तक विस्तार।

(2) 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अधिक उपजाऊ आधुनिक कृषि साधनों का उपयोग करके पुराने और नए उपज वाले क्षेत्रों में पुनर्रोपण।

(3) पौध संरक्षण, खाद का प्रयोग, कृषि और फसल संसाधन में आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने को लोकप्रिय बनाकर वर्तमान बागानों की उत्पादकता बढ़ाना।

आठवीं योजना के अन्तिम वर्ष के लिए प्रस्तावित उत्पादन लक्ष्य 4,81,000 मी० टन तथा प्रस्तावित परिव्यय 256.54 करोड़ रुपये है।

महाराष्ट्र में वाणिज्यिक प्रसारण के लिये आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना

[हिन्दी]

2656. **श्री हरि शंकर महाले :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में वाणिज्य प्रसारण के लिये आकाशवाणी केन्द्र की स्थापन का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में ऐसे वाणिज्यिक केन्द्रों की स्थापना के लिये किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ; और

(ग) इन केन्द्रों को शीघ्र आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

व्यय में कटौती

[अनुवाद]

2657. **प्रो० के० वी० थामस :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्यों के मुख्य मंत्रियों को उनके खर्चे में 10 प्रतिशत की कटौती करने को कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह 10 प्रतिशत की कटौती किस प्रकार की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) चालू वर्ष में संभावित अतिरिक्त प्रत्याशित व्यय से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन से पता चलता है कि यदि मांगे जाने वाले संभावित अतिरिक्त आवंटनों को स्वीकृति देनी हो तथा फिर भी घाटे को बजटीय स्तर कर नियंत्रित रखना हो तो सभी मंत्रालयों के बजट में 10 प्रतिशत की कटौती करना आवश्यक है। इसलिए सरकार ने एक उपयुक्त किफायत पैकेज (इकोनोमी पैकेज) तैयार करने का निर्णय लिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बजट घाटे की जांच की जाती है। इन उपायों के भाग के रूप में विभिन्न मंत्रालयों से भी अनुरोध किया गया है कि अतिरिक्त आवंटनों के ऐसे प्रस्तावों को अग्रेषित न करें जिनके लिए मंत्रालय के चालू वर्ष के बजट में बचतों द्वारा व्यवस्था न की जा सके। सभी मंत्रालयों को इस बात की सलाह भी दी गई है कि चालू वर्ष में महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों के प्रभाव को स्थापना संबंधी खर्च के लिए चालू वर्ष के बजट में किए गए प्रावधान के भीतर ही खपाया जाना है। इन और अन्य उपायों की जानकारी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को दे दी गई है।

भीलवाड़ा में तामड़ा (गार्नेट) कटाई एककों की स्थापना

2658. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भीलवाड़ा में तामड़ा (गार्नेट) की कटाई और पालिश करने के लिए छोटे एककों की स्थापना करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आई० पी० आई० सी० ओ० एल० द्वारा उड़ीसा एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना

2659. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा औद्योगिक विकास और निवेश निगम लि० जिन्दल ग्रुप के साथ संयुक्त रूप से उड़ीसा में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना करने की अनुमति दी गयी है ;

(ख) क्या इस्पात उद्योग में इस किस्म का यह पहला प्रयास है ;

(ग) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ; तथा इसकी क्षमता कितनी है ;

(घ) क्या नई कम्पनी का किसी विदेशी शेयर सहित एक संयुक्त पूंजीगत ढांचा होगा ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

जम्मू तथा कश्मीर में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र में तोड़फोड़

[हिन्दी]

2660. **डा० बंगाली सिंह :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान जम्मू तथा कश्मीर में उग्रवादियों द्वारा आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केन्द्रों पर तोड़फोड़ की गई और यदि हां, तो इसमें कुल कितनी जानें गई तथा कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ ; और

(ख) वहां सामान्य कामकाज को पुनः बहाल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) आकाशवाणी के नारबल, श्रीनगर स्थित उच्च शक्ति ट्रांसमीटर पर उग्रवादियों द्वारा 27 जुलाई 1990 को राकेटों से हमला किया गया था। इससे हाई टेन्शन रूप की दीवार की खिड़कियों के कुछ शीशे टूटने के अलावा न तो कोई जानी नुकसान हुआ है, न ही किसी को चोट आई है और न ही संपत्ति का कोई नुकसान हुआ। पिछले तीन महीनों के दौरान आकाशवाणी/दूरदर्शन के किसी प्रतिष्ठान पर कोई हमला नही हुआ।

(ख) आकाशवाणी, नारबल के उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के सामान्य काम में कोई रुकावट नहीं आयी है।

दिल्ली में होटलों और गेस्ट हाउसों पर छापे

2661. **श्री कल्पनाथ सोनकर :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्व आसूचना विभाग और अन्य आसूचना विभागों के अधिकारियों द्वारा दिल्ली के छोटे और बड़े होटलों तथा गेस्ट हाउसों पर छापे मारे गए थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप पकड़े गए व्यक्तियों तथा जब्त की गई नशीली दवाओं और अन्य सामान का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में धातुओं के भंडारों का पता लगाने के लिए भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा सर्वेक्षण

2662. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने मध्य प्रदेश में किन-किन स्थानों पर सर्वेक्षण किया है ;

(ख) वहां कौन-कौन सी धातुएं पायी गयी और इन धातुओं के भंडारों की अनुमानित मात्रा कितनी हैं ;

(ग) जिन स्थानों में इन धातुओं के विशाल भंडारों के संकेत मिले हैं, वहां खनन-कार्य कब से आरम्भ किये जाने की संभावना है ; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने निम्नलिखित की धातु क्षमता के आकलन हेतु प्राथमिक खनिज अन्वेषण किये हैं :

(1) बस्तर जिले के कोंडारस डोंगरी बोधापाड़ा, बांगालुर क्षेत्रों में टिन ;

(2) बेतुल जिले के खेरली बाजार, बालाघाट जिले के तरगांव और घोरली क्षेत्र, छत्तरपुर जिले के डोंगवा क्षेत्र, बस्तर जिले के वांडे और पखनजोर क्षेत्र, ग्वालियर-शिवपुरी जिले के अन्तरी डबरा लखनावटी और एन्डर क्षेत्र, तथा सिहोर-देवास-होशंगाबाद जिलों के बरवा-हुरडा क्षेत्र में बेसमेटल ;

(3) रायगढ़ जिले के लुडेग-पंडरोपानी-तपकरा क्षेत्र में स्वर्ण; तथा

(4) रायपुर जिले के पालगांव जावरा क्षेत्र में मोलिब्डेनाइट ।

(ग) और (घ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा की गई खोजें प्राथमिक हैं। इन धातुओं का विदोहन प्रौद्यो-आर्थिक उपादेयता पर निर्भर करेगा।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिया गया ऋण

[अनुवाद]

2663. **श्री हन्नान मोल्लाह :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987, 1988 और 1989 के दौरान प्रत्येक राज्य को औद्योगिकीकरण के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा अलग-अलग कुल कितनी धनराशि का ऋण मंजूर किया गया ;

(ख) क्या यह सहायता इस प्रकार से उपलब्ध कराई गई थी कि प्रत्येक राज्य का समान विकास हो सके; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम द्वारा 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान प्रत्येक राज्य को औद्योगिकीकरण के लिए मंजूर ऋण की कुल राशि संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि किसी राज्य विशेष में स्थित औद्योगिक एककों को दी जाने वाली सहायता राशि उस राज्य में परियोजनायें स्थापित करने के लिए आवेदन पत्रों के वास्तविक प्रवाह पर निर्भर करती है। आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ स्थायी निधि स्रोत, जनशक्ति और कच्चे माल की उपलब्धता जैसे कुछ निर्णायक घटक हैं। प्रोत्साहन प्राप्ति भी उद्यमियों को प्रभावित करती है।

जबकि संतुलित विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार अपना भरसक प्रयास करती है, औद्योगिक दृष्टि से विकसित कुछ राज्यों की अन्यों के मुकाबले में बजट की स्थिति और अच्छी तरह से विकसित केन्द्रों का प्रभाव अपेक्षाकृत पहले से ही अधिक विकसित केन्द्र उद्यमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फिर भी सरकार के साथ-साथ वित्तीय संस्थाएं भी प्रोत्साहन गतिविधियों के माध्यम से संतुलित विकास को बढ़ावा देने पर अधिक बल देती हैं।

विवरण

वर्ष, 1987-1988 1988-89 और 1989-90 के दौरान आईज डी० बी० आई०, आई० एफ० सी० आई० और आई० सी० आई० सी० आई० सी० आई० द्वारा मंजूर सहायता

(करोड़ रु०)

राज्य	आई० डी० बी० आई०			आई० एफ० सी० आई०			आई० सी० आई० सी० आई०		
	87-88	88-89	89-90	87-88	88-89	89-90	87-88	88-89	89-90
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	436.89	523.65	593.43	156.66	148.67	195.90	153.64	114.53	140.16
अरुणांचल प्रदेश	1.48	0.76	1.04	—	—	—	—	—	—
असम	35.54	47.75	110.68	4.85	7.40	44.42	4.93	3.17	42.34
बिहार	121.95	160.44	178.57	19.87	21.09	53.58	23.15	22.59	83.45
गोवा	44.83	63.37	74.71	3.65	20.09	20.69	8.58	10.45	19.63
गुजरात	557.53	835.52	897.37	134.22	308.41	199.41	130.48	311.81	363.60
हरियाणा	437.31	150.87	348.82	36.67	55.39	87.73	28.63	27.92	84.75
हिमाचल	69.97	92.01	110.00	11.19	23.43	35.42	4.77	14.74	8.84
जम्मू व कश्मीर	47.56	71.63	54.12	0.03	1.48	3.58	1.63	1.13	1.95
कर्नाटक	296.52	360.05	419.70	60.75	72.96	59.23	71.55	77.95	57.82
केरल	128.94	170.37	195.88	7.94	17.09	24.50	13.27	7.70	5.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मध्य प्रदेश	237.24	399.04	424.61	52.08	82.21	86.18	50.72	67.87	60.46
महाराष्ट्र	646.34	727.02	1521.23	170.45	220.56	730.98	207.03	279.98	570.64
मणिपुर	4.58	7.72	11.09	—	3.96	—	—	1.51	1.10
मेघालय	6.74	12.10	9.32	0.65	1.89	0·34	1.36	1.06	0.46
मिजोरम	4.22	7.44	3.96	—	—	—	—	—	—
नागालैण्ड	3.10	5.68	3.02	—	0.99	—	—	0.45	—
उड़ीसा	117.64	240.34	277.47	23.40	78.54	71·01	13.10	67.00	42.64
पंजाब	143.39	264.71	202.82	45.67	112.47	116.17	25.10	73.96	25.03
राजस्थान	224.70	513.55	281.94	38.91	137.98	74.13	32.63	49.10	172.75
सिक्किम	2.66	3.53	7.96	1.00	—	—	—	—	—
तामिलनाडु	508.11	713.40	723.75	77.29	157.24	125.94	81.94	150.32	124.02
त्रिपुरा	2.10	5.63	7.90	—	—	2.36	—	—	1.17
उत्तर प्रदेश	524.52	780.80	628.22	124.34	287.28	202.15	103.90	245.96	140.05
पश्चिम बंगाल	188.21	263.67	329.32	36.90	52.34	67.40	22.67	36.64	82.33
संघ राज्य क्षेत्र	105.52	164.34	142.35	12.42	80.63	93.78	15.54	30.18	19.82
कुल	4597.59	6585.39	7559.08	1018.94	1892.01	2294.90	994.64	1596.02	2048.45

फिल्म प्रभाग को नई भूमिका सौंपना

2664. **श्री कल्पनाथ राय :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दूरदर्शन और आकाशवाणी के अलावा विभिन्न प्रभागों/एककों का पुनर्गठन करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दृश्य प्रचार के मामले में दूरदर्शन द्वारा विशाल दर्शक समूह को प्रभावित किए जाने की बात को ध्यान में रखते हुए फिल्म प्रभाग को कोई नई भूमिका सौंपने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) ऐसी आशंका का कोई कारण नहीं है कि भारत में, दूरदर्शन की कवरेज बढ़ने से फिल्म प्रभाग की कोई भूमिका नहीं रह जाएगी । फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित कुछ वृत्तचित्र दूरदर्शन पर दिखाए जाने के लिए दूरदर्शन और फिल्म प्रभाग दोनों निरंतर एक दूसरे के सम्पर्क में रहते है ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क विभाग में तदर्थ आधार पर पदोन्नतियां

2665. **श्री अनादि चरण दास :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क विभाग तदर्थ आधार पर पदोन्नतियों में सरकारी निदेशों का पालन नहीं कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या वर्ष 1976 से 1988 के बीच परीक्षक के ग्रेड में तदर्थ आधार पर पदोन्नत किये गए 85 उच्च श्रेणी लिपिक इन्हीं पदों पर नियुक्त हैं ; यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या तदर्थ पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है और विभाग द्वारा तदर्थ पदोन्नतियां, नियमित नियुक्तियों में आरक्षण के लाभ से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को वंचित करने के लिए ही की जाती हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

बजट घाटा

2666. **श्री नाथू सिंह :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान वित्त वर्ष के प्रथम चार महीनों में केन्द्रीय बजट घाटे की स्थिति क्या रही ;

(ख) वर्ष 1989-90 में इसी अवधि की स्थिति की तुलना में यह कितनी रही ; और

(ग) बजट घाटे पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) सरकार जुलाई, 1990 को समाप्त होने वाले पहले चार महीने के बजट अनुमानों से संबंधित वास्तविक बजटीय गतिविधियों और कार्य-निष्पादन समीक्षा से संबंधित रिपोर्ट पिछले वर्ष की समकक्ष अवधि से तुलना करके शीघ्र ही संसद में प्रस्तुत कर देगी।

(ग) सरकार ने राजस्व प्राप्तियों में अधिक से अधिक वृद्धि करने और व्यय-वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए उपाय किए है। सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रशासनिक व्यय के बोझ को कम करने और अपने चल रहे कार्यक्रमों तथा योजनाओं की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के लिए ठोस प्रयास करें। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे अतिरिक्त प्रावधानों के लिए तब तक कोई नई मांग प्रस्तुत न करें जब तक कि वे अपने अन्य चालू कार्यक्रमों में समतुल्य बचतों का पता नहीं लगा लें। विदेशी यात्रा और पेट्रोल एवं डीजल के उपभोग में कमी करने के संबंध में भी आदेश जारी किए जा चुके हैं।

बजट घाटे में कमी

[हिन्दी]

2667. **श्री संतोष कुमार गंगवार** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें बजट घाटे तथा गैर-योजना खर्च में कमी करने और लम्बी अवधि की राजस्व संबंधी नीति (फिस्कल पॉलिसी) तैयार करने के बारे में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस संबंध में "एसोसिऐटिड चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री" द्वारा दिए गए कतिपय सुझावों पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) विभिन्न वाणिज्य मंडलों, महासंघों, संस्थाओं, सोसाइटियों, व्यक्तियों आदि से पत्रों और ज्ञापनों के रूप में कई उद्धरण प्राप्त होते हैं, जिनमें संसाधनों को बढ़ाने, व्यय में कारगर किफायत बरतने और बजटीय घाटे को कम करने के तरीके सुझाए गए होते हैं। बजट तैयार करने और नीतियां तय करते समय व्यवहार्य सुझावों को ध्यान में रखा जाता है।

हिन्दी और अंग्रेजी की पत्रिकाओं के लिए सम्पादकीय स्टॉफ की नियुक्ति

2668. **प्रो० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित की जा रही हिन्दी और अंग्रेजी की पत्रिकाओं के अलग-अलग नाम क्या है और इन पत्रिकाओं के लिए सम्पादकीय स्टॉफ किस स्तर का रखा जाता है ;

(ख) हिन्दी की पत्रिकाओं की तुलना में अंग्रेजी की पत्रिकाओं के लिए उच्च स्तर के सम्पादकीय स्टाफ की नियुक्ति करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस असमानता को दूर करने और हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों पत्रिकाओं के लिए एक समान स्तर के स्टॉफ की नियुक्ति करने हेतु क्या कार्यवाही किये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) प्रकाशन विभाग द्वारा निम्नलिखित पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं :

नाम	भाषा
1. वाल भारती	हिन्दी
2. आजकल	हिन्दी
3. कुरूक्षेत्र	हिन्दी और अंग्रेजी
4. योजना	हिन्दी तथा अंग्रेजी एवं अन्य प्रादेशिक भाषाएं।

हिन्दी और अंग्रेजी सहित अलग-अलग भाषाओं के संस्करण का प्रभारी, संबंधित संपादक होता है। "योंजना" के सभी संस्करणों से संबंधित कार्य का समन्वय मुख्य संपादक द्वारा किया जाता है।

(ख) अंग्रेजी और हिन्दी पत्रिकाओं के लिए संपादकीय स्टाफ का स्तर समान है।

(ग) यह सवाल पैदा नहीं होता।

सूरत, गुजरात में आकाशवाणी केन्द्र खोलना

2669. **श्री सी० डी० गामित :**

श्री काशीराम राणा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में सूरत में एक आकाशवाणी केन्द्र खोलने का निर्णय लिया था। और यदि हां, तो कब ;

(ख) इसकी स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस केन्द्र को सूरत में कब तक स्थापित कर दिया जायेगा और इसके लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी हां। आकाशवाणी की अनुमोदित सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985—90) में गुजरात में सूरत में एक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने की स्कीम शामिल है।

(ख) यद्यपि इस परियोजना के लिए स्थान का कब्जा देने के लिए राज्य सरकार को जुलाई, 86 में मांगपत्र भेज दिया गया था, किन्तु यह स्थान 29.6.1988 को ही अन्तरित किया गया जिससे परियोजना के कार्य में विलम्ब हुआ।

(ग) सिविल निर्माण का काम सौंप दिया गया है और तकनीकी क्षेत्र के शीघ्र तैयार होने की आशा है। ट्रांसमीटर और स्टूडियो उपकरण भी प्राप्त हो चुके हैं। सूरत के प्रस्तावित आकाशवाणी केन्द्र के 1990-91 के अन्त तक चालू किए जाने के लिए तैयार हो जाने की आशा हैं।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

2670. **श्री अमल दत्त :**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० द्वारा भारतीय ठेकेदारों को उनके द्वारा सप्लाई किये गये उपकरणों और सेवाओं के कुल मूल्य का साधारणतः कितने प्रतिशत अग्रिम भुगतान के रूप में दिया जाता है ;

(ख) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए बिरला टेकिनीकल सर्विसेज द्वारा दिये जाने वाले परामर्श/तकनीकी सेवाओं के लिए दी गई अग्रिम राशि निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा भारतीय ठेकेदारों को उनके द्वारा सप्लाई किये जाने वाले उपकरणों तथा सेवाओं के लिए साधारणतः 10 % अग्रिम का भुगतान किया जाता है। तथापि, कुछ मामलों में कार्य की प्रकृति को देखते हुए उच्च अग्रिम राशि दी जाती है।

(ख) दुर्गापुर इस्पात कारखाने की आधुनिकीकरण परियोजना के लिए स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड विदेशी पैकेजों के सभी स्वदेशी ठेकेदारों, जिसमें बिड़ला टेक्निकल सर्विसेज भी शामिल है, को 20 % अग्रिम देना स्वीकार किया था।

(ग) निविदाकारों से बातचीत के दौरान पार्टियों ने मूल्यों में कमी करने की पेशकश की थी बशर्ते उन्हें उच्च संचालन अग्रिम जैसी कतिपय सुविधाएं दी जाएं। पार्टियों का यह दृढ़ कथन था कि वे अपने आदानों की सप्लाई को रोके थीं क्योंकि मूल्य वृद्धि के लिए दी गयी अनुमति बहुत सीमित थी। अतएव शीर्षस्थ समिति ने उच्च अग्रिम के लिए अनुमति देने का निर्णय किया था क्योंकि इसे "सेल" के समग्र हित में समझा गया था।

इटली के साथ व्यापार समझौता

[हिन्दी]

2671. **श्री गुलाब चंद कटारिया :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1985 से जनवरी 1990 की अवधि के दौरान इटली के साथ हस्ताक्षर किए गए व्यापार समझौतों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इटली की उन कम्पनियों की संख्या कितनी है, जिन्होंने इस अवधि के दौरान भारत में अपनी पूंजी लगाई तथा इस पूंजी का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इटली से बड़ी मात्रा में संगमरमर के आयात का भारत में संगमरमर उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कारंवाई की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जनवरी, 1985 से जनवरी, 1990 की अवधि के दौरान इटली के साथ किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। तथापि, इटली के साथ वर्ष 1985 और 1988 में दो ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें इटली द्वारा क्रमश. 400 मिलियन अमरीकी डालर और 250 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण की व्यवस्था की गई थी।

(ख) जनवरी, 1985 से दिसम्बर, 1989 तक की अवधि में विदेशी सहयोग के 61 मामले अनुमोदित किए गए जिनमें इटली कम्पनियों द्वारा 47.01 करोड़ रु० के निवेश शामिल थे।

(ग) और (घ) सरकार स्वदेशी उद्योग को संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से प्रतिबंधात्मक आयात नीति अपनाती हैं।

भारत-बंगला देश सीमा पर तस्करी

2672. **श्री राजवीर सिंह** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले से बंगलादेश को सामान की तस्करी होने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा जुलाई 1990 तक, भारत-बंगलादेश सीमा पर पकड़े गए सामान का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्ट से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल सैक्टर सहित भारत-बंगलादेश सीमा तस्करी के लिए सुगम्य बनी हुई है। भू-सीमा के भारत-बंगलादेश सैक्टर में जुलाई, 1990 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान पकड़े गए निषिद्ध माल का मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	**पकड़े गए निषिद्ध माल का मूल्य (करोड़ रुपयों में)**
1988	7.63
1989	15.01
1990 (जुलाई तक)	9.43

आंकड़े अन्तिम हैं :

(ग) तस्करी रोधी अभियान को तेज कर दिया है। तस्करी-रोधी तंत्र को भारत-बंगलादेश सीमा सहित समग्र देश में सुदृढ़ कर दिया गया है और तस्करी का पता लगाने और इसे रोकने में लगी सभी संबंधित एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ ताल-मेल बनाए रखा जाता है।

तमिलनाडु में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में परियोजनाओं को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दी गई सहायता

[अनुवाद]

2673. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थित कितनी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने वर्ष 1989-90 के दौरान वित्तीय सहायता स्वीकृत की है ; और

(ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा उपरोक्त परियोजनाओं के लिए 1989-90 के दौरान वित्तीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि स्वीकृत की थी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने सूचित किया है कि वर्ष 1989-90 (अप्रैल-मार्च) के दौरान उसने तमिलनाडु के अधिसूचित किए गए औद्योगिक रूप से कम विकसित क्षेत्रों में स्थित 34 परियोजनाओं को 42.79 करोड़ रुपए की सहायता दी थी।

पंजाब में पर्यटन के विकास के लिए निधि का प्रावधान

2674. **श्री कमल चौधरी :**

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले अन्तिम दो वर्षों के दौरान पंजाब में पर्यटन के विकास के लिए कितनी सहायता दी गई है ; और

(ख) कुल कितनी राशि खर्च की गई है और उक्त अवधि के दौरान क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय ने पंजाब में पर्यटन का विकास करने के लिए 31 मार्च, 1990 को समाप्त गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 14.29 लाख रुपए की राशि प्रदान की है।

रोपड़ तथा फगवाड़ा स्थित पर्यटक आवास इस अवधि के दौरान पूरे हो गए।

मध्य प्रदेश के लिए केन्द्रीय सहायता राशि का निर्धारण

[हिन्दी]

2675. **श्री छबिराम अर्गल :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के लिए मध्य प्रदेश को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए केन्द्र द्वारा कितनी सहायता-राशि निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या राज्य के आकार को देखते हुए निर्धारित की गई धनराशि पर्याप्त है ;

(ग) क्या अप्रैल, 1990 से जून, 1990 की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं पर किए गए व्यय को देखते हुए सरकार का इस धनराशि में वृद्धि करने का विचार है ;

(घ) क्या खरीफ 90 के लिए आदान-राज सहायता के रूप में 2.65 करोड़ रुपये की धनराशि भी स्वीकृत की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि राज्य को दे दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) नौवें वित्त आयोग ने प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत संबंधी व्यय की पूर्ति करने के लिए मध्य प्रदेश हेतु प्रतिवर्ष 37 करोड़ रुपए के संग्रह से राज्य आपदा राहत कोष स्थापित करने की सिफारिश की है। यह राशि 1988-89 में समाप्त हुए दस वर्षों की अवधि के दौरान अनुमोदित व्यय की वास्तविक अधिकतम सीमा के औसत पर आधारित है। आयोग ने यही आधार सभी राज्यों के लिए समान रूप से अपनाया है। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष कोष में 75 प्रतिशत अर्थात् 27.75 करोड़ रु० का अंशदान करेगी और शेष 9.25 करोड़ रु० का अंशदान राज्य सरकार करेगी। भारत सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है इसलिए प्राकृतिक आपदाओं की राहत पर व्यय की पूर्ति करने के लिए चालू वर्ष के लिए आबंटित राशि राज्य सरकार के लिए उपलब्ध है। आबंटन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) वर्ष 1990-91 के लिए अपेक्षित आगत आर्थिक सहायता की 2.65 करोड़ रु० की राशि का वहन राज्य आपदा राहत कोष के लिए की गई आबंटित राशि में से किया जाना है इसलिए इस प्रयोजन के लिए अलग से इस निधि को देने का प्रश्न नहीं उठता।

स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सहायता का अनुपयोग

[अनुवाद]

2676. श्री टी० बशीर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेरोजगारी की समस्याओं के बावजूद स्व-रोजगार योजनाओं के तहत दिये जाने वाले ऋणों का पूरा सदुपयोग नहीं हो पा रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच की है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम सामने आये हैं ;

(ग) क्या उपर्युक्त तथ्य को मद्देनजर रखते हुए सरकार का स्व-रोजगार योजना में कोई परिवर्तन करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्व-रोजगार योजना तथा शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम सरकार ने स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किए हैं। उपर्युक्त दोनों योजनाओं के अन्तर्गत गत तीन वर्षों (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान कार्य निष्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

वर्ष	शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्व-रोजगार योजना		शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम	
	मंजूर किए गए मामलों की संख्या (लाख में)	मंजूर की गई राशि (करोड़ रुपए)	मंजूर किए गए मामलों की संख्या (लाख में)	मंजूर की गई राशि (करोड़ रुपए)
1986-87	2.17	469.91	3.41	116.14
1987-88	1.20	259.76	3.82	132.29
1988-89	1.92	404.39	3.51	134.48

योजनाओं के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव से पता चलता है कि कुल मिलाकर दोनों योजनाओं के अन्तर्गत संतोषजनक कार्य हुआ है। उक्त योजनाओं में परिवर्तन करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

न्यू बैंक आफ इण्डिया का पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय

2677. **श्री मान्धाता सिंह :**

श्री बृज भूषण तिवारी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू बैंक आफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार देश में बैंकिंग उद्योग के कार्य को सक्षम बनाने के लिए सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय करके भारतीय बैंकिंग निगम स्थापित करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) इस समय सरकार के पास इस बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान से यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया में किया गया निवेश

[हिन्दी]

2679. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया में किए गए निवेश की कुल धनराशि में राजस्थान का हिस्सा कितना था ;

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान राजस्थान में यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा किया गया निवेश कितना था ;

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) की धनराशियों के बीच क्या अनुपात है ; और

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों की कुल 3855 करोड़ रुपए की बिक्री में से राजस्थान राज्य में 1988-89 (जुलाई—जून) के दौरान 17.09 करोड़ रुपए की यूनिटों की बिक्री हुई।

(ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अपनी निधियों का निवेश कम्पनियों के इक्विटी शेयरों और ऋण पत्रों जैसी विभिन्न प्रतिभूतियों में करता है, और ये मुख्यतः विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों के माध्यम से गौण बाजार परिचालनों के जरिए की जाती है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट स्टाक एक्सचेंजों के माध्यम से अपने निवेशों के राज्यवार आंकड़े नहीं रखता है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट, ऐसे निवेशों के अतिरिक्त, नियमित क्षेत्र को आवधिक ऋण, निक्षेप आदि के रूप में प्रत्यक्ष सहायता भी प्रदान करता है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा राजस्थान में निगमित क्षेत्र को 1988-89 के दौरान दी गई ऐसी प्रत्यक्ष सहायता की राशि 53.88 करोड़ रुपए थी

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित भारतीय यूनिट ट्रस्ट के स्टाक एक्सचेंजों के माध्यम से किये जाने वाले निवेशों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न ही नहीं उठता।

सेवा सम्बन्धी मामलों में अपील दायर करने के बारे में अनुदेश

[अनुवाद]

2680. **श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे अनुदेशों/दिशा निर्देश जारी किए हैं कि सेवा सम्बन्धी मामलों में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, स्वायत्त निकायों को अपील नहीं करनी चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) जी नहीं। किन्तु भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि केवल ऐसे मामलों में अपीलें फाइल की जाएं जिनमें विधि विषयक या सार्वजनिक महत्त्व के प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय का आधिकारिक निर्णय अपेक्षित हो।

मध्य प्रदेश और बिहार में इस्पात संयंत्रों की स्थापना

[हिन्दी]

2681. **श्री तेज नारायण सिंह** :

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० का मध्य प्रदेश और बिहार में और अधिक इस्पात संयंत्र स्थापित करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

देश में आकाशवाणी दूरदर्शन केन्द्र

2682. **श्री हरिकेवल प्रसाद** :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

श्री रमेश चेन्नीथाला :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र काम रहे हैं ;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खोले जाने वाले नए केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में देश के पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का है ; और

(घ) यदि हां, तो किस आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) इस समय देश में, 100 आकाशवाणी केन्द्र, 520 दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र, 4 दूसरे चैनल के ट्रांसमीटर और 11 दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र कार्यरत हैं।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) आकाशवाणी और दूरदर्शन की विस्तार योजनाओं में पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों की कवरेज को उचित प्राथमिकता दी जाती है।

विवरण

(क) जिन नए रेडियो स्टेशनों की वर्ष 1990-91 के दौरान पूरा हो जाने की परिकल्पना है उनकी सूची

एफ० एम० ट्रांसमीटरों सहित नए रेडियो स्टेशन	
1	2
1. हसन	21. बारीपाड़ा
2. कन्नौर	22. कैलाशहर
3. शिवपुरी	23. जोरहाट
4. शहडोल	24. हाफलौंग
5. झालावाड़	25. बिलासपुर
6. अलवर	26. गोधरा
7. भटिंडा	27. वीड
8. पटियाला	28. वेतुल
9. कथुआ	29. खंडवा
10. बांसवाड़ा	30. अकोला
11. नागौर	31. यवतमाल
12. ओबरा	32. अहमदनगर
13. तिरूपति	33. रायगढ़
14. होसपेट	34. छिंदवाड़ा
15. कुरूनूल	35. बालाघाट
16. अनन्तपुर	36. सिंहभूमि
17. रायचुर	37. सासाराम
18. चित्रदुर्ग	38. चन्द्रपुर
19. बेलोनिआ	39. सतारा
20. पूर्णिया	40. नानदेड़

1	2
41. धर्मशाला	54. मरकापुरम
42. जैसलमेर	55. कारवर
43. चुरु	56. डाल्टनगंज
44. भदरवा	57. बेहरामपुर
45. मेरकारा	58. नौगांव
46. कोलापुर	59. हजारीबाग
47. कुरुक्षेत्र	60. चुराचांदपुर
48. चित्तौड़गढ़	61. बोलनगीर
49. सवाई माधोपुर	62. सागर
50. फैजाबाद	63. सूरत
51. बरेली	64. गुना
52. झांसी	65. धुले
53. पुंछ	66. नासिक

एम० डब्ल्यू ट्रांसमीटरों सहित नए रेडियो स्टेशन

1. जमशेदपुर
2. वाड़मेर
3. ऊटकमंड
4. भवानी पटना
5. दिफू

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वे दूरदर्शन परियोजनाएं जिनके चालू होने चालू होने की परिकल्पना है

1	2
परियोजनाएं	
1. उ० श० ट्रा० अनन्तपुर	10. उ० श० ट्रां०, कटिहार
2. स्टुडियो, सिलचर	11. स्टुडियो, पटना (अंतरिम सेट अप)
3. स्टुडियो, डिब्रूगढ़	12. ट्रांसपोजर, राजगढ़
4. स्टुडियो, गुवाहाटी (स्थायी सेट-अप)	13. का० नि० सु०, पणजी (चालू हो चुका है)
5. कार्यक्रम निर्माण और फीडिंग केन्द्र, गुवहाटी	14. अ० अ० श० ट्रां०, किलहोत्रन
6. स्टुडियो, ईटानगर	15. अ० अ० श० ट्रां०, नयेमा
7. का० नि० सु० मुजफ्फरपुर	16. अ० अ० श० ट्रां०, डेस्किट
8. का० नि० सु०, डाल्टनगंज	17. अ० अ० श० ट्रां०, तिमशोगम
9. उ० श० ट्रां० डाल्टनगंज	

1	2
18. अ० अ० श० ट्रां०, दरास	35. उ० श० ट्रां०, चुराचांदपुर
19. अ० अ० श० ट्रां०, सनकू	36. स्टुडियो, इम्फाल
20. अ० अ० श० ट्रां०, पदम	37. स्टुडियो, शिलांग
21. ट्रांसपोजर सुरनकोट	38. स्टुडियो, तुरा
22. ट्रांसपोजर, नगरोटा	39. उ० श० ट्रां०,-1 लुंगलई
23. का० नि० सु० जम्मू (अंतरिम सेट अप)	40. स्टुडियो, आईजोल
	41. स्टुडियो कोहिमा
24. का० नि० सु०, गुलबर्गा	42. उ० श० ट्रां०-1, मोकोकचुंग
25. उ० श० ट्रां०, धारवाड़	43. अ० श० ट्रां०, सालम्बर
26. उ० श० ट्रां०, शिमोगा	44. उ० श० ट्रां०, गंगटोक
27. स्टुडियो, भोपाल	45. स्टुडियो, अगरतला
28. का० नि० सु०, रायपुर	46. उ० श० ट्रां० भवानी पटना
29. उ० श० प्रे०, रायपुर (वर्तमान 1 कि० वा० ट्रांसमीटर के बदले) (चालू हो चुका है)	47. स्टुडियो, भुवनेश्वर (सीमित सुविधाएं)
	48. अ० अ० श० ट्रां०, मुंश्यरी
30. उ० श० ट्रां०, ग्वालियर (चालू हो चुका है)	49. अ० श० ट्रां० बरेली
	50. अ० श० ट्रां० चालू हो चुका है।
31. उ० श० ट्रां०, जगदलपुर	51. ट्रांसपोजर, मसूरी
32. उ० श० ट्रां०-1, जबलपुर	52. ट्रांसपोजर, चुर्क
33. उ० श० ट्रा०, औरंगाबाद (चालू हो चुका है)	53. ट्रांसपोजर, टाइगर हिल
	54. का० नि० सु०, पांडिचेरी
34. उ० श० ट्रां०, अम्बाजोगाई	55. का० नि० सु०, पोर्टब्लेयर

संक्षिप्ताक्षर

उ० श० ट्रा०—उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (10 कि० वा०)

उ० श० ट्रा०-1 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर(1 किलोवाट)

अ० श० ट्रा० अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

अ० अ० श० ट्रां० अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

का० नि० सु० कार्यक्रम निर्माण सुविधा।

समाचारों के प्रसारण-समय में वृद्धि

[अनुवाद]

2683. **श्री राम सागर (सैदपुर) :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन से प्रातः काल और सायंकाल प्रसारित होने वाले समाचारों के बीच विद्यमान

समय-अन्तर को कम करने के लिए दोपहर के प्रसारणों के दौरान अंग्रेजी और हिंदी में समाचार प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

निगमित कर की धारा 115(जे) को समाप्त किया जाना

2684. **श्री रामेश्वर प्रसाद :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निगमित कर की धारा 115 जे को समाप्त करने से कुछ कम्पनियां जीरो-टैक्स कम्पनियां बन गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है, और गत तीन वर्षों का इनके कर भुगतान का संक्षिप्त विवरण क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) वित्त अधिनियम, 1990 के तहत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 में संशोधन किया गया है ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि उक्त के धारा के उपबन्ध, कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 के किसी पिछले संगत वर्ष तथा बाद के वर्षों के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे । तदनुसार, संशोधन के प्रभाव की जानकारी केवल तभी हो सकेगी जब कर निर्धारण वर्ष 1991-92 के लिए आय की विवरणियां जिन्हें 31 दिसम्बर, 1991 को अथवा उससे पूर्व दायर किया जाना अपेक्षित है, प्राप्त होंगी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उदुमलपेट तमिलनाडु में ट्रांसमीटर/ट्रांसपोजर की स्थापना

2685. **श्री बी० राजरवि वर्मा :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उदुमलपेट तालुक की अधिकांश जनसंख्या के० के० एल० के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर से स्पष्ट प्रसारण नहीं देख पाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दूरदर्शन केन्द्र के मुख्य अभियन्ता ने उदुमलपेट के टेलीविजन दर्शक फोरम को यह लिखा था कि सातवीं योजनावधि के दौरान उदुमलपेट अथवा इसके निकट एक ट्रांसमीटर स्थापित किया जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो इस उपकरण की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इसे शीघ्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) आठवीं योजना अवधि के दौरान, उदुमलपेट में एक दूरदर्शन ट्रांसपोजर स्थापित करने की व्यवहारिकता की जांच की गई थी और यह पाया गया कि इसमें अपेक्षित प्रयोजन पूरा नहीं होगा क्योंकि ट्रांसपोजर के प्रचालन के लिए उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर, कोडाइकनाल से आवश्यक

पर्याप्त सिगनल उदुमलपेट में उपलब्ध नहीं हुआ। फिर भी सरकार का यह प्रयास है कि इस प्रयोजन के लिए धनराशि की उपलब्धता के अनुरूप उदुमलपेट में शीघ्रातिशीघ्र दूरदर्शन सेवा पहुंचाई जाए।

उड़ीसा में पर्यटन के विविधीकरण के लिए सहायता

2686. **श्री ए० एन० सिंह देव :**

क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा सरकार से पर्यटन में परम्परागत पर्यटन केन्द्रों का समुद्र तटीय पर्यटन जल क्रीड़ा, ट्रेकिंग और वन्य जीव पर्यटन में विविधीकरण करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को कितनी निधि दी जाएगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मालिक) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 1990-91 के दौरान उड़ीसा में शुरू की जाने वाली वन्य जीव पर्यटन से सम्बन्धित निम्नलिखित स्कीमों को स्वीकार कर लिया है :

क्रम सं०	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० में)
1.	चान्दबेली में फारेस्ट लॉज	5.00
2.	भितरकणिका वन्य जीव अभ्यारण्य में पर्यटक लॉज	5.00
3.	टीकरपाड़ा में फारेस्ट लॉज	15.00

जोखिम-भरे निर्यातों के लिए संरक्षण

2687. **श्री पी० एम० सईद** :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जोखिम-भरे निर्यातों के लिए संरक्षण उपलब्ध कराने हेतु कुछ वित्तीय निकाय का गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी. नहीं। भारतीय ऋण गारण्टी निगम जोखिम भरे निर्यातों के लिए भारतीय निर्यातकों को बीमा सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में पर्यटन को प्रोत्साहन

2688. **श्री सी० श्रीनिवासन :**

श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन :

क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंच-वर्षीय योजना अवधि के दौरान पर्यटन के विकास के लिए कितनी निधि का प्रावधान किया गया है ;

(ख) इस वर्ष के दौरान राज्यवार कितना आवंटन किया गया है ;

(ग) तमिलनाडु में पर्यटन का आगे और संवर्धन करने के लिए क्या क्षेत्र है ;

(घ) क्या सरकार को तमिलनाडु सरकार से दक्षिणी अर्काट जिले में कलरायन पहाड़ियों सहित तमिलनाडु में पर्यटन के संवर्धन हेतु कोई योजनाएं प्राप्त हुई हैं ;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(च) इन योजनाओं के कब तक स्वीकृत होने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) पर्यटन का विकास और संवर्धन करना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मन्त्रालय प्राप्त विशिष्ट परियोजनाओं/स्कीमों के सम्बन्ध में उनके गुण-दोष, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 1990-91 के लिए तमिलनाडु की निम्नलिखित परियोजनाओं/स्कीमों को वित्तीय सहायता हेतु प्राथमिकता प्रदान की गई है :—

1. तंजावर में पर्यटक परिसर

2. टेंट आवास

3. कुलसाकर पट्टिनम में पर्यटक सुविधाएं

4. कुम्भनकोणम में पर्यटक सुविधाएं

5. नौकाओं की खरीद

6. दो स्थानों पर मार्गस्थ सुख-सुविधायें अनुमानों सहित विस्तृत परियोजनायें/स्कीमें राज्य सरकारों से प्राप्त होनी हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

आयरन-ओर-फाइन्स का निर्यात

2689. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का बिहार के सिंहभूम जिले में हाल ही में गठित अपने "रॉ मैटिरियल डिविजन" के माध्यम से आयरन-ओर-फाइन्स का निर्यात करने का विचार है ;

(ख) क्या नवगठित "रा मैटिरियल डिवीजन" सीधे अथवा खनिज एवं धातु व्यापार निगम के माध्यम से आयरन-ओर-फाइन्स पर निर्यात करेगा ;

(ग) आयरन-ओर-फाइन्स का किन-किन देशों को निर्यात किये जाने का विचार है ;

(घ) क्या खनिज एवं धातु व्यापार निगम उड़ीसा में उपलब्ध आयरन-ओर-फाइंस का भी निर्यात कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो कब से ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) बिहार और उड़ीसा में स्थित "सेल" की निजी खानों से अधिशेष लौह अयस्क चूरों के निर्यात की संभावना का पता "सेल" द्वारा एम० एम० टी० सी० के साथ मिलकर लगाया जा रहा है। अभी कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है ।

(घ) और (ङ) जी, हां। 1978 से।

सोवियत रूस के साथ व्यापार

2690. **श्री नकुल नायक :**

श्री मनोरंजन भक्त :

श्री इरा अन्बारासु :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क क्या सरकार का सोवियत रूस के साथ वर्ष 1990-91 में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में और उसके लिए क्या शर्तें तय की गई हैं; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु यदि किन्हीं प्रोटोकोलो अथवा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (ग) भारत सोवियत व्यापार अपरिवर्तनीय भारतीय रुपए के आधार पर तथा दोनों देशों के बीच प्रभावी व्यापार समझौते के अनुसार संचालित किया जा रहा है, जो अब 31-12-95 तक वैध है । व्यापार समझौते के तहत व्यापार संलेख कैलेण्डर वर्ष के आधार पर सम्पन्न किये जाते हैं जिनमें प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए निर्धारित व्यापार के ब्यौरे निर्दिष्ट किये जाते हैं। वर्ष 1990 के लिए व्यापार योजना पर जनवरी, 1990 में हस्ताक्षर किये गए थे। इसमें वर्ष 1990 के दौरान 8800 करोड़ रुपए का व्यापार-कारोबार निर्धारित किया गया है, जिसमें भारत से सोवियत संघ को 5300 करोड़ रुपए का निर्यात करना तथा 3500 करोड़ रुपए का भारत द्वारा सोवियत संघ से आयात करना शामिल है। कारोबार के लिए निर्धारित यह लक्ष्य पिछले वर्ष के लिए निर्धारित कारोबार की तुलना में लगभग 26 प्रतिशत अधिक है। आयात सूची में शामिल मुख्य मदें हैं : विद्युत-उपस्कर तथा परिवहन उपस्कर जैसी विभिन्न मशीनरी मदें, अपरिष्कृत तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन तथा रासायनिक उत्पाद, उर्वरक, अलौह धातुओं जैसी वस्तुएं अखबारी कागज, एस्वेस्टास आदि जैसा अन्य औद्योगिक माल तथा इस्पात उत्पाद । व्यापार योजना में भारत से निर्यात की मुख्य मदों में शामिल हैं : कृषि उत्पाद, खनिज एवं अयस्क, रसायन एवं रासायनिक उत्पाद, वस्त्र मदें, जिनमें सिलेसिलाए परिधान शामिल हैं, चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद तथा बड़ी संख्या में इंजीनियरी सामान हालांकि व्यापार योजना सरकारी स्तर पर तैयार की जाती है, परन्तु वास्तविक व्यापार दोनों देशों के बीच उन विभिन्न व्यावसायिक संगठनों द्वारा किया जाता है जो सम्बन्धित व्यावसायिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट खरीद/बिक्री संविदाएं करते हैं।

वर्ष 1991 के लिए भारत सोवियत व्यापार योजना चालू वर्ष की अन्तिम तिमाही में तैयार हो जाने की आशा है।

महाराष्ट्र के पहाड़ी स्टेशनों का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

2691. **श्री सुदाम दत्तात्रेय देशमुख :**

क्या **पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने चिकहलडा (पहाड़ी स्टेशन) की अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उसको पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए अनुमोदन हेतु कोई योजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह योजना कब तक अनुमोदित हो जाएगी ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रबड़ के मूल्य

2692. **श्री रमेश चेन्नीथाला :**

श्री पलाई के० एम० मैथ्यू :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रबड़ के मूल्य कम हुए हैं ;

(ख) क्या उत्पादन की अधिक लागत और तैयार माल के अत्यधिक मूल्य को देखते हुए, रबड़ का वर्तमान मूल्य उत्पादकों के लिए लाभकारी नहीं है ;

(ग) क्या सरकार का चालू मौसम के दौरान रबड़ का और आयात न करने तथा आयातित रबड़ को बाजार में जारी न करने का विचार है ; और

(घ) उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी, हां।

(ख) रबड़ की कीमत जो माह मई तथा जून, 1990 के दौरान बढ़ गई थी, उसमें माह जुलाई, 1990 के उत्तरार्द्ध से गिरावट का रुख दर्शाया गया है। सही औसत क्वालिटी ग्रेड रबड़ अर्थात आर० एम० ए-4 ग्रेड के लिए कीमत दिनांक 18-8-90 को 20.25 रु० प्रति किग्रा० थी और इसे लाभकारी समझा जा सकता है।

(ग) और (घ) वर्ष 1990-91 के दौरान कुल 40,000 मी० टन प्राकृतिक रबड़ के आयात का प्रस्ताव है। रिलीज की जाने वाली रबड़ की मात्रा का मूल्यांकन बाजार स्थिति के आधार पर समय-समय पर किया जाएगा। एस० टी० सी० एक बफर स्टॉकिंग योजना चला रहा है जिसका उद्देश्य रबड़ के लिए एक ऐसी स्थिर एवं लाभकारी कीमत बनाए रखना है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एस० टी० सी० द्वारा ऐसे समय में स्थानीय बाजार से रबड़ की खरीद किये जाने की व्यवस्था है जब

कीमत का रुख लागत आंकड़ों के आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित, बैंच मार्क कीमत से नीचे किसी एक खास स्तर तक गिर जाने का हो।

केरल में गैर-सरकारी उद्योगों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता

2693. **श्री सुरेश कोडीकुन्नील :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में गैर-सरकारी उद्योगों को अखिल भारतीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऋण के रूप में कितनी धनराशि दी गई है ;

(ग) क्या किन्हीं मामलों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने में विलम्ब हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं नामतः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ने केरल के निजी क्षेत्र के उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराएं हैं। इन संस्थानों से प्राप्त सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों अर्थात 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान संवितरित किए गए ऋण की कुल राशि 62.86 करोड़ रुपए थी।

ऋण की राशि की मंजूरी के उपरांत सहायता प्राप्त संस्थान द्वारा आशय-पत्र की स्वीकृति दस्तावेजों के निष्पादन, संबद्ध एजेंसियों की स्वीकृति प्राप्त करने, प्रवर्तकों का वांछित अंशदान प्राप्त करने आदि में कुछ समय लग जाता है। इन महत्वपूर्ण औपचारिकताओं/संवितरण पूर्व शर्तों के पूरा होने के पश्चात् और कानूनी दस्तावेजों के निष्पादन के उपरांत ही संवितरण किया जाता है। इस प्रकार जहां संवितरण पूर्व शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, उन मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण के संवितरण में कोई विलम्ब नहीं होता है।

अखबारी कागज का आयात

2694. **श्री राम बहादुर सिंह :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और देशवार कितना और कितने मूल्य का अखबारी कागज आयात किया गया ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार रुपये में भुगतान किये जाने वाले देशों से कितनी मात्रा और कितने मूल्य का अखबारी कागज आयात किया गया और वर्ष 1990-91 के दौरान इन देशों से कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का अखबारी कागज आयात करने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या रुपये में भुगतान किये जाने वाले देशों से अखबारी कागज के आयात के लिए निर्धारित धनराशि का पूर्णरूपेण उपयोग कर लिया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो दुर्लभ विदेशी मुद्रा बचाने के लिये रुपये में भुगतान किये जाने वाले क्षेत्र से अधिकतम मात्रा में आयात करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ;

(ङ) क्या स्केन्डीवेनियन देशों से अखबारी कागजों का आयात बढ़ा दिया गया है ; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) विवरण-पत्र संलग्न है ।

(ख) वर्ष 1987-88 से वर्ष 1989-90 के दौरान रुपया भुगतान क्षेत्र के देशों से आयातित अखबारी कागज की मात्रा तथा मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

	1987-88	1988-89	1989-90
मात्रा (मी० टन० में)	96095	76881	91152
मूल्य (लाख रु० में)	6915.37	7265.82	10045

वर्ष 1990-91 के दौरान, 2,70,000 मी० टन आयात करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) सोवियत संघ के मामले में व्यापार योजना प्रावधान का पूरी तरह उपयोग किया गया है तथा अन्य रुपया भुगतान क्षेत्र के देशों के मामले में यह प्रयास किए जा रहे हैं कि इस प्रावधान का अधिकतम उपयोग किया जाय।

(ङ) और (च) स्केन्डीवेनियन देशों से आयात बढ़ने का कारण यह है कि कनाडा, जो कि विश्व में सबसे बड़ा सप्लाई स्रोत है, उसकी भाड़ा दरों की तुलना में इन देशों की दरें कम हैं। इसके अलावा लदान अवधि भी कम है।

विवरण

वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान अखबारी कागज के प्रमुख देशवार आयात

मात्रा टन में

मूल्य लाख रुपये में

क्रमांक	मद/देश का विवरण	1987-88		1988-89		1989-90	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अखबारी कागज						
	आस्ट्रेलिया	318	22.47	—	—	—	—
	आस्ट्रिया	991	67.30	83	35.56	197	19.51
	बंगलादेश	13603	887.37	5801	564.97	3490	373.63
	कनाडा	64281	4814.02	69097	6914.41	24474	2706.48
	फिनलैंड	42748	3446.91	18716	1983.63	21804	2743.82
	फ्रांस	490	35.02	—	—	—	—
	जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य	128.25	818.88	13905	1219.95	12812	1454.44
	जर्मन संघीय गणराज्य	2752	162.50	980	75.63	4024	446.80
	इटली	295	17.28	2934	211.80	509	42.94
	जापान	255	15.46	8	0.79	200	18.86
	नीदरलैंड	290	21.63	1206	126.32	3641	444.09

1	2	3	4	5	6	7	8
	न्यूजीलैंड	8462	594.63	6618	698.31	10070	1102.75
	नार्वे	4098	296.02	5033	378.44	1939	179.90
	पोलैंड	1131	66.24	—	—	6217	729.07
	रोमानिया	6001	383.88	2486	192.70	11255	1223.48
	स्वीडन	10913	831.26	10320	1046.20	23602	2596.52
	स्विट्ज़रलैंड	303	17.13	47	4.73	198	21.10
	ब्रिटेन	436	38.69	6	0.54	49	3.99
	संयुक्त राज्य अमरीका	557	35.57	1535	139.99	1462	152.47
	सोवियत संघ	76138	5646.37	60490	5853.17	58762	6395.17
	युगोस्लाविया	3449	219.97	2083	215.83	11618	1329.07
	चेकोस्लोवाकिया	—	—	—	—	2106	242.32
	अन्य	1034	69.62	58	7.41	1484	170.73
	योग	251372	18508.22	201406	19670.38	199913	22367.22

टिप्पणी : आंकड़े अनन्तिम हैं।

स्रोत : अग्रिम आंकड़े वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता से प्राप्त किए गए हैं।

पूर्ति विभाग द्वारा खरीद करना

[हिन्दी]

2695. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा खादी और ग्रामोद्योग को कितने मूल्य की कितनी वस्तुओं को खरीदा गया, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या पूर्ति विभाग का खादी और ग्रामोद्योग की वस्तुएँ खरीदने के सम्बन्ध में कुछ निश्चित प्रतिशत कोटा तय करने का विचार है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में कितनी राशि प्रोत्साहन के रूप में दिए जाने का विचार किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) खादी-सूती और ऊनी कपड़े खादी ग्रामोद्योग आयोग से ही खरीदे जाने के लिए आरक्षित हैं। जहां तक अन्य मदों का सम्बन्ध है, उनकी खरीद खादी ग्रामोद्योग आयोग की यूनिटों से करने के लिए कोई कोटा निश्चित किए जाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग को दिए गए आदेशों की मात्रा तथा मूल्य

वर्ष	भंडार	मात्रा	मूल्य (लाख रुपयों में)
1	2	3	4
1987-88	खादी डस्टर	531402 नग	25.13
	खादी कपड़ा दसूती	113728 मीटर	11.00
	खादी कपड़ा पगड़ी	2400 नग	0.81
	खादी कपड़ा डूंगरी	1131 मीटर	0.53
	खादी की अन्य मदें	2610169 मीटर	
		170000 नग	158.29
		कुल	195.76
1988-89	लॉण्ड्री/धोने का साबुन	1200000 छड़े	57.60
	टायलेट साबुन	1200000 टिकिया	36.00
	खादी कपड़ा पगड़ी	14100 नग	4.85
	खादी डस्टर	2155545 नग	59.89

1	2	3	4
	खादी कपड़ा दसूती	17675 मीटर	2.99
	खादी कपड़ा शीटिंग	25835 मीटर	2.05
	पल्प बोर्ड	119 मीट्रिक टन	10.55
		कुल	173.93
1989-90	खादी कपड़ा	2999785 मीटर	354.67
	खादी डस्टर	1888408 नग	70.95
	पल्प बोर्ड	58314 किलोग्राम	5.90
		कुल	431.52

टिप्पणी :—सूचना विलम्ब से प्राप्त होने के कारण खादी और ग्रामोद्योग आयोग से वर्ष 1988-89 में की गई 1.68 करोड़ रु० की खरीद को वर्ष 1989-90 में दिखाया गया।

मुख्यमंत्रियों की विदेश यात्राएं

[अनुवाद]

2696. श्री पलाई के० एम० मैथ्यू :

प्रो० के० वी० थामस :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून-जुलाई, 1990 में विदेश यात्रा पर गए राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों ने कितनी विदेशी वित्तीय अथवा अन्य सहायता के लिए बातचीत की ;

(ख) इस अवधि में कौन-कौन से मुख्य मंत्री विदेश यात्राओं पर गए थे ;

(ग) उनकी विदेश यात्राओं का उद्देश्य क्या था ;

(घ) क्या उन्हें विदेशी सरकारों, विदेशी वित्तीय अथवा औद्योगिक एजेंसियों, विश्व बैंक अथवा प्राइवेट एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श करने का अधिकार दिया गया था ;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(च) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ; और

(छ) क्या ये सरकारी यात्राएं थीं अथवा सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रायोजित की गई थीं और यदि प्रायोजित की गई थीं, तो प्रायोजित एजेंसियों के नाम क्या हैं और उन्होंने इन यात्राओं पर कितनी धनराशि खर्च की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) जून-जुलाई, 1990 के दौरान राज्यों से निम्नलिखित मुख्यमंत्री/मंत्री अपने-अपने राज्य में अनिवासी भारतीयों के निवेशों की संभावना का पता लगाने के लिए विदेश गए थे।

1. डा० एम० चेन्ना रेड्डी, मुख्य मंत्री (आन्ध्र प्रदेश) —30 मई, 1990 से 15 दिन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका।

2. श्री ई० के० नायनार, मुख्य मंत्री (केरल) श्रीमती के० आर० गौरी अम्मा, उद्योग मंत्री (केरल) और श्री बेबी जोन, सिंचाई मंत्री (केरल) के साथ 27 जून, 1990 से 10 दिन के लिए सयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा।

दौरों का स्वरूप संभावनाओं का पता लगाना और प्रकृति से संवर्धनात्मक था तथा इन दौरों के फलस्वरूप संभावित निवेशों की मात्रा बताना संभव नहीं है।

(घ) से (च) अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ बातचीत तथा विदेशी ऋणों और सहायता संबंधी मामले केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तथापि, राज्य सरकारों और परियोजना प्राधिकारियों द्वारा, विकास परियोजनाओं के सम्बन्ध में परस्पर हितों के मामलों पर चर्चा करने पर कोई रोक नहीं है ;

(छ) दोनों ही मामलों में दौरे सम्बन्धित राज्यों द्वारा प्रायोजित किए गए थे।

बैंकों द्वारा किसानों तथा उद्योगपतियों को दिए गए ऋण

2697. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

श्री आर० एन० राकेश :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों द्वारा गरीब किसानों को दिये जाने वाले ऋणों का अनुपात औद्योगिक प्रयोजनों के लिए दिए जाने वाले ऋणों की तुलना में बहुत ही कम है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा किसानों तथा उद्योगपतियों को वर्षवार और बैंकवार कितनी-कितनी धनराशि के ऋण दिए गए ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने किसानों को और अधिक ऋण मंजूर करने के लिए बैंकों को कोई अनुदेश जारी किए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। अलबत्ता, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए क्षेत्रवार बैंक ऋण का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

करोड़ रुपए

व्यवसाय	दिसम्बर 1987	दिसम्बर 1988	सितम्बर 1989
1. उद्योग			
(एक) बड़े और मझौले	24282	29658	35225
(दो) लघु उद्योग	10469	12663	4180
2. कृषि	11938	13742	4894
3. अन्य	22271	24060	26169
कुल निवल बैंक ऋण	68960	80123	90468

कमजोर वर्गों को दिया गया ऋण, जिनमें अन्यों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर और कारीगर शामिल हैं, बहुत थोड़ी-थोड़ी राशि के हैं जिसका कारण मुख्यत: उनके कार्य-कलाप का सीमित दायरा है और जिसके परिणाम स्वरूप ऋण लेने की उनकी क्षमता भी कम है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित किया गया है कि बैंक अपनी कुल बकाया/ऋण राशि का 10 प्रतिशत लक्ष्य कमजोर वर्गों के लिए उपलब्ध करायेंगे। दूसरी ओर औद्योगिक प्रयोजनों के लिए दिया गया ऋण अधिक राशि का होता है क्योंकि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता और अन्य निवेश सम्बन्धी अपेक्षाएं अधिक होती हैं। अत: इन दोनों कार्यकलापों के क्षेत्रों का विश्लेषण और नीति सम्बन्धी निर्णयों की दृष्टि से तुलना करना ठीक नहीं है।

(घ) और (ङ) छोटे और सीमान्त किसानों और कमजोर वर्गों में ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जैसे कि 10 प्रतिशत वार्षिक की रियायती ब्याज दर, चालू देय राशियों पर ब्याज को चक्रवृद्धि न करना. 10,000 रु० तक के ऋणों पर अन्य पक्ष गारंटी, अथवा सम्पार्श्विक प्रतिभूति के लिए जोर न देना अल्पावधिक फसल ऋणों के मामले में, नामे डाला गया ब्याज मूलधन से अधिक नहीं होना चाहिए। फसल नष्ट हो जाने की स्थिति में, देय राशि को 3 से 5 वर्ष की अवधि में पुनर्निर्धारित किया जाता है और किसानों को नया ऋण दिया जाता है।

"स्त्री शक्ति पैकेज स्कीम" के अन्तर्गत बैंकों द्वारा दी गई सहायता

2698. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों द्वारा शुरू की गई "स्त्री शक्ति पैकेज स्कीम" का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) वर्ष 1989 के दौरान तथा जून, 1990 तक इस योजना के अन्तर्गत बैंकों में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और इनमें से कितने आवेदन पत्र बैंक-वार तथा राज्य-वार मंजूर किये गये और प्रत्येक को कितना-कितना ऋण दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि महिलाओं को अपने उद्यम स्थापित करने और उन्हें चलाने के वास्ते सहायता देने के लिए नवम्बर 1988 से "स्त्री शक्ति पैकेज" नामक एक पैकेज शुरू किया गया है, जिसमें सहायता देने की वर्तमान सभी योजनाएं शामिल हैं। ब्याज दर के सम्बन्ध में रियायतें उदाहरणार्थ सामान्य ब्याज दर से 0.5 प्रतिशत कम ब्याज और प्रवर्तकों का मार्जिन उदाहरणार्थ सामान्य मार्जिन से 5 प्रतिशत कम मार्जिन इस पैकेज का भाग है। जिनके पास औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं हैं उनकी सहायता करने के लिए "स्वरोजगार कार्यों के लिए जागरूकता कार्यक्रम" और "छोटे कार्यों के लिए उद्यमवृत्ति शिक्षा कार्यक्रम" तैयार किये गये हैं। आज तक 54 ऐसे कार्यक्रम आयोजित किये गए हैं और 1596 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने आगे सूचित किया है कि मार्च 1990 के अन्त तक बैंक ने 1,90,225 महिला उद्यमियों को 122.43 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है। इसमें से 17,757 महिलाओं को "स्त्री शक्ति पैकेज" के अन्तर्गत कुल 12.82 करोड़ रुपये की बकाया राशि की वित्तीय सहायता दी गई है।

पश्चिमी बंगाल में बैंकों में जमा राशि और उनके द्वारा दिए गए ऋण

2699. **श्री चित्त बसु :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल कितनी राशि जमा थी ;

(ख) बैंकों द्वारा 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार विभिन्न स्व रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत राज्य में कुल कितना ऋण दिया गया ; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान इस शीर्ष के अन्तर्गत बैंक लक्ष्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) मार्च 1990 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों की कुल जमा राशियां 15,039.97 करोड़ रुपये थीं ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 30 जून, 1990 को शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना और शहरी गरीबों के स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में बैंकों द्वारा मंजूर किये गये कुल ऋण निम्नानुसार हैं :—

(रकम करोड़ रुपए में)

	हिताधिकारियों की संख्या	मंजूर किया गया ऋण
शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना	1,14,597	242.08
शहरी गरीबों का स्वरोजगार कार्यक्रम	81,071	28.19

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य के सम्बन्ध में वर्ष 1990-91 के लिए शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विकास आयुक्त, लघु उद्योग द्वारा 11,100 हिताधिकारियों का लक्ष्य रखा गया है । शहरी गरीबों के स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रखे जाने वाले लक्ष्यों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

लघु क्षेत्र के उद्योगों द्वारा निर्यात

2700. **श्री हरिन पाठक** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक निर्यात का अधिकांश भाग लघु क्षेत्र के उद्योगों द्वारा ही किया जाता है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, उत्पादित माल के कुल निर्यात में लघु क्षेत्र के उद्योगों का भाग कितने प्रतिशत था ;

(ग) क्या सरकार का विचार लघु क्षेत्र के उद्योगों के वास्ते अपने माल के निर्यात और उसे प्रोत्साहन देने के लिए तथा अपनी निर्यात सम्बन्धी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा करवाने के लिए एक अलग एजेंसी स्थापित करने का है ;

(घ) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस चरण में विचाराधीन है , और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) चालू अनुमानों के अनुसार 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान विनिर्मित माल के कुल निर्यात में लघु उद्योग क्षेत्र का भाग क्रमशः 39.3%, 36.8% तथा 34.3% था।

(ग) से (ङ) लघु उद्योगों के निर्यातकों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में लघु क्षेत्र विभाग तथा कृषि एवं गामीण उद्योगों के अन्तर्गत एक अलग से निकाय स्थापित करने का प्रस्ताव है।

आर्थिक नीति पत्र

2701. **कुमारी उमा भारती** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आर्थिक नीति पत्र जारी किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धीं ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने अर्थव्यवस्था में और अधिक खुलापन लाने का निर्णय किया है जबकि औद्योगिक विकास के विस्तृत निर्देशों पर नीतिगत नियन्त्रण बनाये रखा है ;

(घ) क्या इस खुली आर्थिक नीति से बिना किसी प्रतिबंध के मुक्त रूप से भारत में विदेशी कम्पनियों द्वारा पूंजी-निवेश को सहायता मिलेगी ;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस नीति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ेगा ; और

(च) यदि हां, तो किस सीमा तक पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में सरकार की नीति उद्योग मंत्री द्वारा संसद में 31.5.90 को पहले ही घोषित "लघु और कृषि आधारित उद्योगों के संवर्धन के लिए नीति सम्बन्धी उपायों और औद्योगिक अनुमोदनों की प्रक्रियाओं में परिवर्तनों" में प्रतिपादित है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) नई नीति के प्रभाव का पूर्वानुमान लगाना इस समय संभव नहीं है ;

दूरदर्शन द्वारा टेली धारावाहिकों का प्रसारण

2702. **श्रीमती उमा गजपति राजू** :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केंद्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा प्री-सेंसरशिप की सीमा के अन्तर्गत दूरदर्शन द्वारा प्रसारण हेतु टेली धारावाहिकों को शामिल करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित चलचित्र अधिनियम, 1952 तथा उसके तहत बने नियमों में यथानिर्धारित फिल्मों के प्रमाणन सम्बन्धी उपबन्धों से दूरदर्शन कार्यक्रमों को

छूट है, बशर्ते कि प्रसारण के लिए कार्यक्रमों को पास करते समय, महानिदेशक अथवा संबंधित केंद्रों के निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नाम जारी फिल्म प्रमाणन मार्गदर्शनों को ध्यान में रखें।

मिजोरम में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश

2703. **डॉ० सी० सिलवेरा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम पर्यटन विभाग को बढ़ावा देने के लिए अनिवासी भारतीयों द्वारा किये जाने वाले पूंजी निवेश में से कुछ राशि मिलेगी ; **और**

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) अनिवासी भारतीयों को भारत में तीन से पांच सितारा होटलों में निवेश करने की अनुमति है। देश के किसी भी भाग में निवेश करने का निर्णय उनके द्वारा वाणिज्यिक दृष्टि से लिया जाता है।

राजस्थान में रणकपुर, सरदार सामंद (पाली) में पर्यटन का विकास

[हिन्दी]

2704. **श्री गुमान मल लोढा** :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रणकपुर और माऊंट आबू के विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिरों को बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों द्वारा देखे जाने को ध्यान में रखते हुए, रणकपुर और सरदार सामंद (पाली) का पर्यटक केन्द्रों में विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) और (ख) रणकपुर तथा माउंट आबू को, राज्य सरकार के परामर्श से संवर्धन हेतु अभिनिर्धारित तीन यात्रा परिपथों में से एक यात्रा परिपथ में शामिल किया गया है। सरदार सामंद (पाली) के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ हैं।

बैंक ब्याज दरों का पुनः निर्धारण

[अनुवाद]

2705. **श्री बसन्त साठे :**

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक ब्याज दरों के पुन: निर्धारण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) प्रस्तावित पुन: निर्धारण का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) नयी ब्याज दरें किस तिथि से लागू हो जायेंगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के लिए निर्धारित ब्याज दरों के ढांचे की निरंतर समीक्षा की जाती है। इस संबंध में नीति को लचीले ढंग से लागू किया जाता है और अर्थव्यवस्था में वर्तमान तथा सामने आ रही परिस्थितियों के अनुसार समय-समय पर परिवर्तन किए जाते हैं।

(ख) से (घ) ये सवाल ही पैदा नहीं होते।

उड़ीसा में दूसरा इस्पात संयंत्र स्थापित किया जाना

2706. **श्री डी० अमात :**

श्री सूर्यनारायण सिंह :

श्री लोकनाथ चौधरी :

श्री चित बसु :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना के दौरान इस्पात संयंत्र स्थापित करने के प्रस्तावित स्थल पारादीप के स्थान पर उड़ीसा के दैतारी में दूसरा इस्पात संयंत्र स्थापित करने का विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) पारादीप में नहीं, बल्कि दैतारी में इस्पात संयंत्र की स्थापना से संबंधित एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। तथापि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संसाधनों के आवंटन के बारे में जानकारी मिलने के बाद ही इस प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से निर्णय लिया जाएगा।

भारत और अन्य देशों में चाय बोर्ड के कार्यालय

[हिन्दी]

2707. **श्री जनार्दन तिवारी :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश और विदेश में चाय बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय कहां-कहां स्थित है ; और

(ख) इनमें कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) देश और विदेश में ऐसे स्थान जहां टी० बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं और उनमें नियुक्त व्यक्तियों की संख्या 31.3.90 की स्थिति के अनुसार निम्नानुसार है :

स्थान का नाम (भारत में कार्यालय)	कर्मचारियो की संख्या
1	2
कलकत्ता (मुख्यालय)	515
नई दिल्ली	118

1	2
बम्बई	16
मद्रास	23
कोचीन	38
कुनूर	39
कोट्टायाम	4
अगरतल्ला	3
सिलचेर	8
गुवाहाटी	21
जोरहाट	13
तेजपुर	5
सिलीगुड़ी	16
पालमपुर	8
लखनऊ	5
अमृतसर	3
कुरसियोंग	17
कुल	852

कार्यालय (विदेश)	भारत आधारित
लंदन	3
ब्रुसेल्स	3
सिडनी	2
न्यूयार्क	1
काहिरा	4
कुवैत	3
कुल	16

चाय का उत्पादन और निर्यात

[अनुवाद]

2708. **श्री ई० एस० एम० पाकीर मोहम्मद :**

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान कुल कितनी मात्रा में चाय का उत्पादन हुआ ;

(ख) विभिन्न देशों को कुल कितनी मात्रा में और किस-किस किस्म की चाय का निर्यात किया गया ;

(ग) इसके निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी ;

(घ) क्या उस वर्ष के दौरान देश में चाय के मूल्य प्रभावित हुए थे ;

(ङ) सरकार का स्वदेशी बाजार में चाय के मूल्य स्थिर रखने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(च) वर्ष 1990-91 के लिए चाय के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान भारत में उत्पादित चाय की कुल मात्रा 702.80 एम० किग्रा० आंकी गयी है।

(ख) और (ग) चाय बोर्ड के अनुसार विभिन्न देशों को निर्यात की गई चाय की किस्मवार मात्रा तथा उससे अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नलिखित हैं :

मात्रा : एम० किग्रा०
मूल्य : करोड़ रुपए

	मात्रा	मूल्य
बल्क चाय	112.41	426.59
पैकेट चाय	*88.54	419.66
टी० बैग्स	*0.71	6.10
इन्सटेंट चाय	1.25	10.10
कुल	202.91	862.45

*जारी किए गए लदान लाइसेंसों पर आधारित।

(घ) जी हां।

(ङ) स्वदेशी बाजार में चाय की कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

(1) चाय की कीमतों की मानीटरिंग करने और आवश्यक सुझाव देने के लिए विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक मानीटरिंग समिति गठित की गई है।

(2) चाय उत्पादकों से कहा गया है कि वे सभी नीलामी केन्द्रों पर अपनी चाय की आवक को अधिक करें।

(3) उत्पादकों से कहा गया है कि वे 10 एम० किग्रा० चाय उपलब्ध करायें जिसे देश में विस्तृत दुकानों के माध्यम से पैकेटों में 40/-रु० प्रति किग्रा० बेचा जा सके। इस पर स्थानीय कर अलग से होगा।

(च) वर्ष 1990-91 के दौरान, चाय के निर्यात का लक्ष्य 230 एम० किग्रा० रखा गया है।

चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा दिए गए ऋण

2709. **श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार के पूर्व और पश्चिम चम्पारन जिलों में चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा प्रतिवर्ष कितनी-कितनी धनराशि के ऋण दिए गए ;

(ख) क्या उपर्युक्त जिलों में अधिक गरीबी और बेरोजगारी को देखते हुए वहां रहने वाले लोगों के आर्थिक उद्धार के लिए वहां अधिक मात्रा में पूंजी निवेश किये जाने की आवश्यकता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को क्षेत्रीय कारीगरों, छोटे व्यापारियों और किसानों को अधिक मात्रा में ऋण देने का विचार है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वी तथा पश्चिमी चम्पारन जिलों में चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा जो ऋण राशि दी गई वह इस प्रकार है :

1986	404.52 लाख रुपए
1987	278.77 लाख रुपए
1988-89 (15 महीनों की अवधि)	213.80 लाख रुपए

(ख) से (घ) सेवा क्षेत्र योजनाएं जिले की ऋण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर बनाई जाती है और सभी बैंक तदनुसार ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी अपने क्षेत्र में अनुमोदित सेवा क्षेत्र योजना के अनुसार उधारकर्ताओं के लक्ष्य समूह को ऋण प्रदान करेगा।

चिराग दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा

2710. **श्री कड़िया मुण्डा :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी चिराग दिल्ली स्थित शाखा स्वामी नगर स्थानान्तरित कर दी है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या यह शाखा भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति से स्थानांतरित की गई थी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि उसने पुराने परिसर में जगह की कमी और उसके चारों ओर अस्वास्थ्यकर हालत के कारण अपनी चिराग दिल्ली शाखा को स्वामी नगर स्थानांतरित किया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक की कार्रवाई को अनुमोदित कर दिया है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंकों से लिये जाने वाले ब्याज का दर

2711. **बाबा सुच्चा सिंह :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक राज्य सहकारी बैंकों से किस दर पर ब्याज वसूल करता है ;

(ख) प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (जी० सी० ए० एस०) सदस्यों से ब्याज किस दर पर वसूल करती है ;

(ग) क्या प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज की दरें और अधिक बिचौलियों के होने के कारण ऊंची हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार बिचौलियों को कम करना है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) सामयिक कृषि संबंधी कार्यों के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा, राज्य सहकारी बैंकों को उपलब्ध कराए गए वित्त पोषण पर, ली जाने वाली ब्याज की दरें नीचे दी गई हैं :

प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पी० ए० सी०) के औसत बकाया के प्रतिशत के रूप में नाबार्ड से प्राप्त औसत ऋण	ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)
60 तक	3
60 से अधिक और 80 से कम	4
80 से अधिक	5

(ख) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा उनके सदस्यों से ली जाने वाली नाबार्ड द्वारा निर्धारित की गई ब्याज की दरें नीचे दी गई हैं :

ऋण की श्रेणी	ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)
7500 रु० तक के ऋण	10
7500 रु० से अधिक और 15000 रु० से कम के ऋण	10.5
15000 रु० से अधिक और 25000 रु० से कम के ऋण	12.0
25000 रु० से अधिक के ऋण	12.5 से 14.0 तक

(ग) से (ङ) कृषि ऋणों के लिए ब्याज की दरें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तय की जाती हैं और इनमें सहकारी समितियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में एक रूपता बरती जाती है। ब्याज की दरें निर्धारित करते समय आगे ऋण देने का कार्य करने वाले संस्थानों के

स्वरूप को ध्यान में नहीं रखा जाता है। सहकारी क्षेत्र की किसी माध्यम संस्था (टायर) को समाप्त करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

आयातित कारों पर सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व में वृद्धि

2712. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजट में आयातित कारों पर लगे सीमा शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि दर्शाई गई है जबकि इस वर्ष आयातित कारों की संख्या में कमी आने की सम्भावना है चूंकि आयात नीति में इस आशय का परिवर्तन किया गया है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित कारों की संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है और 1600 सी० सी० श्रेणी तथा 1600 सी० सी० श्रेणी से अधिक की श्रेणी से सरकार को प्राप्त राजस्व का ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर सीमा शुल्क की श्रेणी जैसे राजनयिक आदि की श्रेणी द्वारा आयातित कारों की संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) आयातित कारों पर सीमाशुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व के बारे में बजट में कोई विनिर्दिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

सिलचर में दूरदर्शन स्टूडियो का निर्माण

2713. **श्री सन्तोष मोहन देव :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलचर में दूरदर्शन स्टूडियो निर्माणाधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य पूरा होने की लक्षित तारीख क्या है ; और

(ग) इसका निर्माण कार्य समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (ग) सिलचर में, दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र का मुख्य संस्थापना कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। अपेक्षित स्टाफ उपलब्ध होते ही, केन्द्र को सेवा के लिए चालू कर दिये जाने का कार्यक्रम है।

धातु एवं खनिज व्यापार निगम द्वारा अमेरिका और जार्डन में संयुक्त उद्यम

2714. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धातु एवं खनिज व्यापार निगम ने डी० ए० पी० और फास्फोरिक एसिड के उत्पादन के लिए अमेरिका और जोर्डन में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमरीका और जार्डन में डी० ए० पी०/फास्फोरिक एसिड के विनिर्माण के लिए कुछ संयुक्त उद्यम परियोजनाएं स्थापित करने के मामले पर तकनीकी और संचालन सम्बन्धी दृष्टिकोण से विचार-विमर्श किया जा रहा है। कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

घाटे की वित्त व्यवस्था पर नियन्त्रण

2715. **श्री जी० एस० बासवराज :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने घाटे की वित्त-व्यवस्था को नियंत्रित करने हेतु अनेक उपाय किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर अब तक किस हद तक नियंत्रण किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने राजस्व प्राप्तियों में अधिक से अधिक वृद्धि करने और व्यय-वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए उपाय किए हैं। सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रशासनिक व्यय के बोझ को कम करने और अपने चल रहे सभी कार्यक्रमों तथा योजनाओं की सावधानीपूर्वक संवीक्षा करने के लिए ठोस प्रयास करें ; उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे अतिरिक्त प्रावधानों के लिए तब तक कोई नई मांग प्रस्तुत न करें, चाहे वह कितनी भी महत्वपूर्ण अथवा आवश्यक क्यों न हो, जब तक कि वे अपने अन्य चालू कार्यक्रमों में समतुल्य बचतों का पता नहीं लगा लें। विदेशी यात्रा और पेट्रोल एवं डीजल के उपभोग में कटौती करने के संबंध में भी आदेश जारी किए जा चुके हैं।

(ग) इन उपायों के प्रभाव का कुछ समय के बाद ही पता लग सकेगा।

बैंकों द्वारा कमीशन का भुगतान

2716. **श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंक बड़े-बड़े जमाकर्ताओं को कमीशन का भुगताम कर रहे हैं जिनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुख भी शामिल हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन बैंकों के नाम क्या हैं जो कमीशन का भुगतान कर रहे हैं ; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों/उपक्रमों के नाम दर्शाते हुए उसे राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बड़े जमाकर्ताओं को, जिसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी सम्मिलित हैं, कमीशन की अदायगी करने के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को किसी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संघ, संस्था अथवा

अन्य किसी व्यक्ति को जमाराशियों को अर्जित करने अथवा जुटाने के लिए किसी प्रकार की दलाली के भुगतान को रोकने के लिए कई अनुदेश जारी किए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके बैंक में किसी भी प्रकार के प्रलोभन देने की प्रथा तो नहीं है, बैंकों के अध्यक्षों से इस बारे में प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा गया है। जहां बैंकों द्वारा अनुचित तरीकों का सहारा लेकर या भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करके जमाराशियां एकत्र की जाती हैं, उन मामलों पर भारतीय रिजर्व बैंक का ध्यान दिलाने के लिए कहा गया है।

आयातित सामान के कम मूल्य के बीजक बनाना

2717. **श्री सनत कुमार मंडल** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित सामान के कम मूल्य के बीजक बनाने को हतोत्साहित करने एवं राजस्व की चोरी को रोकने की दृष्टि से भारत ने टैरिफ और व्यापार के सामान्य करार के अन्तर्गत बनी आयात मूल्यांकन संहिता में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने पर जोर दिया है ;

(ख) क्या टैरिफ और व्यापार के सामान्य करार की संहिता ने भारत के मामले में कम मूल्य के बीजक बनाये जाने की समस्याएं उत्पन्न की हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ; और

(ग) यह मामला इस समय किस स्थिति में है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र संलग्न है।

विवरण

टोकियो दौर करारों में सुधार और संशोधन के लिए वार्ताओं के उरूग्वे दौर के संदर्भ में, भारत ने सितम्बर, 1987 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जो "सीमा शुल्क मूल्यांकन करार" के सम्बन्ध में था। सीमा शुल्क मूल्यांकन करार के क्रियान्वयन में प्राप्त अनुभव के आधार पर भारत ने यह प्रस्ताव किया था कि इस बारे में व्यवस्था को काफी लोचदार रखा जाए ताकि सीमाशुल्क प्रशासन को यह अधिकार रहे कि वह आयातित माल के सौदा मूल्य का प्रमाण देने का भार कुछ परिस्थितियों में आयातक पर डाल सके, जैसे :—

(i) जब घोषित कीमत उस कीमत से कम हो जो सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने संबद्ध सौदे के पहले वाले कई सौदों में देखी हो।

(ii) जब घोषित कीमत उस कीमत से कम हो जो विनिर्माता देश से सीधे ही आयातित सम-रूप माल के सौदों में देखी गई हो।

यह प्रस्ताव हमारे इस अनुभव के आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि उक्त "करार" के मौजूदा प्रावधान उस स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं जब, सीमा-शुल्क बचाने की धोखाधड़ी के उद्देश्य से निर्यातक और आयातक में माल की कीमत कम बताने के लिए सांठ-गांठ हो। यह समस्या केवल भारत के सामने ही नहीं है बल्कि अनेक विकासशील देशों के सामने आ रही है क्योंकि उनके लिए सीमा-शुल्क उनकी राजस्व आय का काफी बड़ा भाग होता है। सीमा-शुल्क मूल्यांकन करार के क्रियान्वयन में विकासशील देशों के सामने आ रही इस समस्या को उक्त करार पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देशों ने स्वीकार किया है।

उरुग्वे वार्ता दौर में सहभागियों में परस्पर परामर्श के परिणामस्वरूप, ऐसा प्रतीत होता है कि एक ऐसी व्यापक सहमति हो गई है जिनके अनुसार सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को व्यवस्था में पर्याप्त लोच के जरिए यह अधिकार होगा कि वे आयातक मे उस परिस्थिति में सौदे के सम्बन्ध में अधिक स्पष्टीकरण और सूचना मांग सकेंगे जब उन्हें वीजक की सच्चाई अथवा उसके सही होने पर शंका हो जाए और अधिक जानकारी प्राप्त करने के बाद भी उन्हें घोषणा की यथातथ्यता के सम्बन्ध में कोई समुचित संदेह हो तो ऐसी स्थिति में वे घोषित मूल्य को रद्द कर सकेंगे लेकिन रद्द करने से पहले वे आयातक को ऐसा करने के कारण कि सूचना देंगे और उत्तर देने के लिए उसे समुचित अवसर भी प्रदान करेंगे। जब सभी सहयोगी इस बारे में एक मत हो जायेंगे तो इस आशय की एक सहमति सीमा शुल्क मूल्यांकन करार में उसके सदस्यों के निर्णय के रूप में शामिल कर दी जायगी।

"एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स" को प्रोत्साहन

2718. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एडवाइजरी कमेटी ने 3 जुलाई, 1990 को अपनी पहली बैठक में केंद्रीय सरकार से "एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स" को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए कुछ नीति सम्बन्धी संशोधन करने का अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो नीति सम्बन्धी विशिष्ट, संशोधन करने सहित अन्य मांगे क्या-क्या थीं ;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : क) फाल्टा निर्यात संसाधन जोन से सम्बन्धित समिति की एक बैठक 13 जुलाई, 990 और दूसरी 4 अगस्त, 1990 को हुई थीं। सलाहकार समिति ने अपनी बैठकों में फाल्टा निर्यात संसाधन जोन के त्वरित विकास के लिए कुछ उपायों का सुझाव दिया था।

(ख) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ग) समिति की सिफारिशों पर विकास आयुक्त के औपचारिक प्रस्तावों की प्रतीक्षा है।

विवरण

फाल्टा निर्यात संसाधन जोन के त्वरित विकास के लिए सलाहकार समिति द्वारा सुझाए गए प्रोत्साहन और सुविधाएं मोटे तौर पर निम्नानुसार हैं :—

(1) निर्यात के क्षेत्र का ध्यान रखे बिना निवल विदेशी मुद्रा का अर्जन कम से कम अगले पांच वर्षों के लिए मूल्यवर्धन का आधार होना चाहिए।

(2) आर० ई० पी० लाइसेंस सुविधा को फाल्टा निर्यात संसाधन जोन तक बढ़ाया जाना चाहिए।

(3) नकद प्रतिपूर्ति सहायता (सी० सी० एस०) का भुगतान पूरी दर पर किया जाना चाहिए जिसकी सीमा निवल विदेशी मुद्रा आय का 50 प्रतिशत होनी चाहिए।

(4) फाल्टा निर्यात संसाधन जोन को विदेशी मुद्रा व्यय को विदेशी मुद्रा आय पूरा करने की शर्त से छूट दी जानी चाहिए तथा सामान्य मुद्रा क्षेत्र को किये जाने वाले निर्यात को 25%-30% तक कम किया जाना चाहिए।

(5) फाल्टा निर्यात संसाधन जोन में उच्चस्तर की प्रौद्योगिकी शामिल हो, असेम्बली से संबंधित कार्य की अनुमति दी जानी चाहिए।

(6) निर्माण सामग्री, कार्यालय उपकरणों आदि को उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, अन्य केन्द्रीय और स्थानीय करों से छूट दी जानी चाहिए।

(7) भूमि तथा निर्मित स्थान के लिए फाल्टा निर्यात संसाधन जोन में किराये को सीप्ज पर किराये ढांचे की तुलना में 25 प्रतिशत तक कम किया जाना चाहिए और प्रतिभूति जमा की राशि को भी आधा किया जाना चाहिए।

(8) कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र को दी गई दरों पर ही फाल्टा निर्यात संसाधन जोन को परिवहन सहायता दी जानी चाहिए।

(9) भारत सरकार को दीर्घकालिक उपाय के रूप में करावकाश की घोषणा करनी चाहिए तथा अनिवासी भारतीयों को लाभांशों, रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी, विदेशी तकनीशियनों के वेतनों आदि पर करों से छूट दी जानी चाहिए।

(10) उत्पादन क्षमता का विस्तार शुरू करने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए निर्यात के क्षेत्र को ध्यान में रखे बिना क्षमता का विस्तार करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(11) कार्यालय के घंटों के बाद तथा जोन के बाहर कार्य करने के लिए सीमा-शुल्क विभाग द्वारा समयोपरि शुल्क से छूट दी जानी चाहिए।

पारादीप पत्तन के लिए लौह अयस्क की ढुलाई

2719. **श्री लोकनाथ चौधरी :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम का बांसपानी—दैत्रे रेल मार्ग से बड़ाजमदा क्षेत्र से पारादीप पत्तन के लिए लौह अयस्क तथा मैंगनीज की ढुलाई करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) अन्य परिवहन साधनों की तुलना में बांसपानी—दैत्रे रेलमार्ग के माध्यम से ढुलाई पर अनुमानत: कितनी लागत आएगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) एम०एम०टी०सी० का प्रस्ताव है कि बांसपानी—दैत्री रेल लिंक मार्ग के बन जाने पर इसके माध्यम से बड़ाजमदा क्षेत्र से पारादीप पत्तन के लिए लौह अयस्क की ढुलाई की जायगी। रेल मंत्रालय ने बांसपानी—दैतारी रेलवे लिंक मार्ग के सम्बन्ध में शक्यता रिपोर्ट को अद्यतन कर दिया है।

(ग) इस समय, रेलवे 142 रु० से 147 रु० पी० एम० टी० (207 रु० पी० एम० टी० की सामान्य दर की जगह) रियायती दर का ही भाड़ा ले रही है। प्रस्तावित बांसपानी—दैतारी लिंक मार्ग के माध्यम से सामान्य रेलवे भाड़ा के लगभग 122 रु० पी० एम० टी० पड़ने का अनुमान है।

उड़ीसा में इस्पात संयंत्रों को बराजान्दा क्षेत्र अयस्कों की आपूर्ति

2720. **श्री लोकनाथ चौधरी :**

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के बरजान्दा क्षेत्र से इस्पात संयंत्रों को कितनी मात्रा में लौह और मैंगनीज अयस्कों की आपूर्ति की जाती है ; और

(ख) इन्हें किस कीमत पर खरीदा जाता है और किस पर बेचा जाता है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 (प्रथम तिमाही) के दौरान सप्लाई की गई मात्रा निम्नानुसार है :—

अयस्क	वर्ष	मात्रा (लाख मी० टन)
लौह अयस्क	1989-90	26.26
	1990-91	5.67
मैंगनीज अयस्क	1989-90	3.10
	1990-91	0.79

(ख) वर्ष 1990-91 में उपर्युक्त अयस्कों के लिए नवीनतम प्राप्ति/प्रदत्त वितरण मूल्य निम्नानुसार हैं :—

निजी लौह अयस्क की खानों से :	227.40/- रुपये से 231.40/- रुपये प्रति टन
गैर-रक्षित खानों से :	(i) लौह अयस्क 200/- रुपये प्रति टन (ii) मैंगनीज अयस्क 334/- रुपये प्रति टन

पारादीप पत्तन के माध्यम से लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क का निर्यात

2721. **श्री लोकनाथ चौधरी :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पारादीप पत्तन के माध्यम से लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ; और

(ख) पारादीप पत्तन तक इन अयस्कों की किस प्रकार ढुलाई की गई और ढुलाई पर प्रति टन कितना खर्च आया ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) पारादीप बन्दरगाह के माध्यम से पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए मैंगनीज अयस्क और लौह अयस्क की मात्रा निम्नानुसार है :—

(मात्रा लाख टन में)

		1987-88	1988-89	1989-90
1.	लौह अयस्क	17.09	16.39	20.98
2.	मैंगनीज अयस्क	—	0.11	0.25

(ख) बड़ाजाम्दा क्षेत्र से लौह अयस्क की ढुलाई अधिकांशतः रेल से की जाती है और वर्तमान रेलवे किराया प्रभार 142 रु० से 147 रु० प्रति मी० टन के बीच पड़ता है जो लदान स्टेशन पर निर्भर करता है। गन्धमरधान/दैतारी खानों से प्राप्त लौह अयस्क को उड़ीसा खनन निगम द्वारा सीधे ही सड़क मार्ग से पारादीप बन्दरगाह को सप्लाई की जाती है और गन्धमरधान से पारादीप बन्दरगाह तक की वर्तमान ढुलाई प्रभार 142/- रु० प्रति मी० टन तथा दैतारी खानों से 82/- रु० प्रति मी० टन है। मैंगनीज अयस्क की ढुलाई आपूर्तिकर्ताओं द्वारा रेल सड़क मार्ग से जहाज तक सीधे ही की जाती है और ये अपूर्तिकर्ता एम० एम० टी० सी० को ढुलाई की लागत उपलब्ध नहीं कराते हैं।

मसालों और काली मिर्च का निर्यात

2722. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान मसालों और काली मिर्च के निर्यात में कमी आयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या इस अवधि के दौरान बागानों की फसलों के उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान मसालों (काली मिर्च सहित) और काली मिर्च के निर्यात नीचे अलग-अलग दर्शाए गए हैं ;—

मद	1988-89		1989-90	
	मात्रा मी० टन	मूल्य करोड़ रु०	मात्रा मी० टन	मूल्य करोड़ रु०
मसाले	99826	273.65	99886	274.36
काली मिर्च	38020	164.20	36601	159.88

यह देखा जा सकता है कि मसालों के कुल निर्यात में मात्रा और मूल्य दोनों की दृष्टि से मामूली वृद्धि हुई है। वर्ष 1989-90 के दौरान काली मिर्च के निर्यात मात्रा और मूल्य दोनों की दृष्टि से वर्ष 1988-89 की अपेक्षा लगभग 4 प्रतिशत कम थे। वर्ष 1988-89 में 45,000 मी० टन के कम उत्पादन और आगे ले जाया गया नगण्य स्टाक तथा वर्ष 1989-90 के मौसम में फसल के देर से आने के कारण वर्ष 1989-90 में मिर्च के निर्यात में कमी आई।

(ग) और (घ) चाय का निर्यात पिछले वर्ष के 644.26 करोड़ रु० के मूल्य के निर्यात की तुलना में वर्ष 1989-90 के दौरान बढ़कर 905 करोड़ रु० तक पहुंच गया। कॉफी का निर्यात भी पिछले वर्ष के 337.72 करोड़ रु० के निर्यात की तुलना में वर्ष 1989-90 में बढ़कर 351.80 करोड़ रु० तक पहुंच गया। तथापि, इलायची का निर्यात वर्ष 1988-89 में 9.88 करोड़ रु० के निर्यात की तुलना में वर्ष 1989-90 में घटकर 3.19 करोड़ का रह गया। यह ह्रास इलायची के उत्पादन में कमी के कारण हुआ जिससे इस उत्पाद की घरेलू कीमतों में वृद्धि हुई।

मद्रास टकसाल को बन्द करना

2723. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास टकसाल को पूर्ण रूप से बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को दक्षिण के आभूषण निर्माताओं की ओर से मद्रास टकसाल खोले रखने के कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) मद्रास में कोई टकसाल नहीं है। वहां केवल एक स्वर्ण संग्रहण एवं वितरण केन्द्र कार्य करता है। इस समय केन्द्र को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) जी हां।

(घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पांच तारा होटल में टैरिफ दरों के निर्धारण हेतु मानदंड तथा आधार

2724. **श्री कैलाश मेघवाल** :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांच तारा होटलों की टैरिफ दरों का निर्धारण किस प्राधिकरण द्वारा किया जाता है तथा इन टैरिफ दरों के निर्माण हेतु क्या मानदंड व आधार है ;

(ख) कितने अन्तराल के बाद इन दरों में संशोधन किया जाता है और पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी बार ऐसा संशोधन किया गया है ;

(ग) क्या टैरिफ दरों में प्रचालनगत लागत एक महत्वपूर्ण कारण है ; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान लागत सूचकांक तैयार करने के लिए जिन यूनिटों को लिया गया है, उनका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) से (घ) अनुमोदित होटलों का टैरिफ पर्यटन विभाग द्वारा नियमित नहीं किया जाता।

कर्नाटक में यात्री-निवासों का निर्माण

2725. **श्री जनार्दन पुजारी** :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कितने यात्री निवास बनाये गये हैं ; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक में किन-किन स्थानों पर यात्री निवासों का निर्माण किया जायेगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने मैसूर, कर्नाटक में एक यात्री निवास की मंजूरी दी है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कर्नाटक में एक और यात्री निवास के निर्माण का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय पर्यटन विभाग के विचाराधीन नहीं है।

कर्नाटक में सितारा होटलों की स्थापना

2726. **श्री जनार्दन पुजारी** :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक में नए पांच सितारा, चार सितारा और तीन सितारा होटलों की स्थापना किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) से (ग) : पिछले पांच वर्षों में पर्यटन विभाग ने कर्नाटक में 5-सितारा श्रेणी की दो होटल परियोजनाओं तथा 3-सितारा श्रेणी की ग्यारह परियोजनाओं को अनुमोदित किया है। ये होटल निर्माणाधीन हैं।

सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा भुगतान किए गए इंश्योरेंस दावे

[हिन्दी]

2727. **श्री शिबू सोरेन** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए कितने व्यक्तियों को डेढ लाख रुपए और इससे अधिक के इंश्योरेंस दावों का भुगतान किया गया ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : सड़क दुर्घटना में घायल हुए उन व्यक्तियों की संख्या के संबंध में सूचना, जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि० द्वारा घातक और अघातक दोनों ही तरह के मामलों में डेढ लाख रुपए और इससे अधिक के बीमा दावों का भुगतान किया गया निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या
1987	120
1988-89 (15 महीने)	333
1989-90	379

अनसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण

2728. **श्री शिबू सोरेन :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए यदि कोई विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं, तो वे क्या है ; और

(ख) अगले छः महीने के लिए ऐसे कार्यकमों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के कमजोर वर्गों के लिए कई कार्यक्रम प्रसारित करते हैं।

चूंकि इन कार्यक्रमों को आकाशवाणी केन्द्रों और दूरदर्शन के कई केन्द्रों द्वारा प्रसारित किया जाता है, अतः इनका संकलित रूप में केन्द्रीय आधार पर विवरण नहीं रखा जाता।

बोकारो इस्पात संयंत्र के विस्थापित व्यक्तियों को राहत

2729. **श्री शिबू सोरेन :**

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयत्र का कितना क्षेत्र अधिगृहीत किया गया है जिस पर इस्पात संयंत्र, कार्यालय, श्रमिकों के लिए मकान, स्कूल कालेज, हस्पताल और अन्य कल्याण सुविधाएं प्रदान की गई हैं ;

(ख) ऐसी भूमि का क्षेत्र कितना है जिस पर ऐसे लोग बसे हुए हैं जो न तो कर्मचारी हैं और न ही विस्थापित व्यक्ति हैं ;

(ग) वर्तमान में खाली पड़ी भूमि का क्षेत्र कितना है ;

(घ) विस्थापित व्यक्तियों को मकान, बाजार अथवा दुकानों का निर्माण करने के लिए दिए गए वैकल्पिक प्लाटों और उन्हें अपनी आजीविका कमाने के लिए दी गई अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन विस्थापित व्यक्तियों को रोजगारों में दुकानों के आबंटन में, कार्यशालाओं में और जीविका के दूसरे साधनों में प्राथमिकता देकर उन्हें अवसर प्रदान करने का है ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) बोकारो इस्पात कारखाने के लिए अधिग्रहण की गयी भूमि का कुल क्षेत्रफल 31030.47 एकड़ है जिसमें से कारखाने तथा बस्ती सुविधाओं के लिए इस्तेमाल में लायी गयी/लायी जा रही भूमि का क्षेत्रफल क्रमशः 17208.02 एकड़ तथा 10114.525 एकड़ है।

(ख) बोकारो इस्पात कारखाने ने 202.478 एकड़ भूमि बाहरी पार्टियों को पट्टे पर आवंटित किया है।

(ग) इस समय ऐसा कोई भी भू-क्षेत्र नहीं है जिसे खाली कहा जा सकता है क्योंकि योजना तथा विन्यास के अनुसार निपटान पद्धति, वन रोपण, कर्मचारियों के लिए क्वाटरों, शैक्षिक तथा सरकारी भवनों इत्यादि जैसी आवश्यकताओं के अतिरिक्त विभिन्न प्रचलनात्मक तथा प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था और अधिग्रहण अपेक्षित है।

(घ) से (च) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के उद्देश्य से वैकल्पिक प्लाटों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तथापि, संयंत्र प्राधिकारियों द्वारा बोकारो स्टील सिटी क्षेत्र में विस्थापित व्यक्तियों जिन्होंने उनके विज्ञापन के उत्तर में आवेदन किया था, को 37 वाणिज्यिक प्लाटों का आवंटन किया गया है। विस्थापित व्यक्तियों के लिए 50% उपलब्धता में से 16.6% का आरक्षण है।

बोकारो इस्पात कारखाना रोजगार तथा दुकानों/प्लाटों के आवंटन के मामलों में विस्थापित व्यक्तियों को प्राथमिकता देता है और अब तक 13,640 विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा हिन्दुस्तान विजिटेबल ऑयल कार्पोरेशन का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना

2730. **श्री संजय लाल**

श्री आर० एन० राकेश :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राज्य व्यापार निगम का हिन्दुस्तान विजिटेबल आयल कार्पोरेशन का **प्रबन्ध** अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (ग) भारत बिजनैस इन्टरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली से एक सुझाव प्राप्त हुआ है कि हिन्दुस्तान वेजिटेबिल आयल कार्पोरेशन को इसकी सहायक कंपनी बना दिया जाए। कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

नागपुर के निकट डोंगरी बुजुर्ग खान स्थित जल टैंक का गिरना

[अनुवाद]

2731. **श्री सूर्य नारायण सिंह :**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डोंगरी बुजुर्ग खान स्थित निर्मित जल टैंक अपने चालू किये जाने वाले दिन ही गिर पड़ा था, जिसकी वजह से कंपनी को भारी घाटा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी को इस कारण हुए घाटे का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) निर्माण करने वाली एजेंसी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) डोंगरी बुजुर्ग में जल आपूर्ति योजना के कार्य को कम्पनी के नियमों के अनुसार खुली निविदा के अन्तर्गत न्यूनतम आधार पर ठेकेदार को दे दिया गया था। तथापि, इस ठेकेदार द्वारा निर्मित जल टैंक पूर्ण भरण परीक्षण के दौरान ढह गयी। ठेकेदार ने जल टैंक के पुनर्निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया है। कम्पनी द्वारा ठेकेदार को अन्तिम रूप से भुगतान कम्पनी की संतुष्टि के मुताबिक सम्पूर्ण योजना पूरी हो जाने पर किया जाएगा।

(ग) चूंकि ठेकेदार ने ठेके की शर्तों के अनुसार अपनी पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है और प्राथमिकता के आधार पर अपने ही खर्च से जल टैंक का पुनर्निर्माण आरम्भ कर दिया है अतएव इस कारण पर ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

तमिल फीचर फिल्म "ओरे ओरू ग्रामाथाईल" का प्रदर्शन प्रमाण पत्र रद्द करना

2732. **श्री रामजी लाल सुमन** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डा० बी० आर० अम्बेडकर विचार मंच (पंजीकृत) दिल्ली के महासचिव की ओर से तमिल फीचर फिल्म "ओरे ओरू ग्रामाथाइल" का प्रदर्शन प्रमाण-पत्र रद्द करने के लिए कोई आवेदन पत्र मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार फिल्म को दिया गया राष्ट्रीय पुरस्कार तथा प्रदर्शन प्रमाण-पत्र रद्द करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के रिकार्ड के अनुसार डा० बी० आर० अम्बेडकर विचार मंच (पंजीकृत), दिल्ली के महा सचिव से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

(ग) जी, नहीं। क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने 30 मार्च, 1989 को फिल्म के प्रमाणन को उचित ठहराया था।

आयातित कच्चे माल की सीमा शुल्क निकासी

2733. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामनगर स्थित पीतल का सामान बनाने वाले 3,000 लघु औद्योगिक एककों को पीतल की कतरन संबंधी आयातित कच्चे माल को सीमा-शुल्क निकासी में अत्यधिक विलम्ब होने के कारण बन्द होने की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष से इस समस्या का समाधान करने के लिए अनुरोध किया था ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात राज्य में पीतल उद्योग को बन्द होने से बचाने के लिए कोई कदम उठाए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) गुजरात चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, इस मामले की जांच की गयी थी । रिपोर्ट से यह पता चलता है कि बम्बई के पत्तन पर आयात किए गए पीतल के टुकड़ों (स्क्रैप) के परेषणों की निकासी को अनावश्यक रूप से जबरदस्ती रोके नहीं रखा गया था । केवल प्रयोज्य मदों के आयात अथवा स्क्रैप के साथ गैर अनुमत्य मदों के आयात के कुछेक ही मामलों में, न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ, माल की विस्तृत जांच, उसका वजन करना, मूल्यांकन आदि करना पड़ा । उपलब्ध सांख्यिकीय सूचना के अनुसार, 1 मई, 1990 तथा 21 अगस्त, 1990 के दौरान बम्बई पत्तन पर पीतल के स्क्रैप के 382 आगम-पत्रों का निर्धारण किया गया था । इनमें से केवल 21 मामलों में आयात व्यापार उल्लंघनों, गलत घोषणा और न्यून मूल्यांकन के कारण न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों का सहारा लिया गया था ।

इन तथ्यों को मद्दे नजर रखते हुए, किसी प्रकार के औचित्य के साथ इस बात का समर्थन नहीं किया जा सकता है कि जामनगर के 3,000 लघु उद्योग एककों को आयात किए गए पीतल के स्क्रैप की सीमा शुल्क निकासी में अत्यधिक विलम्ब होने के कारण बन्द होने की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है ।

प्याज और लहसुन की खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र

2734. **श्री माधवराव सिंधिया :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान प्याज और लहसुन के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ;

(ख) क्या सरकार ने प्याज और लहसुन का प्रमुख निर्यातक बनने के लिए कोई कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान प्याज एवं लहसुन के निर्यात के अर्जित कुल विदेशी मुद्रा का विवरण नीचे दिया गया है :

	1989-90 (अनन्तिम)
	रु०/लाख
प्याज	8454.61
लहसुन	93.05

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है ।

विवरण

प्याज का निर्यात राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन परिसंघ द्वारा सरणीबद्ध किया जाता है । इसके निर्यात में व्यापार भी सम्बद्ध है । 1974-75 के दौरान सरणीबद्ध किए जाने के समय से मात्रा तथा मूल्य के रूप में देश में प्याज के निर्यात को उच्चतम सीमा तक बढाने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं । भारत तीखे स्वाद वाले प्याज की लाल तथा गुलाबी किस्मों का उत्पादन करता है, जिन्हें मलेशिया,

सिंगापुर, मालद्वीप, श्रीलंका, सिशेल्स, मारीशस, बंगलादेश तथा सोवियत संघ जैसे उन देशों में पसंद किया जाता है जिनको नियमित रूप से इसका निर्यात किया जा रहा है। पश्चिमी देशों में उपभोक्ताओं द्वारा कम तीखे स्वाद वाले सफेद और पीले प्याज को तरजीह दी जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा एसोसिएटिड डेवलपमेंट फाउण्डेशन पश्चिमी देशों द्वारा तरहीज दी जाने वाली सफेद तथा पीली किस्म की प्याजों के बीजों का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं।

लहसुन का निर्यात, मसाला बोर्ड में मसाला निर्यातकों के रूप में पंजीकृत पृथक निर्यातकों द्वारा किया जाता है। उच्च घरेलू मांग के कारण जिन वर्षों में उत्पादन अपर्याप्त रहता है उन वर्षों में निर्यात के लिए निर्यात-योग्य अधिशेष उपलब्ध नहीं होता है तथापि मसाला बोर्ड लहसुन सहित मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय कर रहा है। इन उपायों में बिक्री-सह-अध्ययन दल का प्रायोजन, पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीय मसालों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रचार कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि

2735. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अगले पांच वर्षों के दौरान कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस योजना तैयार की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (ग) कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों से सरकार को सुझाव प्राप्त होते रहते हैं। इनमें स्थायी नीति ढांचा, निर्यात के लिए प्रर्याप्त बेशी सृजन, पिछड़े हुए क्षेत्रों में संपर्क स्थापित करना, निर्यातकों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन और सहायता देना, अच्छी पैकेजिंग के लिए डिजाइन तैयार करना, गुण-वत्ता नियंत्रण उपायों में सुधार करना, निरीक्षण और प्रमाणीकरण कार्यविधि को सरल बनाना, अव-स्थापना संबंधी सहायता में सुधार करना शामिल है। सरकार इन सुझावों की जांच करती रही है और जो व्यवहार्य हों, उन्हें अपनाती रहती है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा उर्वरकों की कीमतों में कमी

2736. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज एवं धातु व्यापार निगम ने उर्वरकों के मूल्य में, वर्ष 1989 के अंत के मूल्यों की तुलना में 10% कमी की है ;

(ख) क्या खनिज एवं धातु व्यापार निगम से मोरक्को सरकार के साथ का भारतीय सामान खरीदने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) वर्ष 1990 के दौरान खनिज

तथा धातु व्यापार निगम (एम० एम० टी० सी०) ने वर्ष 1989 के दौरान के औसत प्राप्ति मूल्यों से 10.08% कम पर फास्फोरिक अम्ल प्राप्त किया है।

(ख) और (ग) खनिज तथा धातु व्यापार निगम एम० एम० टी० सी० ने फास्फोरिक अम्ल के मोरक्को के आपूर्तिकर्ताओं के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं जिसके अंतर्गत मोरक्को के आपूर्तिकर्ताओं ने 50 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के भारतीय मालों के निर्यात को बढ़ावा देने में सहयोग करने का आश्वासन दिया है। खनिज तथा धातु-व्यापार निगम ने फास्फोरिक अम्ल के मोरक्को के आपूर्तिकर्ताओं के साथ उद्देश्य प्राप्ति के लिए तथा संगठनों एवं विशिष्ट भारतीय उत्पादों की पहचान के लिए विस्तृत वार्ताएं आरम्भ कर दी है।

अफीम के उत्पादन में आत्मनिर्भरता

2737. **श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण राजस्थान और मध्य प्रदेश में अफीम का मौजूदा भण्डार कितना है और इससे क्या-क्या उत्पाद तैयार किए जाते हैं ;

(ख) क्या मौजूदा भण्डार देश की औषधीय आवश्यकता के लिए पर्याप्त है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या आकर्षक प्रोत्साहन देकर पोस्त की खेती को हतोत्साहित करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ङ) क्या राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियां कुछ आकर्षक प्रोत्साहन देने की पेशकश कर रहे हैं ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उत्पादकों द्वारा इन प्रोत्साहनों को उपयोग में लाने हेतु क्या प्रणाली अपनाई जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) अफीम के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में पारम्परिक पोस्त के उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार के कथनानुसार की जाती है। अफीम के भण्डार सरकारी अफीम तथा एलकालायड वर्क्स, गाजीपुर (उ० प्र०) तथा नीमच (म० प्र०) में रखे जाते हैं तथा इसके बारे में उत्पादन के क्षेत्रवार आधार पर आंकड़े अलग-अलग नहीं रखे जाते हैं।

अफीम का उत्पादन मुख्य तौर पर निर्यातोन्मुखी होता है। इसकी कुछ मात्रा को देश के भीतर चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अफीम से व्युत्पन्न वस्तुओं के निर्माण के लिये भी इस्तेमाल किया जाता है। जबकि लगभग 80-90 मीटरी टन अफीम देश की अफीम की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा इसके व्युत्पन्न वस्तुओं को तैयार करने के काम में लाई जाती है तथापि, 1.4.90 की स्थिति के अनुसार, सरकारी कारखानों में अफीम का किताबों में दर्ज स्टॉक 2057 मीटरी टन के लगभग था, जो देश की चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए अफीम की अपेक्षित मात्रा से बहुत अधिक है।

(घ) और (ङ) पारम्परिक पोस्त खेतिहरों को पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा लाइसेंस मन्जूर करने के संबंध में निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार दिए जाते

हैं । इन शर्तों में यह सुनिश्चित किया जाता है कि बेईमान और अकुशल खेतिहरों को पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस नहीं दिए जाएं । पोस्त की खेती करने को हतोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जा रहा है ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्य तेलों की खरीद हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को ऋण की सुविधा

2738. **श्री बाबूभाई मेघजी शाह :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को चालू वर्ष के दौरान बाजार में हस्तक्षेप करने अथवा खाद्य तेलों की खरीद हेतु ऋण सुविधा दी है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के तहत किसी अन्य बैंक ने जून, 1990 तक तिमाही-वार, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को स्वीकृत और वितरित की गई राशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक अथवा सरकार ने इन "आप्रेशनों" के कार्यान्वयन पर निगरानी रखी है ; यदि हां, तो इन योजनाओं से लोगों को खाद्य तेलों के मामले में, मात्रा और मूल्य दोनों के रूप में, क्या लाभ मिला है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) बाजार परिचालनों के अंतर्गत खाद्य तेलों/तिलहन की खरीद के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के लिए आवश्यकता पर आधारित ऋण सीमा प्राधिकृत की है । भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्ते विशेष प्रबंध किये हैं । आवश्यकता पर आधारित सीमाएं, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुमानित परिचालनों के आधार पर और वास्तविक खरीद और ऋण सीमाओं के उपयोग से संबंधित इसके पूर्व अनुभवों को देखते हुए समय-समय पर प्राधिकृत की जाती है । राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से भी यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि लिया गया ऋण उनके स्टाक की मूल्य से अधिक का नहीं है ।

बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों का लेन-देन किया जाना

2739. **श्री के० एस० राव :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों का लेन-देन किए जाने की परम्परा को समाप्त करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस निर्णय से किन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी ; और

(घ) इस निर्णय से वाणिज्यिक बैंकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लेन देन के लिए बैंकों के वास्ते उनके आकार

के आधार पर अलग-अलग कोटा निर्धारित किया था। आशा की गई थी कि केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन में अप्रत्यक्ष कोटा सुविधा के द्वारा अन्तः बैंक लेन देन को प्रोत्साहन मिलेगा। अलबत्ता, व्यवहारिक रूप से यह देखा गया था कि कुछ बैंकों ने प्रत्यक्ष लेन देन का अपना कोटा पूरा कर लिया था जबकि अप्रत्यक्ष कोटा अप्रयुक्त बना रहा। इसके अलावा, कोटा निर्धारित करने के बताए गए उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इन समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए और प्रत्यक्ष कोटा को बढ़ाने की बैंकों की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए, 1988-89 में अप्रत्यक्ष कोटा प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया गया, जिसको गत दो वर्षों में चरणबद्ध ढंग से समाप्त कर दिया गया। बैंकों के प्रत्यक्ष कोटे को उनके लिए उपलब्ध अप्रत्यक्ष कोटे की पहले की सीमा तक बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों के लेन देन का कोटा ज्यों को त्यों बना हुआ है।

मद्रास स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीय समाशोधन सेल द्वारा चेकों का समाशोधन

2740. **श्री के० एस० राव :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान मद्रास स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीय समाशोधन सेल द्वारा अधिक मूल्य के कितने चेक/हुण्डिया समाशोधित की गई ;

(ख) इन चेकों/हुण्डियों का कुल मूल्य कितना है ;

(ग) इस सेल द्वारा सदस्य बैंकों की कितनी शाखाओं की सेवा की जाती है ;

(घ) क्या मद्रास स्थित सेल की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए सरकार का देश के अन्य महानगरों में भी इसी प्रकार के सेल स्थापित करने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो ये सेल कब तक स्थापित किए जाएंगे ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) एक लाख रुपए और अधिक के उच्च वर्ग के चेकों/लिखतों की संख्या जिन्हें 1.7.89 से 30.6.90 की अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के समाशोधन कक्ष मद्रास ने समाशोधित किया तथा उनका कुल मूल्य और कक्ष द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले सदस्य बैंकों की शाखाओं की संख्या, जैसाकि भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है निम्नलिखित है :

समाशोधित चेकों/ लिखतों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए)	कक्ष द्वारा सेवा प्रदान बैंकों की शाखाओं की संख्या
82.550	10224.58	168

(घ) और (ङ) उच्च मूल्य वर्ग के चेकों/लिखतों के समाशोधन की इसी प्रकार की सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक ने बम्बई, कलकत्ता तथा नई दिल्ली में पहले ही प्रारंभ कर दी है।

आफिस स्टाफ कारों में एयरकंडीशनर

2741. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :**

श्री तेज नारायण सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैबिनेट सचिव सहित वरिष्ठ सचिवों को, नियमों के अन्तर्गत स्टॉफ कारों में, जो उनके द्वारा कार्यालय और निजी कार्यों के लिए प्रयोग की जाती हैं, एयरकंडीशनर लगवाने की अनुमति है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान उन वरिष्ठ सचिवों और अन्य सांविधिक अधिकारियों के नाम क्या हैं जो भारतीय संचित निधि से अपना वेतन प्राप्त कर रहे हैं और उनके द्वारा प्रयोग की जा रही स्टॉफ कारों में सरकारी खर्च से एयरकंडीशनर लगवाये गये ;

(घ) क्या ऐसा कोई कार्य नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित उच्च मानदंडों को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से कपट से सरकारी खजाना खाली कर रहे ऐसे उच्च अधिकारियों के विरुद्ध क्या सख्त कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार सचिवों को, जिसमें मंत्रिमण्डल सचिव भी शामिल हैं, उनके द्वारा उपयोग में लाई जा रही स्टॉफ कारों में एयरकंडीशनर लगाए जाने की इजाजत नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सचिवों द्वारा स्टॉफ कार का उपयोग

2742. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :**

श्री कल्पनाथ सोनकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिकारियों के लिए और सचिवों तथा कैबिनेट सचिवों और भारत की समेकित निधि से अपना वेतन प्राप्त करने वाले अन्य वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा निजी प्रयोग के लिए स्टॉफ कार के प्रयोग को विनियमित किए जाने हेतु कोई अनुदेश जारी किए हैं अथवा कोई नियम बनाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) ऐसे बीस उच्चाधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्होंने 31 दिसम्बर, 1989 तक गत पांच वर्षों के दौरान सरकारी तथा व्यक्तिगत प्रयोजन हेतु स्टॉफ कारों का अधिकतम प्रयोग किया था ; और

(घ) सरकार ने सादगी अभियान में तेजी लाने की दृष्टि से स्टॉफ कारों का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं और साथ ही घूमने फिरने के शौकीन सचिवों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) जी, हां। सरकारी प्रयोजनों के लिए स्टॉफ कारों का उपयोग स्टाफ कार नियमावली के प्रावधानों द्वारा विनियमित होता है। जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों तथा

केन्द्रीय सरकार में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में विभागाध्यक्षों को अलग-अलग दरों पर भुगतान करने पर उनके निवास और कार्यालय के बीच की यात्राओं के लिए स्टाफ कारों का उपयोग करने की इजाजत दी हुई है। इसके अलावा, सचिव और उससे उच्च स्तर के अधिकारियों को भुगतान करने पर निजी प्रयोजनों के लिए भी स्टाफ कारों का उपयोग करने की इजाजत है।

(ग) यह सूचना किसी एक स्थान पर नहीं रखी जाती हैं तथा इसको एकत्र करने में काफी समय और श्रम लगेगा और उससे जो परिणाम प्राप्त होगा वह उस सूचना के एकत्र करने में निहित समय और श्रम के अनुरूप नहीं होगा।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी वाहनों को केवल वास्तविक प्रयोजनों के लिए ही उपयोग में लाया जाए, स्टाफ कार नियमावली में आवश्यक प्रावधान मौजूद हैं। स्टाफ कारों के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता को दोहराते हुए हाल ही में अनुदेश जारी किए गए हैं।

करों के प्रभाव की पुनरीक्षा

2743. **श्री समरेन्द्र कुंडु :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजट में लगाये गये करों के प्रभाव की त्रैमासिक पुनरीक्षा की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो करों की वसूली, ऋण-स्थिति, विदेशी मुद्रा और मूल्य वृद्धि की स्थिति पर ऐसी पुनरीक्षा का क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) करों की वसूली की स्थिति की समीक्षा हर महीने की जाती है। ऋण स्थिति, विदेशी मुद्रा तथा मूल्यों पर बजट उगाही (लेवी) के प्रभाव से बच पाना संभव नहीं है क्योंकि ये अन्य कारणों से प्रभावित हैं।

किसानों द्वारा स्वर्ण और आभूषण गिरवी रखकर लिया गया ऋण माफ किया जाना

2744. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 10,000 रुपए तक के कृषि ऋणों को माफ करने की अपनी नीति के अनुसार किसानों द्वारा स्वर्ण और आभूषणों को गिरवी रखकर लिया गया ऋण भी माफ करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार द्वारा तैयार की गई कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 की शर्तों के अनुसार स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर, कृषि उद्देश्यों के लिए संवितरित ऋण, इस राहत के लिए पात्र होंगे। ऐसे मामलों में जहां आभूषण ऋण कृषि, कारीगरों तथा बुनाई के कार्यकलापों के उद्देश्यों से भिन्न प्रयोजनों के लिए प्रदान किए गए हैं, वह इस स्कीम के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।

निर्यात के लिए नकद प्रतिपूर्ति सहायता

2745. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत के नियंत्रक और महालेखाकार की मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष की अपनी रिपोर्ट, संघ सरकार (सिविल) (1990 की संख्या 13) के पैरा 12 और 13 में कास्ट आयरन कास्टिंग्स और चमड़े के जूतों के ऊपरी भाग (अपर्स) पर नकद प्रतिपूर्ति सहायता देने के बारे में की गई टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी हां।

(ख) पैरा 12 ढलवा लौहे की ढली वस्तुओं पर नकद मुआवजा सहायता

सी० एण्ड ए० जी द्वारा उल्लिखित 4·38 लाख रुपये की राशि वसूल करने के लिए कदम उठाए जा चुके हैं।

पैरा 13 चमड़े के शू अपर्स पर नकद मुआवजा सहायता

2.12 लाख रु० के फालतू भुगतान की राशि पहले ही वसूल की जा चुकी है।

कर्नाटक में सहकारी कृषि ऋणों को माफ करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण

2746. **श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में सहकारी कृषि ऋणों को माफ करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि कर्नाटक सरकार, भारत सरकार की कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना की तरह ऋण-राहत योजना तैयार करने के लिए सहमत हो गई है। राज्य सरकार ने ऋण राहत योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के हिस्से को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से लिए गए ऋणों पर दो वर्ष के ऋण-स्थगन सहित सात वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के वास्ते अनुरोध किया था। अलबत्ता, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने राज्य सरकार को इस प्रकार के ऋणों की शर्तें, जिन्हें अधिकांश राज्यों ने स्वीकार कर लिया है, स्वीकार कर लेने की सलाह दी है ताकि वह राज्य के राज्य सहकारी बैंक एवं राज्य भूमि विकास बैंक को निधियां जारी कर सके।

निर्यात संवर्धन जानों का पुनर्गठन

[हिन्दी]

2747. **श्री संजय लाल :**

श्री फूल चंद वर्मा :

श्री नकुल नायक :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जुलाई, 1990 के "हिन्दु" में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स टू बी रिस्ट्रक्चर्ड शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्यात संवर्धन जोनों को पुनर्गठित करने की क्या आवश्यकता है ;

(ग) पुनर्गठन कब तक किये जाने की संभावना है ; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) से (घ) जी, हां। प्रोत्साहनों में सुधार लाने और नियमों तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से निर्यात संसाधन क्षेत्र-योजना में सुधार करने के लिए कार्रवाई की गई है, जिससे कि इन जोनों से निर्यात को और बढ़ावा मिल सके। हालांकि इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए प्रयास किए गए हैं, किन्तु इस संबंध में कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

उत्तर प्रदेश में मुंश्यारी (पिथौरागढ़) में टी० वी० टावर स्थापित करना

2748. **श्री हरीश रावत** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में मुंश्यारी (पिथौरागढ़) में एक उच्च शक्ति टी० वी० टावर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इसके लिए निर्माण स्थल का चयन कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो वहां टी० वी० टॉवर कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ जिले में आयकर कार्यालय बन्द करना

2749. **श्री हरीश रावत** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ जिले में आयकर कार्यालय बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यालय बन्द करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस जिले के आयकर दाताओं के सामने आ रही कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए सरकार का विचार इस कार्यालय को पुनः खोलने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश के दूरदर्शन केन्द्रों में तकनीकी दोष

2750. **श्री हरीश रावत** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कुछ दूरदर्शन केन्द्रों से अभिग्रहण और प्रसारण में तकनीकी दोषों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन दूरदर्शन केन्द्रों के बारे में ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सरकार द्वारा इन शिकायतों के स्थायी समाधान के लिए क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

उत्तर प्रदेश के जिन कुछ दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के बारे में, जिनके घटिया कार्यनिष्पादन/कवरेज का हाल ही में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनमें कानपुर का उच्च शक्ति (10 कि०वा०) दूरदर्शन ट्रांसमीटर, बलिया, नैनीताल तथा पिथौरागढ़ के अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर तथा धारचुला, रानीखेत और कौशानी के अति अल्प शक्ति (2×10 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर शामिल हैं। इन ट्रांसमीटरों की शिकायतों के स्वरूप के साथ-साथ उनके कार्यनिष्पादन में प्रभावकारी सुधार लाने के लिए अपनाए गए उपाय नीचे दिए गए हैं :

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (एच० पी० टी०), कानपुर

चूंकि कानपुर के उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के "आफ एअर कोड" में दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ द्वारा तयार कि गए क्षेत्रीय कार्यकम तथा माइक्रोवेव लिंक के माध्यम से दिल्ली से राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले किये जाते हैं इसलिए कानपुर के क्षेत्रीय सेवा के रिसेप्शन की गुणवत्ता, राष्ट्रीय सेवा के रिसेप्शन की गुणवत्ता से कुछ घटिया होती है। दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ के कार्यक्रम माइक्रोवेव लिंक द्वारा कानपुर ट्रांसमीटर को फीड करने के लिए आवश्यक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

अल्पशक्ति ट्रांसमीटर (एल० पी० टी०), बलिया

बलिया के अल्प शक्ति ट्रांसमीटर की प्राथमिक सेवा रेंज के बाहर कवरेज क्षेत्र के कुछ भागों में दूरदर्शन रिसेप्शन पर सीमापार के उसी चेनल पर चल रहे एक ट्रांसमीटर के दखल के कारण बुरा प्रभाव पड़ा है। इस ट्रांसमीटर के प्रचालन के चेनल को बदलने की संभावना की जांच की गई है, किन्तु इस चेनल का बदलना सम्भाव्य नहीं पाया गया है क्योंकि इसका आस-पास के अपने ट्रांसमीटरों पर असर पड़ेगा। इस क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा में सुधार करना, इस प्रयोजन के लिए साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (एल० पी० टी०), नैनीताल

अधिक अच्छी कवरेज सुनिश्चित करने के लिए नैनीताल के अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को वैकल्पिक स्थल पर स्थानांतरित करने का कार्य पहले ही चल रहा है।

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, पिथौरागढ़

पिथौरागढ़ के अल्प शक्ति ट्रांसमीटर की कवरेज, भूभागीय स्थितियों के कारण सीमित है। इस क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा को सुदृढ़ करना इस प्रयोजन के लिए साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

धारचुला, रानीखेत और कौसानी के अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (वी० एल० पी० टी०)

इन अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों का असंतोषजनक कार्यनिष्पादन, सम्बद्ध क्षेत्रों में अपर्याप्त धूप के कारण होता है जिसके परिणामस्वरूप मानवरहित अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को चलाने के लिए पर्याप्त रूप से बैटरी चार्ज नहीं हो पाती। यद्यपि इन अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के सौर पैनलों तथा बैटरियों की क्षमता को बढ़ाने का कार्यक्रम है, लेकिन साथ ही इन अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों की उचित देख-रेख के लिए प्रत्येक ट्रांसमीटर पर तकनीशियन तैनात करने की कार्यवाही शुरू की गई है।

2. उपर्युक्त के अलावा यू० एच० एफ० बैण्ड पर काम करने वाले अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों की सीमित कवरेज के बारे में शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। इस समय उत्तर प्रदेश राज्य में बदायूं, आजमगढ़, बस्ती, फतेहपुर, गौंडा जगदीशपुर, कासीपुर, मथुरा, मउ, अकबरपुर, लालगंज, बलरामपुर, सीतापुर, तिरवा और पीलीभीत में यू० एच० एफ० बैंड के अल्प शक्ति (100 वाट) टी० वी० ट्रांसमीटर लगाए गए हैं। इन ट्रांसमीटरों का सेवा क्षेत्र वी० एच० एफ० अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के 25 कि० मी० के सेवा क्षेत्र की तुलना में लगभग 15 कि० मी० है जिसमें संतोषजनक रिसेप्शन प्राप्त करने के लिए ऊँचे एन्टीना और बूस्टर की आवश्यकता वाले किनारे के क्षेत्र भी शामिल हैं।

3. चूंकि वी० एच० एफ० बैण्ड पर काम करने वाले ट्रांसमीटरों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, इसलिए निकटवर्ती ट्रांसमीटरों से फ्रीक्वेंसी के दखल से बचने के लिए देश के कुछ भागों में यू० एच० एफ० बैण्ड में टी० वी० ट्रांसमीटर लगाना जरूरी हो गया है। तथापि, इस बैण्ड पर अच्छी सेवा प्राप्त करने के लिए टी० वी० सेटों में यू० एच० एफ० ट्यूनर लगाना जरूरी है। इस बैंड में एन्टीना भी अनुकूल होना चाहिए। टी० वी० सेटों के मालिकों द्वारा ये परिवर्तन कम लागत पर आवश्यकतानुसार करवाये जा सकते हैं।

अनिवासी भारतीयों को अपने साथ चांदी लाने की अनुमति

2751. **श्री दौलत राम सारण :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, चांदी को सूचीबद्ध श्रेणी से हटाने और अनिवासी भारतीयों को अपने साथ चांदी लाने की अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान के कर्मचारियों को निर्धारित देय राशि से अधिक भुगतान

[अनुवाद]

2752. **श्री बसुदेव आचार्य :**

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970 के दशक में संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के कुछ कर्मचारियों ने वेतनमान का गलत निर्धारण होने के कारण स्वयं वेतन लेने वाले और स्वयं इसका वितरण करने वाले अधिकारी की क्षमता में निर्धारित राशि से अधिक राशि निकाली है ; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी अधिक राशि का भुगतान किया ;

(ख) क्या वित्त मंत्रालय ने भुगतान की गई अधिक राशि को वसूल करना छोड़ दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इस तरह की भुगतान की अधिक राशि कम आय वाले कर्मचारियों के मामले में भी छोड़ दी है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

केबल टेलीविज़न और वीडियो चोरी की रोकथाम

2753. **श्री वी० कृष्ण राव :**

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :

श्री पलाई के० एम० मैथ्यु :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केबिल टेलीविजन और वीडियो की चोरी को कारगर ढंग से रोकने के लिए केन्द्रीय कानूनों में अपेक्षित संशोधन करने की संभावना का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) फिल्म उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ वीडियो चोरी रोकने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

(1) राज्य सरकारों द्वारा वीडियो पार्लरों को लाईसेंस देना ;

(2) राज्य सरकारों द्वारा विशेष पुलिस सेल स्थापित करना ; और

(3) प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 में संशोधन इत्यादि

सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और इन्हें कार्यान्वयन के लिए संबंधित प्राधिकारियों के पास भेज दिया गया है ।

देश में केबल टेलीविजन नैटवर्क और डिश एंटीना प्रणाली स्थापित करने के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए एक अलग अन्तर विभागीय समिति का गठन किया गया है ।

रांची में निदेशक का पद रिक्त

[हिन्दी]

2754. **श्री शिबू सोरेन :**

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची आकाशवाणी केन्द्र में निदेशक का पद 28 फरवरी, 1990 से रिक्त पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) जी हां। केन्द्र निदेशक आकाशवाणी रांची का पद, श्री आर० एन० माझी के 28.2.1990 को सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त पड़ा है। प्रशासनिक कठिनाइयों की वजह से केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी रांची के पद को भरा जाना संभव नहीं पाया गया है। तथापि, आकाशवाणी, रांची के कार्यक्रमों को देखने का काम एक सहायक केन्द्र निदेशक द्वारा किया जा रहा है।

कन्याकुमारी आने वाले विदेशी पर्यटक

[अनुवाद]

2755. **डॉ० ए० के० पटेल** :

श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 और 1990 में अब तक कन्याकुमारी आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या क्या है ;

(ख) पिछले दो वर्षों में वर्षवार इन आकड़ों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विवेकानंद राक मेमोरियल तथा विवेकानंद केन्द्र ने पर्यटकों की सुविधा के लिए नौका सेवा तथा अन्य सुविधाएं शुरू करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही क्या है ; और

(ङ) कन्याकुमारी जाने वाले पर्यटकों को इस समय क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1989 में और 1990 के पहले 5 महीनों के दौरान कन्याकुमारी की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या इस प्रकार थी :

वर्ष	विदेशी पर्यटकों की संख्या
1989	30,058
1990 (जनवरी—मई)	10,193

गत वर्षों की तत्संबंधी अवधि के दौरान आगमनों की तुलना में, जनवरी—मई 1990 के दौरान आंकड़ों में 1989 की तुलना में लगभग 55 प्रतिशत की और 1988 की तुलना में लगभग 330 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) } राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित रहते हुए, पर्यटन मंत्रालय ने समुद्रतट कुटीरों के लिए 13.36 लाख रुपये, अल्पाहारगृह के लिए 6.02 लाख रु०, स्नान घाटों पर सुख-सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 3.57 लाख रुपये, फेरि लांच के लिए 39.07 लाख रू० और

कन्याकुमारी में विवेकानन्द राक मेमोरियल पर प्रकाशपुंज व्यवस्था करने के लिए 11.19 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं ।

(ङ) : कन्याकुमारी की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए आवास, परिवहन फेरि सेवा जैसी आधारिक सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

लोकगीतों का दूरदर्शन से प्रसारण

2756. **श्री रवि नारायण पाणि :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सभी भाषाओं के लोकगीतों का दूरदर्शन पर प्रसारण करने का विचार है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और गत दो वर्षों के दौरान दूरदर्शन के कार्यक्रमों में उड़िया भाषा के लोकगीतों को कितनी बार शामिल किया गया ; और

(ग) दूरदर्शन के कार्यक्रमों के लिए गीतों का चयन करने के मानदंड क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) दूरदर्शन अपने विभिन्न केन्द्रों से नियमित रूप से विभिन्न क्षेत्रों के लोकगीत प्रसारित करता है । गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय क्षेत्र में लोक धुन पर आधारित उड़िया गीत दो अवसरों पर और दूरदर्शन केन्द्र, कटक से 85 अवसरों पर प्रसारित किए गए । इसके अलावा उड़ीसा के लोक नृत्यों और गीतों पर आधारित कार्यक्रम दिल्ली और इससे जुड़े ट्रांसमीटरों से 4 अवसरों पर प्रसारित किए गए ।

(ग) लोक गीतों का चयन, मुख्यतया उनकी गीतात्मकता, लोक रूप और उचित उच्चारण के साथ रागात्मक प्रस्तुतीकरण की प्रामाणिकता को ध्यान में रखकर किया जाता है ।

दूरदर्शन धारावाहिक

2757. **श्री शिकिहो सेमा :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन धारावाहिक पुरस्कार; दूरदर्शन के धारावाहिक निर्माताओं को हीं प्रदान किए जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) दूरदर्शन धारावाहिकों के निर्माताओं का चयन करने और उन्हें सूची में शामिल करने के लिये क्या मानदंड अपनाया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) से (ग) जी, नहीं । तथापि, प्रायोजन स्कीम के तहत टी० वी० सीरियल बनाने के लिए अनिवार्यत: उनके अनुभव और योग्यता के आधार पर फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों का एक पैनल बनाया गया है । परन्तु इस पैनल ने अभी काम करना शुरू नहीं किया है ।

जगदालपुर आकाशवाणी केन्द्र से बस्तर जिले के फोन्टा और भोपाल पतनम क्षेत्र में प्रसारण

[हिन्दी]

2758. **श्री मनकूराम सोडी :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्तर जिले के दक्षिण भाग में फोन्टा और भोपाल पतनम क्षेत्र में जगदालपुर आकाशवाणी केन्द्र के कार्यक्रम प्रसारित नहीं हो पाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) बस्तर जिले के कवर न हुए भागों में, रेडियो सेवा के विस्तार पर, आकाशवाणी की भावी योजनाओं में विचार किया जा सकता है । किन्तु यह विस्तार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और अन्य संबंधित प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा ।

उच्च न्यायालयों में आर्थिक अपराधियों के मामले

[अनुवाद]

2759. **श्री जे० चोक्का राव :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे कुछ मामले सामने आये हैं जिनमें आर्थिक अपराधियों ने सरकार द्वारा उनको दंड देने के प्रयासों को विफल करने हेतु अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में अपील की है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न उच्च न्यायालयों में दर्ज और लम्बित मामलों की संख्या कितनी है ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

आर्थिक अपराधों में अन्तर्ग्रस्त धनराशि

2760. **श्री जे० चोक्का राव :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क विभागों में पता लगाये गये आर्थिक अपराधों में वर्ष-वार और क्षेत्र-वार कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है ;

(ख) इन अपराधों में दोषी पाई गई कम्पनियों और व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है और उनसे प्राप्त की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामले दर्ज किये गये और कितने मामले न्यायालयों में निर्णयाधीन हैं ; और

(ङ) इन मामलों को निपटाने में विलम्ब होने के लिए कौन-कौन से कारण उत्तरदायी हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश में आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र

2761. **श्री जे० चोक्का राव** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में आकाशवाणी और दूरदर्शन से कितने-कितने क्षेत्र में प्रसारण होता है ; और

(ख) राज्य के शेष क्षेत्र में आकाशवाणी और दूरदर्शन का प्रसारण कब तक शुरू हो जायगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) वर्तमान में दूरदर्शन के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश का 52.7% क्षेत्र और आकाशवाणी के अन्तर्गत 98% क्षेत्र कवर किया जा रहा है। राज्य के कवर न हुए शेष भाग को, दूरदर्शन/आकाशवाणी सेवा प्रदान करना, दूरदर्शन/आकाशवाणी की भावी विस्तार योजनाओं के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधनों पर निर्भर करेगा।

सिलियम हस्क के लिए निम्नतम निर्यात मूल्य

2762. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलियम हस्क जो दवाइयों और पौष्टिक आहार के निर्माण में प्रयोग किया जाता है का निम्नतम नियति मूल्य वापस ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और निर्यात आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का है और क्या वह निर्यात के लिए मूल्य वर्धित औषधियों और नाश्ते के आहारों के निर्माण पर भी विचार करेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) सरकार को इस बारे में अनेक प्रतिवेदन प्राप्त हुए कि न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम० ई० पी०) लघु स्तरीय विनिर्माता निर्यातकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा इन उपायों से निर्यात आय बढ़ाने में या किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने में कोई सहायता नहीं मिली। इसलिए दिनांक 5.6.1990 से न्यूनतम निर्यात मूल्य हटा लिया गया।

(ग) एम० ई० पी० हटाने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मैसर्स ग्लाइडिया लिमिटेड, मैसर्स इनफार (इंडिया) लिमिटेड इत्यादि जैसी विशिष्ट कम्पनियां पहले ही सीलियम पर आधारित मूल्य-वर्द्धित उत्पादों का उत्पादन कर रही हैं। सरकार के पास इस समय निर्यात के लिए मूल्य-वर्द्धित उपाहार-खाद्य के विनिर्माण से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं है।

सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण बैंक

2763. **श्री मदन लाल खुराना :**

श्री ए० के० राय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ रुग्ण बैंक और रुग्ण वित्तीय संस्थाएं हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके कारण क्या हैं ; और

(ग) इन रुग्ण बैंकों/संस्थानों को पुनः चालू करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं। किये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) किसी भी अन्य उद्योग की तरह वित्तीय मजबूती एक बैंक से दूसरे बैंक में और एक संस्था से दूसरी संस्था में अलग-अलग होती है। सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों में से 27 बैंकों का, जिन्होंने वर्ष 1989-90 के लिए अब तक अपने वार्षिक लेखों को अन्तिम रूप दे दिया है, कुल प्रकाशित लाभ 357 करोड़ रुपये है। तीन अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री वित्तीय संस्थाओं अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा वर्ष 1989-90 के दौरान अर्जित कुल लाभ 336.44 करोड़ रुपये है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों और सरकारी वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति तथा कार्यनिष्पादन की सरकार द्वारा तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। सहकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन और लाभप्रदता में सुधार करने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने कई उपाय किए हैं इनमें ये शामिल हैं : उनकी पूंजी में वृद्धि करना, सरकारी प्रतिभूतियों पर उच्च कूपन दरें और भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए रोकड़ बकायों पर अधिक प्रतिफल। बैंकों से कहा गया है कि वे अपनी परिचालानात्मक सक्षमता में सुधार करने के उद्देश्य से कार्य योजनाएं तैयार करें। उन्हें इस बात के लिए भी प्रेरित किया गया है कि वे कारगर कारबार आयोजना और विकास द्वारा अपनी अर्थक्षमता और लाभप्रदता को बनाए रखने के लिए विशिष्ट उपाय करें। इसके अतिरिक्त उत्पादकता में वृद्धि करने और खर्चे में कमी करने के लिए उन्होंने कुछ उपाय किये हैं।

अनुभाग अधिकारियों और राजपत्रित आशुलिपिकों के वेतनमानों में संशोधन

2764. **श्री मदन लाल खुराना :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान वेतनमानों में विसंगतियां हैं, जिनके फलस्वरूप हाल ही में सहायकों और आशुलिपिकों के वेतनमानों में परिवर्तन करना पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी वेतनमानों और अन्य सेवा शर्तों पर व्यापक विचार करने और नियमों के तहत अभी तक जारी सभी आदेशों और अनुदेशों को शामिल करने और उनके कार्यान्वयन के लिए, पांचवें वेतन आयोग की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का स्थिति से कैसे निपटने का विचार है ;

(घ) क्या उनके मंत्रालय को अनुभाग अधिकारियों और राजपत्रित आशुलिपिकों के वेतनमानों में परिवर्तन के मामले के बारे में पत्र और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री): (क) सहायकों और आशुलिपिकों के वेतनमान का पुनरीक्षण वेतनमानों में किसी प्रकार की असंगति के कारण नहीं अपितु चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमानों में विषमता को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ठीक करने के उद्देश्य से किया गया है ।

(ख) और (ग) इस समय पांचवां केन्द्रीय वेतन आयोग गठित करने का कोई विचार नहीं है क्योंकि इस अवस्था में ऐसा करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

(घ) ओर (ङ) इस मामले में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है ।

काठमांडू और नई दिल्ली के बीच तस्करी में वृद्धि

2765. **श्री मदन लाल खुराना :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में काठमांडु और नई दिल्ली के बीच विशेष रूप से और अन्य स्थानों से सामान्य रूप से तस्करी में बहुत अधिक वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इससे होने वाली राजस्व हानि का कोई मूल्यांकन किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) चूंकि तस्करी एक चोरी छिपे किये जाने वाला धन्धा है, अतः यह कहना संभव नहीं है कि हाल ही में काठमांडु और नई दिल्ली के बीच विशेष रूप से और अन्य स्थानों में सामान्य रूप से तस्करी में अत्यधिक और भयप्रद स्थिति तक वृद्धि हुई है । तथापि, नीचे सारणी में दिए गए अनुसार पिछले कुछ वर्षों के दौरान सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गए निषिद्ध माल के मूल्य से तस्करी में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती है । यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा तस्करी की गतिविधियों में वृद्धि के कारण से हुआ हो अपितु ऐसा अधिक प्रभावशाली तस्करी-रोधी प्रयासों के कारण से भी हो सकता है :—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1987	251.47
1988	443.14
1989	554.59
1990 (13.8.90 तक)	407.91 (अनन्तिम)

(घ) तस्करी-रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है और तस्करी रोधी तंत्र को समुद्र तट और भू-सीमा और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और समुद्री पत्तनों के सुगम्य क्षेत्रों पर विशेष रूप से सुदृढ़ कर दिया गया है । तस्करी का पता लगाने और इसे रोकने में लगी सभी संबंधित एजेंसियों के बीच घनिष्ट तालमेल बनाए रखा जा रहा है । तस्करी-रोधी एजेंसियों को जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है, वाहनों, जलयानों, अभ्यस्त्रों, एक्स-रे मशीनों, धातु खोजी यंत्रों और दूर-संचार उपकरणों से सुसज्जित किया गया है ।

मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में तांबे के भंडार

[हिन्दी]

2766. श्री कंकर मुंजारे :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की बारासिवनी तहसील के बुड़बुड़ा गांव में तांबे के प्रचुर भंडार पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उसके व्यापारिक दोहन के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) बुड़बुड़ा गांव के समीप क्षेत्र का, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 1984 में गवेषण किया गया था। वहां प्राथमिक तांबा खनिजीकरण नहीं पाया गया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लीड्स (इंग्लैंड) में होने वाले क्रिकेट मैच का दूरदर्शन/रेडियो पर प्रसारण

[अनुवाद]

2767. श्री माधवराव सिंधिया :

श्री मान्धाता सिंह :

श्री बाल गोपाल मिश्र :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लीड्स (इंग्लैंड) में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए प्रथम एक दिवसीय अंतर-राष्ट्रीय क्रिकेट मैच को भारतीय टी० वी० नैटवर्क/आल इंडिया रेडियो पर प्रसारित नहीं किया गया था; और लीड्स में खेले गए अन्य टैस्ट मैच भी प्रसारित नहीं किए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय दर्शकों/श्रोताओं को मैचों को सीधा प्रसारण देखने तथा आंखों देखा हाल सुनने के अवसर से वंचित रखने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, हां,

(ख) देश की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि पर अत्यधिक दबाव को देखते हुए, सरकारी खर्चे में बचत करने के विचार से अत्यधिक खर्च को देखते हुए दूरदर्शन ने मैचों का सीधा प्रसारण व्यावहारिक नहीं समझा। दूरदर्शन के एक ही चैनल के संदर्भ में, प्रसारण समय के कारण इससे सामान्य कार्यक्रमों के प्रसारण पर भी असर पड़ता ।

तथापि, 18 अगस्त, 1990 को खेले गए प्रथम एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय मैच को छोड़कर, आकाशवाणी ने अपेक्षाकृत कम खर्चे पर अब तक खेले गए सभी मैचों की वी० वी० सी० कमेंटरी रिले की है ।

बजट घाटा

2768. श्री माधवराव सिंधिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत कुछ महीनों के दौरान जब से 7,200 करोड़ रु० का बजट घाटा दिखाया गया था, केन्द्रीय सरकार के व्यय की कौन-कौन सी मुख्य अतिरिक्त मदों में भारी वृद्धि हो गई है ; और

(ख) प्रत्येक मद पर होने वाले अतिरिक्त व्यय का ब्यौरा क्या है और व्यय की उक्त नई अथवा जोड़ी गई मदों के परिणामस्वरूप चालू वर्ष के दौरान कुल कितना घाटा होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) लोक सभा में दिनांक 16.8.1990 को प्रस्तुत किये गये अनुदानों की पूरक मांगें, 1990-91 के पहले बैच में व्यय की अतिरिक्त मदों के ब्यौरे दर्शाए गए हैं । चूंकि, व्यय की ये मदें या तो अतिरिक्त प्राप्तियों द्वारा अथवा समतुल्य बचतों द्वारा प्रतिसंतुलित होती हैं; इसलिए इन अतिरिक्त व्यय सम्बन्धी प्रस्तावों का बजट घाटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जैसा कि वर्ष 1990-91 के बजट अनुमानों में पूर्वानुमान लगाया गया है ।

गैर सरकारी निर्माताओं द्वारा निर्मित कार्यक्रमों का प्रसारण न किया जाना

2769. **श्री माधव राव सिंधिया :**

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वृत्तचित्र फिल्म निर्माताओं द्वारा दूरदर्शन के लिए बनाए गये अनेक कार्यक्रमों को ताक पर रख दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) दूरदर्शन की कार्य सम्बन्धी वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, बाहरी निर्माताओं को सौंपे गए कुछ कार्यक्रमों को प्रसारित करना संभव नहीं पाया गया है ।

मध्य प्रदेश में बैंकों में जमा राशि और इनके द्वारा दिया गया ऋण

[हिन्दी]

2770. **श्री फूल चन्द वर्मा :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की विभिन्न शाखाओं में कितनी धनराशि जमा कराई गई और पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार और जिलावार, मध्य प्रदेश के लोगों को इसमें से कितनी प्रतिशत रकम ऋण के रूप में दी गई ; और

(ख) कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को अलग-अलग, कितनी राशि का ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) मार्च, 1988, मार्च, 1989 और मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्षों के सम्बन्ध में, मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियों तथा ऋण जमा अनुपात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य में 30 सितम्बर, 1989 तक, (नवीनतम उपलब्ध) जिला वार्षिक ऋण आयोजनाओं, 1989-90 के अनुसार, कृषि तथा लघु उद्योग क्षेत्र को दिये गये ऋणों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

	(लाख रुपए में) उपलब्धियां
कृषि	36774.42
लघु उद्योग	4294.73

विवरण

मध्य प्रदेश में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जिलावार ऋण जमा अनुपात

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	जिले का नाम	मार्च 1988 जमाराशि	मार्च 1988 ऋण जमा अनुपात%	मार्च 1989 जमाराशि	मार्च 1989 ऋण जमा अनुपात%	मार्च 1990 जमाराशि	मार्च 1990 ऋण जमा अनुपात%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बालाघाट	34.47	62.8	40.44	68.4	48.11	67.5
2.	बस्तर	58.39	59.5	67.77	58.4	90.52	52.3
3.	बेतुल	58.79	38.8	69.89	43.2	85.28	38.3
4.	भिण्ड	53.96	38.8	66.89	40.4	80.53	40.7
5.	भोपाल	458.78	68.9	664.10	59.5	729.77	64.8
6.	बिलासपुर	205.77	46.2	275.69	43.2	319.76	42.2
7.	छतरपुर	46.23	50.2	56.60	49.1	66.39	48.3
8.	छिंदवाड़ा	92.58	36.6	109.32	39.8	132.06	38.0
9.	दामोह	31.34	51.6	36.00	65.6	45.66	60.6
10.	दतिया	19.96	49.3	24.38	48.8	29.14	48.4
11.	देवास	51.75	118.0	61.09	122.3	74.16	114.4
12.	धार	53.63	89.2	67.68	95.0	80.47	87.2

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	दुर्ग	230.89	47.3	268.74	52.1	323.22	52.0
14.	पूर्व निमर	90.33	69.4	100.40	89.3	118.61	82.2
15.	गुना	53.79	64.8	72.21	63.9	77.39	76.8
16.	ग्वालियर	287.28	58.7	347.23	60.8	390.00	63.9
17.	होशंगाबाद	94.09	61.6	116.63	69.1	130.63	76.8
18.	इन्दौर	561.35	82.4	699.14	86.0	778.59	92.5
19.	जबलपुर	355.59	81.7	456.02	80.6	506.34	95.8
20.	झबुआ	28.32	84.5	32.91	85.7	39.06	77.9
21.	माण्डला	27.06	58.2	30.85	62.9	36.58	60.4
22.	मंदसौर	79.34	59.5	94.18	61.0	109.58	60.6
23.	मुरेना	62.22	69.7	77.43	74.5	95.83	72.1
24.	नरसिंहपुर	43.21	63.0	56.26	62.7	63.95	66.7
25.	पन्ना	18.85	49.2	23.01	48.6	27.11	48.0
26.	रायगढ़	49.39	53.5	56.78	58.1	71.26	55.5
27.	रायपुर	223.04	66.2	271.37	73.7	325.89	72.9
28.	रायसैन	27.47	105.9	36.39	99.1	42.31	105.7
29.	राजगढ़	26.70	103.4	37.47	93.6	38.24	111.5

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	राजनन्दगांव	42.32	78.6	49.42	85.2	57.58	81.3
31.	रतलाम	93.89	72.0	108.78	71.4	125.93	72.1
32.	रिवा	87.96	43.3	113.26	45.6	139.10	45.2
33.	सागर	108.57	51.5	131.42	53.9	151.46	65.8
34.	सतना	81.19	63.6	106.50	63.8	127.59	58.2
35.	सेहोर	40.49	83.1	52.09	80.7	59.60	90.3
36.	सेवनी	30.16	46.4	38.59	42.9	45.19	45.6
37.	सहडोल	87.24	26.4	105.20	28.5	134.37	26.2
38:	शाजपुर	32.12	102.6	40.45	105.8	46.98	106.6
39.	शिवपुरी	41.75	57.8	50.36	62.0	58.56	68.0
40.	सिद्धि	78.14	22.4	96.96	21.9	113.23	24.1
41.	सरगूजा	95.18	29.9	108.43	33.0	138.94	29.9
42.	टीकमगढ़	26.78	62.4	33.99	55.2	49.80	42.3
43.	उज्जैन	134 79	83.0	173.91	105.2	215.44	83.7
44.	विदिशा	37.78	97.4	52.03	89.9	55.32	102.6
45.	पश्चिमनिमार	65.57	98.8	83.60	99.4	97.39	90.6
	कुल	4508 53	65.3	5661.90	67.0	6572 90	68.6

उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्यों द्वारा विदेशी दौरे

2771. **श्री फूलचन्द वर्मा :**

श्री आर० एन० राकेश :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जुलाई, 1990 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में "फोरेन ट्रिप्स फार यू० पी० लेजिस्लेचर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन विधायकों को विदेशी दौरे के लिए केन्द्रीय सरकार मंजूरी प्रदान की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो इन दौरों पर प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होने का अनुमान है ; और

(घ) विदेशी मुद्रा कोष में भारी कमी को देखते हुए, इन दौरों के लिए प्राथमिकता के आधार पर अनुमति प्रदान करने का आधार क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

कृषि के लिए आवंटन

[अनुवाद]

2772. **श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री पी० नरसा रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीन बजट योजना के अंतर्गत कृषि के लिए पचास प्रतिशत आवंटन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष से यह कितना अधिक है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) वित्त मंत्री ने चालू वर्ष (1990-91) के लिए अपने बजट भाषण में यह सुनिश्चित करने की सरकार की वचनबद्धता की घोषणा की थी कि निवेशीय संसाधनों का 50 प्रतिशत कृषि तथा ग्रामीण विकास की उन्नति पर लगाया जायेगा। चालू वर्ष की केन्द्रीय योजना में केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता में ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा पिछले वर्ष में 44 प्रतिशत की तुलना में 49 प्रतिशत है। इस प्रकार यह पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशतता के 5 अंश तक अधिक है।

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की राजकीय विदेश यात्राओं में उनके साथ जाने वाले पत्रकारों का चयन

2773. **श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री पी० नरसा रेड्डी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रेस परिषद् ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की राजकीय यात्रा में उनके साथ भेजने हेतु पत्रकारों के चयन के सम्बन्ध में कोई मार्गनिर्देश तैयार किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा सरकारी दौरों के लिए पत्रकारों के चयन हेतु निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों की सिफारिश की गयी है :

1. प्रादेशिक प्रतिनिधित्व ;
2. भाषायी प्रतिनिधित्व ;
3. किसी समाचारपत्र समूह के अधिक प्रतिनिधित्व से बचना और बहुभाषी समूह का एक से अधिक प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए।
4. बारी-बारी से आमंत्रित करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक क्षेत्र से एक ही समाचार पत्र के प्रतिनिधि को बार-बार आमंत्रित न किया जाय।
5. किसी समाचार पत्र या समाचार ऐजेंसी का चयन करते समय संवाददाता या किसी अन्य सक्षम पत्रकार का चयन संपादक पर छोड़ देना चाहिए।
6. जब तक संपादक को व्यक्तिगत रूप से आमन्त्रित न किया गया हो, संपादक को संवाददाता या किसी अन्य सक्षम पत्रकार का चयन करते समय, यथासम्भव न तो अपना चयन करना चाहिए और न ही किसी ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहिए जो संबद्ध प्रकाशन से संबंधित न हो।

(ग) भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा सुझाये गये मार्ग निर्देश/सिफारिश के रूप में हैं। चयन का मुख्य मानदण्ड सर्वाधिक कवरेज है। विदेशी दौरों के समय चयन कसौटी भारत की विदेश नीति और संबंधित दौरे की सर्वाधिक करवेज सुनिश्चित करना है। अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं को कवर करने में अनुभवी लोगों को तरजीह दी जाती है। प्रादेशिक भाषाओं के समाचार पत्रों को यथासम्भव प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के कारण श्रमिकों की छंटनी

2774. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप छंटनी किये जाने वाले श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या इन इस्पात संयंत्रों के प्रबन्धन में श्रमिकों की सक्रिय भागीदारी शुरू हो गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) सरकार की

नीति के रूप में इस बात पर बल दिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के अधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप किसी भी श्रमिक की छटनी नहीं की जाएगी।

(ख) और (ग) जी, हां। इस्पात संयंत्रों में शाप फलोर, आंचलिक, और संयंत्र स्तरों पर कल्याण, सुरक्षा, उत्पादकता आदि से संबंधित अनेक द्विपक्षीय समितियां कार्य कर रही हैं। औद्योगिक स्तर पर इस्पात उद्योग के लिए राष्ट्रीय संयुक्त समिति और "सेल" स्तर पर "संयुक्त उत्पादन और उत्पादकता समिति" द्विपक्षीय मंच हैं जो स्थापित किये जा चुके हैं।

मूल्य सूचकांक

[हिन्दी]

2775. **प्रो० रासा सिंह रावत :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल्य सूचकांक की गणना करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है ;

(ख) किन-किन उपभोक्ता वस्तुओं के आधार पर मूल्य सूचकांक की गणना की जाती है और यह गणना कितनी अवधि के वाद की जाती है ;

(ग) क्या सरकार का उक्त मूल्य सूचकांक के निर्धारण संबंधी मानदण्डों में संशोधन करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) यद्यपि विभिन्न प्रयोजनों के लिए अनेक मूल्य सूचकांक प्रचलन में हैं, माननीय सदस्य संभवतः औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उल्लेख कर रहे हैं, जिसका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के रूप में प्रायः उपयोग किया जाता है

वर्ष 198 को आधार मानकर, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई शृंखला ; भारत सरकार द्वारा गठित कीमत सांख्यिकी और जीवन-निर्वाह लागत संबंधी अन्तर्विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति के मार्गदर्शन में तैयार की गई और 1981-82 में किए गए पारिवारिक आय और व्यय सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई है। इस सूचकांक को तैयार करने में, परिवार जीवन-यापन शृंखला संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विशेषज्ञों के कार्यकारी दल सहित, अनेक अन्य विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को प्रायः 10 वर्ष के अन्तराल के बाद संशोधित किया जाता है लेकिन, 1960 शृंखला को, जिसके स्थान पर 1970-71 की शृंखला को प्रतिस्थापित किया गया उसे श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ मतभेद होने के कारण जारी नहीं किया जा सका।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मासिक आधार पर संकलित किया जाता है और यह श्रमिक वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए प्रायः अपनाई जाने वाली आम उपभोक्ता वस्तुओं के छः मुख्य समूहों पर आधारित है, जैसे खाद्य (अनाज, दालें, तेल तथा वसा, मांस, मछली तथा अंडे, दूध तथा उसके उत्पाद, मसाले तथा गर्म मसाले, सब्जियां तथा फल, चीनी, पेय आदि) ; पान सुपारी, तम्बाकू तथा मादक पदार्थ ; ईंधन तथा बिजली ; आवास ; वस्त्र बिस्तरे तथा जूते और सेवाएं जैसे चिकित्सा सेवा, शिक्षा, मनोरंजन तथा परिवहन। वस्तुओं के चयन के लिए प्रायः अपनाए जाने वाले मानदण्ड ; उनका

महत्त्व, प्रतिनिधित्वता और सतत आधार पर कीमतों के आंकड़े एकत्र करने के लिए उपर्युक्त इकाइयों की उपलब्धता हैं। सूचकांकों के ब्यौरे, श्रम ब्यूरो द्वारा 1989 में प्रकाशित किए गए "भारत में जीवन-निर्वाह लागत सूचकांक" शीर्षक से प्रकाशन में दिए गए हैं। एक औसत परिवार के उपभोग पैटर्न में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए सूचकांकों को तैयार करने में सुधार, लगभग दस वर्ष के अन्तराल के बाद शृंखला के संशोधन के समय विशेषज्ञ सलाह के अनुसार किए जाते हैं।

विदेशी सहयोगकर्ताओं द्वारा भारतीय कम्पनियों को ब्याजमुक्त अग्रिम धनराशि दिया जाना

[अनुवाद]

2776. **श्रीमती बासव राजेश्वरी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय कम्पनियों को अत्यावश्यक प्राथमिक और परिचालन पूर्व व्ययों को पूरा करने के लिए विदेशी सहयोगकर्ताओं से ब्याजमुक्त अग्रिम धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी कोई सीमा निर्धारित की गई है ; और

(ग) विदेशी सहयोगकर्ताओं से अग्रिम धनराशि स्वीकार करने पर कौन-कौन सी शर्तें लगाई गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह भारतीय कम्पनियों को उनसे आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विदेशी भागीदारों से बिना ब्याज अग्रिम प्राप्त करने की छूट देता हैं जिसका समायोजन बाद में उन्हें जारी शेयरों से किया जाता है ताकि वे परियोजना से संबंधित आवश्यक प्राथमिक और चालनपूर्व व्यय को पूरा कर सकें। अग्रिम शेयर अभिदान प्राप्त करने के लिए ऐसी अनुमति सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी इक्विटी भागीदारिता तक सीमित होगी।

(ग) अनुमति प्रदान करते समय निम्नलिखित शर्तों की परिकल्पना की गई है :

(क) विदेश से प्राप्त होने वाली ऋण की राशि सामान्य बैंकिंग चैनल से प्राप्त की जाएगी और बाद में इसे सत्यापित करने के लिए एक बैंक प्रमाण पत्र भारतीय रिजर्व बैंक को पेश किया जाएगा।

(ख) अनिवासी निवेशकर्ताओं को उनसे प्राप्त ऋण राशि पर किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(ग) ऋण की राशि का समायोजन भारतीय कंपनी के शेयरों के विरुद्ध अनिवासी से तभी किया जाएगा जब भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से शेयरों की जारी करने की अपेक्षित अनुमति प्राप्त होगी।

(घ) ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति का भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कंपनी में विदेशी निवेश के संबंध में लिए जाने वाले निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ङ) यदि बाद में परियोजना अनिवासी निवेशकर्ताओं को इक्वीटी पूंजी जारी किए जाने के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं दी जाती है और अनिवासियों को शेयर नहीं जारी किए जाते तो ऋण की राशि को भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण की रकम की वापसी की अनुमति लेने के बाद उस तारीख को विद्यमान विदेशी मुद्रा दर पर विदेशी उधारकर्ता को वापस लौटा दिया जाएगा।

चीन के शिष्टमंडल का दौरा

2777. **श्रीमती बासव राजेश्वरी :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन का एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल भारत की यात्रा पर आने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो उसके साथ किन मुद्दों पर चर्चा की जायेगी ; और

(ग) गत चार महीनों के दौरान चीन के साथ व्यापारिक संबंधों में कितना सुधार हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी, नहीं। जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है, निकट भविष्य में उच्च-स्तरीय चीनी प्रतिनिधिमंडल के भारत आने की कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वाणिज्यिक जानकारी तथा सांख्यिकी महानिदेशालय से मई, 1990 तक की अवधि के व्यापार आंकड़े उपलब्ध हैं। चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 के प्रथम दो महीनों के दौरान भारत द्वारा चीन को कुल 45.8 मिलियन रु० का निर्यात किया गया तथा वहाँ से हमारा आयात 61.8 मिलियन रु० हुआ। 1989-90 के सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में निर्यात 391 मिलियन रु० का तथा आयात 658 मिलियन रु० का हुआ।

भारत को जापानी सहायता

2778. **श्रीमती बासव राजेश्वरी :**

श्री डी० अमात :

श्री गुलाब चन्द कटारिया :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान की सरकार भारत को ऋण देने पर सहमत हुई है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष के ऋण की तुलना में यह कितना कम या अधिक है ;

(ग) इस ऋण राशि से भारत में कौन-कौन सी परियोजनाएं आरम्भ की जायेंगी ;

(घ) क्या इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1990-91 के लिए वचनबद्ध समुद्रपारीय विकास अभिकरण (ओवरसीज डिवेलपमेंट एजेंसी) ऋण की 104.826 अरब येन की राशि पिछले वर्ष के वचनबद्ध ऋण की 96.710 अरब येन की राशि से 8.4 प्रतिशत अधिक है।

(ग) इस ऋण के अन्तर्गत प्रारम्भ की जाने वाली परियोजनाएं नीचे दी गई हैं :—

1. अनपारा "बी" तापीय विद्युत केन्द्र निर्माण परियोजना (III)
2. तीस्ता नहर जलीय-विद्युत परियोजना (II)
3. इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के साथ-साथ वनरोपण और चारागाह विकास (चरण II)
4. स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी परियोजना का गुण नियंत्रण
5. लघु उद्योग विकास कार्यक्रम (II) ; और
6. अल्प तथा मध्यम आय वाले गृहस्थों के लिए आवास कार्यक्रम

(घ) अन्तिम करारों पर जनवरी-फरवरी, 1991 में हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मुनाफा कमाना

2779. **श्रीमती बासव राजेश्वरी :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने गत वित्तीय वर्ष के दौरान मुनाफा कमाया है ;

(ख) क्या केवल भारतीय स्टेट बैंक ही ऐसा बैंक है जिसने मुनाफा कमाया है ;

(ग) यदि हाँ, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(घ) उन बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने मुनाफा नहीं कमाया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) 28 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से 27 बैंकों ने वर्ष 1989-90 के अपने वार्षिक खाते को अन्तिम रूप दे दिया है। इन बैंकों के प्रकाशित खाते के अनुसार न्यू बैंक आफ इंडिया को छोड़कर सभी बैंकों ने लाभ दर्शाया है।

विभिन्न मदों के लिए राज सहायता

2780. **श्री एल० बी० सिंह :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मदों के लिए वित्तीय राज-सहायता देने हेतु कोई समुचित मानदण्ड नहीं है ;

(ख) क्या इस बात पर निगरानी रखने हेतु भी कोई तंत्र नहीं हैं कि क्या इन राज-सहायताओं के लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचते हैं या नहीं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा भिन्न-भिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु स्वीकृत मापदण्ड के अनुसार विभिन्न मदों के लिए वित्तीय

सब्सिडि दी जाती है। योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार मंत्रालयों/विभागों से उनके क्रियान्वयन पर निगरानी (मानीटर) करने की आशा की जाती है।

(ग) वर्ष 1990-91 के इस बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा है कि "हमें अपने आप से यह पूछना होगा कि क्या ये आर्थिक सहायताएं (सब्सिडि) वास्तव में उन लोगों तक पहुंच रही हैं, जिनके लिए वे दी गई हैं अथवा क्या वही लाभ पहुंचाने का कोई बेहतर रास्ता है।" वित्त मंत्री ने सार्वजनिक व्यय, जिसमें सांकेतिक तथा सुस्पष्ट आर्थिक सहायताएं (सब्सिडि) शामिल हैं, के सभी क्षेत्रों की सावधानीपूर्वक संवीक्षा करने के लिए सभी काबीना मंत्रियों को लिखा है।

लघु उद्योगों को ऋण

2781. **श्री एल० बी० सिंह** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण देने के उद्देश्य से लघु क्षेत्र के उद्योगों को प्राथमिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है ;

(ख) प्राथमिक क्षेत्र के लिए निवल बैंक ऋण का कितने प्रतिशत भाग ऋण देने के लिए निर्धा-किया गया है ;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ;

(घ) कौन-कौन से बैंकों द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है ;

(ङ) इसके क्या कारण हैं ; और

(च) इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उनके बकाया अग्रिमों का 40 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देने का लक्ष्य दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) ये सवाल ही पैदा नहीं होते।

वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रवत्त औद्योगिक विकास हेतु सहायता

2782. **श्री एल० बी० सिंह** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा औद्योगिक निवेश हेतु अनुमोदित ऋणों की धनराशि अब तक की सबसे कम, तथा वस्तुतः वितरित धनराशि उससे भी कम थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ; और

(ग) अप्रैल—जुलाई 1990 की अवधि के दौरान मंजूरी तथा वस्तुतः वितरित धनराशि की दृष्टि से इन संस्थानों का कार्य-निष्पादन कैसा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि गत वर्षों में औद्योगिक निवेशों के लिए सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूरियों एवं संवितरणों दोनों मामलों में निरंतर वृद्धि हुई है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, साधारण बीमा निगम तथा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक सहित सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वर्ष 1989-90 के दौरान स्वीकृत रकम 15,571.1 करोड़ रुपए थी जबकि 1988-89 में 13,772.4 करोड़ रुपए और 1987-88 में 8765.7 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। संवितरित की गई रकम 1989-90 में 9367.8 करोड़ रुपए, 1988-89 में 8491.8 करोड़ रुपए तथा 1987-88 में 6335.3 करोड़ रुपए थी।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, साधारण बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सहित सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा अप्रैल—जुलाई 1990 के दौरान स्वीकृत एवं संवितरित अनन्तिम रकमें क्रमशः 3426.25 करोड़ रुपए तथा 2528.66 करोड़ रुपए थीं जबकि अप्रैल—जुलाई 1989 में ये रकमें 4072.55 करोड़ रुपए तथा 2551.71 करोड़ रुपए थीं। बताया गया है कि मंजूरियों की गति में शिथिलता आना एक अल्पकालिक घटना है और ऐसा गत दो वर्षों की अवधि के दौरान मंजूरियों में तेजी से वृद्धि होने के कारण हुआ है। मंजूरियों की वृद्धि में यह शिथिलता अप्रैल—जुलाई 1990 की अवधि के दौरान सहायता के लिए आने वाली बड़े आकार की परियोजनाओं का अभाव के कारण भी है। तथापि, पाइपलाइन परियोजनाओं के आधार पर, संस्थाएं वर्ष के दौरान पर्याप्त वृद्धि करने की आशा करती है।

विदेशी पूंजी शेयरों की भागीदारी संबंधी नीति

2783. श्री एल० बी० सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पूंजी शेयरों की भागीदारी संबंधी नीति को अब और अधिक उदार बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ;

(ग) क्या इन निवेशकों को अपने अर्जित लाभ को स्वदेश ले जाने की अनुमति होगी, यदि हां, तो किन शर्तों पर ; और

(घ) इसका देश की भुगतान संतुलन स्थिति तथा आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) विशिष्ट उद्योगों में निवेश सीमा पूंजीगत माल और कच्ची सामग्रियों आदि से संबंधित कुछ शर्तों के तहत स्वतः आधार पर इक्विटी पूंजी के 40 प्रतिशत तक के निवेश की अनुमति दी जाएगी। वर्तमान नीति के अन्तर्गत लाभ और लाभांश के प्रत्यावर्तन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। औद्योगिक नीति से हमारे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रोजगार और निवेश के संवर्धन तथा अदायगियों के समग्र संतुलन में सकारात्मक अंशदान की आशा है।

पर्यटन नीति को उदार बनाना

2784. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये पर्यटन उद्योग के बारे में नीति को उदार बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने पर्यटन उद्योग से संबंधित नीतियों को पहले से ही उदार बनाया हुआ है। इन नीतियों में चार्टर उड़ानों, एयर टैक्सियों, उपकरणों का आयात, होटलों तथा पर्यटन से संबंधित अन्य परियोजनाओं में पूंजी निवेश संबंधी प्रोत्साहनों, आदि की नीतियां शामिल हैं।

अनिवासी भारतीयों द्वारा पर्यटन उद्योग में पूंजी निवेश

2785. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** :

डॉ० सी० सिलेवरा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पर्यटन उद्योग में पूंजी निवेश करने हेतु अनिवासी भारतीयों को आमंत्रित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका औचित्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) अनिवासी भारतीयों को तीन से पांच सितारा होटलों में निवेश करने की अनुमति है। यह भारत में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है।

गुजरात औद्योगिक निवेश निगम की उद्यम पूंजी योजना

2786. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात औद्योगिक निवेश निगम ने विश्व बैंक तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से वित्तीय सहायता लेकर एक उद्यम पूंजी योजना आरम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विश्व बैंक, भारतीय औद्योगिक निवेश विकास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट तथा भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लि० द्वारा कुल कितनी धनराशि का अंशदान किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) गुजरात औद्योगिक निवेश निगम को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, विश्व बैंक, इंडियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, भारतीय यूनिट ट्रस्ट तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय सहायता से एक उद्यम पूंजी निधि शुरू

करने की अनुमति दी गई है। इन संस्थाओं द्वारा अंशदान को जाने वाली धनराशि निम्न प्रकार है :—

	(लाख रुपये)
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	450.00
इंडियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड	25.00
भारतीय यूनिट ट्रस्ट	120.00
गुजरात औद्योगिक निवेश निगम की अपनी निधि	450.00
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों	555·00
विश्व बैंक ऋण (गुजरात औद्योगिक निवेश निगम के माध्यम से प्राप्त होने वाला)	800.00
	2400.00

महाराष्ट्र में बैंक शाखाओं का खोला जाना

[हिन्दी]

2787. श्री हरिशंकर महाले :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान महाराष्ट्र में बैंकों की नयी शाखाएं खोलने के लिए कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं।

(ख) ये शाखाएं किन-किन स्थानों पर खोली जायेंगी ; और

(ग) ये शाखाएं कब से कार्य करना प्रारम्भ कर देंगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) पहली अप्रैल, 1989 से 31 मार्च, 1990 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र के ग्रामीण और अर्ध शहरी केन्द्रों में शाखाएं खोलने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों को 33 लाइसेंस जारी किए हैं जिनका स्थान-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

जिले का नाम	केन्द्र का नाम
1	2
औरंगाबाद	1. जेयूर
	2. लोहागांव
अहमदनगर	3. धोरेगांव
	4. मानिक दौंडी
	5. चिचोंडी पाटिल
	6. चत्तीसी
	7. कांडगांव

1	2
धुले	8. धोगारगांव
	9. नदूरखी
	10. राजाबर्डी
	11. भंगारपानी
	12. नवपाडा
जालना	13. कुंभारजरी
नांदेड	14. मलेगांव मक्टा
परभनी	15. पंगरा शिंदे
	16. वाघी धनेरा
	17. लक्षरा
पुणे	18. नेरे
	19. अप्टा
	20. ग्रध
	21. वेहूले
	22. वहेश्वर
	23. जवान
	24. करला
	25. अंबारने
	26. कोल्वान
	27. पसली
सतारा	28. मुरूद
	29. बम्नोली
ठाणे	30. वशी सेक्टर (9-10 ए०पी०एम०सी० क्षेत्र)
	31. वशी (सेक्टर 1-19 ए०पी०एम०सी० क्षेत्र)
	32. वशी (दुर्गे ए०पी०एम०सी० क्षेत्र)
यवतमाल	33. शिबला

भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार बैंकों ने लाइसेंसों का उपयोग पहले ही कर दिया है और 22 केन्द्रों में शाखाएं खोल दी हैं। उपयुक्त परिसर, पक्की सड़क, परिवहन/-

संचार सुविधाओं आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण बैंक बाकी के केन्द्रों में शाखाएं नहीं खोल सके हैं। फिर भी, भारतीय रिजर्व बैंक ने लाइसेंसों की वैधता अवधि को दिनांक 30 सितम्बर, 1990 तक बढ़ा दिया है।

भारत एक पर्यटक गन्तव्य

[अनुवाद]

2788. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों के दूतावासों ने पर्यटक-गन्तव्य के रूप में भारत को न चुने जाने के लिए अपने नागरिकों को सलाह दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) कुछ देशों ने ही अपने नागरिकों को जम्मू तथा कश्मीर की यात्रा न करने और पंजाब में सर्तक रहने मात्र की सलाह दी है।

(ख) आस्ट्रेलिया सरकार के विदेश एवं व्यापार विभाग, फ्रांस के विदेश कार्यालय और डिपार्टमेंट आफ स्टेट, यू० ए स० ए० ने अपने नागरिकों को जम्मू तथा कश्मीर की यात्रा करने की अपनी योजना को रद्द करने और पंजाब में सतर्क रहने की सलाह दी है ।

(ग) जैसे ही यह बात सरकार के ध्यान में आई, पर्यटक कार्यालयाध्यक्षों अथवा संबंधित मिशनों ने इस मामले को संबंधित सरकारों के साथ उठाया था कि वे इस बारे में किसी भी गलत सूचना का खण्डन करें ।

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

2789. **श्री पी० नरसा रेड्डी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक अनिवासी भारतीयों द्वारा देश में वर्ष वार कितनी धनराशि का निवेश किया गया है ;

(ख) यह राशि भारतीय रुपए में तथा विदेशी मुद्रा के रूप में पृथक-पृथक कितनी-कितनी है ;

(ग) क्या विदेशी मुद्रा जमाराशि पर ब्याज की दर रुपए की जमाराशि से अधिक है ; और

(घ) यदि हां, तो दोनों जमाराशियों पर ब्याज की दर क्या-क्या है ?

उप-वित्त मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

अनिवासी भारतीय निवेश के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2789 जिसका उत्तर 24.8.90 को दिया जाना है, के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक कुल अनिवासी भारतीय निवेश इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपए में)

	1 अप्रैल, 1987 से 31 मार्च, 1989 तक	1 अप्रैल, 1988 से मार्च, 1989 तक	1 अप्रैल, 1989 से मार्च, 1990 तक	31.7.90 को
				(संचयी)
(क) अनिवासी भारतीयों/समुद्रपारीय निगमित निकायों को भारतीय कम्पनियों के शेयर/ऋण पत्र जारी करने के लिए सिद्धान्तरूप में स्वीकृतियां				
(1) निवेश योजना प्रत्यावर्तन आधार पर				
40 प्रतिशत	160.02	176.89	187.27	1419.60
74 प्रतिशत	17.98	10.66	8.90	74.47
अप्रत्यावर्तन आधार पर	64.23	51.55	48.52	311.68
(2) पोर्टफोलियो निवेश योजना				
प्रत्यावर्तन	6.89	6.02	2.21	74.37
अप्रत्यावर्तन	0.56	0.24	0.88	3.03
	9 महीने की सूचना 31.7.90 को इतिशेष			
(ख) अनिवासी बाह्य/विदेशी मुद्रा अनिवासी भारतीय				
अनिवासी बाह्य जमा	770.80	792.00	440.00	6564.00
विदेशी मुद्रा अनिवासी भारतीय लेखा				
अमरीकी डालर	1359.00	2241.81	2656.00	9576.00
स्टर्लिंग	76.93	05.74(—)	198.00	308.00
ड्यूश मार्क	—	700.00	328.00	1098.00
येन	—	372.00	283.00	982.00

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) लेखा योजना, अनिवासी बाह्य (रुपया) जमा के अन्तर्गत की गई जमाओं और देशी जमाओं के संबंध में चालू ब्याज की दरें निम्न प्रकार हैं :—

(प्रतिशत प्रतिवर्ष)

वाणिज्यिक बैंकों, जो 13 अगस्त, 1990 से प्राधिकृत व्यापारी हैं, के साथ किए गये सौदे के लिए प्रभावी ब्याज दरें

अवधि	पौंड स्टर्लिंग	अमरीकी डालर	ड्यूस मार्क	जापानी येन
(क) 6 महीने और उससे अधिक लेकिन एक वर्ष से कम की जमाओं के लिए	11.50	9.00	9.00	8.50
(ख) 1 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम की जमाओं के लिए	11.75	9.25	9.50	8.50
(ग) 2 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम की जमाओं के लिए	12.00	9.75	9.75	8.50
(घ) केवल तीन वर्ष की जमाओं के लिए	12.00	10.00	9.75	8.50

(II) 16.4.90 से अनिवासी बाह्य जमा

जमा की श्रेणी	ब्याज दर प्रतिशत प्रतिवर्ष
(i) बचत खाता	5.0
(ii) आवधिक जमा	
(क) 46 दिन और उससे अधिक लेकिन 1 वर्ष से कम की जमाओं के लिए	8.5
(ख) 1 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम की जमाओं के लिए	10.5
(ग) 2 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम की जमाओं के लिए	11.0
(घ) 3 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम की जमाओं के लिए	12 0

(ङ) 5 वर्ष और उससे अधिक की जमाओं के लिए 13.0

(III) देसीय (घरेलू) जमा (11.10.89 से)
जमा की श्रेणी

(i) बचत खाता 5.0

(ii) आवधिक जमा

(क) 46 दिन और उससे अधिक लेकिन 1 वर्ष से कम के लिए 8.0

(ख) 1 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम के लिए 9.0

(ग) 2 वर्ष और उससे अधिक के लिए 10.0

कर वसूली की संशोधित प्रक्रिया

2790. **श्री पी० नरसा रेड्डी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कर वसूली के लिए एक नई संशोधित प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कर वसूली करने में क्या भूमिका अपनाई जाती है ; और

(ग) कर वसूल करने संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक करों की वसूली में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारतीय स्टेट बैंक और सरकारी क्षेत्र के अन्य बहुत से बैंक केन्द्रीय सरकार की ओर से करों की अदायगी लेने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं। इस क्षमता में ये बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के ऐजेंट के रूप में कार्य करते हैं। इन बैंकों द्वारा वसूल किये गये समूचे कर को सरकार के खाते में डालने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को भेज दिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय करों को लेने/वापिस करने के काम भी करते हैं।

मानसून के दौरान मछली पकड़ने पर प्रतिबन्ध

2791. **प्रो० के० वी० थामस :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास एजेंसी ने मानसून के दौरान मछली पकड़ने पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) मानसून के दौरान मछली पकड़ने के बारे में केन्द्रीय सरकार के क्या विचार हैं ; और

(घ) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संबंध में केन्द्रीय सरकार की नीति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) समुद्री उत्पाद निर्यात प्राधिकरण ने मानसून के दौरान केरल में मछली पकड़ने (मशीन से मछली पकड़ने) पर प्रतिबंध से वर्ष 1989 के दौरान केरल से समुद्री उत्पाद के निर्यात पर पड़े प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण किया था।

(ख) विश्लेषण से पता चलता है कि :—

1. कोचीन बन्दरगाह से किए जाने वाले निर्यात में जुलाई से सितम्बर 1989 के दौरान मात्रा में लगभग 3114 टन की और मूल्य में 24 करोड़ रुपए की गिरावट आई है।
2. मछली पकड़ने पर प्रतिबंध से मशीनों से मछली पकड़ने के कार्य और मछली प्रसंस्करण उद्योग पर प्रभाव पड़ा है।
3. केरल में मछली प्रसंस्करण इकाइयों की उपयोगिता क्षमता में कमी आई और यह उनकी संस्थापित क्षमता के 18-20% के आस-पास थी।

(ग) सरकार का विचार है कि मानसून के महीनों के दौरान मछली पकड़ने के दबाव में कमी लाने की आवश्यकता है, न कि उस पर प्रतिबंध लगाने की।

(घ) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की सरकारी नीति में अधिक ट्रालरों को अधिष्ठापित करके इंडियन एक्सक्ल्यूसिव इकनोमिक जोन (ई० ई० जेड०) से समुद्री संसाधनों का उच्चस्तर दोहन, ट्रालरों को प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाना और इस क्षेत्र के लिए अवस्थापनात्मक सुविधाओं में सुधार करके गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले 100% निर्यातोन्मुख एककों और संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित करके तथा विविधीकृत मछली पकड़ने को प्रोत्साहित करके, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग को विकसित करने का विचार है।

संयुक्त परिषद में आयकर कर्मचारियों से संबंधित लम्बित पड़े मामले

2792. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** :

क्या वित्त मंत्री संयुक्त परिषद में आयकर कर्मचारियों से संबंधित लम्बित पड़े मामलों के बारे में 2 दिसम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3223 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय की संयुक्त परिषद (जे० सी० एम०) में आयकर कर्मचारियों से सम्बन्धित लम्बित पड़े 16 मामलों में से कितने मामलों को निपटाया जा चुका है तथा इन्हें किस-किस तारीख को निपटाया गया है और इन मामलों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) नवम्बर, 1988 के पश्चात अब तक संयुक्त परिषद की कितनी बैठकें हुई हैं ;

(ग) नवम्बर, 1988 के बाद परिषद में कौन-कौन से नए मामले उठाये गये हैं, इनमें से कितने मामलों पर चर्चा की गई और उसका क्या परिणाम निकला ; और

(घ) लम्बित पड़े मामलों पर शीघ्र निर्णय करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) विभागीय परिषद के पास आयकर कर्मचारियों से सम्बन्धित 16 अनिर्णीत मदों में से 9 मदें निपटाई जा चुकी हैं। मदों के ब्यौरे तथा उनके निपटान की तारीखें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) पांच बैठकें।

(ग) नवम्बर, 1988 के बाद 5 नए मामले उठाए गए थे जिनमें से एक मामला बंद कर दिया

गया था, एक मद कर्मचारी पक्ष के साथ परामर्श करके छोड़ दी गई थी और 2 मदों पर असहमति दर्ज की गई थी तथा एक अभी विचाराधीन है।

(घ) अनिर्णीत मदों पर शीघ्र निर्णय लिए जाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

क्र० सं०	विषय	निपटान की तारीख
1.	आन्तरिक लेखा परीक्षा पार्टियों/विशेष लेखापरीक्षा पार्टियों में कार्यरत सहायकों को 50 रु० प्रतिमाह का विशेष वेतन स्वीकृत किया जाय।	10 और 11 अप्रैल, 1990
2.	पर्यवेक्षकों के ग्रेड को कार्यालय अधीक्षक में बदलना।	12 और 13 जुलाई, 1990
3.	राजस्व पूल के अन्तर्गत सभी स्थानों पर पर्याप्त संख्या में स्टाफ क्वार्टरों (टाइप-I) का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि सभी समूह "घ" कर्मचारियों को कवर किया जा सके।	10 और 11 अप्रैल, 1990
4.	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 12.3..86 के आदेश सं० बी 12020/14/85-एड-IX के तहत समाप्त की गई एसोसिएशन की सुविधाओं को बहाल किया जाना चाहिए।	28 और 29 अगस्त, 1989
5.	आई० टी० डी० के नोटिस सर्वरों के वेतनमान का पुनरीक्षण।	11 जनवरी, 1989
6.	आयकर निरीक्षकों के वेतनमान का पुनरीक्षण।	11 जनवरी, 1989
7.	फेडरेशन को परिपत्र तथा अनुदेश की प्रतिलिपि भेजी जानी चाहिए।	10 और 11 अप्रैल, 1990
8.	समूह "घ" कर्मचारियों के अवर श्रेणी लिपिकों के रूप में पदोन्नत होने के लिए विभागीय परीक्षा। पहले से ही उत्तीर्ण किए गए प्रश्न-पत्र को दुबारा न दिए जाने की छूट।	10 और 11 अप्रैल, 1990
9.	टाइपिंग की परीक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाए न कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा।	28 और 29 अगस्त, 1989

संवर्ग प्रबंध योजना का कार्यान्वयन

2793. श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :

क्या वित्त मंत्री संवर्ग प्रबंध योजना के कार्यान्वयन के बारे में 31 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4230 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग के "ख', और "ग" समूह के कर्मचारियों के लिए संवर्ग प्रबन्ध योजना के संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस समिति के गठन के समय से अब तक इसकी कितनी बैठकें हुई हैं और ये बैठकें किन-किन तारीखों को हुई हैं ;

(ग) इस समिति के सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं ; और

(घ) संवर्ग प्रबंध योजना को रिपोर्ट को कब तक अन्तिम रूप दिया जाएगा और उसे सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) इस समिति की बैठकें 18.1.1990, 30.4.1990 और 3.8.1990 को हुई थीं। यह रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकी है क्योंकि कर-निर्धारण संबंधी कार्यविधि में हुए परिवर्तनों और विभिन्न कार्यों/संवर्गों के लिए कार्य सम्बन्धी मानदण्ड तैयार करने जैसी बातों को ध्यान में रखते हुए, संगठन तथा प्रबन्ध सेवा निदेशालय (आय-कर) द्वारा कतिपय अध्ययन किये जा रहे हैं। समिति द्वारा कार्य सम्बन्धी मानदण्ड तैयार करने और गतिरोध स्तरों का निश्चयन करने के लिए अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ और इसके घटकों के मत पर विचार किया जा रहा है।

(ग) समिति का गठन इस प्रकार किया गया है :—

(1)	आयकर महानिदेशक (प्रशा०)	—	अध्यक्ष
(2)	मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली	—	सदस्य
(3)	आयकर निदेशक (डी० ओ० एम० एस०)	—	सदस्य
(4)	आयकर निदेशक	—	सदस्य
(5)	उप आयकर निदेशक (डी० ओ० एम० एस०)	—	सदस्य ; और
(6)	उप वित्त सलाहकार (डी० टी०)	—	सदस्य

(घ) क्योंकि यह एक भारी-भरकम कार्य है, इसलिए कोई निश्चित तारीख देना संभव नहीं होगा। रिपोर्ट को यथाशीघ्र अन्तिम रूप देने का प्रयास किया जा रहा है।

कर्नाटक में यात्री निवास का निर्माण

2794. श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में बेलूर, हालेबिड और श्रवण बेलगोला में यात्री निवासों का निर्माण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक स्थान पर कितने कमरे उपलब्ध हैं और वहां कितने पर्यटकों को ठहराया जा सकता है ; और

(ग) क्या पर्यटन वर्ष 1991 के दौरान इन स्थानों पर मांग की पूर्ति करने के लिए वहां कुछ और यात्री निवासों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

कार्नाटक में बेलूर और होलेबिड में पर्यटकों के लिए सामूहिक शयन कक्ष और कमरों का निर्माण

2795. **श्री० एच० सी० श्रीकान्तय्या :**

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार कर्नाटक में पर्यटकों के प्रयोग के लिए बेलूर और हालेबिड में पहले और दूसरे चरणों में सामूहिक शयन कक्ष और कमरों के निर्माण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी लागत आयेगी और 1990-91 के दौरान कितनी राशि निर्धारित की गई है ;

(ग) पहले और दूसरे चरणों में निर्माण किए जाने वाले कमरों तथा सामूहिक शयन कक्षों की संख्या कितनी है ; और

(घ) निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क से (घ) केंद्रीय पर्यटन विभाग ने वर्ष 1988-89 में बेलूर, कर्नाटक में 32.46 लाख रु० की अनुमानित लागत से पर्यटक विश्राम गृह, डारमीट्री (24 बिस्तरे) तथा कैन्टीन ब्लाक के निर्माण की मंजूरी दे दी है, जिसमें से 8.00 लाख रु० की राशि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को रिलीज की जा चुकी है जो इस परियोजना की निष्पादक एजेंसी है। शेष राशि संबंधित प्राधिकारियों से उपयोग प्रमाण पत्र तथा भूमि अंतरण संबंधी दस्तावेज प्राप्त होने के बाद रिलीज की जाएगी।

आकाशवाणी, बंगलौर से शास्त्रीय कर्नाटक और हिन्दुस्तानी संगीत

2796. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि आकाशवाणी, बंगलौर से आजकल शास्त्रीय कर्नाटक शैली और हिन्दुस्तानी संगीत में तेलुगु और तमिल रचनाएं ज्यादा प्रसारित की जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा शास्त्रीय कर्नाटक और हिन्दुस्तानी शैली की कन्नड़ रचनाएं प्रसारित करने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

उत्तर प्रदेश में आर्थिक अपराधियों तथा कर अपवंचकों की गिरफ्तारी

[हिन्दी]

2797. **श्री कल्पनाथ सोनकर :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में आर्थिक अपराधियों तथा कर अपवंचकों को गिरफ्तार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान राज्य में कोई छापा भी मारा गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में आर्थिक अपराधी और कर अपवंचक

2798. **श्री कल्पनाथ सोनकर** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा महाराष्ट्र तथा दिल्ली में आर्थिक अपराधियों तथा कर अपवंचकों को पकड़ने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और इस संबंध में जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है अथवा जिन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है, उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

सिंडीकेट बैंक अधिकारियों की मांगें

[अनुवाद]

2799. **श्री हन्नान मोल्लाह** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सिंडीकेट बैंक आफिसर्स एसोसिएशन के आन्दोलन की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इन मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बताया गया है कि सिंडिकेट बैंक आफिसर्स एसोसिएशन ने पदोन्नतियां आवास, समाचार पत्र, मनोरंजन भत्ता, फर्नीचर ऋण, यात्रा भत्ता किराये में बढ़ोतरी आदि जैसी विभिन्न मांगें प्रस्तुत की हैं जिनमें काफी अधिक वित्तीय खर्च अंतर्ग्रस्त है। जबकि बैंक का प्रबन्धन, बैंक की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए एसोसिएशन की मांगों की जांच करवाने को तैयार है, एसोसिएशन अपनी मांगों को बैंक द्वारा तत्काल मानने का आग्रह कर रही है। इसी बीच बम्बई उच्च न्यायालय में कुछ रिट याचिकाएं भी दर्ज कराई गई हैं तथा मामला न्यायाधीन है।

जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम में उपभोक्ता शिकायत कक्ष

2800. श्री बबनराव ढाकणे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों, छोटे किसानों, कारीगरों तथा अन्य गरीब लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए जीवन बीमा निगम तथा सामान्य बीमा निगम के मुख्यालयों, क्षेत्रीय आंचलिक तथा मण्डलीय कार्यालयों में उपभोक्ता शिकायत कक्ष गठित किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान कुल कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं और उनमें से अब तक कितनी शिकायतों की छानबीन की गई है और निपटाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हाँ ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायगा ।

विदेशी ऋण

2801. श्री नाथू सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के आन्तरिक और विदेशी ऋणों के संदर्भ में नवीनतम स्थिति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) वर्ष 1960, 1970, 1980 और 1989 के अन्त में प्रति व्यक्ति ऋण की स्थिति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारत ऋण जाल में फंसता जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार के कर्जों को मिलाकर केन्द्रीय सरकार का प्रति व्यक्ति कर्ज इस प्रकार है :—

वर्ष	प्रति व्यक्ति कर्ज (रुपए)
1960-61	146
1970-71	334
1980-81	964
1988-89	3357

(ग) और (घ) जी, नहीं । तथापि, सरकार ने राजस्व प्राप्तियों को अधिकतम करने और व्यय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि व्यय के वित्तपोषण के लिए उधार ली गई निधियों पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सके । देश के विदेशी ऋण के स्तर और इसके परिशोधन के सम्भावित भार पर निरन्तर ध्यान दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये सम्यक सीमाओं के भीतर रहें । विदेशी वित्तपोषण पर निर्भरता को घटाने के उद्देश्य से निर्यात को बढ़ाने और

अदृश्य आय में वृद्धि करने, आयात को नियंत्रित करने तथा वचनबद्ध सहायता/ऋणों के संवितरण को बेहतर बनाने के अनेक उपाय किए गए हैं।

विवरण

1989-90 के अन्त में बकाया विदेशी कर्ज और आन्तरिक कर्ज के विस्तृत ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

	(करोड़ रुपए) 1989-90 के अन्त में बकाया
I. विदेशी कर्ज (प्रचलित विनिमय दर पर)	80132 (अनन्तिम)
II. आन्तरिक ऋण	238096 (संशोधित अनुमान)
जिसमें ये हैं :—	
बाजार ऋण	62561
राजकोष हुंडियां	60927
अल्प बचतें	40583
भविष्य निधि	9350
जमा राशियां आदि	64675

आर्थिक कानूनों को लागू करना

2802. श्री शान्ताराम पोटदुखे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आर्थिक कानूनों को लागू करने वाली एजेंसियों के लिए एक शीर्ष समन्वित निकाय बनाने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस नये निकाय की संरचना और कृत्य क्या है ;

(ग) वर्तमान ढांचे से यह किस तरह बेहतर है ; और

(घ) यह आर्थिक अपराधियों को पकड़ने में अंतर्ग्रस्त वर्तमान लम्बी मुकदमेंबाजी को समाप्त करने में किस प्रकार सहायक होगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) सरकार ने आर्थिक अपराधों से संबंधित कार्य को देखने वाली प्रवर्तन ऐजेंसियों में समुचित समन्वय प्रदान करने के लिए एक आर्थिक आसूचना परिषद गठन करने का निर्णय लिया है। परिषद के प्रमुख महानिदेशक, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो होंगे और इसमें आयकर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, प्रवर्तन और स्वापक के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे, जो आर्थिक अपराधियों को पकड़ने से संबंधित कार्य को देखते हैं।

(ग) और (घ) यह परिषद अन्य बातों के साथ-साथ कर अपवंचन और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के बारे में अपनाए गए विभिन्न तरीकों पर विचार करेगी और आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने और कमियों को दूर करने के लिए कानूनों और प्रक्रियाओं में संशोधन करने समेत उसे प्रभारी ढंग से लागू करने के उपायों के बारे में सरकार को सलाह देगी।

वर्ष 1991 में मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन

[हिन्दी]

2803. **प्रो० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1991 में मद्रास में आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में विदेशी फिल्मों को प्रसारित करने से पूर्व सेंसर किया जाएगा ;

(ख) क्या समारोह के बाद इन फिल्मों को भारतीय मानदंड के आधार पर सेंसर करके सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु प्रमाणित किया जाएगा ; और

(ग) क्या सरकार विदेशी फिल्मों के लिए पृथक सेंसर बोर्ड की स्थापना करेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी नहीं। केवल भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाई जाने वाली विदेशी फीचर फिल्म को प्रमाणन के प्रावधानों से छूट दी जाएगी। यह छूट अन्य अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में अनुसरण की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप है।

(ख) भारत में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में दिखाई गई फिल्मों का आयात निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है। भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए आमंत्रित ऐसी फिल्मों को प्रमाणन के प्रयोजन से केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होता है।

(ग) जी, नहीं।

उच्च न्यायालयों की पीठ स्थापित करना

2804. **श्री छीतूभाई देवजीभाई गामित :**

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इन पीठों को स्थापित करने की मंजूरी कब दी जाएगी और इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी नहीं। इस संबंध में किसी भी राज्य सरकार से कोई विनिर्दिष्ट, संपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि उत्पादों का निर्यात

2805. **श्री गुलाब चन्द कटारिया :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन सी और कितनी मात्रा में कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया और उससे विदेशी मुद्रा की कितनी धनराशि अर्जित की गई ;

(ख) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए वर्ष 1990-91 और 1991-92 हेतु कोई करार किया है और यदि हां, तो किन-किन कृषि उत्पादों के लिए करार किया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने लहसुन का निर्यात कम कर दिया है अथवा रोक दिया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का पुनः उसका निर्यात करने का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ख) भारत तथा विभिन्न रुपया भुगतान वाले क्षेत्र (आर० पी० ए०) के देशों के बीच वार्षिक व्यापार योजनाओं के अनुसार खली, काजू, तम्बाकू तथा खाद्यान्न सहित अनेक कृषि उत्पाद भारत से निर्यात किए जाते हैं ।

(ग) से (ङ) लहसुन का निर्यात मुक्त रूप से करने की अनुमति है।

विवरण

वर्ष 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान कृषि उत्पादों का निर्यात

मात्रा : हजार एम० टी०

मूल्य : करोड़ रुपये

मद	1987-88		1988-89 (अन०)		1989-90 (अन०)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
मसाले	70.30	298.08	94.44	282.79	99.88	274.36
काजू	42.53	326.86	36.99	281.84	47.35	366.01
तम्बाकू तथा विनिर्मित माल	61.42	116.30	49.15	116.65	73.70	172.04
खाद्यान्न	887.33	429.73	395.10	357.76	460.0	463.13
खली/निस्सारण	1101.05	203 52	1669.0	422.74	2714.51	580.53
रामतिल तथा तिल	6.3	6.9	32.3	33.81	150.53	189.75
एच०पी०एस० मूंगफली	4.8	5.11	36 9	34.75	24.79	26.83

1	2	3	4	5	6	7
गौण तेल	उ० न०	6.24	उ० न०	4.0	5.01	11.01
ताजे तथा संसाधित फल तथा सब्जियां मांस तथा मांस उत्पाद एवं अन्य संसाधित खाद्य पदार्थ.	उ० न०	346.97	उ० न०	421.82	उ० न०	447.04
चीनी	21.8	13.93	31.8	20.33	32.5	22.34
सीरा	शून्य	शून्य	115.0	7.10	265.0	17.41
चमड़ा अन्य सहित	6.5	16.62	7.13	18.89	6.08	17.90
योग		1770.31		1996.05		2601.13

स्रोत : निर्यात संवर्धन परिषदें, वस्तु बोर्ड, कृषि तथा संसाधित खाद्य उत्पाद, निर्यात विकास प्राधिकरण उत्पादनकर्ता/निर्यातक एशोसिएसनें।

बैंकों के बंद खातों में पड़ी धनराशि

2806. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के बंद खातों में कितनी धनराशि लावारिस पड़ी है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस धनराशि का प्रयोग पिछड़े और कमजोर वर्गों को और अधिक सहायता पहुंचाने के लिए करने का है ;

(ग) क्या सरकार ऐसी कोई समय सीमा निश्चित करना चाहती है जिस के बाद बैंक खाते में यदि कोई विनिमय नहीं किया गया हो तो ऐसे खातों में पड़ी धनराशि को सरकारी संपत्ति मान लिया जाएगा ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर सभी वाणिज्यिक बैंकों से रिजर्व बैंक को एक विवरणी भेजने की अपेक्षा की जाती है जिसमें उन खातों में पड़ी हुई रकम का उल्लेख किया जाना होता है जो पिछले दस वर्षों से निष्क्रिय हैं। दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 तक की स्थिति के अनुसार अलग-अलग राष्ट्रीयकृत बैंकों में, ऐसे 5813585 निष्क्रिय खातों में 51.76 करोड़ रुपए की रकम पड़ी हुई थी। ऐसी अदावी जमाराशियां, बैंक की देनदारियों का एक हिस्सा बनी रहती हैं और जमाकर्ता द्वारा मांग किये जाने पर कानूनी रूप से उनका भुगतान किया जाना होता है। बैंकों द्वारा सामान्यतः अन्य संसाधनों के साथ-साथ ऐसी अदावी जमाराशियों का अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है जिनमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण भी शामिल हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

तमिलनाडु में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को कानूनी सहायता देने के लिए धनराशि का आबंटन

[अनुवाद]

2807. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन :**

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को कानूनो सहायता देने के लिए वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान, वर्ष-वार किए गए आबंटन और उसमें से व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) अवास्तविक नियतन के कारण उन्हें कानूनी सहायता देने में चालू वर्ष के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) तमिलनाडु में, जैसा कि सभी अन्य राज्यों में होता है, विधिक सहायता स्कीमों के लिए राज्य सरकार धन देती है। तमिलनाडु में, आय पर ध्यान दिए बिना, अनुसूचित जाति और अनुसुचित जनजाति के प्रत्येक आवेदक को विधिक सहायता दी जा रही है। तमिलनाडु में अनुसूचित जनजाति को विधिक सहायता दी जाने के लिए बजट पृथक् से आबंटित नहीं किया गया है। विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वियन समिति, विधिक सहायता शिविर लोक अदालतों के आयोजन, मध्यस्थता केन्द्र और महिला केन्द्र चलाने के लिए तमिलनाडु राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड को वित्तीय सहायता देती थी। विधिक सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा आबंटित बजट, विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वियन समिति द्वारा दी गई वित्तीय सहायता और तमिलनाडु राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड द्वारा वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान किया गया व्यय, तमिलनाडु राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड द्वारा दिए गए आँकड़ों के आधार पर निम्नानुसार है :—

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत बजट	विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वियन समिति द्वारा दी गई वित्तीय सहायता	खर्च की गई रकम
1988-89	52 लाख रुपए	2 लाख रुपए	60 लाख रुपए
1989-90	59 लाख रुपए	3 लाख 50 हजार रुपए	71 लाख रुपए
1990-91	60 लाख रुपए	1 लाख रुपए	वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 1990 से प्रारंभ हुआ है।

तमिलनाडु बोर्ड अपनी आय में कमी की पूर्ति, अपने पक्ष में अधिनिर्णीत न्यायालय-खर्च से और विधिक सहायता प्राप्त मुकदमा लड़ने वालों को अधिनिर्णीत खर्च की वसूली करके करता है।

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र

2809. **श्री कमल चौधरी :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों की संख्या का जिलेवार और राज्यवार ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन राज्यों के काफी गांवों में दूरदर्शन के कार्यक्रम साफ दिखाई नहीं पड़ते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क)

आकाशवाणी

वर्तमान में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में क्रमशः जालंधर, रोहतक और शिमला में एक-एक रेडियो स्टेशन कार्य कर रहा है।

दूरदर्शन

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों का जिलेवार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया।

(ख) और (ग) पंजाब का लगभग पूरा राज्य तथा हरियाणा का अधिकांश भाग वर्तमान दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के सेवा क्षेत्र में आता है। जहां तक हिमाचल प्रदेश का संबंध है, इसकी 58.7 प्रतिशत जनसंख्या तथा 37.2 प्रतिशत क्षेत्र कवर होता है। फाजिल्का (पंजाब), हिसार (हरियाणा) तथा शिमला (हिमाचल प्रदेश) के प्रस्तावित उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटरों तथा राजगढ़ (हिमाचल प्रदेश) में एक ट्रांसपोजर के चालू हो जाने से इन राज्यों में दूरदर्शन सेवा में सुधार होने की आशा है।

विवरण

पंजाब में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र

I. जिले	केन्द्रों की संख्या
गुरदासपुर	2
अमृतसर	1
होशियारपुर	1
फिरोजपुर	2
जालंधर	1*
भटिण्डा	1

हरियाणा में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र

II जिले	केन्द्रों की संख्या
सिरसा	1
हिसार	1
जींद	1
भिवानी	1
महेन्द्रगढ़	1

* यहां कार्यक्रम निर्माण सुविधा है।

हिमाचल प्रदेश में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र

III जिले	केन्द्रों की संख्या
चम्बा	1
लाहौल और स्पिती	1
कांगड़ा	1
कुल्लू	2
हमीरपुर	1
उना	1
बिलासपुर	1
सोलन	2
शिमला	1
किन्नौर	1
मण्डी	1

पंजाब में सोने के नमूने लिया जाना

2810. **श्री कमल चौधरी** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1987 मे अब तक पंजाब सरकार द्वारा कितने नमूने जांच हेतु लिये गये हैं ;

(ख) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) घटिया किस्म के स्वर्णाभूषणों से जो ग्राहक ठगे गये हैं उन्हें क्या कानूनी उपचार प्राप्त है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) चूंकि स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम केन्द्र सरकार के सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा संचालित होता है इसलिए पंजाब सरकार द्वारा नमूने एकत्र करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम समाप्त कर देने मे स्वर्णाभूषणों की शुद्धता की जांच करने से संबंधित संगत उपबंध लागू नहीं है ।

नागरकोइल के दूरदर्शन केन्द्र की प्रसारण क्षमता में वृद्धि करना

2811. **श्री एन० डेनिस** :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरकोइल दूरदर्शन केन्द्र की प्रसारण क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

आयातों पर नियंत्रण का प्रभाव

2812. **श्री जी० एम० बनातवाला** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आयातों पर कोई नियंत्रण लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस नियंत्रण के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा में कितनी बचत होने का अनुमान है ;

(ग) आयात-शुल्क का कम वसूली होने के कारण कितने राजस्व की हानि होगी ; और

(घ) आयातों में कटौती करने का कच्चे माल और औद्योगिक संघटकों की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) सरकार ने हाल ही में आयात नीति की पुनरीक्षा की है और उद्योगों के लिए अपेक्षित पूंजीगत माल, कच्ची सामग्री और संघटकों की विशेष मदों के अनावश्यक आयात को कम करने के उपायों की घोषणा की है। इन उपायों से आयात संबंधी बचत होगी। लेकिन, इन उपायों के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा में बचत की मात्रा का अनुमान लगाना मुश्किल है। इन उपायों के फलस्वरूप आयात शुल्क में होने वाली हानि का निर्धारण करना भी कठिन है ।

(घ) सरकार को देश में औद्योगिक उत्पादन के लिए आयात को कम करने संबंधी इन उपायों के परिणामस्वरूप होने वाले किसी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव की आशंका नहीं है ।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और न्यायालयों में दायर किए गए अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के पदोन्नति के मामले

2813. **श्री छविराम अर्गल** :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में भारत सरकार के सभी विभागों में वरीयता एवं उपयुक्तता तथा चयन के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की पदोन्नति से संबंधित कुल कितने मामले दायर किए गए हैं ;

(ख) भारत के उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की पदोन्नति के कितने मामले वर्ष 1985 से लंबित पड़े हैं ; और

(ग) सरकार का इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, उसकी विभिन्न न्यायपीठों में फाइल किए गए मामलों के संबंध में ऐसे आंकड़े नहीं रखता है।

(ख) भारत के उच्चतम न्यायालय में मामलों के विषयवार आंकड़े पृथकत: नहीं रखे जाते हैं।

(ग) सभी लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। इन उपायों में विधि के समान प्रश्न वाले मामलों को एक समूह में रखना और विशेषज्ञ न्यायपीठों का गठन करना सम्मिलित है।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में वित्तीय अनियमितताएं

2814. **श्री रामेश्वर पाटीदार** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान संसद में प्रस्तुत की गयी अपनी रिपोर्टों में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने यह उल्लेख किया है कि पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के कारण सरकार को वित्तीय हानि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो अनुमानत: कुल कितनी धनराशि की हानि हुई और सम्बद्ध कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है अथवा की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की पिछले तीन वर्ष अर्थात् मार्च 1987, मार्च 1988 और मार्च 1989 को समाप्त वर्षों की रिपोर्टों में पूर्ति विभाग के 32 पैरे शामिल हैं। चूंकि यह रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत की जाती है, इसलिए इन्हें पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के कर्मचारियों द्वारा गलती और चूक से किये गये अतिरिक्त व्यय का ब्यौरा देख लिया जाये। उपचारी कार्रवाई करने हेतु प्रत्येक पैरा की जाँच की जाती है और की गई उपचारी कार्रवाई की सूचना लोक लेखा समिति को दी जाती है। जांच में जहां कहीं किसी कर्मचारी द्वारा चूक पाई गई है, वहां मामले की सतर्कता की दृष्टि से जांच की जाती है ताकि जिम्मेदारी नियत की जाए और केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह से उस पर विभागीय कार्रवाई की जाए। स्थान की कमी के कारण प्रत्येक उपर्युक्त पैरा पर की गई उपचारी उपाय और सतर्कता संबंधी कार्रवाई का ब्यौरा देना संभव नहीं है।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा विदेशी सप्लाईकर्ताओं को ठेका दिया जाना

2815. **श्री रामेश्वर पाटीदार** :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा 1 जनवरी, 1990 से 15 जुलाई, 1990 तक की अवधि के दौरान विदेशी सप्लाईकर्ताओं को कितने ठेके सीधे अथवा उनमें भारतीय एजेन्टों के माध्यम से दिये गये हैं ;

(ख) कितने और कितने मूल्य के ठेके पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के पास पंजीकृत सप्लाईकर्ताओं को तथा कितने और कितने मूल्य के ठेके पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के पास गैर-पंजीकृत/पंजीकृत सप्लाई कर्ताओं को दिये गये हैं ;

(ग) पंजीकृत और गैर-पंजीकृत फर्मों को दिए गए ठेकों के लिये भारतीय एजेन्टों को पृथक्-पृथक् कितना-कितना कमीशन अदा करना होगा ; और

(घ) रक्षा मंत्रालय के प्राक्कलनों से धन का प्रावधान किये जाने के मामले में किसी गैर-सरकारी ठेके के प्रति भारतीय एजेन्टों को अधिकतम कितने प्रतिशत कमीशन देना होगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) 1 जनवरी, 1990 से 15 जुलाई, 1990 तक की अवधि में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय ने विदेशी पूर्तिकर्ताओं को 365 ठेके दिए ।

(ख) 88 ठेके जिनका मूल्य 12.23 करोड़ रु० था, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के साथ पंजीकृत पूर्तिकर्ताओं को दिये गये और शेष 277 ठेके जो 41.83 करोड़ रु० मूल्य के थे, उन पूर्तिकर्ताओं को दिये गये जो पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के साथ पंजीकृत नहीं थे ।

(ग) और (घ) कमीशन की मात्रा का निर्णय प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर किया जाता है, जो कि एजेन्टों द्वारा की जाने वाली सेवाओं पर निर्भर करता है । पैरा (क) तथा (ख) में दिये गये उपर्युक्त मामलों में देय कमीशन की मात्रा 2 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के बीच होती है ।

कच्चे माल पर लगाया जाने वाला औसत शुल्क

2816. **श्री यादवेन्द्र दत्त :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994-95 तक कच्चे माल, अन्य सामान और पूंजीगत माल पर लगाये जाने वाले औसत शुल्क में 30 से 40 प्रतिशत की कमी करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकलेंगे ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

12.00 मध्याह्न

मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के सरकार के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के बारे में

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मेरा कहना यह है कि इस पर कालिंग-अटेंशन हो या पूरी एक बहस हो ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं । आपसे कहा था कि इसे फिर न उठाएं । कृपया आप बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, यह तो पिछले एक सप्ताह से चल रहा है और मैं कहता आ रहा हूं कि सरकार को यह स्वयं अपनी तरफ से करना चाहिये था । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम : मेरा यह निवेदन है कि यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इसे इतने कम समय में नहीं निपटाया जा सकता। इसलिए हमारी यह इच्छा तथा निवेदन है कि इस पर नियम 193 के अन्तर्गत व्यापक चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय कार्यमंत्रणा समिति द्वारा किया जायेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं सहमत हूं। इस पर कोई बहस न हो। इस बारे में बिजनैस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी कि इस सवाल को किस ढंग से लिया जाए।

ठीक है। आप बैठ जाइए। यह बिजनैस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, 7 दिन तक क्या होता रहा ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली जल रही है। दिल्ली में सारा काम ठप्प हो गया है। आरक्षण के बारे में मैं कहना चाहता हूं और मैंने इसके बारे में आपको लिखकर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

श्री मदन लाल खुराना : साहब, हम दिल्ली को जलने नहीं देंगे, हम दिल्ली को बर्बाद नहीं होने देंगे। इस तरह से दिल्ली को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। पिछले एक सप्ताह से दिल्ली में कामकाज ठप्प हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बोलते जा रहे हैं ? पहले आप बैठ जाईए।

आपको मालूम है कि कल कुवैत के ऊपर जो बयान गुजराल जी ने दिया था, उस पर हम तुरंत इसको बहस में लेंगे और हाउस के पास समय कम है। इसलिए आज जब प्रश्न काल शुरू हुआ था, तो बाहर जो आंदोलन चल रहा है उसके चलते, जो मैम्बरों को आने में दिक्कतें हुई थीं, उसके बारे में मैंने प्रश्न-काल के बाद इस विषय को उठाने के लिए कहा था। इसलिए सिर्फ इसी सवाल पर हम बहस करेंगे और किसी पर नहीं। इसलिए जितने कम से कम समय में हम खत्म करें, उतना ही अच्छा है। श्री दिनेश सिंह जी।

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर बहस कराई जाए, तो अच्छा होगा। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, यह एक अति महत्वपूर्ण विषय है। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : दिनेश जी, आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसलिए कहा कि इस पर बहस करेंगे। दिनेश जी, आपको बोलने दूंगा तो दूसरे भी बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री बसंत साठे (वर्धा) : यह क्या चल रहा है, मेरी समझ में नहीं आता। आपने दिनेश जी को बुलाया है फिर दूसरे कैसे बोल रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हाउस की यह राय है कि इस पर बहस हो। एक-दो मिनट बहस करके हम इस सवाल के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : साठे जी, बीच में बातें मत कीजिए। कृपया, अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

साठे जी, आप ऐसे क्यों गुस्सा करते हैं।

(व्यवधान)

श्री बसंत साठे : गुस्से की बात नहीं है। जब आडवाणी जी खड़े होते हैं तो हम कभी गड़बड़ नहीं करते हैं, आज दिनेश जी खड़े हो गये तो सारे चिल्लाने लगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम : जब श्री आडवाणी बोलते हैं तो हम चुपचाप सुनते हैं। जब हमारे पक्ष के सदस्य बोलने के लिए खड़े होते हैं तो ये बाधा क्यों डालते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बसंत साठे : मैं बार-बार देखता हूं कि हमारे यहां से कोई भी खड़ा होता है तो आप एक दम से रोक देते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरा कहना है कि दिनेश जी को यहां पर किसी ने बोलने से मना नहीं किया है। सवाल यह है कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : साठे जी, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? बिना कारण नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्हें बोलने से मना नहीं किया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप नाराज क्यों हो रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वसंत साठे : यह रोज होता है।

अध्यक्ष महोदय : यह रोज नहीं होता है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं पहले आपको मौका देता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हाउस की राय है कि इस सवाल पर बहस होनी चाहिए, कालिंग अटैन्शन के जरिए हो या नियम 193 के जरिए हो। मैंने यह कहा कि बिजनस ऐडवाईजरी कमेटी उसको टेक-अप कर लेगी। इसलिए हम लोग यहां पर हाफ-हार्टेड डिस्कशन नहीं करेंगे, कम समय के लिए डिस्कशन नहीं करेंगे। यह बात जब हुई तब मैंने दिनेश जी से अनुरोध किया कि हम इसको नहीं करेंगे और पेपर ले करने के लिए कहा।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : यह बहस अभी होगी।...(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : हम नाराज नहीं होते हैं, आप सुनिए। चैम्बर में यह बात हुई थी कि हमारी पार्टी की ओर से दिनेश जी यह रिक्वैस्ट करने वाले हैं कि इसके ऊपर नियम 193 में डिबेट हो। यह तय हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : वही तो हुआ।...

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : आपने बोलने ही नहीं दिया। आपने दिनेश जी को एक लब्ज भी नहीं कहने दिया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं साठे जी, आप अपनी बात मेरे मुंह से नहीं कहलवा सकते। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आज फ्राईडे है। शनिवार और इतवार तक फिर मामला खत्म हो गया। फिर सोमवार या मंगलवार को बहस होनी है। दिल्ली तो पिछले एक हफ्ते से जल रही है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : हम यह जानना चाहते हैं कि इस संबंध में आपको किनसे नोटिस प्राप्त हुए हैं। मैंने भी नोटिस दिया है। (व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : आपकी अनुमति से मैं जो मुद्दा उठाना चाहता हूं वह यह है कि उस दिन सभी राजनैतिक दलों के नेताओं ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि इस मुद्दे पर इस सदन में चर्चा होनी चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष जी, आज दिल्ली नहीं बल्कि सारा देश जल रहा है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

श्री दिनेश सिंह : हमने यह आशा की थी कि इस विषय पर चर्चा के लिए सरकार स्वयं प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सारे देश को प्रभावित कर रहा है। सरकार ने यह कार्यकारी आदेश जारी करके खलबली मचा दी है। अब जब कि संसद का सत्र चल रहा है तो सरकार को इस मामले में कार्यकारी आदेश जारी करने से पहले यह मामला संसद के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था तथा इस पर चर्चा करवानी चाहिए थी।

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : संसद में इसकी घोषणा की गई थी।

श्री दिनेश सिंह : घोषणा और चर्चा में अन्तर है। आप संसद में अब आये हैं। हम इस संबंध में प्रक्रिया जानते हैं। आज सरकार ने संसद की उपेक्षा की है। कार्यकारी आदेश जारी करके उन्होंने ऐसा कदम उठाया है जिस पर पहले संसद में चर्चा की जानी चाहिए थी।

अब मुख्य मुद्दा यह है कि सरकार इस पर चर्चा नहीं करवाना चाहती है। इसलिए हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि आप इस पर चर्चा की अनुमति प्रदान करें क्योंकि सारा देश तथा सभी युवक इससे उद्वेलित हैं। मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि युवकों पर चलाई गई प्रत्येक लाठी और युवकों के खून की बहाई गई एक-एक बूंद के लिए सरकार उत्तरदायी होगी। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि सदन के किस नियम के तहत एक ही विषय पर यह बहस हो रही है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी, कुछ दिन पहले जब श्री भोगेन्द्र झा जी ने जब यह मामला उठाया और सदन के प्रमुख पार्टियों की ओर से उस बारे में आशंकायें प्रकट की गई और कहा गया कि इस मामले में सरकार को सबसे सलाह करके एक राष्ट्रीय सहमति तैयार करने की कोशिश करनी चाहिये। अपेक्षा यह थी कि सरकार उसके प्रतिक्रियास्वरूप अपनी कठिनाइयां बतायेगी या वह क्या करना चाहती है यह बतायेगी। यह तो हुआ नहीं। इस बीच देश के कुछ भागों में और खास करके जहां पर हम रह रहे हैं, उस दिल्ली में धीरे-धीरे करके स्थिति बहुत बिगड़ती गई। मैं बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहूंगा लेकिन विगत 40 सालों में इस प्रकार से स्थिति कभी नहीं हुई कि लगातार सात दिन तक लोगों का आना-जाना सब अवरुद्ध हो जाये और वह भी तब जब

प्राय: मेरी जहां तक जानकारी है, हिन्दुस्तान में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो मंडल आयोग की सिफारिशों के खिलाफ हो । इसीलिये हो सकता है—(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें । जब कोई पार्टी का नेता बोल रहा हो, आडवाणी जी जैसे तो उसे आप सुनिये ।

(**व्यवधान**)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आज इस बात को हरेक को समझना चाहिए कि देश में रोजगार की जो स्थिति है, युवकों को इससे जो परेशानी है, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी देर तक दिखायी नहीं देता कि भविष्य हमारा क्या होगा ? उस स्थिति में अगर युवकों के मन में आशंकाएं पैदा होती हैं तो उन आशंकाओं को नजरअंदाज करके कोई पार्टी या कोई भी दल या कोई भी सरकार अगर यह मानती है कि ठीक है, यह करते रहेंगे, आखिर यह एक दिन ठंडा हो जायेगा तो मैं समझता हूं कि वह समाज के साथ और युवकों के साथ न्याय नहीं कर रहे । (**व्यवधान**)

मैं तो चाहता हूं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मि० यादव, मैंने आपको इजाजत नहीं दी, आप बैठ जायें ।

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : जो पार्टी आपकी सरकार को सहारा दे रही है उस पार्टी के लीडर को आप बोलने नहीं देते ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : वास्तव में यही आशंकाएं थी, जिनके कारण उस दिन भोगेन्द्र झा ने सरकार को कहा कि अच्छा होता कि अगर कर्पूरी ठाकुर ने जो कुछ बिहार में किया था, उसके अनुसार कुछ करते । आपने जल्दबाजी में, हमारी सलाह के बावजूद, इन दोनों पार्टियों ने उनको सलाह दी कि आप जल्दबाजी मत करो, इसमें हममें से कोई भी पार्टी मण्डल कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ नहीं है लेकिन हमारी यह राय जरूर है कि आरक्षण की प्रक्रिया अगर बढ़ानी है तो उसमें आर्थिक आयाम जरूर जोड़ना चाहिए । इसलिए ऐसा न हो कि पिछड़ों में जो वास्तव में पिछड़े हैं...

श्री दिनेश सिंह : आप सिर्फ दो पार्टियों को ही इस राय का कह रहे हैं, हम लोग भी तो इसी राय के हैं तो उसकी भी तो कहिये । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, मेहरबानी करके आप बैठ जायें ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : और उस दिन मुझे देखकर खुशी हुई कि सदन के कई वर्गों में, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी इस कल्पना का स्वागत हुआ कि आरक्षण को बढ़ाते हुए उसमें आर्थिक आयाम भी जोड़ना चाहिए । मैं सोचता था कि उसके बाद कोई वार्ता होगी लेकिन यहां तो स्थिति यह है कि बाहर जो ये लोग आन्दोलन कर रहे हैं, उन आन्दोलनकारियों को भी बुरा भला कहकर उनकी उपेक्षा हो रही है । मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि इसको हल्के रूप से नहीं लेना चाहिए, कैजुअली नहीं लेना चाहिए । यह स्थिति ऐसी है कि जो समाज को विभक्त कर रही है और वह अच्छी स्थिति नहीं है । पिछड़े लोगों को आरक्षण मिले, उनको सहयोग मिले''' (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : और इसीलिए मैं समझता हूं कि इस पर चर्चा अगली बार हो लेकिन आज अच्छा होगा कि सरकार अपना दृष्टिकोण, इस सदन की राय को ध्यान में रखकर और

दिल्ली की परिस्थिति में शान्ति वह कैसे लाना चाहते हैं, किनसे बात करना चाहती है, इसके बारे में एक वक्तव्य द्वारा सरकार अपना दृष्टिकोण यहां पर रखे और उस वक्तव्य के आधार पर अगले सप्ताह चर्चा हो। यह मेरा निवेदन है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। मैं आपको नहीं बुला रहा हूं। श्रीमती गीता मुकर्जी।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मेरे विचार में मैंने जो नोटिस दिया है, उसी के अनुसार आपने मुझे बोलने का आमन्त्रण दिया है। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं कि राजधानी में व्याप्त तनाव के कारण सारे देश में यातायात तथा सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। यह एक बहुत ही आवश्यक मुद्दा है। मेरे विचार में अगर इस सदन में हम सब सहमत हों तो हम आरक्षण समर्थक तथा आरक्षण विरोधी दोनों वर्गों के विद्यार्थियों को धैर्य से काम लेने की अपील कर सकते हैं। **(व्यवधान)** कृपया मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। यह तो मेरी पहली बात है। दूसरी बात यह कि सरकार को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और आरक्षण समर्थक तथा आरक्षण विरोधी, दोनो पक्षों के विद्यार्थियों से बातचीत आरम्भ करनी चाहिए। अगर हम शान्तिपूर्ण तरीके से आन्दोलन करने की अपील करते हैं तो हमें उन्हें बातचीत के लिए आमन्त्रित करने का उत्तरदायित्व भी लेना चाहिए। मैं फिर से इसी बात को दोहराऊंगी क्योंकि अन्यथा स्थिति बहुत ही गंभीर रूप धारण कर रही है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप, ऐसी स्थिति सामने आ रही है जिससे लोगों में एक दूसरे से भेदभाव की भावना उभर रही है। देश में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हमारे विचार में सरकार का इरादा पिछड़े वर्गों के गरीब लोगों की सहायता करना था न कि उनमें विभाजन पैदा करना, इसलिए इस परिस्थिति में सभी राजनैतिक दलों में आम सहमति की अत्यधिक आवश्यकता है। कल हमने अलग-अलग राजनैतिक दलों से विचार-विमर्श किया था, वहां पर आर्थिक आधार शामिल करने जैसे सुझाव दिए गए थे। मैं अभी यह भी देख रहा हूं कि विद्यार्थी अभी तक शान्ति से आन्दोलन चला रहे हैं। इसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। मैं आशा करता हूं कि वे हिंसा नहीं करेंगे। अगर उनको कोई शिकायत है तो उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। हमें स्थिति को और बिगड़ने नहीं देना चाहिए। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि कल और परसों छुट्टी का दिन हैं। हमारे पास अधिक समय नहीं है और हम उन्हें इस तरह आन्दोलन जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकते। इसलिए मेरा सरकार से यह निवेदन है कि वह इस सदन के राजनैतिक दलों तथा विद्यार्थियों के नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित करे ताकि कोई ऐसा तरीका निकाला जा सके जिसके द्वारा पिछड़े वर्गों की सहायता भी हो सके तथा दूसरे वर्गों के गरीब लोगों की सहायता भी की जा सके। इस समस्या से उभरने का कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। हम देश के लोगों में विभाजन की भावना को और भड़कने की अनुमति नहीं दे सकते।

[हिन्दी]

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है, मैं सभी माननीय सदस्यों से एक बात आग्रह करना चाहता हूं कि यह सदन सर्वोपरि है। सदन को इस बात को दृष्टि से ओझल नहीं करना चाहिए कि आन्दोलन यदि चलता है, तो आन्दोलन

का दूसरा पक्ष भी है । इसलिए सबसे पहली बात मैं यह आग्रह करूंगा कि मंडल कमीशन कोई आज का मामला नहीं है, पिछले दस सालों से मंडल कमीशन की रिपोर्ट लटकी हुई थी । इसी सदन में तीन बार बहस हुई है, जब मैं अपोजीशन में था, तो दो बार मैंने मूव किया था और एक बार प्रो० मधु-दंडवते जी ने किया था तथा तमाम पक्षों के साथियों ने एक स्वर से सरकार के उपर दबाव डाला था कि सरकार मंडल कमीशन की सिफारिशों को शीघ्र लागू करे । आप उस वक्त की डिबेट निकालिए और देखिए कि किसी पोलिटिकल पार्टी ने उसका विरोध किया हो ।

दूसरी बात यह कि उस समय भी आम सहमति की बात कही गई थी, तथा पिछले दस सालों से उसी आधार पर मामले को लटकाया गया था कि आम सहमति हो रही है, आम सहमति हो रही है । तीसरी बात यह है कि अभी भोगेन्द्र झा एवं कई साथियों ने कहा श्री कर्पूरी ठाकुर, फार्मूला की बात कही । हमारे श्री भोगेन्द्र झा जी यहां बैठे हुए हैं । कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में जो फार्मूला लागू किया था, उसमें क्या कम आन्दोलन चला था । उसमें इससे भी ज्यादा आन्दोलन चला था। इसलिए मैं कहूंगा कि संविधान की धारा 15 (4), संविधान की धारा 16 (4) में लिखा हुआ है कि जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, जो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है । आपको यदि आर्थिक क्लाज जोड़नी है, यह सदन सर्वोपरि है और यह पार्लियामेंट सर्वोपरि है, आप अलग से आर्थिक क्लाज जोड़ दीजिए । लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज तथा बैकवर्ड कम्यूनिटी के कन्धे के ऊपर यह नहीं जोड़ी जाएगी । आर्थिक आधार को जोड़ना है तो आर्थिक आधार को ले आइए, लेकिन वर्तमान आरक्षण संवैधानिक है, संविधान की धारा के तहत किया गया है । इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि यह कोई दल का मामला नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को भी नहीं मानता हूं कि किसी पार्टी के नेता ने कोई बात कह दी तो उस पार्टी के सभी लोगों का मत नहीं है । हर पार्टी में हर वर्ग के व्यक्ति हैं, अलग-अलग व्यूज के लोग हैं । इसलिए इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए । जो लोग रिजर्वेशन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उनकी निन्द्रा की जानी चाहिये । यदि रिजर्वेशन के विपक्ष में, आन्दोलन हो सकता है तो इस देश में 80 परसेंट लोग रिजर्वेशन के पक्ष में हैं वे भी आंदोलन कर सकते हैं । **(व्यवधान)**

हमको इमोशनल नहीं होना चाहिए । हम जो 540 मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, यही देश नहीं है । यह एक बड़ा कदम है और हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार हजारों साल के बाद पिछड़ों को अधिकार मिल रहा है, गरीबों को अधिकार मिल रहा है । इतिहास का अगर चक्का चलता है, अगर परिवर्तन होता है तो उसमें बाधाएं आती हैं । इसलिए मैं आप के माध्यम से साफ कहना चाहता हूं कि मण्डल कमीशन की रिपोर्ट द्वारा दिए गए आरक्षण के सवाल पर किसी तरह का समझौता नहीं होगा। इसके विरुद्ध किसी तरह की आवाज उठाना ठीक नहीं है । सदन सर्वोपरि है, सदन चाहे तो आर्थिक आधार के संबंध में अलग से विचार कर सकता है । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : हम यह जानना चाहते हैं कि यह उनके अपने व्यक्तिगत विचार हैं या सरकार के विचार हैं ।

श्री राम विलास पासवान : यह सरकार का विचार है । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन लोगों से बात तो करनी चाहिए । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी कि इस पर कब बहस हो सकती है, अभी आप बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे : मेरे पास यह रिपोर्ट है। बोट क्लब में विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किया गया और वे खून में लथ-पथ हैं। लगभग 20 विद्यार्थी खून में भीगे हुए हैं। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, बोट-क्लब पर लड़कों पर लाठीचार्ज हुआ है, क्या सदन को इस पर नोटिस नहीं लेना चाहिए, क्या इसमें कोई गंभीरता नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : नोटिस दीजिए।

श्री वसंत साठे : यह नोटिस है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : मैं अभी बाहर से आ रहा हूं। बहुत से विद्यार्थी तक उनके साथी बुरी तरह से पीटे गए हैं और वे खून में लथ-पथ हैं। उनके अधिकार अथवा उनका चाहे कुछ भी हो, क्या यह तरीका है (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आप अपनी सीट पर जाइए।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेंगे।

(**व्यवधान**)

12.27 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : श्री अरुण कुमार नेहरू की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1258/90]

1989 में हुए तमिलनाडु, मिजोरम और नागालैंड की विधान सभाओं के आम चुनाव और विधान सभाओं के उपचुनाव से सम्बन्धित प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : श्री दिनेश गोस्वामी की ओर से मैं 1989 में हुए तमिलनाडु मिजोरम और नागालैंड की विधान सभाओं के आम चुनाव और विधान सभाओं के उप-चुनाव से सम्बन्धित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1259/90]

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : मैं निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम,1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) काजू गिरी निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1990, जो 7 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 840 में प्रकाशित हुआ था।

(2) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1990 जो 21 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1030 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1260/90]

आयकर अधिनियम, 1961, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : श्री अनिल शास्त्री की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 1198, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "कैथेड्रल रिलीफ सर्विस, कलकत्ता" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दो) का० आ० 1199, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "मेडीकल

[प्रो० मधुदंडवते]

रिसर्च फाउन्डेशन, मद्रास" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है ।

(तीन) का० आ० 1200, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है ।

(चार) का० आ० 1201, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "राजस्थान पुलिस कर्मी कल्याण न्यास. जयपुर" को कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है ।

(पांच) का० आ० 1202, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "श्री गडगे महाराज मिशन, मुंबई" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है ।

(छः) का० आ० 1203, तो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दि इण्डिया स्पान्सरशिप कमेटी, मुंबई" को कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है ।

(सात) का० आ० 1204, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "श्री नासिक पंचवटी पांजरापोल, नासिक" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है ।

(आठ) का० आ० 1205, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "नेशनल डेरी डवलपमेंट बोर्ड, आनन्द" को कर-निर्धारण वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है ।

(नौ) का० आ० 1206, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "श्री सदगुरू सेवा संघ ट्रस्ट, मुम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट के देने के बारे में है ।

(दस) का० आ० 1207, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी, इण्डिया. मुम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है ।

(ग्यारह) का० आ० 1208, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था

तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दि भारतीय भाषा परिषद, कलकत्ता" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बारह) का० आ० 1209, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन, कलकत्ता" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का० आ० 1210, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "थियोसाफी कम्पनी (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौदह) का० आ० 1211, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दि एन० ए० बी०-लायंस होम फॉर एजिंग ब्लाइंड, खण्डाला" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पन्द्रह) का० आ० 1212, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दि एसोसियेशन आफ दि फिजीकल हैन्डीकैप्ड ट्रेनिंग सेन्टर, बंगलौर" को कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सोलह) का० आ० 1213, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "आल बंगाल वूमेन्स यूनियन, कलकत्ता" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्रह) का० आ० 1214, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "वैस्ट बंगाल काउंसिल फार चाइल्ड वेलफेयर, कलकत्ता" को कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अठारह) का० आ० 1215, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "स्टैस्टिक्स सोसाइटी ऑफ ईस्टर्न इण्डिया, कलकत्ता" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उन्नीस) का० आ० 1216, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "डिफेन्स सिविलियन्स वेलफेयर (टीबी, कैंसर एण्ड लेपरोसी) फण्ड, नई दिल्ली" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

[प्रो० मधु दण्डवते]

(बीस) का० आ० 1217, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "भारत सेवाश्रम संघ, कलकत्ता" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्कीस) का० आ० 1218, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "बाला मन्दिर कामराज ट्रस्ट (रजिस्टर्ड), मद्रास" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बाइस) का० आ० 1219, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "भगिनी समाज, मुम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेइस) का०आ० 1220, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "मुम्बई नेच्यूरल हिस्ट्री सोसाइटी, मुम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में हैं।

(चौबीस) का० आ० 1221, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "बिहार योग स्कूल, मुंगेर" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पच्चीस) का० आ० 1222, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दि स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई" को कर निर्धारण वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छब्बीस) का० आ० 1223, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "फिरोजशा गोदरेज फाउंडेशन, मुम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्ताईस) का० आ० 1224, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावूर" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अठाईस) का० आ० 1225, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दि एन्नी बिसेंट ट्रस्ट, मद्रास" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनतीस) का० आ० 1226, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दि ट्रिब्यून ट्रस्ट, चंडीगढ़" को कर-निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीस) का० आ० 1227, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम. 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "श्री कृष्णगोपाल आयुर्वेद भवन (धर्मार्थ औषधालय), कलेरा, अजमेर" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इकतीस) का० आ० 1228, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दि म्यूजिक अकादमी, मद्रास" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिऐ छूट देने के बारे में है।

(बत्तीस) का०आ० 1229, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "हरिजन सेवक संघ (बंगाल) हावड़ा" को कर-निर्धारण वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेंतीस) का० आ० 1230, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि, पूणे" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौंतीस) का० आ० 1231, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "नवाजबाई रतन टाटा ट्रस्ट, मुम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 से 1988-89 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में हैं।

(पैंतीस) का० आ० 1232, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "एशियन परिवहन विकास संस्थान" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छत्तीस) का० आ० 1233, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "सर रतन टाटा ट्रस्ट, मुम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सैंतीस) का० आ० 1234, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "गुजरात सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, अहमदाबाद" को कर-निर्धारण वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में हैं।

[प्रो० मधु दण्डवते]

(अड़तीस) का० आ० 1235, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "लेडी टाटा मैमोरियल ट्रस्ट, मुम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनतालीस) का० आ० 1236, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "सर होरमुस्जी नौरोजी मोदी (हांग कांग वाले) तथा लेडी माणिकबाई मोदी चैरिटी ट्रस्ट, मुम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चालीस) का० आ० 1237, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत भारतीय संसदीय ग्रुप को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इकतालीस) का० आ० 1238, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "फ्रैन्डस आफ मोरल रीआरमामेंट (इण्डिया), पंचगानी" को कर निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बयालीस) का० आ० 1239, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "असम शहीद और पीड़ित सहायता न्यास, गुवाहाटी" को कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तैतालीस) का० आ० 1240, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "किंग जार्ज पंचम मैमोरियल, मुम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चवालीस) का० आ० 1241, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी, कलकत्ता" को कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बार में है।

(पैंतालीस) का० आ० 1242, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "डिवाइन लाइट ट्रस्ट फार दि ब्लाइन्ड, बंगलौर" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में हैं।

(छियालीस) का० आ० 1243, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दि जे० आर० डी० टाटा ट्रस्ट, मुम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में हैं।

(सैंतालीस) का० आ० 1244, जो 5 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "रमन महर्षि सेंटर फार लर्निंग, बंगलौर" को कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अड़तालीस) का० आ० 1245, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "युग निर्माण योजना गायत्री तपोभूमि, मथुरा" को कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनचास) का० आ० 1246, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "तमिलनाडु एक्स-सर्विस पर्सोनेल बेनिवोलेन्ट फंड" को कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में हैं।

(1) का० आ० 1247, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "स्वामीनारायण अक्षरपीठ, अहमदाबाद" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० —1261/90]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा०का०नि० 514(अ), जो 31 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75 की उपधारा 1(क) के उपबंधों की शर्तों के अनुसार 89 मदों को अधिसूचित किया गया है ताकि इन मदों को जब इनका निर्यात उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, दिनांक 1 जून, 1990 से शुल्क वापसी दरों का अवधारण करने के लिए पूर्णतया आयातित मदों के रूप में लिया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 586(अ) तथा सा०का०नि० 587(अ), जो 19 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 13 प्राथमिक उत्पादों को उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण मूल तथा उनसंगी सीमा-शुल्क से छूट देना है यदि उन्हें पूर्णरूप से नेपाल में उत्पादित किया गया हो और नेपाल से भारत में आयात किया गया हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 592(अ) तथा सा०का०नि० 593(अ), जो 21 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नेपाल में विनिर्मित किए जा रहे उन 79 औद्योगिक उत्पादों को, जिनमें नेपाली सामान अथवा नेपाली और भारतीय सामान का अंश 65 प्रतिशत से कम न हो, नेपाल से भारत में आयात करने पर उन पर उद्ग्रहणीय मूल तथा संपूर्ण उनसंगी सीमा-शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[प्रो० मधु दण्डवते]

(चार) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, शुल्क वापसी (संशोधन) नियम, 1990, जो 23 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 656(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—1262/90]

(3) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1989, जो 6 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सी०ओ०पर्स० लीगल 89.1569 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—1263/90]

(4) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 49 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम (संशोधन) विनियम, 1990, जो 14 अप्रैल, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा का०नि० 223 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालल में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1264/90]

(5) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) बैंक आफ बड़ौदा के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—1265/90]

(दो) बैंक आफ इण्डिया के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० — 1266/90]

(तीन) बैंक आफ महाराष्ट्र के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—1267/90]

(चार) केनरा बैंक के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गयें । देखिए संख्या एल० टी०—1268/90]

(पांच) सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के वर्ष, 1989-90 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० —1269/90]

(छः) देना बैंक के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—1270/90]

(सात) इण्डियन बैंक के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० —1271/90]

(आठ) सिंडीकेट बैंक के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1272/90]

(नौ) यूनियन टेंक आफ इण्डिया के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०— 1273/90]

(दस) यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०— 1274/90]

(6) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आन्ध्रा बैंक के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० — 1275/90]

(दो) कारपोरेशन बैंक के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०— 1276/90]

(तीन) ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० – 1277/90]

(चार) विजया बैंक के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1278/90]

(7) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उपधारा (4) तथा भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहायक बैंक, अर्थात् स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद, स्टेट बैंक आफ इंदौर, स्टेट बैंक आफ मैसूर, स्टेट बैंक आफ पटियाला, स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र तथा स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० —1289/90 से 1285/90]

[प्रो० मधु दण्डवते]

(8) निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) बुल्डाना ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-00 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1286/90]

(दो) कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1287/90[

(तीन) मुर्शिदाबाद ग्रामीण टैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1288/90]

(चार) सुरेन्द्र नगर-भावनगर ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-00 का प्रतिवेदन लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1289/90]

(पांच) गुरदासपुर-अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1290/90]

(छः) बजसाड़-डांग्स ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1291/90]

(सात) भगीरथ ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1292/90]

(आठ) विदुर ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1293/90]

(नौ) कनकदुर्ग ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1294/90]

(दस) मंजीरा ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1295/90]

(ग्यारह) बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1296/90]

(बारह) अम्बाला-कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1297/90]

(तेरह) जमुना ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1298/90]

(चौदह) चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1299/90]

(पन्द्रह) पंचमहल वड़ोदरा ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1300/90]

(सोलह) श्री सातवाहन ग्रामीण बैंक, करीमनगर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1301/90]

(सत्रह) हिंडन ग्रामीण बैंक, गाजियाबाद का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1302/90]

(अट्ठारह) नागार्जुन ग्रामीण बैंक, खम्माम का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1303/90]

(उन्नीस) बून्दी-चित्तोड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बून्दी का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1304/90]

(बीस) सह्याद्री ग्रामीण बैंक, शिमोगा का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1305/90]

(इक्कीस) एटा ग्रामीण बैंक, एटा का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1306/90]

[प्रो० मधु दण्डवते]

(बाईस) सिविन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिवन का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1307/90]

(तेईस) हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1308/90]

(चौबीस) अवध ग्रामीण बैंक, लखनऊ का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1309/90]

(पचीस) देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मालवीय नगर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1310/90]

(छब्बीस) ककथिया ग्रामीण बैंक, वारंगल का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1311/90]

(सत्ताईस) गंगा यमुना ग्रामीण बैंक, देहरादून का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1312/90]

(अठाईस) संगमेश्वर ग्रामीण बैंक, महबूबनगर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1313/90]

(उनतीस) निमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, खारगोन का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1314/90]

(तीस) जूनागढ़ अमरेली ग्रमीण बैंक, जूनागढ़ का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1315/90]

(इकतीस) हिसार-सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हिसार का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1316/90]

(बत्तीस) अलीगढ़ ग्रामीण बैंक, अलीगढ़ का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०— 1317/90]

(तैंतीस) ठाणे ग्रामीण बैंक, ठाणे का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेरन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—1318/90]

(चौंतीस) बाराबंकी ग्रामीण बैंक, बाराबंकी का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—1319/90]

(पैंतीस) ग्वालियर-दतिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दतिया का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—1320/90]

(छत्तीस) मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुजफ्फरनगर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—1321/90]

(सैंतीस) राजगढ़सिहोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिहोर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1322/90]

(अड़तीस) गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोपालगंज का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—1323/90]

(उनतालीस) शोलापुर ग्रामीण बैंक, शोलापुर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—1324/90]

(चालीस) चन्द्रपुर-गड़चिरोली ग्रामीण बैंक, चन्द्रपुर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1325/90]

(इकतालीस) शाहजांहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाहजांहपुर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—1326/90]

(बयालीस) यवतमाल ग्रामीण बैंक, यवतमाल का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—1327/90]

(तैंतालीस) रतलाम-मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मंदसौर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—1328/90]

[प्रो० मधु दण्डवते]

(चवालीस) श्रावस्ती ग्रामीण बैंक, बहराइच का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—1329/90]

(पैंतालीस) डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डूंगरपुर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—1330/90]

(छियालीस) अकोला ग्रामीण बैंक, अकोला का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—1331/90]

(सैंतालीस) सूरत-भरूच ग्रामीण बैंक, भरूच का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०--1332/90]

12.28½ म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(एक) तीसरा प्रतिवेदन

श्री के० सी० त्यागी (हापुड़) : महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

(दो) कार्यवाही-सारांश

श्री० के० सी० त्यागी : महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति के तीसरे प्रतिवेदन से संबंधित समिति की बैठकों की कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.28 3/4 म०प०

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

12.29 म० प०

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 27 अगस्त, 1990 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

(1) आज की कार्यसूची स बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

(2) निम्नलिखित अध्यादेशों के निरनुमोदन चाहने वाले संकल्पों और उनके प्रतिस्थापक विधेयकों पर विचार और पारित करना :—

(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन अध्यादेश, 1990

(ख) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1990

(ग) भारतीय विश्व कार्य परिषद अध्यादेश, 1990

(3) छावनी (संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार और पारित करना।

[अनुवाद]

12.30 म० प०

मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के सरकार के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के बारे में (—जारी)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनुंगा कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, कृपया बैठ जाइए। मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इस सदन का प्रत्येक सदस्य, जिसमें माननीय मंत्री भी शामिल हैं, इस बात से सहमत है कि यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और गम्भीर मामला है। मेरे विश्वास के अनुसार यह आम राय थी और आपने भी कहा था कि यह एक ऐसा मामला है जिसकी या तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अथवा नियम 193 के अधीन चर्चा की जानी चाहिए। परन्तु इस पर चर्चा करने से पूर्व ही माननीय मंत्री महोदय ने इसमें हस्तक्षेप कर दिया, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि यह उनका अपना दृष्टिकोण है अथवा सरकार का। हम क्या कह रहे हैं? हमने पहले भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि हम स्वतः मंडल आयोग की सिफारिशों के खिलाफ नहीं हैं। परन्तु कुछ ऐसे मुद्दे और मामले हैं जिन पर सरकार द्वारा कार्यान्वियन से पूर्व विचार किया जाना चाहिए।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

अत: उन सिफारिशों पर एक विस्तृत आधार पर बहस कराना आवश्यक था। मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय को इसे टकराव का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इस मामले में टकराव का कोई सवाल नहीं है। हम गरीब लोगों के विरुद्ध नहीं है। हम पिछड़े लोगों के खिलाफ नहीं हैं। यह किसी टकराव का मामला नहीं है। बेहतर यह होगा कि हम इस पर इस सभा में सभी राजनैतिक दलों की आम सहमति प्राप्त कर लें, जिसका असर बाहर भी पड़ेगा।

इसलिए कौन सी बात जरूरी है? हम निवेदन करते हैं कि इस पर एक उचित वातावरण में अच्छी प्रकार से बहस की जानी चाहिए और सभा को देश के सभी लोगों से यह अपील करनी चाहिए कि उन्हें किसी ऐसे आन्दोलन के रास्ते को नहीं अपनाना चाहिए जिससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो। उस संदर्भ में, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह ऐसा रवैया न अपनाये जिससे ये गलत धारणाएं पैदा हों कि सरकार का संकुचित दृष्टिकोण है, वह बातचीत करने और सुझावों के लिए भी तैयार नहीं है, सरकार उनसे भी बात करने के लिए तैयार नहीं है जो मंडल कमीशन रिपोर्ट के खिलाफ भी नहीं हैं।

जैसा कि मैंने कहा था, मैं सरकार से पुरजोर निवेदन करता हूं कि वह इस पर बातचीत आरम्भ करे राजनैतिक दल इस पर विचार-विमर्श करना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये दल इस मामले में सरकार से कुछ चाहते हैं। अत: इस देश में यदि किसी व्यक्ति की कोई शिकायत है, तो हम हमेशा यही कहते हैं कि आपसी बातचीत, समझौते और विचार-विमर्श होने चाहिए। इस मामले में टकराव का रवैया अपनाये जाने के क्या कारण हैं? **(व्यवधान)** हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह संकीर्ण दृष्टिकोण का रवैया न अपनाये, उदार दृष्टिकोण अपनाये और पूरी सभा को विश्वास में ले। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे पूरे सदन को विश्वास में लें। अत: विचार-विमर्श आरम्भ कीजिए। मेरा माननीय मंत्री महोदय के प्रति केवल आदर और प्रेम ही नहीं हैं जिनकी कि योग्यता से हम सभी परिचित हैं बल्कि हम उनके कार्य-कलाप में कोई कठिनाई भी पैदा करना नहीं चाहते। अत; हमारा यही निवेदन है और सही तरीके से विचार विमर्श एवं बातचीत की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री वसंत साठे (वर्धा) : अध्यक्ष जी, मैं बड़ी नम्रता से सदन से और आपसे तथा खासतौर से अपने मित्र रामविलास पासवान जी से अनुरोध करना चाहता हूं। यह मसला आज दो रुख ले रहा है। कोई इस देश में समझदार व्यक्ति नहीं कह सकता कि हजारों साल से जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जिनको एक बड़ा संकुचित और संकीर्ण व्यवस्था के अन्दर केवल जन्म के आधार पर जिनको हमेशा पिछड़ा माना गया इनके साथ जो अन्याय हुआ है उसे स्वतंत्र देश में जैसे भी हमसे बने तो दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बारे में कोई भी समझदार व्यक्ति की दो राय नहीं हो सकती। **(व्यवधान)** मंडल आयोग को अमल में लाने की जो नीयत और इरादा है तो इस बारे में दो राय नहीं है, उद्देश्य अच्छा है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हरि केवल प्रसाद जी आप खामोश रहिए।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : जब हमने तय कर लिया है तो आखिर बच्चे अपने देश में अपने हैं और परायें नहीं हैं। उनके दिल में कोई आशंका है और गलतफहमी हैं ··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो बीच में बोल रहे हैं उनको नज़र-अन्दाज कीजिए।

(**व्यवधान**)

श्री बसंत साठे : रामविलास जी, शरद यादव जी और हम जिन्दगीभर एक ही विचार के रहे हैं तो फिर कुछ लोग अतिउत्साह में आज इस देश में जाति-युद्ध और गृह युद्ध छुड़वा देंगे तो देश तहस-नहस हो जायेगा। आज हमको यह भूमिका नहीं लेनी है। जो कुछ भी गलतफहमी हो तो इन बच्चों को बुलाकर उनसे बात को जा सकती है। उनके साथ अन्याय न हो और जो हम मंडल आयोग में करना चाहते हैं तो वह भी मकसद पूरा हो। दोनों बात बन सकें तो यह प्रयास करना चाहिए। कैसे मामला बिगड़ता है। विद्यार्थी, प्रधान मंत्री जी से मिलना चाहते थे और उन्हें मिलने भी नहीं दिया गया। प्रधान मंत्री, पंजाब में जाकर पदयात्रा करने के लिए तैयार हैं।··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको पता है कि मिलने नहीं दिया गया।

(**व्यवधान**)

श्री बसंत साठे : प्रधान मंत्री तक इन विद्यार्थियों को नहीं जाने दिया (**व्यवधान**) यदि सदन के भाई इस विचार के हैं कि विद्यार्थी गलत भी हो सकते हैं। क्या सरकार के लिए यह शोभा देता है विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज और टीयर-गैस छोड़ा गया तो सैकड़ों विद्यार्थी खून से लथ-पथ होकर रेल भवन के सामने पीटे जा रहे हैं इससे हमारा क्या लाभ होने वाला है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री बसंत साठे : हमारे सामने जो बात हो रही है तो उसे गंभीरता से लेना है। केवल एक-दूसरे पर आरोप लगाना कि तुम जिम्मेदार हो और हम नही सुनेंगे तो यह इसके लिए सरकार द्वारा कोई रास्ता निकाला जाए। यह मैं अनुरोध कर रहा हूं। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं काफी संक्षेप में बोलूंगा। यह एक अत्यधिक संवेदनशील मामला है। सभा के हम सभी वर्ग के लोगों की एकता, विशेषकर देश के पददलित वर्गों की एकता चाहते हैं और उसकी कामना करते हैं। हम भी मंडल कमीशन रिपोर्ट के पक्षधर हैं। इसमें कोई मतभेद नहीं है। रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के तरीकों के बारे कुछ गलतफहमियां अथवा कुछ आशंकाएं हो सकती हैं। महोदय, अनेक राज्य सरकारें भी हैं सभी राजनैतिक दल भी हैं। यदि सरकार द्वारा रिपोर्ट के कार्यान्वियन के तरीकों की घोषणा पर विचार विमर्श करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक की जाये, तो इसमें क्या गलत बात है ?

अत: मैं सभा के सभी वर्गों से और आन्दोलन में हिस्सा लेने वाले सभी विद्यार्थियों से भी निवेदन करता हूं। इस प्रकार के आन्दोलन से आप देश की एकता और अखंडता को कायम नहीं रख सकते। हम जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, उसके लिए हमें सभी लोगों को एकता और समाज के दूसरे वर्गों की सहानुभूति की जरूरत है। अत: मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सभी दलों और राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच उस प्रकार का विचार विमर्श किया जाना चाहिए जिससे कि देश के भीतर और बाहर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मंडल कमीशन रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के तरीकों का निर्धारण करने में आम सहमति प्राप्त की जा सके। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : दिल्ली के लोगों से बात कर लें, सात दिन से कोई बात नहीं कर रहे···

अध्यक्ष महोदय : मधु दण्डवते बात करना चाहते हैं, आडवाणी जी कुछ कहना चाहते हैं आप बैठें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आप प्रमुख दलों से ही सलाह-मशविरा कर रहे हैं ; छोटे दलों से सलाह-मशविरा न करना अनुचित होगा। यद्यपि मैं एक छोटे से दल से सम्बन्धित हूं, तो भी मैं श्री आडवाणी के दुबारा बोलने से पूर्व इस विषय पर अपने विचार रखना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज, कोई भी आपकी अवहेलना नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैंने इस पर कुछ सामग्री तैयार की है।

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे पर चर्चा होगी। मैंने यह बात आपको पहले ही बता दी है।

(व्यवधान)

श्री समरेन्द्र कुन्डू (बालासोर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे व्यवस्था के प्रश्न को महत्व दें। एक बार हम मुद्दे से भटक जाएं, तो इस प्रकार के भाषण आ जाते हैं। यह चर्चा कुछ माननीय सदस्यों की इस टिप्पणी से आरम्भ हुई थी कि कुछ लोग, कुछ विद्यार्थी संसद सदस्यों को संसद में आने नहीं दे रहे हैं। अब हम मंडल कमीशन के गुणदोषों की चर्चा कर रहे हैं। (व्यवधान) कृपया मुझे सहयोग दीजिए। यहां माननीय सदस्य श्री दिनेश सिंह, जोकि कांग्रेस दल के नेता हैं और श्री साठे ने कहा है कि देश में उथल पुथल हो रही है और देश दो भागों में विभाजित हो जायेगा। (व्यवधान) यह भी कहा गया है कि आर्थिक पहलू पर भी विचार किया जाये। परन्तु 95 प्रतिशत लोग गरीब हैं। (व्यवधान आप क्या सुझाव देना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय : यहां कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अब श्री आडवाणी बोलेंगे।

श्री लालकृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यकीन है कि मेरे नौजवान मित्र, श्री पासवान शान्त होने के बाद उन टिप्पणियों के लिए खेद व्यक्त करेंगे जोकि उन्होंने आज की हैं, क्योंकि मैं कभी भी इसकी उम्मीद नहीं करूंगा। (व्यवधान) एक बार उन्होंने कहा कि "यह सर्वोच्च संसद है," और अगली बार उन्होंने कहा कि "इस सदन के 540 सदस्य देश नहीं हैं।"

[हिन्दी]

540 सदस्य इस देश के यह देश नहीं है यह मैं सुनकर हैरान हो गया। मैं यह मानता हूं कि पांच सौ चालीस सदस्य,

[अनुवाद]

हम संसद के सदस्य हैं। मुझे यकीन है कि हममें से कोई भी कभी भी यह दावा नहीं करेगा कि यह देश है। परन्तु इसके साथ ही साथ, हम इसे देश का सर्वोच्च मंच मानते हैं जिसके द्वारा व्यक्त विचारों की कभी भी अवमानना नहीं की जानी चाहिए। पासवान जो, मुझे यह विश्वास है कि यह सरकार का दृष्टिकोण नहीं है। और सरकार का दृष्टिकोण इस तरह टकराव वाला नहीं होना चाहिए और सरकार को इस बात का घमंड भी नहीं होना चाहिए कि वह ही देश है। यदि यह सभा देश नहीं है तो यह सरकार भी देश नहीं है। मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। (व्यवधान)···कोई भी देश के बराबर नहीं है। महोदय, इस मामले विशेष में एक विशेष फैसला लिया गया है। इसे अनुमोदन के लिए सभा में मतदान की बात तो छोड़िए सभा में चर्चा करने हेतु भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह ऐसा विधेयक नहीं है जिसे सभा में विचार करने और पारित करने के लिए रखा जाय। यह संविधान संशोधन नहीं है जिसे सभा के समक्ष पारित करने के लिए रखा गया हो। और ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि दोनों समर्थक दलों ने इस अल्पसंख्यक सरकार को सलाह दी थी कि हम मंडल आयोग को कार्यान्वित किये जाने के पक्ष में तो हैं लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें आर्थिक मानदंड की बात भी जोड़ी जानी चाहिए। इसलिए आपको इस संबंध में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए आपको इसके बारे में इतना उतावला नहीं होना चाहिए। अब मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊँगा क्योंकि चर्चा तो होगी ही। लेकिन मैं इस सरकार से दोनों बातों पर निवेदन करूंगा कि वह इस सभा में विभिन्न गुटों और लोगों के प्रतिनिधियों से बाहर चर्चा करें, चाहे वे आरक्षण समर्थक हों या आरक्षण विरोधी हों। उनके साथ बातचीत बन्द न कीजिए। ऐसा रवैया अख्तियार न करें जिससे इस सभा के पास आन्दोलन करने के लिए उनकी निन्दा करने के सिवा और कोई चारा ही न रहे। इस अति संवेदनशील और महत्वपूर्ण समस्या से निपटने का यह ठीक तरीका नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि यह सरकार मंत्री महोदय के पहले दिये गये वक्तव्य में व्यक्त परस्पर विरोधी लहजे और भाव से भिन्न रवैया अख्तियार करेगी। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : केवल एक पक्ष को मौका दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : तेज नारायण जी आप बैठ जायें। हम बहस नहीं कर रहे हैं, बहस बाद में होगी। मेहरबानी करके आप बैठ जायें।

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सारे सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार ने नीति बनायी है जिसपर कई तरह के विचार इस सिलसिले में प्रकट किये गये हैं। गलतफहमी न रहे, इसलिए आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आपके विचार पसन्द हों या न हों लेकिन मैं संतुलित दृष्टिकोण आपके सामने रखना चाहूंगा। आप उसे सुनने की कोशिश करें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

हमें घटिया पेंतरेबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। बल्कि हमें समस्या को सुलझाना चाहिए। बस। आईए, हम इस समस्या को सुलझायें। (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : इसमें क्या घटिया चाल है? (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : साठे जी, मैं इस शब्द को वापस लेता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : साठे जी, दंडवते जी कहते हैं कि वह यह शब्द वापस ले रहे हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं यह शब्द वापस लेता हूं। क्या आप अब संतुष्ट हैं ? साठे जी यदि मेरी टिप्पणी से आपको चोट पहुंची हो तो मैं यह शब्द वापस लेता हूं ···(व्यवधान···)मेरी बात सुनिये··· (व्यवधान) अकबर जी यदि मेरी टिप्पणी से आपको ठेस पहुंची हो तो मैं बिना शर्त अपनी टिप्पणी वापस लेता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने शब्द वापस ले लिया है।

श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी (कुडप्पा) : महोदय, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : यदि आपको किसी चीज से ठेस पहुंची हो तो मैं आपसे बिना शर्त माफी मांगता हूं। क्या आप अब संतुष्ट हैं ?···(व्यवधान) दिनेश जी, मुझे अपनी बात कहने दें। (व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, हमने अभी सत्ता पक्ष के एक मंत्री को सरकार का दृष्टिकोण पेश करते हुए सुना और उनके यह सब कहने के बाद अब श्री मधु दण्डवते दावा करते हैं कि वह सरकार का दृष्टिकोण पेश करने जा रहे हैं। यदि ये उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण हैं तो हम दण्डवते जी के विचार सुनने के इच्छुक हैं। जहां तक सरकार के दृष्टिकोण की बात है, उसे पासवान जी पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : यदि आप इस बात के इच्छुक हों कि स्थिति संभल जाये तो हमें इसकी वैधानिकता पर नहीं जाना चाहिए···(व्यवधान)

श्री कमल चौधरी (होशियार पुर) : क्या आप पासवान जी के विचारों की कांट-छांट कर रहे है ?···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें श्री दण्डवते को सुनना चाहिए।

[हिन्दी]

दोनों कैबिनेट के मंत्री हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं और दोनों अपने-अपने ढंग से गवर्नमेंट के व्यूज देने के लिए स्वतंत्र हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : मैं अपनी बात को थोपना नहीं चाहता हूं। यदि विपक्ष के एक भी सदस्य कहे कि वह सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं नहीं बोलूंगा···(व्यवधान)

श्री कमल चौधरी : आपके विचारों को सेंसर नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो० मधु दण्डवते : मिस्टर स्पीकर; मैं चन्द सवालों को यहां सदन में क्लैरिफाई करना चाहता हूं, चन्द सवालों के सम्बन्ध में सफाई या स्पष्टीकरण करना चाहता हूं ताकि कोई गलतफहमी न रहे। सबसे पहले मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि इसी सदन में पिछले कई सालों में, मेरे जैसे लोगों ने, बी० जे० पी० के साथियों ने, कम्युनिस्ट साथियों ने, मार्क्सवादी, कम्युनिष्ट साथियों ने, डी०एम०के० के साथियों ने, अन्य साथियों ने एक आवाज से···(व्यवधान)···हां, कांग्रेस का भी मैंने कहा कांग्रेस पार्टी के साथियों ने, एक राय से शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के साथ-साथ बैकवर्ड्स के बारे में कई विचार यहां रखे। दो मर्तबा हम लोगों ने मण्डल कमीशन की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा भी

की, जिसमें एक बार चर्चा की शुरूवात करने का मुझे मौका मिला और और एक बार पासवान जी ने चर्चा आरम्भ की परन्तु मैं समझता हूं कि मण्डल कमीशन के सवाल पर हमने कभी सदन को विभाजित होने नहीं दिया। अब भी हर वक्त मेरी ख्वाहिश यही रहेगी कि जो सवाल मेरे ख्याल से सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर का है, ऐसे सवालों पर कभी सदन को विभाजित न करने दिया जाये, कभी सदन को विभाजित नहीं करना चाहिये। फिर भी कई मर्तबा ऐसा होता है।...(व्यवधान)

मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई मर्तबा ऐसे सवाल पैदा हो जाते हैं, आन्दोलन खड़ा हो जाता है किसी गलतफहमी की वजह से। पहले तो हम कोई ऐसी चीज सदन में नहीं करना चाहते जो संविधान के खिलाफ हो। मैं आपको बड़ी नम्रता के साथ याद दिलाना चाहता हूं कि बैकवर्ड क्लासेज के सवाल को छोड़ दीजिये, शैडयूल्ड कास्ट्स एण्ड शैडयूल्ड ट्राइब्स के सवाल को ही लीजिये, क्या गलतफहमी की वजह से रिजर्वेशन के खिलाफ कभी देश में आन्दोलन नहीं चले। कई रीजन्स में हम माइनौरिटी में रहे, जब भी कहीं मुल्क में कम्युनल रायट्स हुए तो

[अनुवाद]

हम में से कुछ अल्पसंख्यक रहे हैं, और हमें अल्पसंख्यक रहकर मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है।

[हिन्दी]

लेकिन ऐसा कई मर्तबा होता है। कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि जो विचार हम समाज के सामने रखते हैं, देश के सामने रखते हैं, समाज के सभी स्तरों को वह मान्य नहीं होता, कोई गलतफहमी हो जाती है, लेकिन गलतफहमी की वजह से यदि कहीं आन्दोलन खड़ा हो जाये तो मैं मानता हूं, आप सभी साथी मुझसे सहमत होंगे कि उस गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न हमें करना चाहिये। क्या हम लोगों ने कोशिश की, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिये, मैं यहां शैडयूल्ड कास्ट्स का जिक्र करना चाहता हूं क्योंकि कभी-कभी सारे सवाल, आर्थिक सवाल, सामाजिक सवाल, शैक्षणिक सवाल, सब मिलकर खड़े हो जाते हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं, मैंने एक बार अम्बेडकर समिति के सामने भी यही कहा था कि यह सिर्फ एक आर्थिक सवाल ही नहीं है, हमारी पुरानी कांग्रेस, आज की कांग्रेस और सभी विरोधी दल के लोग, हम सब लोग कमिटिड हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

जरा मेरी बात सुनिये। अपनी बात रखने का मेरा अपना तरीका है। (व्यवधान) मैं इसके सादृश्य बात कर रहा हूं। जब उनमें से कोई बोलता है तो मैं कभी भी व्यवधान नहीं डालता हूं। इसके सादृश्य आप कितनी ही समस्याओं का जिक्र कर सकते हैं। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं उसे समझने की कोशिश कीजिए।...(व्यवधान) में आपको ऐनोलॉजी देकर यह बताना चाहता हूं क्यों कि बैकवर्ड क्लासेज के बारे में आप जो सोच रहे हैं, मैं उपमा देने के लिये हरिजनों का सवाल लेता हूं कि जब देश में शैडयूल्ड कास्टस एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन देने का सवाल सामने आया तो आजादी के लिये लड़ने वाली कांग्रेस और उस वक्त के सारी विरोधी दल के लोग, सत्तारूढ़ दल के लोग, सभी कमिटिड थे कि कान्सटीट्यूशन में शैडयूल्ड कास्ट्स एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब्स को आरक्षण देने के सवाल के हम सब लोग हक में हैं। लेकिन क्या यह सच नही है कि आरक्षण के बारे में कई मर्तबा जब नीति आई, हो उसके खिलाफ भी कई प्रान्तों में शैड्यूल्ड कास्ट्स के आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाई गई थी। हम सब साथ रहे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा आपके खिलाफ कोई इल्जाम नहीं है। हम सब साथ रहे और हम लोगों ने कहा कि चन्द नौजवानों के अंदर शायद यह गलतफहमी पैदा हो गई है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जायें । हमें मंत्री महोदय को सुनने का धैर्य होना चाहिए ।

(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, क्या वे कोई हल चाहते हैं? वे हल नहीं चाहते हैं इसीलिए वे समस्या पैदा कर रहे हैं। हम मंत्री जी को सुनना चाहते हैं। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

प्रो० मधु दण्डवते : सर, मैंने शुरू में ही कहा-कि शैड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड ट्राइब्स का मैंने इसलिए कहा और मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस सवाल पर हम सब एक हैं, ऐसे सवाल पर भी कई मर्तबा युवकों के दिलों में गलतफहमी पैदा होती है और कई मर्तबा आंदोलन खड़े होते हैं। लेकिन उस वक्त हमारी कोशिश यह रही, हम विद्यार्थियों के पास पहुंचे, उनको समझाने की कोशिश की कि शेड्यूल्ड कास्ट्स के आरक्षण के बारे में आपकी बिलकुल गलत नीति है और उनको यह भी बताया कि डा० अम्बेडकर जैसे नेता, जब एफ्लुएंट थे, वायसराय की कौंसिल के मैम्बर थे, फिर भी उनका सामाजिक मूल शैड्यूल्डकास्ट् का था, इसलिए उनको अन्याय का मुकाबला करना पड़ा। इसलिए मैं सारे साथियों को बताना चाहता हूं कि आर्थिक सवाल भी अपनी जगह पर है, लेकिन कई मर्तबा मेरी आर्थिक परिस्थिति क्या है, मैं गरीब हूं या अमीर हूं, इसलिए मेरे साथ अन्याय नहीं होता, बल्कि इसलिए अन्याय होता है कि मैं किस मां के गर्भ में पैदा होता हूं। यह अन्याय इसीलिए होता है। यह बात युवाओं को बताने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, आर्थिक सवाल के बारे में आडवाणी जी ने, सोमनाथ जी ने कहा। उसके बारे में, मैं बताना चाहता हूं। जब प्रधान मंत्री ने मण्डल कमीशन के सिलसिले में स्पष्ट किया।(**व्यवधान**)

आप सुनते क्यों नहीं हैं?

वे राज्य सभा में भी बोले, बाहर भी बोले।

आपको सुनने में क्या तकलीफ है? समझने में तकलीफ हो सकती है। आप मेरी बात को सुन तो लीजिए।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने बार-बार, कई मर्तबा स्पष्ट किया है और प्रधान मंत्री ने कई मर्तबा, सब जगह पर स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है जब हम बैकवर्ड क्लास के लिए कुछ काम करते हैं, तो हमारा उत्तरदायित्व कांस्टीट्यूशन के प्रति है। ये सारे समझदार लोग हैं और सारे राजनीतिक आंदोलन से आए हुए लोग हैं। जो हम मण्डल कमीशन को लागू करने की मांग करते आए हैं और बैकवर्ड तथा शैड्यूल्डकास्ट की बात करते हैं, यह हमारी निजी राय नहीं है। हम सब लोगों ने, जब हम इस संसद के सदस्य बने, तो हम लोगों ने कसम खाई है कि हम हिन्दुस्तान के संविधान की रक्षा करेंगे। क्या हम भूल गए कि हिन्दुस्तान के संविधान की धारा 340 के अनुसार हम लोगों की कमिटमेण्ट हैं? यह बैकवर्ड क्लास कमीशन और "सोश्यली बैकवर्ड" ये शब्द उसमें है। इस देश के संविधान को बनाने वालों ने "सोश्यली" और "एजूकेशनली बैकवर्ड" शब्दों का जिक्र सोच-समझकर किया। उन्हें मालूम था कि देश में गरीबी है, लेकिन उसके लिए और भी रास्ता है और मैं मानता हूं, सोमनाथ जी ने और दूसरे साथियों ने कहा, हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि इस सारे हिन्दुस्तान में जितने सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट के जाब्स हैं, उनका एक परसेंट और उस एक परसेण्ट

का भी 27 परसेण्ट बैकवर्ड को दे रहे हैं। यानी एक परसेण्ट सारे सेंट्रल गवर्नमेण्ट के जाब्स का, और उस एक परसेण्ट का भी 27 परसेण्ट दे रहे हैं। और जब वह देते हैं, तो युवाओं के दिल में किस प्रकार का दर्द पैदा होता है। पहले तो संविधान में जिक्र है, सामाजिक और शैक्षणिक जिक्र है।

1.00 म० प०

क्योंकि आर्थिक परिस्थितियां अलग होते हुए भी अगर सामाजिक स्रोत विभिन्न प्रकार का होता है, चाहे शैड्यूल कास्ट, शैडयूल ट्राईब्स, बैकवर्ड क्लास हो, उसके लिए भी अन्याय सहन करना पड़ रहा है। इसलिए जिन्होंने कांस्टीट्यूशन बनाए हैं उसमें जिक्र किया है। लेकिन कई युवकों के दिल में यह बात आ गई है कि नया मंडल कमीशन रिपोर्ट जैसे ही इम्प्लीमेंट होगा हम लोगों को बहुत तकलीफ होगी, ऐडमीशन नहीं मिलेगा, जौब नहीं मिलेगी, बड़े पैमाने पर जोब्स दूसरे लोगों को मिलेंगी, हमारे लिए कुछ जौब्स नहीं रहेंगी। 52 प्रतिशत साधारण और 27 प्रतिशत रिजर्वेशन दे रहे हैं, यह याद रखिए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने बार-बार कहा, मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि यह हमारी सरकार की भी नीति है। उन्होंने कहा कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो रिजर्वेशन हम देना चाहते हैं उसको हम डाईलूट नहीं करेंगे और

[अनुवाद]

27 प्रतिशत की परिधि के बाहर हमें आर्थिक कारक, गरीबी के प्रश्न पर विचार करना चाहिए। हमारा सोमनाथ जी के साथ कोई मतभेद नहीं है; हमारा आडवाणी जी से कोई मतभेद नहीं है। हमारा वामपंथियों या दक्षिण पंथियों या कोई तीसरी श्रेणी भी हो तो उससे भी कोई मतभेद नहीं है, हमारा कोई भी मतभेद नहीं है। हम आपको आश्वासन देते हैं।

[हिन्दी]

अगर यह ऐशयोरेंस मिले कि मंडल कमीशन को डाईलूट मत कीजिए, जो रिजर्वेशन कमीशन ने रिकमैंड किया है उसको डाईलूट मत कीजिए। छोटे से ईशू को नहीं लेना है। सारे हिन्दुस्तान की जनसंख्या के एक प्रतिशत सरकारी कर्मचारी, उसका 27 प्रतिशत बैकवर्ड क्लासेस है, उसको डाईलूट मत करो फिर आगे चलकर मैं जरूर मानता हूं कि अन्य लोगों के लिए, जैसा प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि आगे चलकर यह डाईलूट परसेनटेज न करते हुए अगर सोचना है तो गरीबी के बारे में, आर्थिक परिस्थिति के बारे में हम सोच सकते हैं। आखिर में इतना ही बताना चाहता हूं कि जो हम लोगों को उत्तरदायित्व है, वोट मांगने के लिए जनता के पास गए तो उस वक्त तो वादा किया था।

[अनुवाद]

प्रभुसत्ता लोगों की होती हैं। उनका कहना ठीक है कि प्रभुसत्ता सरकार की नहीं होती है। प्रभुसत्ता राज्य की नहीं होती है। संसद की अवमावना न करते हुए मुझे यह कहने की इजाजत दें कि प्रभुसत्ता संसद की नहीं होती है, प्रभुसत्ता भारत के लोगों की है, 80 करोड़ लोगों की है।

[हिन्दी]

लोगों के सामने जब हम गए, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, हम लोगों ने वादा किया, बैकवर्ड क्लासेस के सामने जब बोलने गए तो हमने कहा कि कौंस्टीट्यूशन की धारा 340 में जो लिखा है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसके इम्प्लीमैंटेशन के बारे में वादा करते हैं, आज तक नही हुआ लेकिन हम करेंगे, यह हमारा उत्तरदायित्व है, उससे नहीं हटेंगे। लेकिन आडवाणी जी आपके साथ पूरे सहमत हैं, खुराना जी सहमत हैं, सोमनाथ जी सहमत हैं, साठे जी सहमत हैं। यदि दंगा करने वालों के दिल में कोई गलतफहमी हुई है तो उनको समझाने का काम भी हमें करना है क्योंकि हम सिर्फ पार्लियामेंट के सदस्य नहीं हैं, हम राजनीतिक आन्दोलन के लोग है, यह काम भी हम करेंगे। यदि आपको आगे चलकर कोई चर्चा करनी है तो मैं समझता हूं कि यह हिन्दुस्तान की बड़ी संसद है,

इस आधार पर हम जो मंडल कमीशन के समर्थक हैं, हम कभी डरते नहीं हैं चर्चा करने के लिए क्योंकि हमारा उत्तरदायित्व सच्चा है, हमारी नीयत पर किसी ने हमला नहीं किया है। इसलिए चर्चा करनी है तो करिए लेकिन सरकार जरूर कोशिश करेगी कि चंद लोगों के अन्दर कोई गलतफहमी है तो मैं वह गलतफहमी दूर करने के लिए आपके साथ हूं, यदि हमारी जिन्दगी को भी कोई खतरा होगा तो भी हम यह काम करने के लिए तैयार हैं, यह आश्वासन मैं आपको देता हूं।(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय मैं एक व्यवस्था का प्रश्न करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री कमल चौधरी : पालियामेंट हाउस के बाहर जो कुछ हो रहा है वह यह सरकार करवा रही है।

[**अनुवाद**]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

(**व्यवधान**)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उन्होंने मुझे बोलने की अनुमति दी है। (**व्यवधान**) मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं सभा के उन सदस्यों में से हूं जिन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट को पढ़ा है। जब श्री चन्द्रजीत यादव और श्री राम विलास पासवान यहां सातवीं लोक सभा में थे तो मैंने भी इस रिपोर्ट को कार्यान्वित करने की इच्छा व्यक्त की थी। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : बहुत धन्यवाद।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मुझे कुछ जानकारी है। इससे पहले कि मैं बहुत संक्षिप्त टिप्पणी करूं, मैं जानना चाहता हूं कि किस नियम के तहत माननीय मंत्री ने ये टिप्पणियां की हैं और वे क्या मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। (**व्यवधान**) क्या आप मुझे 2 या 3 मिनट की इजाजत देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप व्यवस्था के प्रश्न पर क्यों नहीं आते हैं ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : व्यवस्था का प्रश्न यह है कि किस नियम के तहत ये लोग बोल रहे थे और किस नियम के तहत मुझे मेरे अधिकार से वंचित किया गया ? अध्यक्ष महोदय को मुझे इजाजत देनी होगी। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने उन्हें इजाजत दी है। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

अब मैं प्रधान मंत्री को बुलाता हूं।

(**व्यवधान**)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, इससे पहले कि प्रधान मंत्री बोलें आपको मुझे 2 या 3 मिनट की इजाजत देनी चाहिए। अन्यथा, मैं सदन से उठकर बाहर चला जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

अब प्रधान मंत्री बोलेंगे।

(**व्यवधान**)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आपके विनिर्णय का क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हमें प्रधान मंत्री को सुनना चाहिए।

1.06 म० प०

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर समन्वित एवं व्यापक ढंग से विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् गठित करने की अपनी इच्छा की घोषणा की थी। यह परिषद्, विदेशी, आर्थिक, राजनीतिक तथा सैन्य स्थितियों और हमारी घरेलू चिन्ताओं एवं उद्देश्यों से उनके संबंधों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर सम्पूर्ण दृष्टिकोण अपनाएगी।

चूंकि बाह्य भौगोलिक सामरिक महत्व का वातावरण तथा देश की आंतरिक परिस्थिति दोनों ही तेजी से बदल रहे हैं, इसलिए सम्पूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता का आज विशेष महत्व है। अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में नाटकीय परिवर्तन हुए हैं जिससे संसार के विभिन्न क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से शक्ति के नए संतुलन की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक सोच-विचार द्वारा ज्यादातर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक गतिविधियां निर्धारित की जा रही हैं और आज आर्थिक शक्ति सैन्य शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे विकास प्रक्रिया नई शक्तियां प्रदान करती है तथा ऐसी आकांक्षाएं उत्पन्न करती हैं जिन्होंने बहुत से क्षेत्रों में सामाजिक तथा प्रशासनिक ढांचों को तनावपूर्ण बना दिया है, वैसे ही घरेलू स्थिति भी बदल रही है। देश के कुछ भागों में ये प्रवृतियां बाहरी ताकतों द्वारा संयोजित की जाती हैं जो उग्रवादी तथा आतंकवादी संगठनों को उनकी गैरकानूनी एवं ध्वसांत्मक गतिविधियों में मदद देती हैं, एवं बढ़ावा देती हैं। अगर इन प्रवृत्तियों को बगैर रोक टोक के जारी रहने दिया जाता है, तो ये राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को क्षति पहुंचा सकती हैं।

अत: सरकार ने एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् गठित करने का निर्णय लिया है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :—

प्रधान मंत्री	अध्यक्ष
रक्षा मंत्री	सदस्य
वित्त मंत्री	सदस्य
गृह मंत्री	सदस्य
विदेश मंत्री	सदस्य

यह परिषद् आवश्यकतानुसार अन्य केन्द्रीय मंत्रियों तथा किसी राज्य के मुख्य मंत्री को परिषद् की बैठकों में भाग लेने के लिए अनुरोध कर सकती है। यह परिषद् आवश्यकतानुसार सुविज्ञों और विशेषज्ञों को भी इसकी बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का मुख्य प्रयास होगा राजनीतिक, सैनिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में उत्पन्न हो रही बाह्य स्थिति तथा हमारी आंतरिक स्थिति के बीच सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण के प्रति सम्पूर्ण दृष्टिकोण विकसित करना, क्योंकि इसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ता है। इससे उन रणनीतियों को पहचान होगी जो रक्षा, आंतरिक सुरक्षा तथा विदेशी मामलों में हमारे प्रयासों के अच्छे परिणाम निकलने की आशा बढ़ाती है। यह परिषद् इस बात का सुनिश्चय करेगी कि आंतरिक तथा भौगोलिक सामरिक महत्व के वातावरण का मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन मूल्यांकन

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

हो, जिससे कि संबंधित मामलों में सरकारी नीति बनाने में परिप्रेक्ष्य का काम करे। परिषद् के विचार के लिए जो विषय प्रस्तुत किए जा रहे हैं वे मोटे तौर पर निम्नलिखित को शामिल करेंगे :—

(क) बाह्य खतरे की स्थिति।

(ख) सामरिक महत्व की रक्षा संबंधी नीतियां।

(ग) अन्य सुरक्षा संबंधी खतरे, विशेष रूप से ऐसे खतरे जिनका संबंध परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष तथा उच्च टेकनालाजी से है।

(घ) आन्तरिक सुरक्षा जिसमें प्रति-विद्रोह, प्रति-आतंकवाद और प्रति-आसूचना जैसे पक्ष शामिल हैं।

(ङ) देश के भीतर ऐसे उन्माद की संभावना होना, विशेष रूप से जिसका सामाजिक, सांप्रदायिक अथवा प्रादेशिक आयाम हो।

(च) भारत की आर्थिक तथा विदेशी नीतियों पर विश्व अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो रही प्रवृत्तियों की सुरक्षा संबंधी उलझनें।

(छ) ऊर्जा, खाद्य तथा वित्त जैसे क्षेत्रों में बाह्य आर्थिक खतरे।

(ज) तस्करी तथा हथियारों, ड्रगों तथा नार्कोटिक के अवैध व्यापार जैसे सीमापार अपराधों से उत्पन्न खतरे।

(झ) सामरिक महत्व के तथा सुरक्षा संबंधी मामलों पर राष्ट्रीय सहमति तैयार करना।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् को स्ट्रैटेजिक कोर ग्रुप द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें सचिव, मंत्रिमंडल अध्यक्ष होंगे और तीनों सेवाओं के प्रतिनिधि तथा संबंधित मंत्रालय होंगे। स्ट्रैटेजिक कोर ग्रुप, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् को मंत्रालयों या अन्य सरकारी एजेंसियों या विशेष टास्क फोर्सेस द्वारा जैसे कि पैरा 6 में दर्शाया गया है प्रस्तुत किए गए कागजातों और रिपोर्टों के समुचित अध्ययन का निरीक्षण करेगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का अपना एक अलग सचिवालय होगा जिसका प्रमुख सचिव होगा और वह अधिकारी भारत सरकार के सचिव के समकक्ष होगा। यह सचिवालय स्ट्रैटेजिक कोर ग्रुप को भी सेवाएं प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के गहन अध्ययन हेतु, परिषद् के अध्यक्ष जितनी चाहें उतनी टास्क फोर्सिस स्थापित कर सकते हैं। प्रत्येक टास्क फोर्स विशेष क्षेत्र की सुरक्षा से संबंधित होगी और उसके सदस्य सरकारी सुरक्षा मामलों में कार्यरत मंत्रालयों और एजेंसियों से ही लिए जाएंगे। प्रत्येक टास्क फोर्स का प्रमुख उस टास्क फोर्स को सौंपे गए कार्य का अच्छा ज्ञान और अनुभव रखता होगा। यद्यपि टास्क फोर्स प्रशासनिक तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के सचिवालय से जुड़ा रहेगा, किन्तु सरकारी या बाहरी एजेंसियों से विशेषज्ञ सहायता के लिए अनुरोध कर सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर देश के भीतर अधिक से अधिक संभावित सर्वसम्मति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा समस्याओं पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न करेगी। इसके लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसके सदस्यों को मुख्यमंत्रियों, संसद सदस्यों, विद्वानों, वैज्ञानिकों और प्रशासन सेवा का अच्छा अनुभव रखने वाले व्यक्तियों, सशस्त्र बलों, प्रेस और समाचार

माध्यमों से शामिल किए जाएंगे। बोर्ड की एक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी और यह अपनी कार्यवाहियों का रिकार्ड रखेगा।

बोर्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर विचारों एवं विकल्पों का एक व्यापक क्षेत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक रूप से एक रचनातंत्र के रूप में कार्य करेगा। यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् पर विचार के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले कागजातों एवं उनके अध्ययन कार्य में महत्वपूर्ण निवेश का कार्य करेगा। बोर्ड को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के सचिवालय की सेवाएं प्राप्त होंगी।

अध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.15 म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

1.12 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याहन् भोजन के लिए 2.15 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.20 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.20 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन—जारी

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के गठन के सम्बन्ध में संकल्प के पाठ को मैं पहले ही पढ़कर सुना चुका हूं। अब मैं इसी सम्बन्ध में एक संक्षिप्त वक्तव्य की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

वक्तव्य

1. सरकार ने देश की सुरक्षा से सम्बन्धित सभी मामलों का व्यापक और समन्वित जायजा लेने के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद गठित करने का निर्णय लिया है। परिषद के अध्यक्ष प्रधान मंत्री होंगे और इसमें रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री तथा विदेश मंत्री शामिल होंगे। जब कभी आवश्यकता होगी तो अन्य केन्द्रीय मंत्रियों तथा राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भी इससे सम्बद्ध किया जायगा। परिषद इसकी बैठकों में शामिल होने के लिए विशेषज्ञों को भी आमंत्रित करेगी।

2. ऐसे ढांचे की आवश्यकता तेजी से बदलते बाहरी वातावरण तथा देश में आंतरिक स्थिति के सन्दर्भ में महसूस की गई। परिषद सैन्य तथा असैन्य धमकियों को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण के प्रति समन्वित दृष्टिकोण तैयार करने का प्रयास करेगी क्योंकि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होती है। रक्षा, आन्तरिक सुरक्षा तथा विदेशी मामलों में हमारे प्रयासों को आशावादी बनाने तथा सरकार की नीति को आकार देने हेतु एक परिपेक्ष्य के रूप में कार्य करने हेतु मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन मूल्यांकन का विकास करने हेतु वे रणनीतियों की पहचान में सहायता करेंगे।

3. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का एक उद्देश्य सामरिक तथा सुरक्षा मुद्दों पर एक राष्ट्रीय सहमति तैयार करना तथा जागरूकता पैदा करना भी है। इसे प्राप्त करने हेतु एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के गठन का प्रस्ताव है जिसके सदस्य मुख्य मंत्रियों, सांसदों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों तथा उन लोगों

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

में से लिए जाएंगे जिनका प्रशासन, सशस्त्र सेनाओं, प्रेस तथा समाचार माध्यमों में सेवाओं का काफी अनुभव हो। बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी तथा यह राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर विचारों एवं विकल्पों का एक व्यापक क्षेत्र प्राप्त करने के लिए एक रचनातन्त्र के रूप में कार्य करेगा।

4. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का एक अलग सचिवालय होगा। तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों को मिलकर बना सामरिक कोर ग्रुप तथा सम्बन्धित मंत्री इसे सहयोग देंगे।

5. माननीय सदस्यों की जानकारी हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन तथा इसके कार्यों और कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित एक संकल्प सभा पटल पर रखा जाता है।

2.21 म० प०

मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के सरकार के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के बारे में (—जारी)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, मेरे पास बहुत सी लड़कियों के फोन आए और मैं वहां पर गया। लड़कों और लड़कियों को कालेज के अन्दर घुस कर मारा गया है, देशबंधु कालेज के प्रिंसीपल डॉ० दलबीर सिंह को भी अन्दर घुस कर पुलिस ने मारा है, टीचर्स को मारा है। डा० दलबीर सिंह और कई लोग अस्पताल में हैं। दिल्ली के अन्दर पुलिस राज हो गया है। मैंने सुबह भी कहा था कि दिल्ली के मामले को निपटाना चाहिए, इसके लिए सरकार या कोई मिनिस्टर आगे बढ़कर कहे कि हम उनसे बात करेंगे। जब जे० के० एल० एफ० और पंजाब के आतंकवादियों को बातचीत करने की आफर जा सकती है तो क्या दिल्ली के नौजवानों से बात करने में कोई आपत्ति है। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस ने कालेज में घुस कर प्रिंसीपल, टीचर्स और लड़कियों को मारा है। क्या देश की राजधानी का यही हाल रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय मैं सुबह से इस बात को उठा रहा हूं। आरक्षण के बारे में आडवाणी जी ने नीति बहुत स्पष्ट की है। मेरा कहना है कि ला एण्ड आर्डर का जो पहलू है, दिल्ली के अन्दर लोगों को दिक्कत हो रही है। इसके लिए किसी को तो आगे बढ़ना चाहिए। सात दिन से पूरी दिल्ली पेरालाइज हुई पड़ी है। न गृह मंत्री महोदय न लेफ्टीनेंट गवर्नर, कोई बात करने को तैयार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मेरी भी छोटी सी समस्या सुन लीजिए। मेरी पत्नी मुम्बई से आने वाली थी, मैं उनको लेने के लिए स्टेशन पर जाना चाहता था, लेकिन नहीं जा सका, मुझे रास्ते से वापिस आना पड़ा। कोई रास्ता निकालिए, इस समस्या का कोई तो हल निकलना चाहिए।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, लोग आफिसेस में नहीं जा पा रहे हैं, काम-धंधे पर नहीं जा पा रहे हैं, सारा आवागमन बंद हो गया है। आंदोलनकारियों के अलावा पुलिस को गली मोहल्ले में जो भी मिल जाता है, उसको भी पुलिस मार रही है, पूरा पुलिस राज सा हो रहा है, खुराना जी की इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं।

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष महोदय, हम दिल्ली के लिए अकाउंटेबल हैं, हम जहां जाते हैं, लोग नारे लगाते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, हमें जवाब देना मुश्किल हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी, अब बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : आज छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है, उनकी मांग गलत हो सकती है, मगर उनको अपना दुश्मन समझकर यदि पुलिस उनके ऊपर इस तरीके से मारपीट करती है, जैसे कोई आक्रमण हमारे ऊपर हो गया हो, यह कोई तरीका नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, आप लोगों ने अपनी बात कह दी है।

श्री राम नाईक : उपाध्यक्ष महोदय, कोई न कोई हल इस समस्या का निकलना चाहिए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : गृह मंत्री को यहां आना चाहिए। हम यह जानना चाहते हैं कि संसद भवन के बाहर क्या हो रहा है। **(व्यवधान)**

श्री हरीश रावत : दो बातें हैं। पहली तो नीति है। हम सभी इसका समर्थन करते हैं।

[हिन्दी]

ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है, उसके विषय में सरकार को कुछ कहना चाहिए, होम मिनिस्टर को स्टेटमेंट देना चाहिए।

2.23 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) वन संरक्षण अधिनियम के उपबन्धों को, विशेषकर उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में, शिथिल करने की मांग

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

वन अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अत्याधिक कड़ा व अव्यवहारिक होने के कारण देश के पर्वतीय व आदिवासी वनाधिक्य वाले क्षेत्रों में निर्माण व विकास कार्य लगभग ठप्प पड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की लगभग 3 हजार छोटी बड़ी योजनाएं अधिनियम के तहत अनुमोदन के अभाव में निर्मित नहीं हो पा रही हैं। इसका दुष्प्रभाव इन क्षेत्रों के विकास के साथ वन संवर्धन की राष्ट्रीय नीति पर भी पड़ रहा है। स्थानीय लोग अब वनरोपण के कार्यक्रमों में सहयोग नहीं दे रहे हैं। जन कठिनाई को इस अधिनियम के कारण अनसुना किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जनपद के अन्दर चंपावत मंच तामली मोटर मार्ग वर्ष 1930-81 में एक ऐसे क्षेत्र को सड़क से जोड़ने के लिए स्वीकृत किया गया था जहां के लोगों को लगभग 40 किलोमीटर पैदल चल कर आना

[श्री हरीश रावत]

पड़ता है। स्वीकृति की तिथि से आज तक स्थानीय जनता की प्रबल मांग के बावजूद इसे वन अधिनियम के तहत अनुमोदन नहीं मिल रहा है। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण इस क्षेत्र में हैं।

मेरा भारत सरकार व वन मंत्री से अनुरोध है कि इस अधिनियम को शिथिल किया जाना चाहिए। छोटे व मध्यम दर्जे के निर्माण कार्यों पर इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। भारत सरकार की अनुमति 20 हैक्टेयर से अधिक वन भूमि के मामले में आवश्यक समझी जानी चाहिए, 20 हैक्टेयर से कम वन भूमि के मामले में भारत सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इससे कम की अनुमति देने का अधिकार राज्य सरकार के पास होना चाहिए।

(दो) काजू बोर्ड का गठन किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार (क्विलोन) : जैसाकि यह सर्वविदित है कि काजू भारत की एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है और देश की प्रमुख निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में से एक है जिससे लगभग 350 करोड़ रुपये वार्षिक आय होती है। फिलहाल केन्द्र तथा राज्य स्तर पर काजू की खेती, परिष्करण तथा निर्यात के विभिन्न पहलुओं की देख-रेख हेतु कई एजेंसियां हैं जो बिना उपयुक्त समंवय के कार्य कर रही हैं। इसलिए चाय बोर्ड, काफी बोर्ड, नारियल-जटा बोर्ड, मसाला बोर्ड इत्यादि की ही तरह एक एजेंसी स्थापित करना अत्यावश्यक है।

क्विलोन निर्वाचन क्षेत्र; जहां 80% से अधिक काजू उद्योग केन्द्रित हैं, का प्रतिनिधित्व करते हुए एक सांसद के रूप में मैंने बार-बार इस मामले को उठाया है तथा मार्च, 1988 से एक काजू बोर्ड के गठन पर वाणिज्य मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं।

केरल में दो लाख काजू कारखाना श्रमिकों को वर्ष में 100 दिन से भी कम काम मिलता है और काजू बोर्ड ऐसे हालात पैदा कर सकता है जिनमें उन्हें वर्ष में कम से कम 300 दिन रोजगार मिल सकता है पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र सरकारों द्वारा शुरू की गई लाईसेंस व्यवस्था को लीक पर तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। केन्द्र सरकार को काजू बोर्ड का गठन करके काजू उद्योग तथा इसमें कार्यरत श्रमिकों को बचाना चाहिए।

(तीन) मोहनलाल गंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) में बार-बार आने वाली बाढ़ की रोकथाम के लिए कदम उठाए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री सरयू प्रसाद सरोज (मोहनलाल गंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के द्वारा सरकार का ध्यान मोहन लाल गंज, संसदीय क्षेत्र में लखनऊ, उन्नाव, गोसाई गंज, सरोजनी नगर, माल मलिहाबाद काकोरी, माल, पुरवा, असोहा और हिलोली विकास खंड की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जहां पर गोमती, साई, वेता, नगवा नाला आदि कई नदियां हैं और बहुत सी उनकी सहायक नदियां बहती है तथा कई बड़े-बड़े नाले और झील जैसे श्रवण ताल, तीलन व संसपन झीलें हैं। यहां पर नदियों में पानी बढ़ जाने के कारण बाढ़ आती है और इस समय भी वहां पर बाढ़ की स्थिति गम्भीर बनी हुई है जिससे वहां पर हजारों की तादाद में परिवार तबाह हो गए हैं और वहां का जनजीवन छिन्न-भिन्न हो गया हैं।

इस सम्बन्ध में मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस समस्या का कोई ठोस उपाय किया जाय जैसे इन नदियों के ऊपर पुल बनाए जाएं, काकोरी से बहरू रोड़, बेतवा नाले, माल दुग्गा रोड़,

हेलुआ घाट, अंधा चौकी नवी पनाह, गड़ो चुनौती मार्ग, नगवा नाले पर सई नदी दिपल्ल पर मंझी चंडिका देवी गोमती नदी पर पीपे का पुल, मोहन लाल गंज, सई नदी में सिसंडी के पास शिवपुरी बरौना के बीच सोहराभाव हसनगंज के बींच घाटमपुरा में महोदय, इनमें से कई पुल मंजूर होने के बावजूद भी धन के अभाव से नहीं बन सकें हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वो एक जांच दल वहां पर भेजें जो कि वहां के नुकसान का जायजा ले सके तथा केन्द्र सरकार तुरन्त राज्य सरकार को जरूरत के मुताबिक धनराशि प्रदान करे जिससे वहां नदियों पर बांध बनवाये जा सकें और झीलों को गहरा करवाया जाए। इस सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि इस काम के लिए विश्व बैंक की मदद से एक योजना तैयार की जाए।

(चार) बिहार तथा देश के अन्य भागों से बंगलादेश को पशुधन के चोरी-छिपे व्यापार को रोके जाने की मांग

श्री युवराज (कटिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े पैमाने पर बिहार राज्य के अन्तर्गत कटिहार जिला के खेरिया हाट एवं मानसाईहाट से तथा पूर्णियां, अररिया एवं किसनगंज आदि पड़ोसी जिलों की हाटों से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से काफी ऊंचे कद के बैल, भैंस आदि तस्करी से पश्चिम बंगाल होते हुए बंगला देश पहुंचाए जाने का काम निरंतर वर्षों से चल रहा है। इस प्रकार हम लोगों का पशुधन नष्ट किया जा रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। मैंने इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। परन्तु अभी तक कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। शीघ्र उपाय के लिए यह विनम्र सूचना है।

(पांच) मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग

श्री रामेश्वर पाटीदार (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश अन्य प्रदेशों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ राज्य है। इसमें अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या बहुत अधिक है। प्रदेश के अधिकांश जिले आदिवासी बाहुल्य हैं। आजादी के वर्षों बाद भी इन क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ। बड़े गांवों तक भी सड़कें नहीं बनीं, जहां वर्षों से सड़कें बन गई हैं वहा सड़कों के बीच में पुल-पुलियायें नहीं बनायी गयीं। जिससे वर्षा के दिनों में पूरा क्षेत्र शेष भाग से कट जाता है। न दवाखाने, न स्कूल भवन, न पीने के पानी का प्रबन्ध, न कूप, न नलकूप हैं, जो थोड़े बहुत हैं वे सूखे पड़े हैं। राज्य सरकार राजस्व की कमी के कारण उक्त विकास कार्य करने में असमर्थ रही है। वे लोग भयंकर गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के खारगोन जिले के आदिवासी विकास खण्डों में उक्त विकास कार्य अब तक नाम मात्र के हो पाए हैं। सैकड़ों गांवों में सड़कें, पुल, पुलियायें, स्कूल, दवाखाने, पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व की हालत को देखते हुए उन्हें कर पाना सम्भव नहीं है।

इसलिए राज्य सरकार ने धनराशि की मांग की है। मैं संविधान के अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने, जीवन स्तर सुधारने के लिए भारत की संचित निधि में से राज्य सरकार द्वारा मांगी गयी धनराशि देने के लिए मांग करता हूं।

(छः) मिदनापुर, पश्चिम बंगाल की सुवर्ण रेखा परियोजना को शीघ्र मंजूरी दिए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरी (कोन्टाई) : उपाध्यक्ष महोदय, सुवर्ण रेखा नदी के जल संसाधनों से सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करने की दृष्टि से पश्चिम बंगाल सरकार ने सुवर्ण रेखा परियोजना की रूपरेखा तैयार करके इसे केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजी है। इस परियोजना के कार्यान्वियन से मिदनापुर जिले के काफी बड़े भू-भाग की सिचाई होगी जिससे लाखों खेतिहर लोगों को अत्यधिक लाभ पहुंचेगा। इस दौरान इस परियोजना के तीव्र गति से कार्यान्वियन हेतु राज्य सरकार ने लगभग सारा आधारभूत कार्य पूरा कर लिया है। परन्तु चूंकि केन्द्र सरकार ने इस परियोजना को अभी तक स्वीकृत नहीं दी है, राज्य सरकार इस परियोजना कार्य को आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं है और जिसके परिणाम स्वरूप किसानों में भारी निराशा व्याप्त है। इसलिए, मैं पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि वे इस विषय पर शीघ्र ध्यान दें और इस परियोजना को यथाशीघ्र स्वीकृति दें।

(सात) विशाखापट्टनम और इच्छापुरम के बीच के क्षेत्र को दक्षिण मध्य रेलवे को अन्तरित किये जाने की मांग

श्री के० राम मोहन राव (बोब्बिली) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर तटीय आंध्र, जो दक्षिण पूर्वी रेलवे के विशाखापट्नम रेलवे डिविजन के अन्तर्गत आता है, के तीन जिलों में लगभग 5 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं।

उत्तर तटीय आंध्र के बेरोजगार युवा मंच की यह शिकायत है कि यद्यपि दक्षिण पूर्वी रेलवे को इस डिविजन का योगदान सबसे अधिक है, दक्षिण पूर्वी रेलवे इन तीन जिलों के युवाओं को 1% से भी कम नौकरियां देता है।

उनकी यह भी शिकायत है कि उनको भर्ती में तब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक कि विशाखापट्नम से इच्छापुरम तक का क्षेत्र दक्षिण मध्य रेलवे को अन्तरित नहीं किया जाता।

अतः, मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह उपरोक्त विषय पर विचार करें।

(आठ) बैंकों द्वारा सेवा प्रभारों में हाल में की गई वृद्धि पर पुनर्विचार किए जाने की मांग

श्री जे० पी० अग्रवाल (चांदनी चौक) : बैंक सेवा प्रभार में हाल ही में की गई औसतन 25% वृद्धि से उद्योग तथा व्यापार, विशेषतौर पर छोटे और लघु व्यापारियों, निर्माताओं तथा आम आदमी को भारी झटका लगा है। सेवाओं में बिना आनुपातिक सुधार के सेवा प्रभार में तीन वर्ष की थोड़ी सी अवधि में दूसरी बार वृद्धि की गई है। और अधिक क्षुब्ध कर देने वाली बात यह है कि सेवा प्रभारों में एक दम से वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त भुगतान रोकने सम्बन्धी निर्देशों, बम्बई, दिल्ली, मद्रास तथा कलकत्ता इत्यादि में संशोधित एम० आई० सी० आर० चैक जारी करना जैसी सेवाओं के लिए कुछ नए बैंक प्रभार लागू किए गए हैं।

कर्मचारियों के वेतन इत्यादि में वृद्धि के आधार पर इन प्रभारों में वृद्धि न्यायोचित नहीं है। इनमें वृद्धि अनुचित है, विशेषतौर पर उस समय जब सरकार मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु विभिन्न तरीकों पर विचार कर रही है।

इसलिए, मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह पूरे मामले पर पुनः विचार करे और 1 जुलाई, 1990 से पहले प्रचलित बैंक प्रभार फिर से लागू करें।

2.32 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

खाड़ी की स्थिति के सम्बन्ध में मास्को, वाशिंगटन, अमान, बगदाद तथा कुवैत के अपने हाल में किए गए दौरे के बारे में विदेश मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विदेश मंत्री द्वारा 23 अगस्त, 1990 को दिए गए वक्तव्य पर नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे। श्री गिरधारीलाल भार्गव बोलेंगे।

मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे अपने भाषणों को उन्हीं बातों तक सीमित रखें, जिन्हें वे स्पष्टीकरण के रूप में पूछना चाहते हैं। यदि माननीय सदस्यगण चर्चा के विषय को बढ़ाते हैं और उन मुद्दों, जो वक्तव्य में नहीं हैं, पर प्रश्न पूछते हैं अथवा वक्तव्य देते हैं तो चर्चा का विषय बहुत व्यापक हो जायगा। इसलिए, ऐसे प्रश्नों, जो वे माननीय मंत्री द्वारा पहले ही दिए जा चुके वक्तव्य पर केवल स्पष्टीकरण चाहने के लिए पूछना चाहते हैं, को सीमित रखना अधिक उपयोगी तथा प्रभावी होगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सीधे मेरे प्रान्त से या प्रान्त के निवासियों से जुड़ा हुआ प्रश्न है और चूंकि मैं राजस्थान में रहता हूं और राजस्थान के निवासी वहां हैं इसलिए दो-तीन मिनट ज्यादा लूंगा, इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कल इस विषय पर चर्चा होनी थी लेकिन आज ही इसको रखा है और साढ़े तीन बजे प्राईवेट मैम्बर्स बिल होना है। अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो दूसरे मैम्बर्स को समय नहीं मिलेगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : इतने समय तक मुझे बोलना नहीं आता है, मेरी हिम्मत भी नहीं है। मैं संक्षेप में यह निवेदन कर रहा हूं सबसे पहले कि आज बुद्धि देने वाले गणेश जी का जन्म दिवस है। यदि आज देश की अन्य छुट्टियों की तरह छुट्टी हो जाती तो यह विघ्न हरण हो जाता। आज मंडल आयोग वाला मामला भी बाहर हो रहा है, दिल्ली में अशांति है। हमें उसकी रिपोर्ट नहीं मिली है। मण्डल आयोग क्या है, हमें मालूम नहीं है। बाजार में भी यह उपलब्ध नहीं है, क्योंकि 10 साल पहले आई थी, अगर आज छुट्टी हो जाती तो न यह मामला आता, न कुवैत वाला संकट आता, सारा काम विघ्न हरण हो जाता।

विदेश मंत्री विपरीत परिस्थितियों में कुवैत गये इसके लिए मैं उनको अपनी ओर से तथा सदन की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि वह संकट के समय गये, वहां पर जो भारतीय फंसे हुए हैं उनके लिए उन्होंने जो प्रयास किया उसकी मैं प्रशंसा करता हूं और कुवैत स्थित भारतीय एसोसिएशंस के नेता और समुदाय जो इस समय भारतीयों की सेवा कर रहे हैं, उनकी भी मैं प्रशंसा करता हूं। मैं समझता हूं सदन भी वहां की जनता में सेवा कर रहे इन लोगों की सराहना करेगा। कुल मिलाकर वहां दो लाख भारतीय परेशान हैं और कानून और व्यवस्था सामान्य नहीं है। माननीय विदेश

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बहुत सी ऐसी बातें कही हैं, मगर कानून और व्यवस्था सामान्य नहीं है, लूटपाट की घटनायें भी हो रही हैं, बैंक भी बन्द हैं, खाने-पीने की वस्तुएं नहीं मिल रही हैं, डाक-तार विभाग की व्यवस्था ठीक नहीं है। मंत्री जी खुद अपने साथ वहां से आते हुए 15 बैग चिट्ठियों के लेकर आये हैं। वहां पर दो अगस्त को गोलीबारी में दो भारतीय मारे गये, उनको पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये अनुदान के रूप में दिये, लेकिन नाम मालूम नहीं है, यह उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है। कई व्यक्ति घायल भी हुए हैं, वहां पर लोगों को रोका जा रहा है। एयर इंडिया का चालक दल कुवैत में फंस गया था। कई महिलाएँ आपके साथ विमान से आई हैं। वहां की स्थिति सामान्य नहीं है। आज 24 तारीख है, और आपने भी अपने वक्तव्य में कहा है कि इराक ने घोषणा की है कि 24 तारीख से कुवैत में किसी दूसरे मुल्क का दूतावास नहीं रहेगा, सबको बन्द करना पड़ेगा। आज से दूतावास भी बन्द हो जायेगा तो स्थिति और खराब होगी। माननीय विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जनता में निराशा की बात न आये इसलिए स्थिति स्वयं खराब मानते हुए उन्होंने दूतावास की स्थिति भी खराब मानी है। वहां जो कर्मचारी हैं वे बहुत सीमित हैं। लोग वहां जाते हैं, दस्तावेज मांगते हैं, सलाह मांगते हैं कि कैसे वापस घर जायें। वहां से जो सड़क मार्ग है वहां पर भोजन की और ठहरने की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने एक कुशल डाक्टर की तरह स्टेटमेंट दिया है कि आदमी मर रहा है, लेकिन वह कहते हैं कि जिन्दा रहेगा, मैं उपचार कर रहा हूं। उन्होंने वक्तव्य में जिस स्थिति का जिक्र किया है उसमें स्वयं मान रहे हैं कि स्थिति खराब है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, उनके आने-जाने की व्यवस्था नहीं है, इसके बाद भी उन्होंने जो वक्तव्य दिया मैं उनको उसमें केवल धन्यवाद ही दे सकता हूं। उन्होंने कहा है कि भारतीय समुदाय के बारे में कि वे जा सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तुम जा भी सकते हो और जल्दबाजी भी नहीं करना, ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं। विदेश मंत्री ने कहा है कि वे स्थिति पर निगाह रखे हुए है और वहां फंसे लोगों को स्वदेश लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग यहां आ सकें। वे अपने साथ 200 व्यक्तियों को लाये हैं, विशेषकर गर्भवती महिलाओं को लेकर आये हैं उसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और एयर इण्डिया के लोगों को भी धन्यवाद देता हूं। आपने कहा है कि उनको स्वदेश लाने को नई व्यवस्था करेंगे। कुवैत के पास बसरा से विमान जायेगा और वहां से अम्मान और अम्मान से भारत के लिए प्रस्थान करेगा।

मेरा मतलब यह है कि आपने कहा कि उड़ान रोजाना कर रहे हैं फिर यह कहा कि जरूरत हुई और करेंगे। मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत और ज्यादा कब होगी? यदि आप और उड़ान कर सकते हैं तो आपको करना चाहिये। आप मान रहे हैं कि इराक और जार्डन सीमा पर दोनों ओर अपने कार्यालय स्थापित कर रहे हैं। सड़क के रास्ते और सुविधाजनक बनाये जा रहे हैं। दो कर्मचारी जार्डन की ओर भेज दिये गये हैं। ये सारी बातें आपने अपनी स्टेटमेंट में कही हैं। मान्यवर, आप मास्को और वाशिंगटन गये थे जहां पर दोनों देशों से तेल की सप्लाई के बारे में बात भी की है। मान्यवर, मेरा कहने का मतलब यह है कि यह बड़ा गंभीर मामला है। यह कोई आसान मामला नहीं है। यदि वहां पर लड़ाई छिड़ गयी और अमेरिका का प्रभाव बढ़ना हुआ चला जायेगा तो इससे भारत को ही सबसे ज्यादा नुकसान होगा। हम तो यह समझते हैं कि हम यहां दिल्ली में सदन में बैठे हुए हैं। यहां मंडल कमीशन के बारे में आन्दोलन हो जायेगा तो दवा देंगे परन्तु मैं समझता हूं कि खाड़ी देश की इस समस्या को दबाने की स्थिति पैदा नही होगी। वहां पर युद्ध की चिंगारी का सबसे बड़ा असर भारतवर्ष पर होगा। इसलिए भारत को ही इसकी चिन्ता करनी चाहिये। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बंगला देश खाड़ी के तनावग्रस्त इलाकों में सैनिक भेजने का फैसला कर चुके हैं तो मैं समझता हूं कि जो देश सैनिक शक्ति के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उससे ज्यादा खतरा

हिन्दुस्तान को होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि यह गंभीर प्रश्न है क्योंकि देश रहेगा तो संसद भी रहेगी। संसद कोई देश से बड़ी नहीं है। इसलिए संसद के सामने सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उसको विचार करना चाहिए। कुवैत में जो आग लगी हुई है, उसका समाधान नहीं कर सके, यह गम्भीर बात है। अमेरिका अपनी शक्ति बढ़ा रहा है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धान्तों की भी परवाह नहीं की। इससे हमारे देश को बहुत खतरा होगा। इसलिए मैं दो-तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं।

पहला, प्रवासियों का मामला है। प्रवासी वहां पर या तो केरल से हैं या तामिलनाडु से हैं और इन दोनों के बाद सबसे ज्यादा प्रवासी राजस्थान के हैं। राजस्थान में भी जिला नागौर, झुनझुनूं और सीकर के ज्यादा हैं। ये लोग खाड़ी के देशों में काम में लगे हुए हैं। इसलिए मेरी विशेष जिम्मेदारी है। आज मुझे बोलने का अवसर दिया गया है तो मैं निवेदन करूंगा कि जैसे विदेश मंत्री एक अधिकारी को केरल या तामिलनाडु के प्रवासियों के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए वहां भेजते हैं तो उसी प्रकार राजस्थान के प्रवासियों की जानकारी लेने के लिए कोई अधिकारी नहीं भेजा गया है जो फंसे हुए राजस्थानियों की सूचना देता।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से आप सलाह करिये और राजस्थान के एक मंत्री को खाड़ी क्षेत्र में भेजें जो वहां की व्यवस्था देखे और पूरे भारतीयों की दशा को भी देखे। राजस्थान के मुख्यमंत्री जिस मंत्री को भेजेंगे, यह उन सब की चिन्ता का जिम्मा होना चाहिये या फिर सभी प्रवासियों के बारे में पूरी रिपोर्ट दे।

तीसरा, आज अखबारों में यह खबर छपी है कि जार्डन ने रास्ता बन्द कर दिया है लेकिन सात बजे के न्यूज में कहा गया है रास्ता खोल दिया गया है। यह रास्ता क्यों बंद कर दिया गया क्योंकि वहां पर पीने के पानी की किल्लत हो गयी है और हैजा फैल गया है। मेरा निवेदन है कि जो भारतीय प्रवासी लौट रहे हैं, उनको अम्मान में यदि हैजा का टीका लगवा दिया जाये तो वे भारतवर्ष में हैजे की बीमारी लेकर नहीं आ सकेंगे। इससे हैजे का रोग वहीं पर रह जायेगा।

एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी तो आप वहां पर होकर आये हैं और आप बार-बार वहां जा नहीं सकेंगे तो मेरा निवेदन है कि वहां की स्थिति के बारे में समाचार मिल जाये लोगों को चिट्ठियां मिल जायें ताकि लोगों को राहत की सांस मिल सके। हमारे कई लोगों के बेटे वहां फंसे हुए हैं, कई लोगों की बहुएं फंसी हुई हैं, कई लोगों के साले या दूसरे रिश्तेदार वहां फंसे हुए हैं। इस कारण सभी लोग दुखी हैं। आज महंगाई की लोगों को उतनी चिन्ता नहीं है, मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लेकर उतनी परेशानी नहीं है, लोग दुनिया भर की मुश्किलों को भूल सकते हैं, परन्तु गल्फ देशों में भारतीय मूल के लोगों पर जो बीत रही है, उसको लेकर आज यहां लोगों में दुख ज्यादा है। इसलिए सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि लोगों को उनके बारे में नियमित रूप से समाचार मिलते रहें, जानकारी मिलती रहे, चिट्ठियां मिलती रहें ताकि लोगों को हिम्मत बनी रहे, यही मेरा निवेदन है।

अभी आपने कहा कि हम यहां से एक जहाज भेजेंगे, जो खाद्य सामग्री लेकर जायेगा, मैं पूछना चाहता हूं कि आप उस जहाज को कब भेजेंगे। आप शीघ्र से शीघ्र उस जहाज को रवाना कीजिये। इसमें दो-चार-पांच दिन का बिल्कुल विलम्ब नहीं होना चाहिये क्योंकि आप स्वयं वहां जाकर देख आये हैं; आप सब स्थिति से अवगत हैं, ऊपर से आप दयालु भी हैं क्योंकि आप बहादुरी के साथ स्वयं गल्फ कन्ट्रीज गये, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप खाद्य सामग्री से भरे जहाज को जल्दी भिजवायें।

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

वह जहाज सिर्फ कुवैत ही न जाये बल्कि बगदाद में भी जाना चाहिये, वहां भी बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं और उन्हें भी राहत सामग्री पहुंचाना उतना ही आवश्यक है, जितना कुवैत में खाद्य सामग्री से भरा जहाज भेजा जाना जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने 15 मिनट से ज्यादा का समय अब तक ले लिया है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं सिर्फ दो मिनट और लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप दूसरे लोगों को भी देखिये। फिर आज 3.00 बजे प्राइवेट मैम्बर्स बिजिनैस आरम्भ हो जायेगा, इसे भी ध्यान में रखिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आज अमेरिका वहां जिस तरह से अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा है, चार देशों ने मिलकर उसका विरोध किया है। मैं समझता हूं कि उसका असर क्या होगा, उसे भी आपको ध्यान में रखकर समुचित कदम उठाने चाहिये। मैं चाहता हूं कि कूटनीति के आधार पर आप अमेरिका के साथ सलाह मश्वरा करें। यदि आप सोचते हैं कि हम बीचबचाव नहीं करेंगे, हम बोलेंगे नहीं तो आज आप भले ही न बोलें लेकिन आपको कुछ दिनों बाद बोलना ही पड़ेगा। इसीलिये मैंने कहा कि आप कूटनीतिक आधार पर अमेरिका से सीधे बातचीत करें। इसके अतिरिक्त, युनाइटिड नेशन्स में जो हमारे राजदूत हैं, उनकी इस सम्बन्ध में क्या रिपोर्ट है, उसका भी हमें पता चलना चाहिये। उस रिपोर्ट की हमें भी जानकारी मिलनी चाहिये। जो हवाई जहाज कुवैत होते हुए बसरा जायेगा, मेरी मांग है कि आप इस तरह की व्यवस्था कीजियेगा कि वह जहाज कुवैत से सीधे भारत आ सके। इसकी संभावना पर आप गम्भीरता से विचार कर लीजिये क्योंकि जैसा आपने अपने स्टेटमैंट में कहा, वहां जो सड़कें हैं, उसमें आने-जाने में 24 घण्टे लगते हैं, लोगों को आने-जाने में भारी कष्ट होता है, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिये यदि वह जहाज वहां से सीधे भारत आ सके तो यह 48 घण्टे का रास्ता कवर करने का समय बच जायेगा और लोगों को भोजन की भी व्यवस्था हो जायेगी, पानी की भी व्यवस्था हो जायेगी। इसी तरह से यूनाइटिड नेशन्स में जो आपके प्रतिनिधि हैं, उनसे कहियेगा कि वहां हमारे जो दो लाख प्रवासी हैं, क्या सुरक्षा परिषद या यूनाइटिड नेशन्स उनके लिये उपयुक्त व्यवस्था कर सकता है। क्या उनके सम्बन्ध में रेड क्रॉस हमारी कोई सहायता कर सकती है ताकि वे सारे के सारे व्यक्ति किसी एक स्थान पर, आसपास से आकर इकट्ठा हो जायें और रैड क्रॉस के शान्ति के लाल झण्डे के नीचे जमा हो जायें। इस तरह की व्यवस्था से यदि कोई लाभ हो सकता है तो उस पर भी आपको विचार करना चाहिए।

अंत में, एक निवेदन यह करना चाहूंगा कि हमारे भारतीय लोगों की गल्फ कन्ट्रीज में जो सम्पत्ति रह गई है, पैसा रह गया वहां के बैंकों में, वहां उनके जो खाते हैं, कई लोग अपनी प्रौपर्टी छोड़ कर यहां आ गये हैं, उन सब का आखिरकार क्या होगा। आपने अब तक जो प्रयास किये हैं जैसा आपने स्टेटमैंट में भी कहा, उसके लिये आप बधाई के पात्र हैं परन्तु इस समस्या के समाधान के लिये भारत को कूटनीतिक आधार पर पहल करनी आवश्यक है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे और गल्फ देशों के बीच में यदि लड़ाई होती है तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ने वाला है, इसे आप नहीं भुला सकते। फिर भारत पर तेल का संकट और गहरा बनकर छायेगा। आज आप भले ही ऐसा फैसला ले लें कि एक दिन के लिये गाड़ियां चलाना बन्द कर दें, लोग इस त्याग के लिये भी तैयार हो जायेंगे, लेकिन तेल की समस्या के समाधान के लिये, उन देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की समस्या के समाधान के लिये, सबसे पहले तो उन्हें यहां लाइये, दूसरे कूटनीतिक आधार पर, चतुराई के साथ, सब लोगों से सलाह मश्वरा करके, अमेरिका से बातचीत कीजियेगा और इस मामले में दखल देना

हमारे लिये बहुत जरूरी है। यही उसके लिये उपयुक्त समय है, वरना आज के बाद यदि हमारा दूतावास वहां बंद हो गया तो भारतीय मूल के लोगों की समस्या तो बढ़ ही जायेगी, हमारे ऊपर आने वाले संकट भी बढ़ जायेंगे, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए शुक्रिया।

सबसे पहले मुझे माननीय मंत्री, को बधाई देनी चाहिए —जो पूरे विश्व में कुवैत जाने वाले राजनैतिक व्यक्ति हैं तथा जो वहां केवल औपचारिकता के नाते ही नहीं गये बल्कि वहां अपने लोगों से मिलें, बैठकें की और यहां तक कि वहां फंसे लोगों को यहां लाए। यह एक बेहतर चेष्टा है, हम इसे यही संज्ञा दे सकते हैं। **(व्यवधान)**

हमें वहां तैनात अपने अधिकारियों को नहीं भूलना चाहिए। महोदय, मैं स्वयं अमान में था और मैंने देखा कि वहां केवल दो अधिकारी थे—राजदूत, प्रथम सचिव और थोड़े से कर्मचारी। वे वहां दिन-रात कार्य कर रहे थे, रात को वे बिना सोये दूतावास में ही रुके हुए थे। यहां तक कि वहां से भेजने की प्रारम्भिक अवस्था में भी वे हवाई अड्डे पर उन लोगों को ले जाने हेतु आ जा रहे थे और उनके लिए प्रबन्ध कर रहे थे। हमें वहां पड़ोसी देशों में विदेश सेवा के लोगों के साथ-साथ भारतीय समुदाय के लोगों को भी बधाई देनी चाहिए। अमान में भारतीय समुदाय के लोगों ने बिना किसी के कहे वहां आने वाले लोगों के बीवी-बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। हमें खेद है कि कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, परन्तु इतने लोग नहीं मरे जितना कि समाचार पत्र बता रहे थे। मैं इस समस्या से प्रभावित निर्वाचन क्षेत्र से हूं। उन्होंने यह खबर प्रकाशित की थी कि गोवा के 20 व्यक्ति मर गये है। आपने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल तीन व्यक्ति मरे हैं। कृपया इन लोगों के नाम बता दीजिए अन्यथा सभी यह सोचेंगे कि मरने वाले उनके रिश्तेदार हैं। कृपया उनके नाम बता दीजिए तथा शोक संतप्त परिवारों को संसद की ओर से संवेदना संदेश भेज दीजिए। यह सूचना लेने के लिए स्वयं मंत्री को वहां क्यों जाना पड़ा ? जब ऐसी सभी सूचनाएं आ रही थीं तो शुरू में ही सरकार ने यह सूचना क्यों नहीं दी कि केवल तीन व्यक्ति मरे हैं ? इससे केरल, गोवा, तमिलनाडु तथा देश के अन्य भागों में भय और उत्तेजना से बचा जा सकता था। यह स्पष्ट है कि आपने दिल्ली तथा बगदाद या कुवैत के बीच कई टेलीफोन सम्पर्क बनाए हुए हैं। आप कुछ जानकारी क्यों नहीं दे सके ? आपने लोगों को जानकारी प्रदान करने हेतु केरल और गोआ में कक्ष स्थापित किए हैं परन्तु यह बहुत दु:ख की बात है कि एक भी व्यक्ति को आप सूचना नहीं दे सके। वहां क्या हाल है इस बारे में वास्तविक जवाब जो हमें मिल रहे हैं, वे केवल साधारण तरह के हैं। लोगों के बारे में अलग-अलग हमें कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। फिर ये कक्ष स्थापित करने का दिखावा आप हमें क्यों दिखाते हैं ? महोदय, मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा कार्य किया है, जहाँ तक उनके बगदाद और कुवैत जाने का सम्बन्ध है मैं उन्हें एक बार फिर बधाई देता हूं। जहां तक उनके मास्को और वाशिंगटन जाने का सम्बन्ध है तो इस बारे में उनके प्रति मेरी भावनाएं मिश्रित हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वाशिंगटन तथा मास्को जाने के पीछे उनके क्या उद्देश्य थे और उनकी उपलब्धियाँ क्या रहीं। मुझे विश्वास है कि यदि केवल जानकारी प्राप्त करना ही उद्देश्य था तो आप यह जानकारी अपने राजदूतों के माध्यम से हासिल कर सकते थे। आजकल, आप 20वीं सदी के अन्त में रह रहे हैं। आपके पास टेलीफोन हैं ; उच्चतम स्तर पर राजदूत हैं ; यदि यह केवल जानकारी हासिल करने का ही प्रश्न

[श्री एडुआर्डो फलीरो]

था तो आप श्री बेकर से बात कर सकते थे, आप श्री शेवरनाद्जे से बात कर सकते थे। आप वहां क्यों गये? आपके उद्देश्य क्या थे और आपकी उपलब्धियां क्या थी? मंत्री महोदय के यात्रा मार्ग में एक भारी चूक हो गई। आप गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष से मिलने बेलग्रेड क्यों नहीं गए? आपने एक बहुत बड़ा वक्तव्य दिया है। मैं बार-बार मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। ज्यों ही वह अपनी कठिन यात्रा से वापस आए, वह 13 पृष्ठ की विस्तृत रिपोर्ट के साथ संसद में आए।

आप इस 13 पृष्ठ के वक्तव्य में देखेंगे कि इसमें गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का कतई जिक्र नहीं है। इस 13 पृष्ठ के वक्तव्य के अन्त में केवल पांच शब्द, गुट-निरपेक्ष तथा अरब लीग; का जिक्र बिना विस्तार के औपचारिक तौर पर किया गया था। प्रश्न यह है कि अब जब कि महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध समाप्त हो गया है। क्या आपका यह मूल्यांकन है कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की कोई भूमिका नहीं है। यदि आपका यह मूल्यांकन है तो हमारा यह मूल्यांकन नहीं है। आज गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की भूमिका पहले से कहीं अधिक है। इससे पहले हम कहा करते थे कि वास्तव में कुछ सदस्य इस गुट या दूसरे गुट के साथ हैं। आज यह प्रश्न ही नहीं उठता है। नासर, टीटो, नेहरू तथा गुट-निरपेक्ष सिद्धांत की नैतिक ताकत आज पहले से कहीं अधिक मान्य है। उस क्षेत्र में अन्य संघर्षों, ईरान-इराक संघर्ष के समय भारत ने जो कुछ किया, अब उससे बहुत अधिक विषमता है। उस संघर्ष में भारत ने शान्ति कायम करने के लिए पहल की थी। भारत की पहल गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की पहल बन गई। इस समय भारत क्या कर रहा है? इस समय गुट-निरपेक्ष आन्दोलन क्या कर रहा है?। मेरा प्रश्न यह है। फिर, अब और तब में भारी विषमता है। लाखों भारतीय इराक में थे और सूचना हासिल करने तथा उन्हें वापस लाने में कोई समस्या नहीं थी। अब यह सब हड़बड़ाहट और समस्यायें क्यों हैं? मैं समझता हूं कि इस सरकार और तत्कालीन सरकार के बीच इन सभी मुद्दों पर व्यापक मतभेद हैं। मैं चाहूंगा की सरकार गुट निरपेक्ष देशों द्वारा की गई पहलों को गंभीरता से लें। वहां अमरीकी सेनाओं महा शक्तियों की सेनाओं के वहां होने से इस समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। ये वही लोग है जो कह रहे हैं कि इराक को वहां से हट जाना चाहिए। निःसंदेह इराक को हट जाना चाहिए। लेकिन इराक ईरान लड़ाई के वक्त उन्होंने किसी के हटने की कोई बात नहीं की थी। वे दोनों पक्षों को शस्त्र सप्लाई कर रहे थे। अब इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। अमरीका वहां जर्मनी के एकीकरण, यूरोप के 1992 में होने वाले एकीकरण की वजह से है। वे वहां से आर्थिक रूप से सम्पन्न नई बड़ी ताकतों को अपनी स्थिति मजबूत करने देना नहीं चाहते हैं और इसीलिए वे वहां हैं और वे वहां से नहीं हटेंगे।

मंत्री महोदय को मेरा सुझाव है कि क्या आप वहां से महा शक्तियों के हटने और उनके स्थान पर वहां या तो अरब सेनाओं अथवा गुट निरपेक्ष देशों की सेनाओं को संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे के नीचे रखने पर जोर देंगे। यही हमारी नीति होनी चाहिए और मैं आशा करता हूं कि हमारी नीति नहीं बदली है।

अब इराक को भी निश्चित रूप से कुवैत से हट जाना चाहिए। क्या, मंत्री महोदय, तथा क्या सरकार विदेशी सेनाओं के हटने और अवैध कब्जा खाली करने संबंधी सुरक्षा परिषद् के सभी संकल्पों और संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी संकल्पों के कार्यान्वियन पर जोर देगी। विशेष रूप से, क्या मंत्री महोदय, इजराइल के वैस्ट बैंक और गाजा पट्टी, तथा लेबनान और सीरिया में अवैध रूप से कब्जा किये क्षेत्रों को खाली कराने पर जोर देंगे।

जहां तक तेल के संबंध में हमारे राष्ट्रीय हितों का सवाल है, हमें कुछ करना चाहिए और यह अच्छी बात है कि श्री आरिफ मोहम्मद खान वहां गये हैं और इसकी व्यवस्था की है। हमें इस बात

की पहल करनी चाहिए कि सभी विकास शील देश मिलकर ओ० पी० सी० (ओपेक) से बात करें तथा उनसे तेल की रियायती मूल्य पर सप्लाई के बारे में बात चीत करनी चाहिए । अन्यथा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है । हमारी अर्थ व्यवस्था नष्ट हो जाएगी । उन्हें हमारा समर्थन चाहिए । वे अरब राष्ट्र तीसरी दुनियां के देशों के साथ होने की बात करते हैं और उन्होंने हमेशा ऐसा कहा भी है । अतः हमें उनसे तेल को रियायती मूल्य पर सप्लाई करने के बारे में बात करनी चाहिए ।

जहां तक हमारे नागरिकों की बात है हमें कुवैत में रह रहे अपने नागरिकों को अपनी तरफ से हर तरह की सहायता देनी चाहिए क्योंकि हम उनके आभारी हैं । आज हमारे पास विदेशी मुद्रा का रक्षित भंडार लगभग 4,000 करोड़ रुपये है । यह कहना गलत नहीं होगा कि इस धन में से अधिकांश भाग में खाड़ी के अनिवासी भारतीयों का योगदान है । अतः यह बात ठीक नहीं होगी कि आप कुवैती दीनार की कीमत एकदम 65 रु० से कम करके 25 रुपये करके इन लोगों को और मुसीबत में डालें ।

दूसरे, यह जरूरी है कि आपको कम से कम इन लोगों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम चलाना चाहिए । वे आज वहां से आ रहे हैं, वे कल भी आयेंगे । खाड़ी की स्थिति पहले की तरह अच्छी नहीं है । लोग किसी न किसी दिन आयेंगे ही । मैं जब मंत्रालय में था तो मैं इस बात पर जोर देता रहा था और मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए लोगों की एक गोष्ठो आयोजित की थी कि ये लोग कैसे भारत में निवेश कर सकते हैं और भारत में व्यापार शुरू कर सकते हैं ताकि जब वे वापस आयें तो वे हमारी रोजगार की स्थिति के ऊपर भार न बनें ।

आपने कहा था कि केवल राष्ट्रीकरण ही पूछे जाने चाहिएं । मुझे जो कुछ कहना है मैं उसे यहीं समाप्त करता हूं और माननोय मंत्री से एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि इन सभी मुद्दों का उत्तर दें । आपको हमारा पूरा समर्थन मिलेगा ।

श्री समरेन्द्र कुंडू (बालासोर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं अन्य सदस्यों के साथ माननीय मंत्री का, इन कदमों को उठाने के लिए धन्यवाद करता हूं । जब उन्हें ऐसी चिन्ताजनक रिपोर्ट मिली तो वे तत्काल वहां से लिए चल पड़े और दूसरे केन्द्रीय मंत्री श्री आरिफ मोहम्मद खान भी वहां गये । दोनों ही हमारे लिए अच्छी खबर लाये हैं ।

जो रिपोर्ट श्री गुजराल ने इस सभा में प्रस्तुत की हैं, उसमें उन्होंने श्री आरिफ मोहम्मद खान को धन्यवाद दिया है । मैं इस परेशानी में था कि श्री इन्द्र कुमार गुजराल को कौन धन्यवाद देगा । यह अच्छी बात है कि विपक्ष के मेरे मित्र श्री एडुआर्डो फैलोरो और स्वयं मैंने उनके द्वारा उठाये गये कदमों के लिए उनका आभार प्रकट किया है ।

उनके दौरे से कई अच्छी खबरें मिली हैं । एक रिपोर्ट तो यह है कि सिवाय दो दुर्भाग्यपूर्ण मौतों से कम से कम हमारे लोग वहां सुरक्षित हैं । कम से कम हमारे उन लोगों को, जोकि वापस आना चाहते हैं, यहां लाने के संबंध में कुछ शुरूआत हुई है । वह मंत्री महोदय ने भी हमें यह बताया है कि हमारे लोग वहां सुरक्षित हैं । दूसरी बात यह है कि जिस तेल संकट के बारे में हम कह रहे हैं उसकी स्थिति बहुत खराब है ।

3.00 म० प०

रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीका और सोवियत संघ, दोनों ने हमें तेल के मामले में अतिरिक्त रूप से सहायता देने का वायदा किया है । इसके बावजूद···

उपाध्यक्ष महोदय : अब गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य शुरू करने का समय है । मैं समझता

हूं कि आप अगली बार इसे जारी रख सकते हैं। आज की कार्यवाही के अन्त में आधे घंटे की चर्चा की जानी है। मैं नहीं जानता कि क्या माननीय सदस्य 6.00 म० प० के बाद बैठकर इस पर चर्चा करना पसंद करेंगे।

कई माननीय सदस्य : जी हां, महोदय, केरल के अनेक माननीय सदस्य यह चाहते हैं। वे सभी चाहते हैं।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर): यह चर्चा नियम 193 के अधीन शुरू हुई थी और मैं समझता हूं कि इस वाद-विवाद के लिए 2½ घंटे निर्धारित हैं। यदि आप इसे आज नहीं कर पायें तो इसे सोमवार को क्यों न ले लिया जाये या यदि माननीय सदस्य सहमत हों तो सभा के समय को आज रात के लिए बढ़ाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यही बात मैं सभा से पूछ रहा हूं यदि माननीय सदस्य 6 00 म० प० के बाद बैठने को तैयार हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं।

कई माननीय सदस्य : हम इससे सहमत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर हम इसे 6.00 म० प० के बाद लेंगे। हम इसे आधे घंटे की चर्चा के बाद लेंगे जो कि 5.30 म० प० के लगभग शुरू होगी और 6.00 म० प० तक चलेगी। हम आधे घंटे की चर्चा के तुरन्त बाद इसे शुरू कर सकते हैं।

3.02 म०प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

आठवां प्रतिवेदन

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि यह सभा 22 अगस्त, 1990 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है: "कि यह सभा 22 अगस्त, 1990 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नाथू सिंह उपस्थित नहीं।

श्री वामन राव महाडीक उपस्थित नहीं।

श्री सुदाम दत्तात्रेय देशमुख आपका विधेयक क्रमांक 3 पर है।

3.03 म० प०

बौद्ध विवाह विधिमान्यकरण विधेयक*

श्री सुदाम दत्तात्रेय देशमुख (अमरावती) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बौद्ध कृत्यों और कर्मों के अनुसार अनुष्ठापित विवाहों की विधिमान्यता को मान्यता देने तथा उसके बारे में संदेह दूर करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बौद्ध कृत्यों और कर्मों के अनुसार अनुष्ठापित विवाहों की विधिमान्यता को मान्यता देने तथा उसके बारे में संदेह दूर करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुदाम दत्तात्रेय देशमुख : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.04 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक

अनुच्छेद 327 आदि में संशोधन

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.05 म० प०

इलेक्ट्रोपेथी चिकित्सा पद्धति (मान्यता) विधेयक

श्री जगन्नाथ सिंह (सीधी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने और उससे सम्बन्धित अथवा आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

* दिनांक 24.8.90 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने और उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक विषय के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[हिन्दी]

श्री जगन्नाथ सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

3·05½ म० प०

बाल कल्याण विधेयक*

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा और इससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा और इससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करताहूं ।

3.06 म० प०

नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) संशोधन विधेयक*

(धारा 2 और 3 में संशोधन)

श्री सुधाम दत्तात्रेय देशमुख (अमरावती) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

---

* दिनांक 24.8.90 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2 खण्ड-2 में प्रकाशित ।

** दिनांक 24.8.1990 के भारत के राजपत्र-असाधारण, भाग-दो, खण्ड-दो में प्रकाशित ।

"कि नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुदाम दत्तात्रेय देशमुख : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

3.06 म०प०

अनाज बोर्ड विधेयक (—जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयकों पर विचार करने और उन्हें पारित करने का मुद्दा उठायेगी। श्री यादवेन्द्र दत्त खड़े थे। वे अपना भाषण जारी कर सकते हैं।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : महोदय, मैं पिछली बार 10 मिनट तक बोला था। हम इस मुद्दे पर पहुंचे थे कि हमें किसान वर्ग और किसानों की दशा में सुधार करना है। नहरों और ट्यूब-बैलों की सिंचाई दरें एक समान होनी चाहिए। आखिरकार उन्होंने पानी की व्यवस्था नहीं की है। उन्होंने पानी पहुंचाने के लिए केवल रजवाहें बना दिये हैं। सरकार इससे अनुचित लाभ क्यों उठाती है? अत: दरें बिना लाभ हानि के आधार पर होनी चाहिए। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि प्राचीन एवं सबसे खराब पूंजीवादी प्रणाली अभी भी इस सरकार द्वारा एवं इससे पूर्व सरकार द्वारा अपनायी गयी है। अत: मैं मांग करता हूं कि वास्तविक निवेश के आधार पर सिचाई दरों में कमी की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : वे वास्तविक से भी कम हैं।

श्री यादवेन्द्र दत्त : यदि आप मेरे विधेयक को पढ़े, तो पायेंगे कि मैंने कहा है कि किसानों के लिए अनाज बोर्ड विधेयक का उद्देश्य कीमतें निर्धारित करना और दूसरे उपसाधन प्राप्त करना है। मैं अब पूरी बात प्रस्तुत करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सिचाई बिलों में छूट दी गयी है। सरकार द्वारा जो खर्च वहन किया जाता है, वे उससे कम हैं।

श्री यादवेन्द्र दत्त : नहीं, महोदय, मेरे राज्य में ऐसा नही है। हम इसके लिए उत्तर प्रदेश में संघर्ष कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा प्रत्येक जगह है।

श्री यादवेन्द्र दत्त : ट्यूब-वैल द्वारा की गई सिचाई की दरें नहर द्वारा की गई सिंचाई दरों से अधिक हैं। हम उसके लिए उत्तर प्रदेश में संघर्ष करते आ रहे हैं। अत: पानी की दरों के बारे में इस बात की गारन्टी होनी चाहिए। किसानों को बीजों की आपूर्ति की भी गारन्टी होनी चारिए। मैंने पिछली बार मंत्रालय से एक प्रश्न पूछा था। मैं बीजों के बारे में एवं विभिन्न संगठनों द्वारा सरकार को दी गयी बीजों की मात्रा के बारे में उनकी योजना जानना चाहता था। मुझे अभी तक इसका उत्तर नहीं मिला है। मैं समझता हूं कि बीजों की आपूर्ति बहुराष्ट्रीय कम्पिनयों द्वारा की जाती है। यदि बहु-राष्ट्रीय कम्पिनयाँ बीजों की आपूर्ति बन्द कर दें, तो क्या होगा? अत: बीजों की आपूर्ति का काम

[श्री यादवेन्द्र दत्त]

भी अनाज बोर्ड को दिया जाना चाहिए। एक स्वायत्त बोर्ड होने के नाते यह देखने की जरूरत है कि किसानों को बीजों की आपूर्ति उचित दाम पर की जाये। इसमें कोई मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ पशुओं और फसलों के लिए बीमा व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि इस देश में कृषि मानसून का जुआ है। यदि यहां वर्षा की कमी हो जाती है, तो अकाल पड़ जाता है और जब यहां अधिक वर्षा हो जाती है, तो सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। इसमें आप क्या करते हैं? सरकार कर्ज देती है जिसे तकावी कहा जाता है। जब व्यक्ति की कमर ही पूरी तरह टूट चुकी होती है, तो आप उसे कर्ज से लाद देते हैं। जब सरकार इसे वसूलना आरम्भ करती है, तो वह इधर-उधर भागता है, इसे स्थगित कराने के लिए एहसान लेता है। यह सब क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय : यादवेन्द्र दत्त जी, कृपया बुरा न मानें, मैं आपकी जानकारी में यह बात ला रहा हूं कि आपका विधेयक कीमतें निर्धारित करने के लिए, तथा खाद्यान्नों एवं उपसाधनों की अधिप्राप्ति के लिए एक बोर्ड की स्थापना करने के बारे में है।

(व्यवधान)

श्री यादवेन्द्र दत्त : कीमतें किस प्रकार निर्धारित होंगी क्योंकि आखिरकार किसान तो अकेला व्यक्ति है...।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो देश के पूरे कृषि क्षेत्र के बारे में चर्चा है। आप हमें बतायें कि यह किस प्रकार का बोर्ड होगा, इसमें कितने अधिकारी होंगे, इसके लिए आपको कितने धन की आवश्यकता होगी, आप वसूली कैसे करेंगे और इसे किस प्रकार वितरित करेंगे आदि-आदि।

श्री यादवेन्द्र दत्त : मैं इसी पर आ रहा हूं। मैं कृषि नीति के बारे में चर्चा करके ही अपनी बात स्पष्ट करने जा रहा हूं। अन्यथा मैं इसे किस प्रकार स्पष्ट कर सकता हूं?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपसे अपने विधेयक के बारे में ही बोलने के लिए कह रहा हूं।

श्री यादवेन्द्र दत्त : मैं अपनी बात संक्षिप्त कर रहा हूं। यदि यही तरीका है कि मैं यह वर्णन करूं कि इस पर कितना धन व्यय होगा तो यह सारा तो विधेयक में दिया हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सम्पूर्ण कृषि नीति के बारे में चर्चा नहीं कर सकते।

श्री यादवेन्द्र दत्त : मैं सम्पूर्ण कृषि नीति के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं। हमारी कृषि नीति इससे कहीं अधिक विस्तृत है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप हमें बोर्ड के विषय में बताइये।

श्री यादवेन्द्र दत्त : हाँ, महोदय। इसी कारण मैं बोर्ड में उन सभी चीजों को शामिल करने के लिए कह रहा हूं। मैं बोर्ड को केवल एक दुकान अथवा बैंकिंग व्यवसाय के रूप में स्थापित करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बोर्ड अपने आप में पूर्ण होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : एक बोर्ड पूरे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से कर सकता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है।

श्री यादवेन्द्र दत्त : आप मुझे उस बात को स्पष्ट करने की अनुमति दीजिए। परन्तु आप तो मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको उस बात को कहने की अनुमति दे रहा हूं। मैं दूसरे मुद्दों पर चर्चा करने को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री यादवेन्द्र दत्त : मैं इसे उस बोर्ड में शामिल करने का प्रयास करता हूं।

जैसा कि मैं कह रहा था हमें किसान को अपनी फसल की रक्षा करने के लिए बीमा सुविधा देनी चाहिए। उस उद्देश्य के लिए मैंने पहले ही अपने भाषण में कहा था कि बोर्ड के सदस्यों में बीमा कम्पिनयों के व्यक्ति भी शामिल किये जाने चाहिए जो बोर्ड को इसके काम-काज के बारे में सलाह देंगे। और उससे हम पशुओं एवं फसल के लिए बीमा की व्यवस्था कर सकते हैं जिससे कि बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। मैं यही बात कह रहा हूं। उस बोर्ड में एक अध्यक्ष और देश के तीन प्रकार के किसान इसके सदस्य होंगे, एक तो वे जिनके पास अतिरिक्त खाद्यान्न हैं, दूसरे मध्यम दर्जे के किसान जो अपने खाद्यान्न पर निर्भर रहते हैं और तीसरे वे किसान जो मुश्किल से तीन से छः महीने ही अपने खाद्यान्न पर निर्भर रहते हैं तथा इसके बाद अपना खाद्यान्न बाजार से खरीदते हैं। अतः मैं चाहता हूं कि बोर्ड में कृषि-अर्थशास्त्रियों के साथ-साथ बीमा कम्पनियों के व्यक्तियों को भी शामिल किया जाये ताकि वे बोर्ड को यह सलाह दे सकें कि किसान के पक्ष में बीमा नीति किस प्रकार तैयार करनी है। इसके साथ ही अध्यक्ष का पद, यद्यपि यह बात सरकार पर निर्भर करती हैं, ऐसे व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो कृषि के बारे में अच्छी प्रकार से परिचित हो, विशेषकर किसान के काम-काज के बारे में न कि उस प्रकार का विशेषज्ञ जैसा कि हमारे कृषि मंत्रालय में होता है। यदि आप मुझे अनुमति दें, तो मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। मेरे एक मित्र, जो अपने को कृषि विशेषज्ञ बताते हैं, ने मुझे बताया कि वे एक बीघा जमीन में इतना तम्बाकू पैदा कर सकते हैं जिससे किसानों को...लाभ हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने वह बात पिछली बार भी कही थी। मैं आपका भाषण अपने कक्ष से सुन रहा था।

श्री यादवेन्द्र दत्त : मैं इसे पुनः दोहरा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, श्रीमान्।

(व्यवधान)

श्री यादवेन्द्र दत्त : हमें बोर्ड में ऐसे व्यक्तियों को शामिल करना चाहिए जो कृषि से, अव्यवहारिक कृषि से नहीं, बल्कि व्यवहारिक कृषि से भली भांति परिचित हों। उन्हें ही बोर्ड में शामिल किया जाना चाहिए। अध्यक्ष का पद भी उन्हें दिया जाना चाहिए।

जहां तक वित्तीय पहलुओं का सम्बन्ध है, सरकार द्वारा इस बोर्ड को एक निश्चित राशि दी जानी चाहिए और बोर्ड को अपना कार्य करने दे। सरकार इस बोर्ड को उर्वरकों के वितरण का कार्य भी सौप दे और उर्वरकों में छूट दी जानी चाहिए। उर्वरकों में छूट देने से सरकार को क्षति होगी, वह क्षति उत्पादन से पूरी हो जायेगी। जो लाभ आपको उत्पादन से प्राप्त होता है, वह आपको निर्यात के द्वारा भी प्राप्त होगा। एक तरफ हानि दूसरी तरफ लाभ साबित होगी। इस बोर्ड को यह भी अधिकार मिलना चाहिए कि देश में मांग से अधिक उत्पादन की स्थिति में वह देश से बाहर इसे बेचने के लिए बातचीत कर सके। देश में तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न करने का अधिकार भी इस बोर्ड को मिलना चाहिए। तेल की समस्या हमारे लिए बहुत अधिक बाधाऐं उत्पन्न कर रही है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण इस आशा के साथ समाप्त करता हूं, कि जिन माननीय सदस्यों की किसानों के हितों में रुचि है, वे अपने सुझाव देंगे तथा इस विधेयक को और अधिक प्रभावशाली बनाने में उससे सहायता मिलेगी ।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में हिन्दुस्तान जो एक कृषि प्रधान देश है और दो तिहाई आबादी खेती करती है ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हमें एक बात समझ लेनी चाहिए । यह चर्चा कृषि विषय पर चर्चा नहीं है । यह चर्चा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पर है । इस विधेयक का उद्देश्य एक ऐसे बोर्ड का गठन करना है, जो अनाज की वसूली, उसका मूल्य निर्धारण तथा वितरण कर सके । कृपया अपनी चर्चा इसी तक सीमित रखिए ।

[हिन्दी]

श्री संतोषकुमार गंगवार : मैं यही बात कह रहा हूं, ज्यादा बोलूंगा भी नहीं । मेरे कहने का आशय, यह है कि देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है । हमारे यहां कृषि का हिसाब-किताब ऐसा है कि अगर किसी वर्ष हमारे यहां फसल अच्छी हो जाती है तो निश्चित रूप से उसका मूल्य बहुत कम मिलता है । उदाहरण के लिए 13 साल पहले जनता पार्टी की सरकार के समय गन्ने की फसल अच्छी हो गई थी तो गन्ने का भाव 3-4 रुपए प्रति क्विटल भी नहीं मिला था । मैं समझता हूं कि ऐसी बातें अक्सर सामने आती हैं और इनका कोई हल नहीं हो पाता । दुनिया के दूसरे देशों में जो लोग खेती करते हैं वे अच्छे पैसे वाले लोग होते हैं; लेकिन हिन्दुस्तान के अंदर खेती करने का मतलब है बेकारी, भुखमरी, गरीबी । इसलिए देश को निश्चित रूप से इस बारे में सोचना चाहिए कि कैसे हम खेती के स्तर को ऊपर उठाएं और खेती से जुड़े लोगों की आर्थिक हालत ठीक हो सके ।

इसमें जिस बोर्ड की बात कही गई है, मैं समझता हूं कि इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य यह है कि किस प्रकार से खेती से जुड़े किसान की समस्याओं को सही ढंग से हल किया जा सके, जिससे किसान की परेशानीं दूर हो । चाहे बीज के माध्यम से या उर्वरकों के माध्यम से अधिक पैदावार होने पर उचित मूल्य देकर किसानों की सहायता करना इस बोर्ड का मूल उद्देश्य है, इसकी मूल भावना है । यदि बोर्ड के गठन के बाद इन सारी बातों का समावेश इसमें किया गया तो काफी हद तक किसानों की सहायता हो सकेगी ।

अध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूं, वहाँ पर पास में ही पंत नगर विश्वविद्यालय है, वहाँ के आँकड़ों के मुताविक गेहूं का मूल्य क्या मिलना चाहिए, सरकारी आँकड़े वहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन हम देते कितना हैं । वास्तव में यदि हमने किसान को नुकसान पहुंचाने वाली बातों पर लगाम लगाई तो किसान को महसूस होगा कि वास्तव में देश के अन्दर सही चिंतन करने वाले लोग आ रहे हैं । आज तक यही होता आया है कि 5 सितारा होटलों में बैठ कर कृषि से सम्बन्धित बातों को तय किया जाता था, लेकिन आगे ऐसा नहीं होना चाहिए । मैं आज यहाँ पर बहुत ज्यादा न कहते हुए यही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इन सब बातों पर गम्भीरता से विचार करे और ऐसा स्वरूप प्रस्तुत करे कि हिन्दुस्तान के आम आदमी को, किसान को लगे कि वास्तव में जो सरकार चुन कर आई है, वह किसानों की समस्याओं को सही ढंग से सोच समझ कर हल करेगी ।

3.19 म० प०

[श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं]

इस तरह से किसानों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा, खेती से जुड़ने वाले गांव से जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, काम करने वाले लोगों का अच्छा स्वरूप प्रस्तुत होगा ।

सभापति महोदया, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए यही कहूंगा कि यादवेन्द्र दत्त जी ने बोर्ड गठन की जो बात यहां पर प्रस्तुत की है, इसके ऊपर सारे सदन को सही ढंग से विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि कैसे हिन्दुस्तान के किसान और आम आदमी की समस्याओं को हल करने का काम किया जा सकता है ।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद ।

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : सभापति महोदया, सबसे पहले मैं श्री यादवेन्द्र दत्त जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने निजी बिल द्वारा सदन में, अनाज की सुरक्षा, अनाज सुनिश्चित तरीके से रहे, के सम्बन्ध में अनाज बोर्ड बनाने की बात कही है । यह बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है । इन्होंने जो उद्देश्य और कारण बताए हैं वे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं । सदन में इस पर व्यापक रूप से विचार करने की आवश्यकता है ।

सभापति महोदया, आपने देखा होगा, आप बहुत समय से इस सदन की सदस्या रही हैं, जब-जब गांव और किसान की बात इस सदन में उठी है तब-तब, किसानों के उत्पादन के मूल्य का सवाल उठाया गया है । यह बात बार-बार उठती रही है कि किसान के उत्पादन का मूल्य तय करने के लिए व्यापारिक दबाव जितना रहता है उतना किसान का या उसके संगठनों का नहीं रहता है । यह दुर्भाग्य है कि जब-जब मूल्य तय किए गए, चाहे गन्ने का मूल्य हो, गेहूं का मूल्य हो, पेडी का, दालों का मूल्य हो तब-तब किसान के संगठनों को आमन्त्रित करने का प्रयास नहीं किया गया । यही कारण इन्होंने इस बिल में बताया है । जब किसान की फसल पकने लगती हैं, धान की बाली, गेहूं की बाली नीचे झुकी, मक्की पकी तो बनिए की दृष्टि बदल जाती है, क्योंकि उस वक्त तक उसका भण्डार खाली होता है । उस भण्डार को भरने के लिए और मुनाफा कमाने के लिए किसान को लूटने के लिए जब तक उसे सस्ता अनाज नहीं मिलेगा तब तक वह माला-माल नहीं हो पाएगा । इसलिए दाम गिरने शुरू हो जाते हैं । दिक्कत यह है कि जो सरकारें हैं उनकी दृष्टि भी व्यवसायियों के पक्ष में इतनी उदार हो जाती है कि सख्ती नही कर पातीं । जब किसान की फसल उठती है और कटकर खलिहान तक पहुंचती है तब तक दाम बहुत नीचे पहुंच जाते हैं । जो इन्होंने बोर्ड बनाने की बात कही है, यह बोर्ड बनना चाहिए । हमारे माननीय सदस्य ने केन्द्र में बोर्ड बनाने की बात कही है, मैं चाहता हूं सरकार कुछ और उपाय करे कि इस तरीके के बोर्ड केन्द्र में भी बनें और राज्यों में भी बनने चाहियें । यादवेन्द्र जी ने बोर्ड में जिन लोगों के शामिल होने की बात कही है, मैं चाहता हूं इसमें संशोधन करना चाहिए । इन्होंने कहा कि तीन संसद सदस्यों को, कुछ सरकारी कर्मचारी, जो कृषि से, सिंचाई से सम्बन्धित हो तथा केन्द्र के अधिकारियों को इसमें शामिल करना चाहिए । मैं कहना चाहूंगा कि इसे और व्यापक बनाया जाना चाहिए और किसानों की भागीदारी मूल्य तय करने के लिए होनी चाहिये । यह बहुत आवश्यक है । जो किसान संगठन है वह चाहे जिस पार्टी से, दल से सम्बन्धित हों, जिस देश से सम्बन्धित हों, मान लीजिए गन्ना उत्पादन, मूंगफली उत्पादन, पेड़ी, गेहूं, जूट, कपास, किसी से सम्बन्धित संगठन हो, जितने भी संगठन बने हों उन सबकी सदस्यता इसमें सुनिश्चित की जानी चाहिए । उन्हीं के जरिए बोर्ड बनना चाहिए, तभी जाकर किसानों को सही मूल्य दिलाए जाने के सम्बन्ध में व्यापक कदम, मजबूत कदम उठा सकते

[श्री राम लाल राही]

हैं । और जब नई फसल तैयार होने की स्थिति होती है और गांव का जो किसान उत्पादक है तो उसके घर में अनाज नही रह जाता है । यह बात सही है कि जब किसान के घर में अनाज आता है तो उसकी जो जरूरीयात हैं तो वह उस उत्पादन से पूरी करनी पड़ती हैं चाहे वह गन्ना, पेड़ी या तिलहन हो । निश्चित रूप से वह लड़की के ब्याह के लिए और पारिवारिक आवश्यकता पूरी करने के लिए उनको बेचता हैं और मजबूरी से बेचना पड़ता है और जब छह-आठ महीने बीत जाते हैं तो फिर खाने के लिए जरूरत पड़ती है और बाजार में जाना पड़ता है और जिस भाव से बेचता है तो उसे दुगुनी होकर यह चीज फिर लेनी पड़ती है । यह कठिनाई है । मैं कहना चाहूंगा कि यह बोर्ड बन जायेगा तो इस स्थिति से निपट पाओगे । जब किसान के घर में उत्पादन हो तो यह नहीं रुक सकता । यह रोकने का एक ही तरीका है । जो यह जमीन सगठन है वह जर्जर है और जो प्रशासनिक संगठन है इसमें संशोधन होना चाहिए । अगर चाहते हो कि गांव में खुशहाली हो तो उनकी आवश्यकतानुसार जब जरूरत पड़े तो सामान मिल जाए और जब वह अपना उत्पादन बे चना चाहे वह बेच सके या रख सके । यह जो प्रशासनिक ढांचा है तो इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है । यह जो ढांचा है यह बड़ा विस्तृत है । न्याय-पंचायत में कम से कम पांच गांव सभायें हैं और अधिक से अधिक दस हैं । इन ग्राम सभाओं में गांव स्तर के जो सरकारी कर्मचारी हैं वह दस से चौदह तक हैं । इन कर्मचारियों में लेखपाल, अमीन, कृषि अमीन, ग्राम-सेवक, पंचायत सैक्रेटरी, ट्यूबवेल आपरेटर और महिला स्वास्थ्य सहायक आदि हैं । मैं समझता हूं कि दस से चौदह के बीच में पहुंचते है । प्रशासनिक व्यवस्था के अन्दर प्रशासनिक ढांचा बना है और जैसा मैंने कहा कि दस ग्राम सभायें होती हैं । एक न्याय पंचायत पर एक ग्राम सेवक और एक पंचायत सेक्रेटरी एक न्याय पंचायत घर और एक लेखपाल एक न्याय पंचायत पर और अमोन सब पूरी पंचायत पर है । अगर इनमें से किसी कर्मचारी के बारे में कोई शिकायत या कोई जांच प्रक्रिया आरम्भ होती है तो इतने बचने के साधन हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है । पंचायत सेक्रेटरी गाँव में विकास की बात देखते हैं और एक सेवक की शिकायत मिलती है तो वहाँ से बी०डी०ओ० देखने वह पहुंचता है । उसको शो-काज नोटिस मिलता है कि आप नहीं गए । ग्राम सेवक जो है वह दूसरे ग्राम प्रधान से लिखवाकर दूसरे दिन बी०डी० ओ० के पास पहुंचा देता है कि मैं अमुक ग्राम सभा में अमुक गाँव में था । मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रशासनिक ढांचा काम चोर हो गया है । कि काम में कोई दिलचस्पी नहीं और दिक्कत यह है कि जो हमारी प्रशासनिक मशीनरी है वह पकड़ नही पाती है तो गांव का विकास कैसे हो । मैं चाहता हूं कि इससे परिवर्तन आना चाहिए । एक ग्राम सभा पर एक व्यक्ति को लगाना चाहिए और जितने काम हैं वे ऐसे काम नहीं हैं जो बड़े तकनीकी कार्य हों । जिनके लिए 6 महीने या दो-चार साल के प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, केवल 10-15 दिन के प्रशिक्षण की ही आवश्यकता हैं । लेखपाल का काम एक आदमी पाँच दिन में सीख सकता है कि कैसे बही भरी जाती है, कैसे खसरा भरते हैं । इसी तरह से स्वास्थ्य का काम पाँच दिन में सीख सकते हैं, पंचायत का रजिस्टर कैसे बनेगा, कैसे ग्राम सभा की कार्यवाही चलेगी यह पाँच-सात दिन में सीख सकते हैं । ग्राम पंचायत का काम सीखने की आवश्यकता नही है, क्योंकि किसानों के लड़के ही अधिकांशत: ग्राम सेवकों के पद पर काम कर रहे हैं । इनको अगर एक ग्राम सभा की जिम्मेदारी दे दी जाए और एक ग्राम सभा में एक व्यक्ति को ही लगाया जाए केटेगरी भले ही कर दीजिए, ए या बी फिर उसी व्यक्ति को स्टोर दिया जाना चाहिए, उसके लिए आवास बनाना चाहिए । जो गाँव का किसान अपना अनाज पैदा करे, गुड़ बनाये या शक्कर बनाए वह उस स्टोर में जमा करे और उचित मूल्य से वे चीजें बिकेंगी तो उसको भी लाभ होगा । सीमेंट, लोहा; सरिया जैसी मोटी-मोटी चीजें और दैनिक उपयोग की चीजें जो किसान की हैं उनको भी स्टोर किया जाना चाहिए ताकि उसको वहां से ये चीजें मिल सकें और वह अपना सामान भी उचित मूल्य पर बेच सके । इस तरह की कोई व्यवस्था की जाए तो मैं समझता हूं तब कई गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है, गाँव में सुधार हो सकता है और गाँव के किसान का शोषण रोका जा सकता है ।

जो आपने अनाज बोर्ड बनाए जाने की बात कही है वह राष्ट्रीय स्तर की बात है कि कहां गेहूं भेजना है, किस राज्य में चावल की कमी है तो वहां चावल भेजना है। इसके लिए अनाज बोर्ड होना चाहिए। इन चीजों का अच्छी कीमत पर लिया जाए और उस कीमत के अनुपात में ज्यादा मुनाफा न कमाते हुए उसे बेचा जाये। आप किसानों से गेहूं और चावल सस्ते दामों पर ले रहे हैं और तीस और चालीस फीसदी मुनाफा लेकर उपभोक्ताओं को सप्लाई कर रहे हैं, यह कितने शर्म की बात है। जब सरकार या सरकारी दुकानों पर मुनाफा लेकर चीजें बेची जायेंगी तो बनिया कैसे चूकेगा मुनाफा कमाने में, क्योंकि उसको कौन रोकेगा। आज इतने दाम बढ़ गए हैं इसका कारण क्या है इसका कारण ही यही है कि इसे रोके कौन। आपने शक्कर के दाम बढ़ा दिए तो जितने खण्डसारी और सल्फर पैदा करने वाले है उन्होंने भी दाम बढा दिए इसलिए कि अनको कौन रोकने वाला है। अगर आपने दाम नहीं बढ़ाए होते और अपनी को-आपरेटिव्ज मिल्स से निकली चीजों पर कण्ट्रोल करते तो दाम नहीं बढ़ते, लेकिन आप कण्ट्रोल नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि अगर आप दामों पर नियन्त्रण नहीं करेंगे तो 2 दिसम्बर, 1989 को यह सरकार बनी और 2 दिसम्बर, 1990 आने दीजिए इन सब चीजों के दाम बढ़ते जायेंगे जो किसान की जरूरत की चीजें हैं, क्योंकि आपके दिमाग में नियन्त्रण की बात ही नही है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। कहना नहीं चाहिए, आलोचना नहीं है, लेकिन यह सच्चाई है कि ये सब अपने झगड़ों में पड़े हुए हैं।

श्री यादवेन्द्र दत्त जो यह बिल लाए हैं और सरकार की जिस तरीके से मदद कर रहे हैं, वे लोग तो अपने झगडों में पड़े हैं, जातीय संघर्ष बढ़ा दिया, जातीय हिंसा बढ़ा दी, सड़कों पर झगड़े हो रहे हैं और यहां अपनी कुर्सी को बचाने के लिए झगड़े में पड़ रहे हैं।

सभापति महोदया, यदि ये झगड़े में पड़े रहेंगे तो मूल्य नियन्त्रण कौन करेगा? इसलिए मेरा कहना है कि सरकार चेते। यदि यह कुछ नहीं कर सकती है तो किसी प्रकार प्रशासनिक मशीनरी को पकड़ में ले ताकि मूल्य नियन्त्रण कर सके और कुछ तैसे उपाय या कानून जो इस सदन में सुझाए जाते हैं, उन पर गौर करे और उसके बाद कुछ ऐसा परिवर्तन करे जिससे गांवों के अन्दर खुशहाली हो। गांव के आदमी का शोषण न हो, उसकी दीन-हीन अवस्था का शोषण न हो उसको सही मूल्य मिल सके। यही मेरा कहना है और इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं कि निश्चित रूप से यह बोर्ड बनना चाहिए लेकिन केन्द्रीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्य स्तर पर बनाया जाए ताकि सरकार कुछ उपाय करे और जैसा कि हमारे माननीय सदस्य श्री यादवेन्द्र जी ने सुझाव दिया है कि इसमें जो किसान, मजदूर संगठन हैं, उपभोक्ता और उत्पादकों के संगठन हैं।...

सभापति महोदय : इस पर आप बोल चुके हैं। आप समाप्त करें।

श्री राम लाल राही : यही मेरा सुझाव है। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम मंगल पाण्डे (देवरिया) : सभापति महोदया, श्री यादवेन्द्र दत्त ने जो प्रस्ताव रखा है, देखने में इतना सुन्दर दिखता है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है और यह होना भी चाहिए। इस धरती पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको सरकार भी करना चाहती है, देश के गरीब लोगों के लिए होना भी चाहिए लेकिन जो व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, उनके बारे में हम सब को मिलकर सोचना चाहिए कि हम उसे करने में समर्थ हो सकेंगे या नहीं? यह बात सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना तक कृषि पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, चाहे कोई भी शासन में था। इसका नतीजा यह रहा कि

[श्री राम मंगल पांडे]

इस देश में जितने भी कृषि में लगने वाले चाहे मजदूर हों चाहे खेतिहर हों, उनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। परिणामस्वरूप देश में बाहर से अन्न मंगाना पड़ता था। आपको याद होगा कि पी० एल० 480 के तहत जो लाल गेहूं गांवों में मिलता था, वह काफी मात्रा में सड़ा हुआ निकलता था। कारण, आप हम सब मजबूर थे उसे खाने के लिए। चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद हमने अपनी भूल को सुधारा और कृषि की तरफ हमने ज्यादा ध्यान देना शुरू किया लेकिन आज भी जब आठवीं पंचवर्षीय योजना करीब-करीब शुरू होने वाली है, इस योजना के तहत हम ढाई या तीन गुना से ज्यादा अन्न की मात्र नहीं बढ़ा पाये हैं जबकि चीन और जापान में हमारे देश के मुकाबले में कई गुना अधिक अन्न पैदा हो रहा है। जो काश्तकार फसलें पैदा करता है उसकी सही कीमत उसे नहीं दी जाती है। इस बार सरकार ने गेहूं का मूल्य 215 रुपये प्रति क्विटल तय किया है और यदि आज गांव के बाजार में चले जाएं तो गेहूं 180-185 रुपए प्रति क्विटल के भाव बिक रहा है। इसलिए यादवेन्द्र दत्त जी ने जो बात कही है, वह अपनी जगह पर सही हैं लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि जब हम लेवी का गेहूं लेते हैं, गांवी से प्रीक्योर करते हैं, सरकार के द्वारा जितने सेंटर चलते हैं, उसका दाम 32-33 रुपये प्रति क्विटल कास्ट अधिक पड़ती हैं। अगर ये प्रीक्योरमेंठ सेंटर साल भर कायम करें तो अन्दाज कर सकते हैं कि फौजी जो सेना में काम करते हैं या सरकारी कर्मचारी हैं उनको हमको राशन पर देना पड़ता है हम पर कितना अधिक बोझ पड़ेगा। फिर उस गेहूं की कीमत कितनी मंहगी हो जाएगी और सरकार जब उसे बेचने की कोशिश करेगी तो क्या उस रेट पर कोई उसे खरीद पाएगा या नही खरीद पाएगा, यह सोचने वाली बात हैं। इसलिए साल भर हमारे प्रोक्योरमेंट सेंटर्स चल नही सकते, यह कठिनाई हमारे दुबे जी को पता होगी।

महोदया, हमने देश से गरीबी मिटाने का संकल्प लिया हैं और सदन में उस तरफ जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, उनकी ओर से गरीबी मिटाने के लिए जितने भी नारे लगाये गये, आज से 4 साल पहले तक इस देश में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 47 था और इस समय जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार वह प्रतिशत घटकर 33·7 या 34·7 रह गया हैं। मैंने इसी सदन में प्रधानमन्त्री जी से पूछा था कि क्या वे इस बात से अवगत हैं कि हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक दफा गरीबी की रेखा को पार करके ऊपर उठ गए, लेकिन दूसरा या तीसरा डोज जो सबसिस्टेंस का उन्हें दिया जाता है, उसके न मिलने के कारण, फिर से गरीबो की रेखा के नीचे आ गए हैं और आज 4 वर्ष बाद गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत फिर से बढ़ कर 47 परसेंट पर पहुंच गया है। इसका मतलब हुआ कि जो 5-6 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे थे, फिर से गरीबी की रेखा के नीचे पहुंच गए हैं। हमें अपने देश की पर-केपिटा इन्कम की तरफ ध्यान देना चाहिए कि एक परिवार की आय कितनी हैं। इस देश में एक करोड़ 20 लाख लोग हर साल बढ़ते जा रहे हैं। हमारी आवश्यकतायें दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। हमारे परिवार टूटते चले जा रहे हैं। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम अब पुराने जमाने की बात होकर रह गया है। उसका नतीजा हो रहा है कि हमारे खेत बंट कर टुकड़े-टुकड़े हो गए हैं जिससे पैदावार भी कम होती जा रही है। इन परिस्थितियों में, यदि इस देश की बहुत बड़ी आबादी खेती पर ही लगी रहती है तो अर्थशास्त्र का पहला सिद्धान्त यही कहता है कि जिस देश में खेती पर आश्रित लोगों की तादाद जितनी ज्यादा होगी, वह देश उतना ही गरीब होगा। आज भी इस देश की गरीबी में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

हमारे अब तक जितने प्लान बने, वैसे तो पहली योजना से लेकर आठवीं योजना तक हम बसा चुके हैं और उनसे कुछ लाभ भी हुए हैं, लेकिन वह लाभ उन लोगों को मिला है, जो एक नया वर्ग इस देश में पैदा हुआ है। योजनाओं का लाभ इस देश के गरीब, किसान, हरिजन, आदिवासी, पिछड़े लोगों और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को नहीं मिल सका है। यह लाभ उन्हीं लोगों को मिला है जिनके पास बड़ी-बड़ी खेती थी, जिनके पास केपिटल था जिनके पास पूंजी थी, जो इंटेन्सिवली कल्टीवेट करने में समर्थ थे, जो मैके- नाइज्ड फारमिंग कर सकते थे। योजनाओं का लाभ केवल ऐसे ही लोगों को मिला। आज हमारे सामने प्रश्न यह है कि जिनकी भलाई के वास्ते, जिनकी गरीबी मिटाने के वास्ते हम विचार कर रहे हैं, उनकी गरीबी क्या हम इसी तरीके से मिटा सकेंगे, जिस तरीके का जिक्र माननीय यादवेन्द्र जी ने किया है।

इस देश में जो कुछ पैदा करते हैं उसकी सही कीमत किसान को नहीं मिल पाती। हमारा किसान आज भी भगवान के भरोसे रहता है। अभी तक इस देश में 28-30 परसेंट सिंचाई के साधन यानी एश्योर्ड सिंचाई भी उपलब्ध नहीं है। आंकड़ों के अनुसार 17-18 परसेंट भूमि पर एश्योर्ड सिंचाई मुश्किल से होती है और अनएश्योर्ड सिचाई लगभग 11 प्रतिशत भूमि पर उपलब्ध है। कुल मिलाकर जहाँ 28-29 या 30 प्रतिशत भूमि ही सिंचाई के अन्तर्गत आती है, जहां अभी भी 72 प्रतिशत खेत असिंचित रह जाते हों, भगवान के भरोसे रह जाते हों, उस देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इस सरकार को अभी पता नहीं कितने वर्ष और प्रयास करना होगा, वह हमारे और आपके सहयोग और आयोजना पर निर्भर करता है। वैसे तो इसमें अनेक प्रावधान है जैसे देश में एक ग्रेन बोर्ड बनाया जाए और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि बनना चाहिए क्योंकि हमारे किसानों को लीन पीरियड में पैदावार की बहुत कम कीमत मिल पाती है, जैसे हमने गेहूं का मूल्य 215 रुपये निश्चित किया है परन्तु हमारे उत्तर प्रदेश में अनेक जगहों पर 180-185 या 190 रुपए ही उन्हें मिलते हैं। अब प्रश्न है कि जितने ग्रेन्स हैं, गेहूं हैं, चावल हैं, दालें हैं और जितने दूसरे अनाज हैं, उन सबको इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

हमारे सामने यह प्रश्न भी है कि साल भर यदि हम प्रोक्योरमेंट सेन्टर्स को रख नहीं सकते, तो फिर एक काम अवश्य कर सकते हैं कि कोआपरेटिव के माध्यम से, गाँव-गांव में, कुछ वेयरहाउसेज बनायें, कुछ कोल्ड स्टोरेज बना दें, लेकिन इनके लिए भी धन की आवश्यकता होगी। अब प्रश्न होगा कि धन कहां से आए। हमारे पास सीमित साधन हैं जिसके कारण हम देश में रेलवे का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, निजली का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, सड़कों का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश को प्रचुर मात्रा में स्टील की आवश्यकता है। स्टील का भाव तीन-चार साल में कम से कम 40-50 परसेंट बढ़ जाता है। हमारे देश में लोहे की भारी कमी महसूस की जा रही है। हमें आवश्यकता के अनुसार कोयला नहीं मिल पा रहा है और कोयला समय पर न पहुंचने के कारण हमारे अनेक थर्मल पावर स्टेशन बन्द हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, इन परिस्थितियों में, बावजूद बहुत सी अच्छी चीजों के रहने के, गरीबी मिटाने में सहायक होने के, हमें और आपको यह सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा करना व्यावहारिक है या नहीं। अभी हमारे रामलाल राही जी ने एक बात बिल्कुल सही कही कि इस देश के काश्तकारों की स्थिति तब तक नहीं सुधरेंगी जब तक हम कोई ऐसा आधार नहीं बना देते कि जो चीजें वे पैदा करते हैं।...

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : महोदय, पिछले डेढ़ घण्टा मैंने पुलिस और युवकों के मध्य बीच बचाव करने का प्रयत्न कर रहा था। मैं इस मुद्दे के गुण-दोषों पर भाषण नहीं दे रहा। परन्तु वास्तविकता यह है कि अगर विद्यार्थियों ने संसद का घेराव करने की घोषणा कर रखी थी तो पुलिस को इस दिशा में प्रबन्ध करना चाहिए था। मैं इस विषय के गुण-दोषों का वर्णन नहीं करना चाहता। परन्तु अभी-अभी जब मैं वहां पर खड़ा था और युवकों को वापिस जाने की अपील कर रहा था तथा पुलिस को लाठी-चार्ज न करने की अपील कर रहा था, तो मेरे सामने पुलिस को लाठी-चार्ज का आदेश दिया गया। मेरी आंखों के सामने उन्होंने अश्रु गैस के दो 'कैनिस्तर' विद्यार्थियों पर प्रयोग किया। अब हम यहां पर किस सम्बन्ध में और क्या चर्चा कर रहे हैं ? दोपहर 2.10 बजे से लेकर 3.45 तक मैं संसद के बाहर पुलिस और युवकों के मध्य खड़ा था। वे यह जानना चाहते हैं कि संसद में 'मंडल कमीशन' पर चर्चा कब होगी।

मैं आपको उनकी मांगों के बारे में बताता हूं (व्यवधान) मैं इस मुद्दे के गुण-दोषों की चर्चा नहीं करना चाहता। मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह रहा।

मैं केवल इतना कह रहा हूं कि वे यह जानना चाहते हैं कि संसद में इस पर चर्चा कब होगी। वह यह सोच रहे हैं कि संसद इस रिपोर्ट पर आज चर्चा करेगी। मैंने उनसे पूछा कि "यह आपको किसने बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें यह बताया गया है कि संसद आज इस मुद्दे पर चर्चा करने वाली है। मैंने कहा "नहीं, यह आज की कार्य सूची में नहीं है।" उन्होंने पूछा कि संसद इस पर कब चर्चा करेगी ?

इस प्रकार वहां पर यह सब चल रहा है। बेशक मेरी कार को रोका गया, जो कि एक अलग मुद्दा है। अन्त में मुझे अपनी कार वहां पर छोड़कर यहां आना पड़ा। पिछले डेढ़ घण्टे से मैं पुलिस तथा युवकों को रोकने का प्रयत्न कर रहा था। (व्यवधान) मैं इस विषय के गुण-दोषों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं, कृपया उसे समझने का प्रयत्न कीजिए। मैं केवल इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि भगवान के लिए उन लड़कों को यह बताने के लिए कुछ कीजिए कि इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करवाई जायेगी। इसके लिए कुछ कीजिए। परन्तु, उन युवकों पर लाठी-चार्ज मत कीजिए। उन पर अश्रु-गैस मत छोड़िए। यही सब अब वहां पर हो रहा है। (व्यवधान)

सभापति महोदया : चिदम्बरम जी, आपने अपनी बात कह दी है।

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (सीतामढ़ी) : लंच से पहले डिस्कस हुआ था, चिदम्बरम साहब आप उस समय हाउस में उपस्थित नहीं थे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदया, मैं केवल यह चाहता हूं कि आप सरकार को बता दें कि ऐसा जारी नहीं रह सकता। यह सोमवार को जारी रहेगा। अतः इस पर सहमति होनी चाहिए कि हम इस पर कब चर्चा करेंगे।

समापति महोदय : आपकी बात कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित कर ली गई है। सरकार इस पर विचार करेगी अब सदन की कार्यवाही आगे शुरू की जाए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री के० सी० त्यागी (हापुड़) : सभापति महोदया, मेरा कहना यह है कि पुलिस अपने कर्त्तव्यों का ठीक से पालन नहीं कर रही है। जो चिदम्बरम साहब कह रहे हैं, वह ठीक नहीं है। एम० पीज० को गाली दी जा रही है और मुट्ठी भर लोग देश की फिजा खराब करना चाह रहे हैं। (व्यवधान)।

[अनुवाद]

समापति महोदय : मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि आपकी सभी बातें कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित कर ली गई हैं। कृपया इसके विस्तार में मत जाइए मुझे आशा है कि सरकार और कार्य मंत्रणा समिति इस पर विचार करेगी। कृपया चर्चा जारी रखी जाए।

(व्यवधान)

श्री के० सी० त्यागी : वह संसद सदस्यों पर आरोप लगा रहे हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। आप क्या कह रहे हैं। मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं (व्यवधान)

समापति महोदय : ऐसी कोई भी बात मेरे ध्यान में नहीं आई है। श्री पाण्डेय आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री राज मंगल पाण्डे : सभापति महोदया, आज किसान की जिन्दगी में जो सबसे ज्यादा दिक्कत तलब चीज है, वह यह है कि जिन चीजों को वह पैदा कर रहा है, उनको उसे मजबूर होकर कहीं न कहीं सस्ते दाम पर बेचना पड़ता है चाहे वह परिस्थितिवश बेचे या बाजार के नीचे जाने की वजह से बेचे, उसे सस्ती बेचनी पड़ती हैं और जिन चीजों को उसे खरीदना पड़ता है जैसे लोहा, सीमेंट, ईन्टें, बांस, लकड़ी आदि इन सारी चीजों की कीमत तीन-चार साल में तिगुनी और चौगुनी हो गई है। ईंटों की कीमत तीन-चार साल पहले डेढ़-दो सौ रुपए प्रति हजार थी, लेकिन अब एक हजार रुपए की एक हजार मिलती हैं। अब जब यह स्थिति है, तो आप यह देखें कि आप किसान की जिन्दगी को कैसे बेहतर हालत में ला सकते हैं। वह अपना गेहूं 180, 185 और 190 रुपए प्रति क्विंटल में बेचे और ईंटें एक हजार रुपए की एक हजार खरीदे, 3 साल पहले सरिया 600 रुपए था, अब 1200 रुपए है, सीमेंट 105 रुपए में अवेलेबल नहीं है, इन परिस्थितियों में उसकी बेहतरी कैसे हो सकती है? इन विषम परिस्थितियों में उसके लिए कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। किसी भी सरकार के लिए, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करती है, उनकी रक्षा की बात करती है, उस सरकार को इन लोगों के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। आखिर इस देश में जो गरीब अपनी जिन्दगी बिता रहे हैं, जिन किसानों की जिन्दगी में परिवर्तन नहीं हुआ, तो फिर उन किसानों की जिन्दगी को हम कैसे बेहतर बना सकेंगे।

[श्री राज मंगल पाण्डे]

किसान जिन चीजों को पैदा करता है वह सस्ती बिकें, जिन चीजों को खरीरता है वह महंगी बिकें तो नतीजा यह होगा कि उसकी कमर टूट जाएगी। आज संयुक्त परिवारों के टूट जाने से, खेतों के बटवारे होने की वजह से, जानवरों की कीमतें ऊंची होने की वजह से गांवों में जो लोग दूसरों का ट्रैक्टर किराए पर लेकर चलाते हैं, आज उनकी जुताई, निराई इतनी महंगी पड़ रही है कि इसकी इन्तहा यह है कि किसान जो अपने खेत में लगाता है उसका जितना खर्च पड़ता है उस चीज को पैदा करने में शायद बाजार में उससे भी कम उसकी कीमत, उसकी लागत उसे मिलती है। इसलिए यादवेन्द्र जी का प्रस्ताव दिल से चाहने के बावजूद भी व्यवहारिक कठिनाइयों के बारे में हम सबको मिलकर सोचना होगा। आज तो यह नहीं हो सकता है लेकिन सरकार को समय पर कोई न कोई कार्यक्रम तैयार करना पड़ेगा, सदन के अन्दर और सदन के बाहर, कि हम आपके हित की करते हैं क्योंकि हम आपकी भलाई के लिए ही यहां आए हैं, आपकी भलाई के लिए चिन्तित हैं। जो व्यावहारिक कठिनाईयां हैं, उन्हें समय आते-आते हम पूरा करेंगे।

हर गांव में या कम से कम बड़े गांव में जिसकी आबादी चार हजार, पांच हजार है, उस गांव में एक वेयर हाउसिंग और एक कोल्ड स्टोरेज एक न्याय पंचायत में देंगे ताकि लोग अपना माल सुरक्षित रख सकें और बनियों के हाथों कम कीमत पर न दें। जो कुछ माल किसान पैदा करता है, वह ठीक समय पर कोल्ड स्टोरेज में आए और ठीक समय पर वह उसे बेच सके। आज टिमाटर बीस रुपए किलो दिल्ली में बिक रहा है। एक समय ऐसा होता है जब आठ आने, एक रुपए किलो भी लेने वाला कोई नहीं होता है।

इस तरह से केवल चार महीनों के पीरिएड में बीस गुना कीमत बढ़ती जा रही है। इसलिए इस प्रस्ताव को दिल से मैं चाहता हूं क्योंकि इसकी भावना बहुत अच्छी है। हर जगह में ग्रेन बोर्ड बने, हर जिले में भी बने, उसमें हमारे रीप्रेजेनटेटिव रहें लेकिन इसके लिए कोई समयबद्ध कार्य-क्रम तैयार होना चाहिए। मंत्री जी की तरफ से कोई आश्वासन मिलना चाहिए और इस आश्वासन की बात हमारे दूबे जी को भी सोचनी चाहिए कि व्यवहारिक कठिनाइयों के चलते इस संकल्प को इस सदन में रखकर पारित करवा दें तो क्या हम उन चीजों को दूर कर सकेंगे जो आज काश्तकार की रोजमर्रा की जिन्दगी में प्रोब्लम बनकर आ रही है? मेरी समझ में उनके जैसा आदमी जो खुद काश्तकार भी है, जमींदार भी रह चुके हैं, राजा भी रह चुके हैं, वे खुद अनाज पैदा करते हैं, उनके सामने क्या दिक्कत आती, है उन दिक्कतों को सोचते हुए और व्यावहारिक कठिनाईयों को सोचते हुए कोई न कोई रास्ता सबको मिलकर निकालना चाहिए।

यह बहुत बड़े विवाद की बात नहीं है, यह एक नेशनल इशू है, उस पर नेशनल कनसैन्सस होना चाहिए। समयबद्ध कार्यक्रम कैसे करें ताकि जिनकी भलाई के लिए हमने कुछ संकल्प लिए हैं, जिनके बल पर हम राज कर रहे हैं या सदन में बैठे हैं, हम उन संकल्पों को उनकी भलाई करके आर्थिक स्थिति को कैसे सुदृढ़ कर सकें, यह सबको विचार करना होगा और इसके लिए सबको मिलकर कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना होगा। व्यावहारिक कठिनाइयों को सोचते हुए समय आने पर यह सम्भव हो सकता है, 10-15 वर्ष के बाद ज्यादा प्रयोगात्मक ढंग से सोच सकते हैं लेकिन आज के समय में जो कठिनाइयां हैं हमारे रिसोर्सेस की, चाहे रेलवे में नई एक्सपैंशन कर रहे हैं, बिजली में, सड़कों में कर रहे हैं, जितनी भी चीजें देश की समृद्धि के लिए आवश्यक हैं और हम कर नहीं पा रहे हैं तो फिर उसमें समय लगेगा।

जब तक वे सारी चीजें नहीं हो जाती जो आर्थिक जीवन को ऊंचा करती हैं या जीवन को बेहतर बना सकती हैं तब तक यह संभव नहीं होगा। इन शब्दों के साथ एक तरफ मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं क्योंकि वे अच्छी भावना से इसे लेकर आए हैं, गरीबों की गरीबी को मिटाने के लिए लाए हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार की कठिनाइयों को देखते हुए कोई रास्ता सब मिलकर इस नए ईशू के नाम पर निकालें और इसको क्रश नहीं करें।

श्री प्रेम प्रदीप (नवादा) : माननीय सभापति महोदया, आज यह किसान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए भी एक गम्भीर मामला है।

यह ठीक है कि यहां किसानों की आबादी 80 प्रतिशत है। खेत मजदूर सहित सब जोड़कर यह आबादी 80 प्रतिशत होती है। यहां जो कृषि उत्पादन होता है, उस उत्पादन को हम कैसे समेट सकें और उससे किसानों व उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा सकें व उचित मूल्य पर अनाज मुहैय्या करा सकें तो उसके लिये सबसे जरूरी बात यह होती है कि इस सारे काम को सरकार स्वयं देखें।

अभी जिन सदस्यों ने इस पर विचार व्यक्त किये उन्होंने इसमें स्वीकार किया है हालांकि उसका नाम नहीं लिया गया है, वह बिचौलिया होता है। जिस समय किसान उत्पादन करता है और जब उसका अनाज घर में आता है उस समय बड़े-बड़े जमाखोर अनाज इकट्ठा कर लेते हैं और अपने अनाज को निकाल कर उसके रेट को गिरा देते हैं और बहुत कम कर देते हैं। ऐसा वह इसलिए करते हैं कि वह किसानों का अनाज सस्ती कीमतों पर खरीद सके और फिर जब किसानों के हाथ से वह अनाज निकल जाता है तो फिर उसे कई गुना कीमत पर उन्हीं उपभोक्ताओं को जिस में छोटे-छोटे किसान और खेत मजदूर भी आते हैं, उनके हाथों बेच देते हैं।

जहां तक इस बोर्ड के गठन का प्रश्न है सही बात है कि इस बोर्ड का गठन करके उन सारी खामियों पर कब्जा पाना होगा जिससे हम उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर वह अनाज मुहैय्या करा सकें और किसानों को भी लाभकारी कीमत मिल सके। किसानों को लाभकारी कीमत कैसे मिल सकती है इस पर भी जरा ध्यान देने की जरूरत है। जो किसान अनाज का उत्पादन करता है उसे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर अनावृष्टि होती है तब उनकी फसल धूं-धूं करके खेतों में रह जाती है और जब अतिवृष्टि होती है तो फसलें बह कर चली जाती हैं। ऐसे समय में अनाज की कीमतें बहुत ऊंची हो जाती हैं।

अभी हमारे साथी बता रहे थे अभी टमाटर की कीमत 20 रुपए किलो है और एक समय ऐसा आता है जब उसकी कीमत आठ आने, चार आने और एक रुपए से अधिक नहीं होती है। आपको कोई ऐसा तरीका सोचना चाहिए जिससे किसानों को अपनी चीजों की लाभकारी कीमत मिल सके और उसका माल भी सुरक्षित रह सके।

किसानों को अपनी बेटी का ब्याह या मां-बाप के मर जाने पर जो कोई रीति-रिवाज करना होता है उनको करने के लिए रुपयों की जरूरत पड़ती है। हमारे किसान वैसे भी पुराने रीति-रिवाजों को बहुत मानते है। ऐसे समय में वह अपने अनाज को सस्ते में बेच देते हैं। किसानों के ऊपर बहुत ऋण हो जाने पर भी वह अपने अनाज को सस्ते में बेज कर अपने ऋण को चुका देते हैं। इस चीज को कैसे रोका जा सकता है इसके लिए मैं एक सुझाव आपको देना चाहता हूं। जिस किसी किसान को किसी समय भी रुपयों की जरूरत हो उस समय यह बोर्ड उनका अनाज जमानत पर रख कर उनकी मदद करे जिससे उनका अनाज कम कीमत पर न बिक सके और उसकी सुरक्षा हो सके।

[श्री प्रेम प्रदीप]

दूसरी बात यह है कि किसानों की समस्याओं के साथ-साथ देश की जनता के तमाम पहलुओं को भी देखना होगा।

4.00 म० प०

लेकिन जैसा हमने कहा कि इसका लागत मूल्य कैसे निकलेगा, बहुत सारी ऐसी कीटनाशक दवाईयां हैं, जिनकी कीमत बहुत बढ़ गई हैं और मैं उस क्षेत्र से आता हूं, जहां कीटनाशक दवाईयां काफी मात्रा में प्रयोग की जाती हैं। हम कह सकते हैं कि सब्जी में पूरे भारत में हमारा जिला अपना एक स्थान रखता है, जहां कीटनाशक दवाईयों का काफी प्रयोग किया जाता है। फसल को बचाने में जितना खर्च किया जाता है, उस हिसाब से किसान को कीमत नहीं मिल पाती है।

साथ ही साथ खाद की कीमत जिस तेजी से बढ़ रही है और जब तक किसान खाद नहीं डालेगे तब तक पैदावार नहीं होगी, जब तक खेत को पानी नहीं मिलेगा, पैदावार नहीं होगी, जब इन सब सुविधाओं को वह मुहैया करेगा, तो किसानों को लाभकारी मूल्य देना होगा तब हम विशेष फल की आशा रखेंगे जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा और अनावृष्टि अथवा अतिवृष्टि के समय या बाढ़ आने पर बह जाने पर या सूखा पड़ जाने पर भी हम उस अनाज को एक निश्चित रेट पर बराबर देते रह सकेंगे, यह करना चाहिए तो यह तो ठीक है।

यहां केन्द्र की तरफ से इसनें बोर्ड के गठन की बात की गई है, ठीक है। हम ऊपर से सोचते हैं, अच्छी बात है लेकिन साथ ही साथ हम इसका जनरलाइज भी करें यानी उसको और नीचे की तरफ ले जायें, इसको सर्वसाधारण के लिए बनायें तब हमको देखना होगा कि यह स्टेटवाइज हो सकता है, डिस्ट्रिक्टवाइज हो सकता है, सबडिवीजन वाइज हो सकता है, ब्लाकवाइज हो सकता है, ग्राम स्तर पर हो सकता है, किस तरह से हम किसान के माल को सुरक्षित रखकर उनको सही कीमत देकर लोन पहुंचायें।

कारखानों के अन्दर जितना माल पैदा होता है, चाहे वह खाद हो या कृषि औजार हों, चाहे ट्रैक्टर हो, कुदाल हो, बहुत तरह का सामान होता है तो करखनिया माल की कीमत में और किसान जो पैदा करता है उसके लागत मूल्य में जमीन और आसमान का अन्तर होता है। करखनिया माल को कभी नुकसान नहीं हो सकता, यह मैं दावे के साथ कहता हूं लेकिन जो किसान पैदा करता है, उसको पग पग पर नुकसान हो सकता है, उसको नुकसान का भय बना रहता है और वह उसका शिकार होता है। जहां 80 प्रतिशत किसान हों और उनकी दयनीय अवस्था हों तो हमें देखना चाहिए कि उनकी दशा क्या है, उनकी हालत क्या है, उनकी गरीबी क्या है, अगर हम इस ओर देखेंगे तो हमें उनकी हालत पर आश्चर्य सा होगा। सही माने में जब तक किसानों की खेती का विकास नहीं होगा, किसानों को लाभकारी कीमत नहीं मिलेगी, तब तक हम हमारे देश का विकास नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इधर हमने जो अब तक पढ़ा है, राष्ट्रीय मार्चे की सरकार ने जो अब तक किसानों को आश्वासन दिया है कि हम 45 प्रतिशत पैसा बजट का खेती पर व्यय करेंगे तो यह बहुत खुशी की बात है लेकिन क्या होगा, हम पूछना चाहेंगे।

अगर यह हो जाय, हमारा देश गांवों का देश है और जब गांवों का विकास होगा, शहर तो उंगली पर गिनने लायक है, जब गांव का विकास होता है तो इसका मतलब होता है, किसानों का विकास, खेतिहर मजदूरों का विकास, बढ़ई और कारीगरों का विकास, जो उसमें लगे हुए हैं, उन

तमाम लोगों का विकास, इसका मतलब होना है, पूरे देश का विकास ।

अगर मुट्ठी भर लोगों का विकास हम करना चाहते हैं तो टाटा का विकास होगा, बिड़ला का विकास होगा, डालमिया का विकास होगा, सिंघानिया का विकास होगा, 4-5 लोगों का विकास हो सकता है लेकिन हम चाहेंगे कि बोर्ड का गठन हो, इसमें जो बातें रखी गई हैं उसमें पार्लियामेण्ट के भी तीन मेम्बर्स होंगे... लेकिन पार्लियामेंट के मेम्बर कैसे हों ? मैं यह कहना चाहता हूं, कि जिनको किसानी के बारे में मालूमात हो, जिनको किसानी के बारे में जानकारी हो, वे हो सकते हैं। ए बी सी डी को यदि आप रख देंगे, जिनको जानकारी नहीं होगी, तो वह मूल्य कैसे निर्धारित करेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कारखाने में उत्पादित हुई वस्तु का मूल्य कारखाने का मालिक तय करता है, लेकिन जो वस्तु खेती में पैदा होती है, तो उसका मूल्य किसान तय नहीं करता है। मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, कृषि मंत्री हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस पर ध्यान देना होगा कि कृषि उत्पादन मूल्य का निर्धारण करते वक्त किसानों का प्रतिनिधि भी होना चाहिए, उसका प्रतिनिधि भी होना चाहिए। बोर्ड के गठन के बारे में बहुत सी बातें पहले भी आ चुकी है और मेरे विचार रखने का समय भी समाप्त हो रहा है, इसलिए सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदया, अभी जो माननीय सदस्य, श्री यादवेन्द्र दत्त जी, द्वारा अनाज बोर्ड विधेयक लाया गया है, उसके ऊपर मैं कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा।

सबसे पहली बात तो यह है कि यह विधेयक सरकार की तरफ से आना चाहिए था, लेकिन हमारे माननीय सदस्य ने यह विधेयक लाकर किसानों के हित की बात कही है। इसके पहले कि मैं अपने विचार प्रस्तुत करूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले भी सरकार की तरफ से एक निगम बनाया गया था—भारतीय खाद्य निगम और इस भारतीय खाद्य निगम का भी यही उद्देश्य था और इसी सदन में उसको स्वीकृति मिली थी। उसका उद्देश्य यह था कि किसानों की जो फसलें हैं, उनको व्यापारी समुदाय की लूट से बचाना। हुआ क्या ? हुआ यह कि उसके बनने से कुछ मुट्ठी भर लोग, जो उनके अन्दर काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी तथा ठेकेदार लखपति और करोड़पति तथा जिसके लिए यह निगम बना था, वह किसान निर्धन का निर्धन ही रहा। बोर्ड बनाएं या निगम, उससे क्या होता है, क्योंकि यह सरकार की इच्छा के ऊपर निर्भर है। अगर सचमुच सरकार किसान के पक्ष में है, तभी सरकार किसानों के बारे में सोचेगी और उनके लिए कदम उठाएगी।

आप कहते हैं कि किसानों के हित के लिए काम करते हैं, तो आपको बताना होगा कि किसानों के हित में क्या काम किया। आजादी के इतने वर्षों के बाद तक एक पार्टी की सरकार रही, दुनिया में किसी और पार्टी की इतनी मजबूत सरकार नहीं रही, जहां पर लोकतंत्र की बात कही जाती हो, इतने लम्बे समय तक रहने के बावजूद भी उसने किसानों के लिए क्या किया ? इस बात को मद्दे नजर रखते हुए, यह बोर्ड बनाना चाहिए।

सभापति महोदया, मैं किसान के घर से आता हूं। हमारे परिवार के लोग खेती पर निर्भर हैं, क्योंकि उनका दूसरा कोई पेशा नहीं है। एक पेशा हमारा राजनीति है, यह एक अलग बात है, लेकिन एक किसान जो किसानी करता है, वह उसके बारे में सब कुछ जानता है।

आज कृषि को करने में बहुत तरह के खर्च बढ़ गए हैं। आधुनिकी खेती हो रही है और अब

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

इसमें जितनी अधिक पूंजी लगाई जाएगी, उतना ही पैसा अधिक होगा। पहले की तरह अब खेती नहीं होती है, रोप दिया, छोड़ दिया और बात खत्म हो गई। मान लीजिए—जैसे बैल हैं, उसकी कीमत दस बरस पहले से इस वक्त चौगुनी हो गई है। जो ट्रैक्टर पहले 50 हजार रुपए का मिलता था अब डेढ़ लाख रुपए का मिलता है। दूसरी चीजें, केमीकल्स, खाद, दवाइयां आदि सब महंगी भी हो गई हैं और साथ-साथ नकली भी मिलती हैं।

मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि 4 वर्ष पहले बिहार में ऐसा खाद वितरित किया गया जिससे पौधे जल गए और सरकार को मुआवजा देना पड़ा और उस खाद को सप्लाई किसने किया था, श्री तपेश्वर सिंह, जो उस वक्त चेयरमैन थे, इस तरह से कांग्रेस के बड़े-बड़े मगरमच्छ उसमें थे। मैं किसी पर लांच्छन लगाने के लिए यह बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन किसानों के हित की बात तो कहनी ही पड़ती है।

आज आप किसानों के हित के लिए अनाज की कीमत 500-600 रुपए प्रति क्विंटल कर दीजिए, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, गरीब तबका मारा जाएगा, इसलिए हमको विचार करना होगा कि किस तरह से लाभकारी मूल्य दिया जाए जिससे किसान का भी लाभ हो और उपभोक्ता भी प्रभावित न हो। कारखाने में जो चीज पैदा होती है, उसका मूल्य कारखाने का मालिक तय करता है, लेकिन किसान की पैदावार का मूल्य व्यापारी तय करता है या सरकार तय करती है। हम इस पक्ष में नहीं हैं कि अनाज का मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल हो जाए जिससे उपभोक्ता प्रभावित हों, लेकिन इस तरह का लाभकारी मूल्य चाहते हैं जिससे उपभोक्ता पर भी असर न पड़े और किसान पर भी असर न पड़े।

लेकिन आप नहीं करेंगे, आपकी ऐसी नीयत नहीं है। सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से भी कम कीमत पर अनाज बिकता है, तो फिर लाभकारी मूल्य सरकार द्वारा तय करने का किसान को क्या लाभ हुआ। अभी हमारे माननीय सदस्य ने बताया कि गेहूं की कीमत सरकार ने 200 रुपए तय की, लेकिन मार्केट में गेहूं 180 रुपए प्रति क्विंटल बिका, ऐसे सपोर्ट मूल्य से क्या फायदा हुआ। इस तरह से पहले भी आप फेल्योर हुए हैं तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि बोर्ड बनने के बाद काम ठीक से हो सकेगा।

इसलिए मैंने पहले कहा कि पहले आपको नीयत ठीक करनी होगी, तभी आप इस बोर्ड को स्वीकार कर पाएंगे और अच्छी तरह से काम कर सकेंगे। बोर्ड के जरिए किसानों की पैदावार का मूल्य निर्धारित हो। आज मूल्यों का निर्धारण बड़े-बड़े आई० ए० एस० आफिसर करते हैं, जो कहते हैं कि हम कृषि के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन किस तरह से जानते हैं, जिस तरह से चार विद्वानों ने नदी पार करने के लिए नदी का पानी जो कहीं 3 कहीं 4 और कहीं 6 फुट था, उसका एवरेज निकाल लिया था और सब डूब गए थे।

इस तरह का एवरेज कृषि के बारे में नहीं निकाला जा सकता। बोर्ड बनाकर खेती का मूल्य निर्धारित करने के लिए आधुनिक ढंग से खेती करने वाले किसानों को उसमें रखिए, अफसरों को भी रखिए, उपभोक्ता जिसने अनाज का उपयोग करना है, उसको भी रखिए और फिर मूल्य निर्धारित कीजिए। अध्यक्ष तो आपको ही चुनना है, यह बात सही है, लेकिन कामयाबी तभी मिलेगी जब किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य, लाभकारी मूल्य मिलेगा। किसान कोई व्यापारी नहीं है। अगर

व्यापारी कोई फेल हो जाता है तो उसको मुआवजा मिल जाता है। उसने इंश्योरेंस कराया होता है। मान लीजिए, कोई जीप खरीदते हैं उसका इंश्योरेंस करवा देते हैं, जीप को ठोकर लगा कर 50 हजार इंश्योरेंस कम्पनी से निकाल लेते हैं। लेकिन किसान कितना हिम्मतवाला है, यह इस बात का सबूत है।

तीन साल पहले हमारे यहां बाढ़ आयी और उसने पूरे संसदीय क्षेत्र को बरबाद कर दिया। आधी फसल तैयार हो चुकी थी, उसको बरबाद कर दिया। उसको देखने के लिए हमारे बिहार के मंत्री और विधायक, जो कांग्रेस के थे, हैलीकॉप्टर से आए। जो बरबादी हुई थी उसकी भरपाई आज तक नहीं हुई। क्या यह किसान पक्षी सरकार है ? गत वर्ष सूखाड़ आ गया और इस साल पूरे क्षेत्र में धान की फसल खराब हो गयी, खत्म हो गयी। हम चाहते हैं कि बोर्ड में यह भी प्रावधान हो, खाली अनाज इकट्ठा करना और मूल्य निर्धारण करना ही उसका काम न हो, बल्कि उसमें यह भी हो कि जहां पर इस तरह की बरबादी हो फसल बीमे के द्वारा इसकी भरपाई हो। जो नुकसान हुआ है, उतना मुआवजा दिलाया जाए, तभी किसान को राहत मिलेगी।

आज किसान को राहत नहीं मिल रही है। किसान फसल उगाते हैं, अगर फसल उग गयी तो आपका भण्डार भर गया, आप भी कहने लगे कि आपका भण्डार लबालब भरा है। इस तरह की हालत अगर देश में बनती रही जैसे 6 वर्ष पहले थी, मैं सरकार से कहूंगा कि उस स्थिति में लौटने की जरूरत नहीं है। हमारी जो आर्थिक नीति तय है वह कृषि पर आधारित है। भारत कृषिप्रधान देश है। बोलने में कितनी बढ़िया बात है, लेकिन सचमुच में भारत कृषिप्रधान देश नहीं है। अगर होता तो सरकार कृषकों का ध्यान रखती। पिछले 42 वर्षों तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस सरकार को ध्यान देना चाहिए था। इस सरकार का कृषकों की तरफ खास ध्यान नहीं है।

मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मेरा कहना यह है कि फसल बीमा योजना लागू की जाए। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूं। जिस इलाके में फसल एकदम समाप्त हो गयी, खरीफ फसल नहीं है, सरकार वहां का सर्वे करवाए और सर्वे करवा कर किसान को उसकी लागत का मूल्य दे। मैंने पूरे संसदीय क्षेत्र को देखा, पूरा संसदीय क्षेत्र साफ है। जिस किसान की तीन-तीन साल से यही हालत होगी, उसका क्या हाल होगा ? उसकी बेटी की शादी रुकी हुई है, उसके बेटे की पढ़ाई रुकी हुई है, उसकी लड़की 22-24 वर्ष की हो गयी है, लेकिन वह शादी नहीं कर पा रहा है!

इसलिए मैं कहूंगा कि बोर्ड का तो हम समर्थन करते हैं लेकिन सरकार से मांग करते हैं कि अगर सरकार सचमुच किसान पक्षी है, जो बिल माननीय सदस्य लाए हैं, इसे मान लेना चाहिए और इसे सरकारी बिल में परिणित करना चाहिए। यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

4.20 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नीथाला (कोट्टायम) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए अनाज बोर्ड आवश्यक है। यह सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। और किसान राष्ट्र का मेरूदण्ड हैं। हमारे राष्ट्र में किसान इसलिए नुकसान उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें लाभप्रद कीमतें नहीं मिल रहीं। आजकल खेती एक लाभप्रद व्यवसाय नहीं है क्योंकि इसमें उत्पादन लागत बहुत अधिक है।

[श्री रमेश चेन्नीथाला]

अत्यधिक उत्पादन लागत को देखते हुए लोग अपने इस प्राथमिक व्यवसाय से अन्य व्यवसायों की ओर जा रहे हैं। इसके अलावा बिचौलिये किसानों का शोषण कर रहे हैं। उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह ठीक ही कहा गया है कि फसल काटने के समय व्यापारी लोग किसानों का हर तरह से शोषण करते हैं और उन्हें लाभप्रद मूल्य नहीं मिल पाते। किसानों के लिए लाभप्रद मूल्य और उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस प्रकार के बोर्ड के गठन की आवश्यकता हैं।

इन किसानों को बिचौलियों और व्यापारियों के चंगुल से बचाने के लिए इस बोर्ड से बहुत सहायता मिलेगी। किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए यह बोर्ड अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि विधेयक के प्राथमिक उद्देश्यों में दिया गया है, खाद्यान्नों की मूल्य नीति तीन तरफा होनी चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाना। सरकार द्वारा खाद्यान्नों की खरीद और उपभोक्ताओं के लिए बिक्री मूल्य तय करना।

केरल में सरकार फसल कटने के पश्चात् धान की खरीद कर रही है लेकिन, उन्हें पर्याप्त मूल्य नहीं मिल रहा है। जहां तक धान की खेती का संबंध है, किसान और वह सभी लोग जो इसकी खेती के कार्य में लगे हैं, काफी नुकसान उठा रहे हैं। जिसके कारण क्योंकि खेती की लागत बहुत ज्यादा है, इस कारण धान की खेती को छोड़कर वह अन्य धंधे अपना रहे हैं।

जहां तक सिंचाई सुविधाओं का संबंध है, किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। कुछ क्षेत्रों खेती के लिए पानी की निकासी आवश्यक है। किसानों को मानसून की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। चाहे मानसूनी वर्षा कम हो या वहां बाढ़ आ जाये दोनों स्थितियों में किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अतः फसल बीमा बहुत आवश्यक है। बिना फसल बीमा के हम किसानों की मदद नहीं कर पायेंगें।

विधेयक में हमारे समाज के विभिन्न वर्गों संसद सदस्यों विधायकों और अन्य लोगों के प्रतिनिधित्व को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। इसके अलावा मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि अधिकारियों का और अधिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है। ऐसा मेरा मानना है। विधेयक में किसानों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा चार सदस्यों को नियुक्त करने का प्रावधान है। इस संख्या को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। इसमें आवश्यक रूप से छह सदस्य होने चाहिए और इनमें से तीन सीमान्त किसान होने चाहिएं अन्यथा इसमें सभी बड़े किसान शामिल कर लिये जायेंगे। सीमान्त किसानों के हितों की रक्षा के लिए हमें किसानों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना होगा और छह में से तीन सीमान्त किसान होने चाहिए। कृषि श्रमिकों का प्रतिनिधित्व भी आवश्यक है क्योंकि खेतों में काम करने वालों को भी बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए जिससे उपयोगी चर्चा हो सके और वह बोर्ड में ही अपनी बात कह सकें।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। किसानों के हितों की रक्षा के लिए और किसानों को बिचौलियों और व्यापारी समुदाय के शोषण से बचाने के लिए यह बोर्ड आवश्यक है।

[हिन्दी]

श्री मान्धाता सिंह (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के हित में कितनी दिलचस्पी है इस

सदन में यह यहां की उपस्थिति से ही स्पष्ट हो रहा है। अभी दोपहर में काफी चिन्ता थी गरीबों के लिए, आरक्षण की चिन्ता थी, आरक्षण के समर्थन और विरोध में चिन्ता थी। यादवेन्द्र दत्त जी एक क्षेत्र में राजा साहब कहे जाते हैं।...

श्री यादवेन्द्र दत्त : राजा होना पाप थोड़े ही है।

श्री मान्धाता सिंह : मैं पाप नहीं कह रहा हूं। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं जौनपुर का भी निर्वाचित प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश विधान सभा में रहा हूं और हमारे वोटर राजा साहब रहे हैं। यह श्रेय राजा साहब को है कि उन्होंने यहां किसानों के हित की बात की, वे स्वयं भी किसान हैं। लेकिन जो दम्भ से कहते हैं कि हम किसान के बेटे हैं वे कोई श्रेय नहीं ले जा सके इस विधेयक को प्रस्तुत करने में। इसके लिए मैं राजा साहब को बधाई देता हूं। आजकल राजा साहब शब्द अपमानजनक नहीं है, बहुत सम्मानजनक हो गया है।

पहली बात जो मैं रेखांकित करना चाहता हूं वह यह है कि जब तक भूमि-सुधार सही मायने में क्रियान्वित नहीं होते, तब तक गरीबी दूर करने की बात करना किसानों के नाम पर रोना रोना, यह बिलकुल बेकार है, बेमानी है।

इस सरकार ने/संविधान की नौंवी अनुसूची में संशोधन करके भूमि-सुधार के कानून को डालकर एक आशा की किरण जगाई है, हालांकि मैं इसे बहुत क्रांतिकारी नहीं मानता इसके लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन एक आशा की किरण जगी है कि भूमि-सुधार की दिशा में हम लोग गम्भीर हो रहे हैं। मैं इस बात पर बल दे रहा हूं कि बिना जमीन जोतने वाले के हाथ में सारी जमीन है। जैसे मेरे नाम जमीन है मैं यहां संसद सदस्य हूं या कालेज का प्रिंसीपल हूं और पांच पेशे अख्तियार करूं, लेकिन लेखपाल के कागज में मेरे नाम जमीन है तो मुझे कोई राजनीतिक, संवैधानिक अधिकार उस जमीन के मालिकाना हक का नहीं होना चाहिए। यह मूल सिद्धांत होगा और ये बातें तब होंगी जबकि माननीय प्रधान मंत्री जी अनेक बार घोषणा कर चुके हैं कि शीघ्र ही वे इंडस्ट्रीयल पालिसी रेजोल्यूशन की तरह वह एक कृषि नीति सम्बन्धी घोषणा भी सरकार की ओर से करने वाले हैं। वह चिर-प्रतीक्षित है। वह जितनी जल्दी हो उतनी आवश्यक है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान को सब लोग कहते हैं कि वह यहां की अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। यह एक मुहावरा बन गया है और मुहावरों का केवल भाषण में प्रयोग हुआ करता है, कार्यान्वयन में उसकी चिन्ता नहीं रहती है। इसलिए जब हम किसान को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं तो उसके नजरिये से समूचे प्रश्न पर विचार करना होगा। हमारे कई साथियों ने बातें कहीं, उनको बिना दोहराये हुए इस बात पर मैं बल देना चाहता हूं, मैं अपने शब्दों में कहूं कि कारखाने का मालिक अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारित करता है, डिक्टेट करता है, लेकिन खेती करने वाला अपने उत्पाद का मूल्य डिक्टेट नहीं कर पाता। उसका डिक्टेशन कहीं और से होता है और वह मजबूरी में करता है जिसे अर्थशास्त्र में "डिस्ट्रैस सैल" कहा जाता है।

यह देश का दुर्भाग्य है कि देश की 43 साल की आजादी के बाद भी कृषि प्रधान देश में हमारे कृषि उत्पादकों को "डिस्ट्रैस सैल" का माध्यम लेना पड़ता है। इसका अर्थ है कि वह मजबूरी में बेचे। स्टोरेज फैसिलिटीज उसके पास हैं नहीं, रहने के लिए कमरा नहीं, छप्पर नहीं, खपरैल नहीं तो जो वह प्रोड्यूस करेगा, वह कहां स्टोर करेगा।

[श्री मान्धाता सिंह]

उसे तो मजबूरी में बेचना ही है। जब फसल बिकने का मौसम आता है, खासकर रबी का मौसम जब से सोने जैसा गेहूं घर में आता है तो बिटिया का ब्याह होने लगता है, पुत्र का तिलक चढ़ने लगता है, कोई वृद्ध मर जाता है तो उसकी 13वीं की पूरी भी पंडित जी करने लगते हैं, लगान भी वसूल होने लगता है। उसी तरह हमारा फाईनेंनशियल ईयर खत्म होने लगता है तो सब प्रकार की वसूलियों पर आक्रमण होता है।

आज सवेरे यहां छः हजार करोड़ इन्कम टैक्स के सवाल पर बात हो रही थी लेकिन किसान के डियूज, उसके बैल नीलाम हो जायेंगे और इधर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से स्टे आर्डर ला सकते हैं परन्तु किसान तहसीलदार की हवालात में बंद हो जाता है। इसलिए मजबूरी में उसे अपने उत्पादों को "डिस्ट्रैस सैल" में बेचना पड़ता है-- चाहे वह बिचौलिया हो, चाहे वह व्यापारी हो या धनाढ्य व्यक्ति हो या कोई कोल्ड स्टोरेज वाला व्यक्ति हो या कोई एजेंसी हो।

इस बिल के माध्यम से प्रस्तावक महोदय ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया—जिस दिन आप बोल रहे थे, प्रैस कर रहे थे, मैंने सुना था, वह आंखों से देखते हैं हम लोग कि जो सैकण्ड वर्ड वार की एअरस्ट्रिप बनी थी उनपर वह प्लास्टिक की चादर ओढ़कर फटी-चिथड़ी और लाखों टन अनाज सड़ाया जाता है इलाहाबाद के पास नैनी स्टेशन के पास तो यह बात राजा जी की अच्छी लगी कि स्टोरेज की प्राचीन पद्धति अच्छी थी कि जमीन में गड्ढा करके कुंये सा बनाकर उसमें एअर-टाईट करके रख दिया जाये तो वह खराब नहीं होता और इन्सैक्टीसाईड्स वगैरः जहरीले पदार्थ नहीं मिलाये जा सकते हैं जिससे बरसात के दिनों में 200 लोगों की जान से हाथ नहीं धो बैठते।

मान्यवर, किसानों के इन्पुट्स हैं। लेबर के अलावा एक तो भूमिहीन हैं। खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए चाहे वह मजदूरी के रूप में हो, चाहे वह सिचाई के पानी के रूप में हो या खाद के रूप में हो या सैक्टीसाईड्स या इन्सैक्टीसाईड्स के रूप में ये इन्पुट्स हों, इनको मंहगे दामों पर मिलते हैं। इसलिए जो उसे दाम मिलता है, डिस्ट्रैस सैल में वह रिमुनरेटिव नहीं है। यह उसकी मेहनत की सही मजदूरी, उसकी लागत का सही मूल्यांकन नहीं होता है। इसलिए इस विधेयक का जो इंपार्टेंट हिस्सा प्रतीत होता है कि एन्शयोरिंग रिम्युनिरेटिव प्राईसेस—अभी जो सपोर्ट प्राईस है वह भी ब्यूरोक्रेसी का "क्वायन" किया हुआ शब्द प्रतीत होता है। इस सपोर्ट प्राईस पर भाई हरीश रावत जी व्यंग करते आये हैं।

[अनुवाद]

हमारे किसान बैसाखियों के सहारे के लिए तैयार नहीं है सरकार शायद बैसाखियों का सहारा ले सकती है लेकिन, हमारे देश के अभिमानी किसान नहीं।

[हिन्दी]

यह सपोर्ट प्राईस कहते हुए ही मेरे हृदय में पीड़ा देता है क्योंकि मैं भी किसान परिवार का हूं।

इसीलिये मैं कह रहा हूं कि रैम्यूनरेटिव प्राइस किसान को एश्योर्ड होना चाहिए, ऐसा कोई संगठन इस देश में बनाया जाये। उसके बाद, जैसा अभी मेरे भाई ने कहा, वे खरीदने वालों के पक्ष की

बात कह रहे थे, इस विधेयक में उसका भी संकेत है, इस समय हमारे कम्युनिस्ट भाई सदन में उपस्थित नहीं है, कोई जरूरी काम कर रहे होंगे, उनमें से कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि वे भी इस बहस में भाग लेंगे लेकिन इस समय वे अनुपस्थित हैं।

फिर भी मैं अपने पूरे बल के साथ, विद ऑल फोर्स एट माई कमाण्ड, सरकार से मांग करना चाहता हूं और सदन से अपील करता हूं कि जैसा राजा साहब ने फूडग्रेन्स के होलसेल ट्रेड को टेक-ओवर करने के संबंध में कहा, मैं तो उससे भी एक कदम आगे जाना चाहता हूं और उदाहरण देना चाहता हूं कि वैसे तो आलू फूडग्रेन्स में नहीं है परन्तु मेरे कई रिश्तेदार आलू का थोक उत्पादन करते हैं, भारी मात्रा में आलू की पैदावार करते हैं लेकिन कहीं आलू के उत्पादक को 100 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा आलू के दाम नहीं मिलते। मैं राउन्ड फीगर में आपको बता रहा हूं वरना 70—80 रुपये मिल जायें तो उतना ही बहुत है, ग्लट में तो 40—50 रुपये हमारे फर्रुखाबाद में बिकता है, वगन ही नहीं मिलते हैं, बदायूं और बरेली में क्या होता है, उसकी तो अलग राम कहानी है।

मैं यहां राउन्ड फीगर केवल इल्लस्ट्रेट करने के लिए 100 रुपये क्विंटल कह रहा हूं जो किसान को आलू के दाम मिलते हैं। मैं यहां लखनऊ का एक प्रतिनिधि हूं, लखनऊ में एक बड़ी पोश कालोनी है, जिसे हजरतगंज कहते हैं। हमारे हरीश रावत जी जानते होंगे कि वह कितनी पोश लोकैलिटी है। वहां मोटरों में बैठकर मेम साहब आती हैं पोटैटो चिप्स खरीदती हैं। पोटेटो चिप्स के दाम उन्हें 1400 रुपये क्विंटल देने पड़ते हैं। उसमें क्या है कि एक पौलिथीन बैग में कुछ चिप्स भरे होते हैं। उसमें कोई उद्योग की आवश्यकता नहीं, करोड़ों रुपये की मशीनरी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। अरे भाई, तुम एक तरफ तो ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने की बात करते हो, जॉब बढ़ाने की बात करते हो, एम्पलायमैंट अपोरट्यूनिटीज की बात करते हो, यदि कोई छोटी मोटी मशीन घर पर लगाकर आलू के चिप्स काट लिये जायें, उन्हें पौलिथीन बैग्स में भर लिया जाये और 100 रुपये राउन्ड फीगर में आज जो किसानों को आलू के दाम मिलते हैं, उसके स्थान पर 1400 रुपये मिलने लग जायें, तो जहां आप जैसे लोगों को चाय के साथ भुने हुए आलू के चिप्स भी मिलेंगे वहीं किसानों को भी 1400 रुपये आलू के दाम मिल जायेंगे। अब प्रश्न है कि यह बीच का 1300 रुपया जाता कहां है, किन की जेबों में जा रहा है।

मैं आपको यह एक उदाहरण ही केवल दे रहा हूं, सभी कृषि उत्पादों की यही हालत है। उसी को हाइलाइट करने के लिये आलू का उदाहरण मैंने सदन के सामने रखा। जिस दिन 1300 रुपया पकड़ में आ जायेगा, उसी दिन इस देश के किसानों की हालत में सुधार आ जायेगा और उस दिन ये आरक्षण वगैरह के सब झगड़े भी खत्म हो जायेंगे। उसी दिन सभी बेरोजगार हाथों को काम मिल सकेगा। यहां बैठकर परसैंटेज की गणना कम्प्यूटर में अर्थमैटिक लगाने से ही राष्ट्र की समस्या हल नहीं की जा सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका भाषण बहुत अच्छा है, हम और ज्यादा सुनना चाहेंगे।

श्री मान्धाता सिंह : लेकिन टाइम कान्सट्रेंट है, रिसोर्सेज कान्सट्रेंट भी है। इस कारण सभी सदस्य बड़े पीड़ित हैं।

[अनुवाद]

शून्य काल में समय की बाधा नहीं है। लेकिन जब आप पीठासीन होते हैं, तो समय की बाधा होती है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं दूसरी चीज कह रहा था कि अगर यह बोर्ड बनाया जाता है तो उसका रूप क्या रहेगा, उसमें कितना पैसा लगेगा, काम कौन करेगा, फिर एफ० सी० आई० का क्या होगा।

श्री मान्धाता सिंह : वही कह कर मैं कन्क्लूड करना चाहता हूं। आपने बड़ा परटिनैंट सवाल सदन में उठाया।

उपाध्यक्ष महोदय : उसी से कनैक्टेड दूसरे सवाल आयेंगे कि स्टेट गवर्नमैंट प्रोक्योरमैंट करेगी या सैन्ट्रल गवर्नमैंट प्रोक्योरमैंट करेगी और बोर्ड का स्टेट गवर्नमैंट के साथ क्या संबंध होगा।

श्री मान्धाता सिंह : मेरी सबमिशन यह है कि राजा साहब जो विधेयक सदन में लाये हैं, उसका दायरा थोड़ा संकुचित, थोड़ा सीमित होकर रह गया है। मैंने अभी प्रधानमंत्री जी की "मच प्रौमिज्ड एग्रीकल्चरल पौलिसी" की ओर संकेत किया। उस पौलिसी में मैं यह अपेक्षा करता हूं और मैं आशा करता हूं कि एक ऐसी संरचना एग्री-कल्चरल पौलिसी की बनायी जायेगी जिससे कृषि पदार्थों की खरीद, उनकी होलसेल ट्रेड का इंतजाम हाथ में लेकर उनकी स्टोरेज वगैरह की फेसिलिटीज का इंतजाम किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब्मीशन कर चुका हूं कि फूड ग्रेन्स के दायरे को और बढ़ाना चाहिए। आलू का मैंने उदाहरण दिया। यह तो हो गया "स्कोप आफ दि बिल" अब बात आती है संगठनात्मक ढांचे की। संगठनात्मक ढांचे के बारे में आपने सुझाव दिया है कि 13 आदमी का बोर्ड होना चाहिए सेक्टर में और 3 आदमी पार्लियामेंट से होने चाहिएं, कुछ अधिकारीगण होने चाहिएं। इन सब बातों पर बाद में निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन, मैं उस राय से सहमत हूं कि इतना बड़ा देश है। इतनी जियोफिजीकल कंडीशन्स अलग हैं, ये कुछ कहेंगे, पहाड़ वाले कुछ कहेंगे, सेब वाले लोग कुछ कहेंगे।

हिमाचल के लोग कुछ कह रहे हैं क्योंकि आखिर सेब भी तो किसान ही पैदा करता है, कोई साहूकार थोड़े ही पैदा करता है। वह भी तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। वह किस की प्रोड्यूस है, वह क्या पूंजीपति पैदा करता है ? इसलिए मान्यवर, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए एक पूरा बोर्ड होना चाहिए और ऑटोनॉमस होना चाहिए। स्वायत्तता अभी भी इस राष्ट्र में दूर की बात है। सही मायने में ऑटोनोमी होनी चाहिए, जिसमें उत्पादकों, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स के रिप्रजेंटेटिव हों और ग्रेडिंग हो। नैशनल लैवल पर पॉलिसी डिसाइड करने के लिए दिल्ली में होना चाहिए, स्टेट लैवल पर पॉलिसी डिसाइड करने के लिए स्टेट लैवल पर होना चाहिए, फरदर बिलो डाउन, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लैवल पर होना चाहिए। तब हम करोड़ों लोगों की अभिलाषाओं को पूरा कर सकेंगे और तभी सही मायने में उत्पादन बढ़ सकेगा, तभी गरीबी दूर हो सकेगी, तभी राइट टू वर्क वाली बात चरितार्थ हो सकेगी। सौ रुपए का आलू 1400 में बिके तो बीच के 1300 रुपए को पकड़ो, तभी इस देश की हर समस्या दूर हो सकेगी। (व्यवधान) एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कपास का क्या होगा। भूगोल हम लोग पढ़ते रहे हैं। बार, सेंट्रल प्रॉविन्स से, जूट वाले, जूट की बात कर रहे हैं और कपास वाले कपास की बात कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : महाराष्ट्र में तो पूरी कपास स्टेट गवर्नमेंट प्रक्योर करती है।

श्री मान्धाता सिंह : मेरा सुझाव तो यह है कि "होलसेल टेक ओवर ऑफ ट्रेड इन एग्री-

कल्चरल प्रोडक्ट्स" यह नाम रखा जाना चाहिए। 20 रुपए किलो टमाटर और चवन्नी किलो टमाटर, ये डिटेल्स तो वर्क आउट हो जाएंगे। यहां तो नीतियों की बात हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन राजा साहब का आभारी है कि इन्होंने इस दिशा में पहल करके इस सदन को सोचने का मौका दिया है और मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारे वरिष्ठ मंत्री और महत्वपूर्ण लोग यहां बैठे हुए हैं—शरद जी बैठे हैं, नीतीश जी बैठे हैं, ये इन बातों का समावेश एग्रीकल्चरल पॉलिसी में करवाएंगे और प्रोग्राम इम्पलीमेंटेशन के इंचार्ज भी बैठे हैं। आप सबसे अनुरोध है कि जब तक आप इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक राइट टू वर्क की गारंटी नहीं कर सकेंगे। जब ये बातें होंगी तभी, राइट टू वर्क की गारंटी हो पाएगी।

मान्यवर, आपने मुझे बहुत धैर्यपूर्वक सुना और मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : धैर्यपूर्वक नहीं, प्रेमपूर्वक और आदरपूर्वक सुना। धन्यवाद।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। यह बिल जिन्होंने यहां पेश किया श्री यादवेन्द्र दत्त, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि इसके कारण संसद्-सदस्यों को एक मौका और किसानों, कृषि-नीति और उनकी उपज के बारे में बोलने का मिल गया है। हालांकि यह काम्प्रिहेंसिव बिल नहीं है। इसमें कमी भी हो सकती है क्योंकि यह तो प्राईवेट बिल है। सरकार की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि इस बारे में एक काम्प्रिहेंसिव बिल लाए।

उपाध्यक्ष महोदय, आजकल इंश्योरेंस तो बिलकुल बंद हो गया है। फसलों का जो इंश्योरेंस होने वाला था, वह भी दिख नहीं रहा है। जब नैचुरल कैलैमिटी आती है, बाढ़ आती है, अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है तो किसान फंस जाता है। जब प्राइस की बात आ जाती है, हमने हनुमंत राव कमेटी में पढ़ा है, जो मिनिमम दाम सरकार खेत मजदूर को देना चाहती है उसके अलावा जो कम दाम हैं, वह व्यापारी हिसाब-किताब में ले लेता है। जब दाम पे करने की बात आती है, किसान के फैमिली मैम्बर उसमें जुट जाते हैं। यह जो बुनियादी बातें हैं, ग्रेन बोर्ड तो ठीक है, पैरीशेबल गुड्स की बात है और बाकी अनाज की बात है वह बिल्कुल अलग बातें हैं।

हिन्दुस्तान में हमने पंजाब में पैपसी कोला फैक्ट्री लगाई, फायदा किसको हो रहा है ? अभी जिक्र किया है कि महाराष्ट्र में इम्प्लायमैंट गारंटी स्कीम चला रहे हैं। अभी इम्प्लायमैंट गारंटी के तहत हमने भूमि सुधार का कार्यक्रम किसान के लिए वहां पर शुरू किया है। जो प्रोक्योरमैंट महाराष्ट्र सरकार कर रही है, कभी-कभी उसमें आर०बी०आई० की रुकावट हो रही है। मैं इस बहाने से मंत्री जी से विनती करता हूं कि प्रोक्योरमेंट के लिए जो पैंडिंग है उसे आगे तीन साल के लिए ऐक्सटैंशन देने के लिए आप जल्द से जल्द मंजूरी दीजिए क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दस साल के लिए एक्सटेंशन मांगा है। एक योजनाबद्ध प्लान करने के लिए किसान को कोई नुकसान न हो, खेत मजदूर को कोई नुकसान न हो, इसके लिए काम चलाने के लिए कोई आसान व्यवस्था हो।

हम सब ट्रांसफर आफ टैक्नोलोजी, हाई टैक्नोलोजी चाहते हैं। यह खेती के लिए भी हो सकती हैं। हमारे प्रसाद जी ने ठीक कहा कि आजकल खेती पूंजीवादी बन गयी है यानी ज्यादा पूंजी लगती है लेकिन उस बारे में हम नहीं सोचते हैं। [जब इनपुट कौस्ट हमारी कम नहीं होगी तो हम कितना

[श्री बालासाहिब विखे पाटिल]

ही दाम बढ़ाएं, हजार रुपये बोरा भी कर दें तो इनफलेशन तो बढ़ेगा लेकिन किसान सन्तुष्ट नहीं होगा क्योंकि जब अकाल पड़ता है। तो किसान एक बोरी भी अनाज पैदा नहीं कर पाता है। जहां पर नहर का पानी आदि होगा वहां पर किसान अनाज ज्यादा पैदा कर सकता है।

प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि यह दशक हम किसान के लिए मना रहे हैं। असली बात उसमें क्या होगी ?

आप लोग किसान को कौन सी सिक्युरिटी देने जा रहे हैं, किसान की सोशल सिक्युरिटी क्या है ? वह रात-दिन खेत में काम करता है। आज किसान का बेटा किसान होता है। खेत में खुद काम करने वाले छोटे किसान की आज क्या हालत है ?

आज चपरासी की हालत भी उससे अच्छी है। कल चोखा राव जी ने पूछा था कि कितनी जमीन सब्जी के लिए ली है ? आश्चर्य की बात है कि भूमि सुधार में ट्रांजेक्शन कितना है, कौन देख रहा है। शहर में रहकर तो बच्चे पढ़ जाते हैं लेकिने किसान का बच्चा हल ही चलाता रहता है, उद्योगपति का बच्चा उद्योगपति बन जाता है लेकिन किसान का बच्चा कभी डाक्टर क्यों नहीं बने। हम यह चाहते हैं कि जो सब्जी, फल, कपास, गेहूं, कोई भी कृषि की उपज हो, उसका मालिक किसान हो। उसको जो नफा होता है वह खर्च निकालकर ज्यादा पैसा किसान को क्यों न मिले, वह मजदूरों को ज्यादा मिले। ढांचे में सुधार किये बगैर "किसान दशक" मनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। एफ० सी० आई० को कितना घाटा हो रहा है, कितना पैसा वहां के अधिकारियों ने खाया, कितना डैटरिओरेट होता है, कितना अनाज चूहे खाते हैं और कितना आदमी खाते हैं क्या इसको कभी आपने देखा ? भगवान जाने किस ढंग से वहां काम हो रहा है ? इस बारे में हमें एक नीति बनानी चाहिये। जब तक हम इस बारे में ठीक ढंग से नहीं सोचेंगे तब तक कुछ भी विकास नहीं होगा।

फूड प्रोसैसिंग, एग्रो प्रोसैसिंग का शोर बहुत मचाया जाता है। इसका मतलब क्या है ? इसकी डैफिनेशन क्या है ? असल बात यह है कि इसे आप किसान से अलग करना चाहते हैं। जो चीज किसान पैदा करता है उसकी पैदा की गई चीज को उद्योगपति तैयार करे यह कैसा इन्साफ है ? आप इसको किसानों के हाथों में दें और उसे उद्योगपति का दर्जा दें। आप उसके लड़के को ऐसी पढ़ाई क्यों नहीं देते जिससे कि वह आगे चलकर शहर वालों का मुकाबला कर सके। गांवों में उसे पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है। न तो वहां सेंट्रल स्कूल हैं, न पब्लिक स्कूल है और इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं। 8 घंटे की बजाय वहां केवल दो घंटे स्कूल खुलते हैं। सातवीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद वह किसी दूसरे इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जाना चाहता है कि वहां उसे एडमिशन ही नहीं मिलता है क्योंकि उसे ए-बी-सी ही नहीं आता है। हमें बुनियादी बातों पर विचार करना चाहिये।

इनपुट्स कास्ट के बारे में मैंने अभी जिक्र किया था। जब तक किसान अपनी पैदा की हुई चीजों की कीमत खुद तय नहीं करेगा और उसको नहीं बेचेगा तब तक इस देश के किसानों का कोई भला नहीं होगा। आपको इसके बारे में सोचना चाहिये। किसान जो मेहनत करते हैं उसका फायदा बिचौलिये उठा रहे हैं। केवल कृषि या उद्योग नीति बनाने से काम नहीं चलेगा। आप अपनी उद्योग नीति में भी सुधार करें। आप किसान दशक मना रहे हैं। इस कारण ऐसी कृषि नीति बनायें जिससे सीधे-सीधे किसान का भला हो आप उद्योग नीति और कृषि नीति साथ-साथ बना कर सीधे किसान को

फायदा पहुंचायें और कृषि को उद्योग का दर्जा दें। आप इस सम्बन्ध में एक काम्प्रीहैंसिव बिल लायें और अच्छे तरीके से किसानों के बारे में सोचें, इतना ही सरकार से दरख्वास्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बिल के लिये समय चार बजकर सत्तावन मिनट पर पूरा हो जाता है। मेरे ख्याल से टाइम हो गया है। इसको चाहे जितना टाइम दिया जा सकता है लेकिन बिल पर ही भाषण हो। अगर खेती पर भाषण होगा तो वह एक अलग विषय बन जायेगा। आप सब बोर्ड बनाने के सम्बन्ध में अपने सुझाव दे सकते हैं। अगर बिल पर भाषण न हो और कृषि पर भाषण हो तो जिस का यह बिल है, उनका समय चला जाता है। हो सकता है ऐसे में उनका बिल भी न आ सके।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप विधेयक पर बोल रहे हैं तो मैं आपको उतना समय दे सकता हूं, जितना आप चाहते हैं। यदि आप विषय से सम्बद्ध नहीं बोल रहें हैं तो कुछ कठिनाई हो जाती हैं। मेरे पास वक्ताओं लम्बी सूची है। मैं सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे कृषि पर न बोलकर विधेयक पर बोलें। कृषि महत्वपूर्ण है, परन्तु हम अनाज बोर्ड पर चर्चा कर रहे हैं। आपको इस विधेयक पर ही अपने विचार व्यक्त करने चाहियें।

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (सीतामढ़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व कई वक्ता बीच में बोले··· (व्यवधान)···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट रुकिए। मेरा विचार है कि हमें समय बढ़ाना पड़ेगा। क्या हम इसे 5.30 म०प० तक बढ़ा सकते हैं ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : तो ठीक है। हम इस विधेयक पर चर्चा 5.30 म० प० तक समय बढ़ाते हैं।

(व्यवधान)

श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा (बेतिया) : अगला विधेयक कब लिया जाएगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यही बात मैं अभी-अभी कह रहा था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि आप विधेयक से बाहर किसी विषय पर बात करते हैं तो अन्य सदस्यों के विधेयकों पर फर्क पड़ता है। आपके विधेयक पर फर्क पड़ता है। मैं यही बात कह रहा था। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे सदन में विधेयक पर ही चर्चा करें।

श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा : अगले विधेयक पर भी आज ही चर्चा की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हम प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : मैं यह कह रहा था कि कई वक्ता जब बोल रहे थे तो आपने उनको इस ओर इशारा किया कि बिल की परिधि में रहें और विधेयक की परिधि बोर्ड तक है लेकिन मैं यह कहता हूं कि बोर्ड को बनाने का कारण क्या है, जब तक उस कारण पर भी आये नहीं तो बोर्ड बनाने की बात कहां से आई और कारण का निराकरण जब तक नहीं होगा, चौधरी चरण सिंह भारत के···

उपाध्यक्ष महोदय : उस कारण पर दूसरे सम्माननीय सदस्यों के दो विचार नहीं हैं, एक ही विचार है। कारण है, उसको दूर कैसे किया जाय।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : तो वह भारत की भयावह अर्थ नीति "इकोनोमिक नाइटमेयर आफ इण्डिया", जो चौधरी चरण सिंह ने लिखी थी, उसमें उन्होंने एक चैप्टर लिखा था कि व्यापार के जरिये किसानों का शोषण होता है और जैसे आपने प्रश्न किया था, माननीय मान्धाता सिंह जी बोल रहे थे, तब कि राज्य में जो एफ०सी०आई०, व्यापार निगम है, राज्य के जो व्यापार चलाने वाले हैं, जब बोर्ड बन जायेगा तो उन सबों का क्या होगा···

उपाध्यक्ष महोदय : यह जो स्टेट गवर्नमेण्ट की प्रिक्योरमेंण्ट की पावर है, वह इस के नीचे आयेगी क्या? उन सबों का क्या होगा?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : मैं यही कह रहा हूं कि एक है जो निजी व्यापारी व्यापार करता है, गल्ले का और एक है जो सरकार के नियन्त्रण में गल्ले का व्यापार है और तीसरे श्री यादवेन्द्र दत्त जी ने प्रस्ताव रखा है कि एक बोर्ड बनाया जाय। दो प्रणालियां हमारे सामने हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो किसानों के गल्ले के व्यापार में सबसे अधिक व्यापार कर रहा है, भारतीय खाद्य निगम है और भारतीय खाद्य निगम बीच में बिचौलिया बनकर जितना मुनाफा कमा रहा है और जितना किसानों को लूट रहा है और किसानों के नाम पर जितनी सब्सिडी खा रहा है, शायद इतना कोई प्राइवेट व्यापारी, बिजनेसमेन भी निर्ममतापूर्वक अन्याय नहीं करता होगा।

उसका उदाहरण मैं केवल यह देना चाहता हूं, मेरे पास यह कागज है, 1982-83 में 710 करोड़, 1983-84 में 835 करोड़, 1984-85 में 1100 करोड़, यह केवल राज्य सहायता, भारत सरकार के द्वारा सब्सिडी इस केन्द्रीय खाद्य निगम को दी गयी। यह जब हमसे गेहूं खरीदता है, जो खाद्य निगम भण्डार में रखता है और उपभोक्ता को देता है तो हमारे और उपभोक्ता के बीच में 50 और 40 रुपये क्विंटल का अन्तर आता है।

मेरा आग्रह है कि किसान से खाद्य निगम ने खरीदा और उपभोक्ता को दिया, इसके बीच में खाद्य निगम द्वारा 40-50 रुपये प्रति क्विंटल का मुनाफा कमाया जा रहा है तब भी भारतीय खाद्य निगम को घाटा लगा। मैंने तो आप को 1984-85 तक का तीन वर्ष का आंकड़ा ही दिया जो लगभग 2500 करोड़ रुपया, जिसमें भारतीय खाद्य निगम को केन्द्रीय सरकार द्वारा 2500 करोड़ रुपया अनुदान देना पड़ा, घाटे की पूर्ति के लिए और बीच में उपभोक्ता से 50 रुपये क्विंटल जो मुनाफा कमाया, सो अलग।

मैं बताता हूं कि कौन सा रोजगार हो रहा है, हम किसान हैं, हमको जो कीमत दी जाती है तो एक सीधी नीति आनी चाहिए, जैसे समाजवादी आन्दोलन में, डा० लोहिया के आन्दोलन में हम लोग नारा लगाते थे कि "अनाज के दाम का घटना बढ़ना आने सेर के अन्दर हो, चाहे मार्केटिंग बोर्ड करे, चाहे वह सरकार करे, चाहे निजी व्यापारी करे लेकिन एक फसल से दूसरी फसल के बीच किसानों के गल्ले की कीमत में एक सेर पर एक आने से ज्यादा का अन्तर नहीं आये, जब चैत महीने में, मार्च-अप्रैल में हम गेहूं बेचें तब और अक्टूबर-नवम्बर में गेहूं खरीदें तब के बीच में, तो यह है असल में व्यापार के जरिये किसानों का शोषण, इसको कैसे रोका जायेगा।

5.00 म० प०

अब आइये, बोर्ड बन जायेगा, बोर्ड का संचालन होगा···लेकिन चौधरी चरण सिंह जी जिस समय वित्त मन्त्री थे, तो उस समय उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था कि हर पंचायत में एक ऐसा गोदाम बनाना चाहिए जहां किसान अपना गल्ला रख सके और वहां एक शाखा बैंक की रहनी चाहिए तथा उस समय जो मार्केट प्राइस खेती की पैदावार का हो, उसका 80 प्रतिशत किसान को बैंक के जरिए फाइनेंस कर दिया जाए।

उस पैसे को लेकर किसान तात्कालिक तौर पर अपना काम कर ले और फिर जिस समय उस के गल्ले का भाव अच्छा हो, तो अपनी मर्जी से किसान उसको बेचे और उसका लोन एडजस्ट कर दिया जाए तथा बकाया पैसा किसान को दिया जाए और उस पैसे को लेकर किसान अपने घर को जाएगा। जैसे व्यापारियों और अन्य उद्योगपतियों के साथ होता है।

अगर यह बोर्ड बनें और उस बोर्ड का नियन्त्रण, उसका कारोबार हर पंचायत स्तर पर कर लें, गोदाम बनाकर ऐसी व्यवस्था कर दी जाए, तो हम लुटने से बचेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब तक खेती की पैदावार के व्यापार का नियन्त्रण किसानों की मुट्ठी में नहीं होगा, तब तक आप चाहे कोई भी व्यवस्था कर दीजिए, उससे कोई बचने वाला नहीं है। चाहे आप बोर्ड बनायें, चाहे एफ०सी०आई० हो, चाहे प्याज खरीदने का जिस प्रकार से महाराष्ट्र में इन्स्टीचूशन बन गया है, वह बन जाए या कोई अन्य बन जाए, लेकिन उसमें भी किसान का शोषण जारी रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात इस बात को कह कर खत्म करूंगा कि किसान तीन तरह के होते हैं—एक-बंगलाधारी, दो-छाताधारी और तीन-हलधारी। बंगला धारी हैं—आई०ए०एस०, आई०पी०एस०, एम०एल०ए०, एम०पी०, बिरला, टाटा और यहां से लेकर वहां तक चारों तरफ फार्मर्स हैं।···(व्यवधान)···

मेरी बात छोड़िए, मैं तो आपकी नजर में बहुत बड़ा जमींदार हूं। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा दुर्भाग्य है।

एक माननीय सदस्य : आप एम०पी० तो हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : मैं कहां कहता हूं कि मैं एम० पी० नहीं हूं। लेकिन एम०पी० रहने के बाद भी जब हुक्मदेव नारायण यादव अपने गांव जाता है, तो अपने हाथ से हल चलाता है और अपनी खेती करता है, जो आप नहीं करते हैं, कोई दूसरे करते हैं···(व्यवधान)···इसलिए मैं कहता हूं कि बंगलाधारी···

उपाध्यक्ष महोदय : छाताधारी कौन हैं ?

श्री हुक्म देव नारायण यादव : बंगलाधारी वे जो गाड़ी में गांव में जायेंगे, काम वहां कोई कर रहा है और जाते समय कहेंगे थोड़ा भुट्टा डाल दो, थोड़ा हरा चना डाल दो, थोड़ी फलां चीज डाल दो, बच्चा लोग खायेंगे। न खेती, न बाड़ी, न गाय, न बकरी, न भैंस को देखा, लेकिन वे हैं किसान। दूसरे हैं छाताधारी, जो खेत की मेड़ पर खड़े रहते हैं और मजदूरों से काम करवाते हैं। अपने खेत में मजदूर से काम करवाने के लिए मजदूरों का सहयोग करते हैं, उनको रोटी ला देते हैं, पानी ला देते हैं, उनके पास रहते हैं तथा उन का सहयोग करते हैं—वे हैं छाताधारी।

तीसरे हलधारी हैं—जो अपने हाथ से हल का मूठ पकड़कर पसीना बहाते हैं और खेत में पैदा करते हैं। ये तीन तरह के किसान हैं। मैं पक्षधर हूं—हल का मूठ पकड़ कर चलाने वाले किसान का नम्बर एक, छातावाला नम्बर दो और बंगलावाला नम्बर तीन का विरोधी हूं। यह जो तीन नम्बर वाला किसान हैं, जब तक इनका नाम किसानों के ऊपर चलता रहेगा, तब तक यह असली किसान के ऊपर नकली किसान छाए रहेंगे। मैं प्रार्थना कर रहा था कि नकली किसानों से असली किसानों को मुक्त करायें। किसानों को मुक्त करने के लिए यह बोर्ड बनें या कोई भी व्यवस्था बनें, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि नीचे से लेकर ऊपर तक एक सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए, जिसमें व्यापार का नियन्त्रण किसानों के हाथ में हो।

जब तक खेती की पैदावार के व्यापार का संचालन किसानों के हाथ में नहीं आएगा, तब तक राज्य के जरिए करें, तो उपाध्यक्ष महोदय फर्क इतना ही है कि जैसे बिरला-टाटा बैंक से लोन लेता है और उस पैसे से हमारा गल्ला खरीदता है और हमारे ही पैसे से हमारे बच्चों का नाश करता है तो दूसरी तरफ सरकार को दे दीजिए, तो सरकारी अधिकारी यही करते हैं।

उधर व्यापारी मोटूमल है, तो इधर अंग्रेजी में व्हाइट-एलीफेंट। इस एलीफेंट के जंगल में किसान उनके पैरों तले कुचला जा रहा है। उनसे इन किसानों को मुक्त कराइए, तो व्यापार का नियन्त्रण इनके हाथ में आ जाए।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति अनाज बोर्ड विधेयक पर बोलेगें।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालापुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, इस अनाज बोर्ड विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए मैं श्री यादवेन्द्र दत्त की प्रशंसा करता हूं। इस विधेयक की महत्ता के बारे में कोई मतभेद नहीं है। प्रत्येक सदस्य ने इस बोर्ड के गठन की आवश्यकता और किसानों की कठिनाइयों के बारे में विचार व्यक्त किए हैं। कृषि मन्त्रालय के अन्तर्गत हम इस मामले पर अनेक बार चर्चा कर चुके हैं। हम किसानों की कठिनाइयां जानते हैं परन्तु आज हमारे समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनाज बोर्ड के गठन का है।

हमारे यहां पहले से ही भारतीय खाद्य निगम है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य सम्भवत: किसानों के हितों की रक्षा करना है और विशेषत: उन्हें उनकी फसल का लाभकारी मूल्य दिलाना है। परन्तु दुर्भाग्य से जब आप भारतीय खाद्य निगम के कार्यों का विश्लेषण करते हैं तो इन्हें निराश करने वाला

पाते हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से विचार यह है कि जिस उद्देश्य के लिए इसका गठन किया गया था, वह पूर्णतः व्यर्थ सिद्ध हुआ है। हमने हाल ही में इसका एक उदाहरण देखा है। आन्ध्र प्रदेश तूफान से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। किसान भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुए थे। यह इस बोर्ड से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। प्रधान मन्त्री ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दो बार दौरा करने की कृपा की थी। उन्होंने भारतीय खाद्य निगम को किसानों की सहायता करने के निर्देश दिए थे। इन्होंने इस प्रकार का आभास दिया था जैसे कि ये वास्तव में किसानों की सहायता कर रहे हैं। हमने भारतीय खाद्य निगम से महत्वपूर्ण स्थानों पर क्रय केन्द्र खोलने का निवेदन किया परन्तु इन्होंने ऐसा नहीं किया तथा अपनी नीति का कड़ाई से पालन नहीं किया बिचौलिए अस्तित्व में आ गए। मुझे यह कहते हुए खेद है कि भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों ने दलालों के माध्यम से लाखों रुपए कमाए और इन्होंने अपने लाभ के लिए किसानों को लूटा। परन्तु किसानों को कुछ नहीं मिला। उन्हें सभी प्रकार की कठिनाइयां झेलनी पड़ी। किसानों को दलालों की मनचाही कीमत पर अपने उत्पादन बेचने पर बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार, जिस उद्देश्य के लिए इस निगम की स्थापना की गयी थी, वह पूरा नहीं हुआ।

माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं इस सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जब वह इस बोर्ड का गठन करें तो कृपया यह सुनिश्चित करें……

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं यह जानना चाहूंगा कि यह बोर्ड किस प्रकार अलग तरह से कार्य करेगा ?

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : मैं इसी बात पर आ रहा हूं।

मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं कि इस बोर्ड का गठन करते समय विशेष रूप से सीमांत और छोटे किसानों को महत्ता दी जानी चाहिए। जब आप इस बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति करें तो आपको यह पद किसी अधिकारी को नहीं देना चाहिए। यह उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो किसानों के दुःख और उनकी कठिनाइयों को समझता हो। इस प्रकार के व्यक्ति को बोर्ड का प्रभारी बनाया जाना चाहिए ताकि जब भी कोई निर्णय लिया जाए तो वह उन उद्देश्यों को स्पष्टतः समझ सके जिनके लिए बोर्ड का गठन किया गया है। एक लोकतान्त्रिक व्यवस्था में मुख्य निर्णय केवल बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। अतः इस बोर्ड की संरचना किसानों और व्यापारियों के क्रमशः 2:1 में होनी चाहिए ताकि जब मुख्य निर्णय लिए जाएं तो किसानों की वास्तविक परेशानियों और कठिनाइयों को उचित रूप से प्रतिबिम्बित किया जा सके।

जैसेकि आप सब जानते हैं, कृषि पर प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं का प्रभाव पड़ता है। उद्योगपति विशेष रूप से अपने लाभ और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपने औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारित करते हैं। परन्तु जहां तक कृषि उत्पादों का सम्बन्ध है, किसानों द्वारा इनके मूल्यों का निर्धारण करना असम्भव है। कृषि उत्पादों के मूल्य अनेक बातों से प्रभावित होते हैं। कभी-कभी प्राकृतिक आपदाएं इनके उत्पादों को क्षति पहुंचाती हैं। छोटे और सीमांत किसान प्रतीक्षा नहीं कर सकते क्योंकि किसानों की वित्तीय स्थिति सभी प्रकार के दबावों से प्रभावित होती है। वे इन वित्तीय समस्याओं का दबाव नहीं सह पाएंगे। इसलिए वे इस प्रकार के दबाव में आ जाते हैं। इसलिए जब आप मतदान द्वारा बड़े निर्णय लेने के लिए उन्हें अवसर दे रहे हैं, तो बड़े निर्णय बहुमत के अनुसार लिए जाएंगे। किसानों को भी इसमें अपनी आवाज उठाने का अवसर मिलना चाहिए। तभी हम किसानों को लाभकारी मूल्य या समर्थन मूल्य उपलब्ध कराकर उनके हितों की रक्षा कर पाने में सफल हो पाएंगे।

[श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति]

जब आप इस तरह का बोर्ड गठित कर रहे हैं तो इस बोर्ड की वित्तीय सुदृढ़ता भी बहुत महत्व-पूर्ण है। यह बोर्ड निर्णय ले सकता है। किन्तु इसे लागू कौन करेगा ? उन निर्णयों का क्रियान्वयन बहुत आवश्यक है। यदि हम कोई बोर्ड या निगम गठित कर सकें तो वे निर्णय ले सकता है। बोर्ड के निर्णय को लागू करने के लिए, उनके पास सरकार द्वारा समर्थित आर्थिक सुदृढ़ता अवश्य होनी चाहिए। उनके पास कतिपय स्वतन्त्र आर्थिक सुदृढ़ता होनी चाहिए। तभी वे किसानों की दशा को सुधारने में सफल हो सकते हैं। इससे किसानों को अवश्य सहायता मिलेगी। बोर्ड का गठन और आर्थिक सुदृढ़ता, दोनों महत्वपूर्ण बाते हैं।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। सरकार इस विधेयक को पारित करके इसे कानून बना सकती है।

[हिन्दी]

श्री प्रेम कुमार धूमाल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल को लाने का विचार है और किसान को इक्सप्लाइटेशन से, शोषण से बचाने की बात है, उससे मैं सहमत हूं। अन्यथा, मैं समझता हूं कि अलग-अलग बोर्ड, कमेटियां, कारपोरेशन बना कर उनको मल्टीप्लाई करना कोई बढ़िया किसान की सेवा नहीं है। जो संस्थाएं किसान की सेवा के लिए बनायी गयी हैं, उनको बहुत प्रभाव-कारी ढंग से प्रयोग किया जाए तो किसान के हितों की रक्षा की जा सकती है।

बोर्ड के गठन के बारे में जो सुझाव दिए गए हैं, अध्यक्ष और मैम्बर्स कौन-कौन होंगे, सांसदों का होना, केन्द्र सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों के लोगों का होना, फसल परचेज के लिए विभिन्न मन्त्रालयों के लोगों का होना, उर्वरक मन्त्रालय का होना, मैं नहीं समझता इसका कोई लाभ होगा। मुझे हैरानी हुई पढ़कर कि गिने-चुने स्टेट्स का नाम इसमें है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बाकी प्रदेश जो उपज पैदा करते हैं, क्या उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए ? मैं चाहूंगा, जहां फल पैदा होता है, यदि बोर्ड बनाना है तो फल पैदा करने वाले, जूट, शूगर-केन, कॉटन, अलग-अलग जो प्रोडक्ट्स हैं किसान के, उनके प्रतिनिधि भी इस बोर्ड में हों, ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके। विभिन्न सरकारी एजेंसियों के लोगों को लेना ठीक नहीं है। एजेंसियां तो बहुत-सी हैं।

मैं संसदीय समिति के साथ आंध्र प्रदेश गया था। वहां के किसान हमें मिले। उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पूर्व प्याज का निर्यात होता था। उन्होंने खूब प्याज पैदा किया। सरकार ने निर्णय किया कि प्याज का निर्यात नहीं करेंगे। प्याज सड़ गया। आलू पैदा हुआ, आलू की बोरी वहां खाली बोरी के बदले दे दी। मांधाता सिंह जी कह रहे थे आलू के चिप्स होटल में सर्व होते हैं, लेकिन महंगे होते हैं। मेरा केवल मात्र इतना ही कहना है कि बोर्ड, कमेटियां, और कारपोरेशन बढ़ाने से सुधार नहीं होगा। जो कुछ ढांचा है उसमें ही ठीक परिवर्तन किया जाए और उत्पादकों के सही प्रतिनिधि लिए जाएं, उसमें फल उत्पादकों के प्रतिनिधियों को भी री-प्रीजेंटेशन दी जाए तो मेरे विचार में किसानों के हितों की रक्षा की जा सकती है। समय बहुत कम है, मैंने जो महसूस किया उसके बारे में सुझाव दे दिया।

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं माननीय श्री यादवेन्द्र दत्त जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने

इस बिल को प्रस्तुत करके इस सदन में किसानों के पक्ष में चर्चा का एक अवसर उपलब्ध कराया। लगभग ग्यारह सदस्यों ने उनके बिल पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस बिल के पीछे जहां तक भावना का सवाल है तो उससे किसी की भी असहमति नहीं हो सकती है। भावना यह है कि किसानों को उनके उपज की वाजिब कीमत मिलनी चाहिए और उपभोक्ताओं को सही कीमत पर अनाज मिलना चाहिए। यह इसका उद्देश्य है। इस उद्देश्य से कोई असहमति नहीं हो सकती है और उनकी इस भावना की मैं कद्र करता हूं और सवाल यह है कि क्या इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रेन बोर्ड बनाने की जरूरत है या नहीं। माननीय सदस्य श्री यादवेन्द्र जी ने जो विधेयक यहां पर रखा है और विधेयक में जितनी बातें इन्होंने रखी हैं और स्वयं भी इन्होंने जो बातें कही थीं वह इस विधेयक के दायरे से हटकर कही थीं। मैं अपनी बात ग्रेन बोर्ड के ढांचे में रखना चाहूंगा। समय की कमी को देखते हुए यह अच्छा होता कि सरकार की प्रगति कृषि नीति संबंधी प्रकाश डाला जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आवश्यक हो, तो हम इस पर कृषि नीति के अन्तर्गत चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार स्वयं भी एग्रीकल्चरल पालिसी रेजोल्यूशन लाने की कोशिश कर रही है। जहां तक संभव हो सका तो सरकार इस सत्र में लाना चाहती है। इस सत्र में या अगले सत्र में आगे भी विचार करेंगे। मैं अपने आपको ग्रेन बोर्ड की सीमा में रखना चाहता हूं। श्री यादवेन्द्र दत्त जी ने जो कहा उससे सहमति है कि किसानों को प्रोक्युरमेंट प्राइस मिलना चाहिए। श्री मान्धाता सिंह ने समर्थन मूल्य की बात कही थी और जो बात चली आ रही है तो मैं उनकी भावना से असहमत नहीं हूं। प्रोक्युरमेंट प्राइस या समर्थन मूल्य जो कुछ भी कहा जाए वह दोनों एक ही है। उसको तय करने के लिए यहां पर कमीशन ओन एग्रीकल्चरल कास्ट्स एण्ड प्राइसेस बना हुआ है। उसकी मैथोडोलोजी है। उस मैथोडोलोजी के हिसाब से प्राइस तय करते रहे हैं। उसके ग्यारह फैक्टर हैं जिसको विचार में लेते हैं जिसमें से कास्ट आफ प्रोडक्शन है जिसको लेकर सी० ए० सी० पी० एक कीमत तय करती है और सरकार के सामने सुझाव देती है और सरकार मुनासिब समझती है तो उनकी बात को मान लेती है कि या तो बढ़ा दे या घटा दे। यह सरकार को अधिकार है और राज्य सरकारों से कहकर विभिन्न हितों को अन्तिम रूप से निर्णय लेती है। सपोर्ट प्राइस या प्रोक्युरमेंट प्राइस की मैथोडोलोजी का सवाल है। उसमें पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ है।

जब वर्तमान सरकार आई तो सरकार ने हनुमंत राव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी कि कास्ट आफ प्रोडक्शन और प्रोक्युरमेंट प्राइस की मैथोडोलोजी को तय करने के लिए सुझाव दे। उसमें इंपारटेंट सुझाव आया जिसके आधार पर बीच में दाम बढ़ाया था। इसमें यह है कि मजदूरों को एक्चुअल मजदूरी मिलती है या जो स्टेचुटल स्टेचुटरी मिनिमम वेज है, उसमें जो भी ज्यादा हो तो उसको लेगें। दूसरी बात यह है कि मनेजमेंट का इनपुट इसमें डाला गया है। जो किसान परिवार हैं उसको मैनेजमेंट का रिम्यूनरेशन भी मिलना चाहिए। जो उसकी इनपुट कोस्ट हैं 10 प्रतिशत जो टोटल कोस्ट है, न सिर्फ विदआउट कोस्ट, बल्कि इनपुट कोस्ट में मिलाकर जो टोटल कोस्ट है उसका 10 प्रतिशत नया इनपुट तय करने में जोड़ा गया है। तीसरी बात यह हुई कि जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है किसान की फसल के पहले, सोइंग के पहले तय हो जाती है उसमें इस बात का प्रावधान रखा गया था कि जो इनपुट वृद्धि होगी कोस्ट में उसको उसमें समायोजित किया जाता है।

[श्री नीतीश कुमार]

इसलिए मैथोडोलोजी में यह भी सुझाव दिया गया है कि अगर फसल के दाम की घोषणा सरकार कर देती है और बाजार में फसल कटकर आती है तो इस बीच में अगर इनपुट में बड़े पैमाने पर वृद्धि हो तो उसमें इनकोर्पोरेट करके नये प्रोक्योरमेंट प्राइस में सुधार लाया जायेगा, इस प्रकार मैथोडोलोजी में परिवर्तन किये गये हैं। फिर टर्म्स और ट्रेड को भी ध्यान में रखा गया है। 1972, 73 और 74 को छोड़कर हर वर्ष टर्म्स और ट्रेड किसानों के हितों के प्रतिकूल रहा है, उसको कैसे उसके अनुकूल बनाया जाये, मार्जिन आफ प्राफिट कैसे बढ़ाया जाए, इन तमाम बातों पर इस नये मैथ्डोलोजी में ध्यान दिया गया है और हनुमन्तराव कमेटी ने जो कुछ सिफारिशें की थी उनमें जो बातें अनुकूल नहीं थीं उनके बारे में शरद जोशी कमेटी की राय ली गई।

अन्त में, सरकार ने और प्रधान मन्त्री ने निर्णय लिया जिन बातों का मैंने जिक्र किया है। इस प्रकार से किसानों के हित में पहले से बहुत ज्यादा बेहतरी ढंग से निर्णय लिया गया। इसलिए मैं समझता हूं जो मैथ्डोलोजी है कीमत को तय करने के लिए उसके लिए अलग से ग्रेन बोर्ड की जरूरत नहीं है। एक्जीस्टींग जो हमारे पास साधन हैं वह हम मजबूत कर सकते हैं। सी० ए० सी० पी० का जहां तक सवाल है यहां कई सदस्यों ने कहा कि किसानों को यह तय करना चाहिए। कई प्रकार के इन्टेरेस्ट हैं जिनमें किसान शामिल हैं उन पर विचार मन्थन चल रहा है और कृषि मन्त्रालय की स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी है जो इस देश के सबसे बड़े किसान नेता शरद जोशी की अध्यक्षता में गठित की गई है, समय-समय पर जो नीतिगत मामले आते हैं वे उन पर सलाह देते हैं और उनकी बातों पर वजन दिया जाता है। इसलिए किसान के हित में कृषि मन्त्रालय काम कर रहा है। माननीय यादवेन्द्र दत्त जी की जो भावना है उससे हम सहमत हैं और किसान के हित में अधिक से अधिक इस काम को करने के लिए और उसके साथ-साथ उपभोक्ताओं के हित में भी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसको हम मजबूत करना चाहते हैं।

माननीय सदस्यों ने कहा कि खाद में सब्सिडी मिलनी चाहिए। शायद माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि फर्टिलाइजर के क्षेत्र में चार हजार करोड़ रुपये से ज्यादा सब्सिडी मिलने जा रही है। सब्सिडी इस क्षेत्र में है ही, उपभोक्ताओं के हित को देखते हुए उनको सही दामों पर चीजें मिलें इसलिए उपभोक्ता के लिए पी० डी० एस० के माध्यम से लगभग ढाई हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी है। इस पर पहले भी रही है, अब बढ़ाई गई है।

जहां तक सवाल है कृषि के क्षेत्र में आउट ले वृद्धि का तो पहले प्लान के क्षेत्र में चर्चा कर रहे हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष 15.5 प्रतिशत प्लान के मद में बढ़ाया गया है। आपको मालूम है प्रधान मन्त्री जी ने घोषणा की है कि अगला दशक कृषक दशक होगा और बजट के प्लान का आधा पैसा देहात और खेती के विकास में खर्च किया जायेगा। माननीय सदस्य की जो भावना है उसकी सरकार कद्र करती है और किसान के हित में तथा उपभोक्ता के हित में काम करना चाहती है।

इसके लिए काफी धनराशि का प्रबन्ध करके इन तमाम कामों को करना चाहती है ताकि लोगों का हित हो सके और समाज के हर वर्ग के हित में काम किया जा सके। कई माननीय सदस्यों ने ग्रेन बोर्ड से हटकर सवाल उठाये हैं। उस पर उपाध्यक्ष महोदय इजाजत देते तो मैं अपनी बातों को कहता, लेकिन दूसरे माननीय सदस्य का बिल है उसमें बाधा न पड़े इसलिए मैं इतना ही कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा और माननीय यादवेन्द्र दत्त जी से अनुरोध करूंगा कि सरकार उनकी भावनाओं से सहमत है और ग्रेन बोर्ड स्थापित हो या न हो मैं एक ही बात पर इशारा करके बैठ जाना चाहता हूं कि इन्होंने

अपने बिल में फाइनेंशियल मेमोरंडम दिया है वह पढ़ लिया जाए। जितने काम हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का या अन्य काम हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा। स्टोरेज की भी यहां बात उठाई गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना में स्टोरेज पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है ताकि पेरीशेबल कमोडिटीज ही नहीं, डिस्ट्रेस सेल करने के लिए किसान मजबूर न हो। जो भी हो खासकर इसमें स्माल फार्मर्स के हितों की सुरक्षा की जाती है। जो हलधारी किसान हैं लेकिन बिहार के हमारे बहुत बड़े किसान माननीय श्री हुकुमदेव नारायण यादव ने कहा था कि हम लोग उस काम को करना चाहते हैं। अन्त में जो इनका फाइनेंशियल मेमोरेंडम है और इन्होंने स्वयं कहा भी है, उनकी इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहूंगा कि इसमें रैकरिंग एक्सपेंडिचर 15 लाख रुपये होगा और नॉन-रैकरिंग दस लाख रुपये होगा।

आप स्वयं समझ सकते हैं कि ग्रेन बोर्ड में एक अध्यक्ष, उसके कई मेम्बर और अन्य व्यय। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को बनाने में काफी मेहनत की है लेकिन किसानों के हित के लिए तो धनराशि भी संभव नहीं है। जो हमारे पास एगजिस्टिंग ढांचा है, वह सक्षम है। जरूरत इस बात की है कि दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है, संकल्प शक्ति की जरूरत है और उसको मजबूती से लागू करने की जरूरत है।

आप जानते हैं कि सरकार के पास इच्छा शक्ति है, नियत साफ है, नीति साफ है और सरकार देहातों में रहने वाले किसानों एवं गरीबों के हक के लिए काम करना चाहती है, उसके लिए एगजिस्टिंग मशीनरी के तहत मजबूती से काम किया जा सकता है। इन सबों में आप सब लोगों के सहयोग की जरूरत है। इसलिए मैं माननीय सदस्य श्री यादवेन्द्र जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस बिल को वापिस ले लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यादवेन्द्र जी आपका रिप्लाई बिरीफ हो ताकि दूसरा विषय लिया जा सके।

श्री यादवेन्द्र दत्त : मैं माननीय मन्त्री जी का आभारी हूं कि मैंने जिस सबसिडी की बात कही; उन्होंने इसे एक प्रकार से स्वीकार कर लिया है। मैं खाद की सबसिडी के लिए उनका आभारी हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहना तो बहुत है, केवल एक बात कहूंगा कि इस बिल की भावना स्पष्ट है। आप जानते हैं कि प्राइवेट मैम्बर बिल एक चौखटा मात्र होता है, उसमें डिटेल्ज नहीं हो सकती हैं। आपने फाइनेंशियल मैमोरेंडम की बात की है, यदि कम था तो सरकार बढ़ा देती परन्तु अन्ततोगत्वा डिफिनिट एक्ट या बिल सरकार को ही लाना होगा। यह तो एक संकल्प मात्र है और इस संकल्प मात्र से ही सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है और इस विश्वास के साथ किया जाता है कि वह इस पर विचार करे क्योंकि जैसा आपने कहा कि साधन तो पर्याप्त हैं, इच्छा शक्ति भी हैं लेकिन कृत शक्ति नहीं है। उस कृत शक्ति को जगाइये।

[अनुवाद]

सब लोग कहते तो बहुत कुछ हैं किन्तु काम कुछ नहीं करते।

[हिंदी]

इससे काम नहीं चलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज कृत इच्छा होते हुए भी कृत शक्ति नहीं हो

[श्री यादवेन्द्र दत्त]

पा रही है, उसको जगाइये। मुझे यह कहने के लिए क्षमा करेंगे कि जो

[अनुवाद]

सम्भ्रान्त परिवारों से संबंध रखने वाले प्रशासनिक अधिकारी हैं,

[हिन्दी]

जरा उनको कृत से जोड़िये। नैक्सस देश के अन्दर बहुत बुरा बन सकता है, उसको तोड़िये और मैंने जो एक बात कही कि कैटल एण्ड क्रॉप्स इंश्योरेंस हो तो किसानों को खड़ी फसल पर बैंक से एडवांस मिलना चाहिए। फसल कटने के बाद उसको चाहे वह स्टोर करे या उसके लिए स्टोरेज हाउस बनाये ताकि "डिस्ट्रेस सैल" में जाने का सवाल न रहे। मैं आज भी इसका विरोध करता हूं और जो आाने सपोर्ट और भिन्न नाम से प्राईस दी है तो मैं इस विश्वास के साथ आग्रह करूंगा कि यदि मेरी इस छोटी सी विनती को मान लें……

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यादवेन्द्र जी, यदि आप अपना भाषण समाप्त नहीं करते तो मन्त्री महोदय को जवाब देने का अवसर नहीं मिलेगा।

श्री यादवेन्द्र दत्त : मैं इसे एक मिनट के अन्दर समाप्त कर दूंगा।

[हिन्दी]

अगर मेरी इस विनती को, भावना को एग्रीकल्चर पालिसी में ले रहे हैं तो उसमें उसका समन्वय करेंगे तो हम इसको वापिस लेने के लिए तैयार हैं।

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर पालिसी रेजूल्यूशन पर सभी लोगों के विचार लिये जा रहे हैं। पालियामेंट के अन्दर भी इसको रखा जायेगा, सभी लोग फिर बोलेंगे।

[अनुवाद]

श्री यादवेन्द्र दत्त : मैं प्रस्ताव करता हूं कि खाद्यान्न रूपी सभी कृषि वस्तुओं की प्रतिवर्ष न्यूनतम कीमतें नियत करने के लिए एक स्वायत्त बोर्ड की स्थापना का और उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खाद्यान्न रूपी सभी कृषि वस्तुओं की प्रतिवर्ष न्यूनतम कीमतें नियत करने के लिए एक स्वायत्त बोर्ड की स्थापना का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यादवेन्द्र दत्त : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

———

5.30 म०प०

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 263 के स्थान पर नये अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)

श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य विधेयक की धारा 1 के खण्ड क, ख और ग में उल्लिखित कर्त्तव्यों के साथ अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना करना है, यह खुशी की बात है कि राष्ट्रपति के 28 मई, 1989 के आदेश के द्वारा भारत सरकार ने पहले ही इस परिषद का गठन कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अगली बार बोल सकते हैं।

———

5.31 म० प०

आधे घंटे की चर्चा

भारत पर्यटन विकास निगम और संयुक्त राज्य अमरीका के होटल कारपोरेशन के बीच समझौता

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आधे घण्टे की चर्चा को लेंगे।

श्री बृज भूषण तिवारी

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस आधे घण्टे की चर्चा को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि हमारी आई० टी० डी० सी० ने एक अमेरिका की कम्पनी—रैडिसन के साथ समझौता किया था। उसके सम्बन्ध में जब हमने सदन में प्रश्न पूछा तो माननीय मंत्री जी ने उत्तर में जो वक्तव्य इस सदन में रखा, उससे कई तरह की बातें उठीं जो स्पष्ट नहीं हो पायीं और उसी के कारण आज मुझे सदन में यह आधे घण्टे की चर्चा उठानी पड़ी। सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने तारांकित प्रश्न संख्या 69 के उत्तर में जो कुछ कहा, वह अधूरा उत्तर था। ऐसा मालूम पड़ता था कि जानबूझ कर उन कम्पनियों के नाम, उनकी व्यापारिक शर्तों को छिपाया गया और सदन को जो जानकारी दी जानी चाहिए थी, वह जानकारी रोक ली गई। मैं मानता हूं कि यदि

[श्री बृज भूषण तिवारी]

सही जानकारी दी गई होती तो सभी तथ्यों पर पूरी रोशनी पड़ जाती।

दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सदन में मंत्री जी की ओर से जो वक्तव्य दिया गया, सदन के पटल पर रखा गया, उसे पढ़ने से ऐसा लगता है कि हमारे अधिकारियों ने सरकार से एक ऐसा निर्णय करा लिया कि एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था को, जिसे पण्डित नेहरू ने इस देश में "अशोक होटल" के नाम से स्थापित किया था और जिसकी ख्याति न केवल इस देश में रही है, बल्कि विदेशों में भी जिसकी ख्याति है, उस सार्वजनिक क्षेत्र के राष्ट्रीय होटल के बहुराष्ट्रीयकरण का प्रयास किया गया, मल्टी-नेशनेलाइजेशन का प्रयास किया गया।

मैंने उत्तर में नोट किया कि जो अमेरिकन कम्पनी, रैडिसन कम्पनी है, उसका जन्म 1983 में हुआ था। यह भी कितना बड़ा मजाक है कि 1983 में जन्मी वह कम्पनी, जो हमारा तीस वर्षों पुराना अनुभव है, जो हमारी पुरानी ख्याति है, जो हमारी पुरानी प्रतिष्ठा है, वह कम्पनी हमें विपणन के बारे में, प्रबन्ध के बारे में, ट्रेनिंग देगी, सलाह देगी। उस कम्पनी के साथ हुए समझौते से एक अर्थ यह भी निकलता है कि दुनिया के लोग यह समझने लगेंगे कि भारत एक ऐसा देश है और वहां कि वर्तमान सरकार इस काबिल नहीं है कि वह एक सार्वजनिक क्षेत्र के होटल का प्रबन्ध भी सुचारू रूप से कर सके। हम सब के लिए वह बहुत ही शर्मनाक बात होगी।

जब मैंने माननीय मंत्री जी के पूरे वक्तव्य को पढ़ा तो उसमें जिन तथ्यों को उजागर करना चाहिये था, वे तथ्य दिये ही नहीं गये हैं। उससे ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिकन कम्पनी—रैडिसन कम्पनी-- का प्रचार किया जा रहा है। हमारे अधिकारियों ने, हमारी सरकार से रैडिसन कम्पनी को एडवर्टाइजिंग एजेंसी के रूप में पेश करवा दिया। उसमें एब्रिज्ड विवरण दिया जाना चाहिये था कि आपने किन-किन होटल कम्पनियों से सम्पर्क किया, आपकी शर्तें क्या थीं और उन शर्तों को किन-किन कम्पनियों ने कबूल किया, किन्होंने कबूल नहीं किया।

जिस रैडसन कम्पनी से आपने सौदा किया, उसका पूरा विवरण क्या है, क्या शर्तें हैं, यह नहीं बताया है। आपने केवल चुनिंदा चीजें हमारे सामने रख दी हैं। इससे ऐसा लगता है कि पूरी बात हमारी समझ में नहीं आई है। अगर आपको रैडिसन कम्पनी के बारे में कोई खास बात लिखनी थी, तो आप अलग से नोट तैयार करते, परन्तु जो दूसरे होटल थे, जिनके बारे में आपने यह कहा कि हमने दो होटलों से बात की, दुनिया में आज 10 इंटरनेशनल चेन्स हैं और आपने केवल अमरीका के दो होटल्स से बात की। जर्मनी, फ्रांस, और जापान की कम्पनी हैं, हमारा ओबेराय है, ताज ग्रुप है, इनकी भी इंटरनेशनल चेन है। आपने इन सारे तथ्यों को सदन के पटल पर नहीं रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और बात आती है, जो यहां लक्ष्य बताए गए हैं, उनको पढ़ने से और इस समझौते को पढ़ने से ऐसा लगता है कि आज हमारी औद्योगिक नीति पर अंगुली उठाई जा रही है, आज समालोचनाएं की जा रही है। यह सौदा इस बात को सही साबित करता है क्योंकि हम विदेशों से पूंजी लाएं, उच्च तकनीकी लाएं, तो हमारा क्षेत्र क्या होगा ? सिर्फ रसोई खाने के लिए, बर्तन भाण्डे खरीदने के लिए और इतना ही नहीं, मान्यवर अभी श्री बनातवाला जी के प्रश्न के उत्तर में यह बयान दिया एक जी० बी० आर०, हैनीमैन हम्बर में वैस्ट जर्मनी की कम्पनी है, उससे सौदा हुआ एयरपोर्ट पर और अशोक होटल में ड्यूटी-फ्री शॉप खरीदने के लिए और उसको स्टैण्डर्डाइजेशन करने के लिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कितना बड़ा मजाक है। अगर इतनी छूट दे दी जाए और फिर तो आप रेलवे की कटरिंग और अन्य सब होटलों की भी व्यवस्था बदल दीजिए। सब अमरीका और पश्चिमी देशों को दे दीजिए। इस प्रकार से खुली छूट देना, एक ऐसा प्रयास है मान्यवर कि यह सारे हमारे होटल उद्योग को, पश्चिमी, विदेशी, यूरोपीय और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां खा जाएंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जो आकुपेंसी वर्तमान में है और जो इस समझौते से बढ़ेगी, दोनों का अगर आप हिसाब लगाएं, तो दोनों का आधार मानकर हमको यह साफ बताइए कि इसमें कितना फर्क है क्योंकि आपने जो यह वक्तव्य दिया है, इसमें नहीं बताया गया है कि भारत सरकार को कितना मिलेगा, आई० टी० डी० सी० को कितना मिलेगा और रैंडसन कम्पनी को कितना मिलेगा। कोई भी समझौता होता है, तो इस प्रकार के आधार पर विचार होता है और तय किया जाता है क्योंकि जो शर्तें हैं उनके अनुसार मैं ऐसा मानता हूं कि आपको ज्यादा देना पड़ेगा। आपने लिखा है कि एक कम्पनी थी, उससे इसलिए सौदा नहीं हुआ था क्योंकि वह हमारे मैनेजमेंट में, हमारे प्रबन्ध में, हिस्सेदार होना चाहती थी, तो अगर सही हिसाब लगाया जाए, तो रैंडसन कम्पनी स्वयं अशोक ग्रुप की प्रभुत्व बन जाएगी, मालिक बन जाएगी। अगर आपने इस प्रकार से एक बार छूट दे दी और हिसाब को गड़बड़ कर के देखा, तो एक बहुत बड़ा खतरा हमारे समाने खड़ा हो जाएगा जिसकी भयावहता का आपको अभी अनुमान भी नहीं है।

मान्यवर, आज हम आखिर किस व्यवस्था को पैदा करने जा रहे हैं, इस बारे में भी एक धारणा बनती जा रही है। हमारे जो तीर्थस्थान हैं आज वहां चले जाएं, तो धर्मशालाएं नहीं हैं। सारी धर्मशालाएं खत्म हो गई हैं। गरीब आदमी अगर आज अजमेर शरीफ जाना चाहे, वृन्दावन जाना चाहे, अयोध्या जाना चाहे या प्रयाग के मेले में जाना चाहे, तो वहां उसके ठहरने और खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो चन्द लोग हैं, इनके लिए इतनी व्यवस्था हो और इसके लिए यह कहा जाता है कि इससे हमें फारेन-एक्सचेंज मिलेगा। मैं कहता हूं कि फारेन एक्सचेंज की भी एक लिमिट है। आप कितना फारेन एक्सचेंज कमाएंगे और उससे कई गुना फारेन एक्सचेंज इसके बदले में आप दे देंगे।

असल में मामला यह नहीं है। अभी पता चला कि आई० टी० डी० सी० के चेयरमैन को भी सरकार ने हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि यह सब पुरानी सरकार के ऐसे लोग बने जिसको कोई अनुभव नहीं है, जो सत्ता के दरबार में चापलूसी करते हैं। 1960-61 की अन्डरटेकिंग की रिपोर्ट आप देख लीजिए। हमारे ही अधिकारियों ने 35-40 कमरे बुक किये जिसमें अफसरों को, विदेशी ऐजेंट्स को ठहराते हैं, गुलछर्रे उड़ाते हैं और फिर कहते हैं कि आई० टी० डी० सी० घाटे में चल रहा है। यह कितने शर्म की बात है कि जो प्राईवेट होटल्स हैं वह तो मुनाफा कमा रहे हैं। इन सारी बातों की तरफ 61 वीं अंडरटेकिंग की रिपोर्ट ने इशारा किया है। इसलिये उसका क्या इलाज है? बजाए आई० टी० डी० सी० में सुधार करते, सबसे सीधा नुस्खा आपने सामने रखा कि एक विदेशी अमरीकी कम्पनी से सौदा कर दिया।

इसके बारे में भी मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कोई ग्लोबल टेंडर दिया, इसकी बात समझाइये। मैं मंत्री जी को दिखाना चाहता हूं। यह एक पत्रिका है, इसमें विज्ञापन देने के लिए 50 हजार रुपया लगता है। इसमें लिखा है :

[श्री बृज भूषण तिवारी]

[अनुवाद]

एक नई विश्व स्तरीय मेहमाननवाजी देने के लिए अशोक और रैडिसन संयुक्त कारबार के लिये सहमत हो गए हैं।

[हिन्दी]

यह एक डेली न्यूजपेपर है जिसमें आपने कितना बड़ा प्रचार दिया। हिन्दुस्तान में रैक्सन का प्रचार हो रहा है, पता नहीं विदेश में अशोका का प्रचार हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारे पर्यटक कहां से आते हैं ? अमरीका से तो बहुत कम आते हैं। अमरीका की तरफ सुविधा देना चाहेंगे तो सात जिन्दगी में भी नहीं दे सकते हैं, असम्भव है। नकल करके, भीख मांगकर नहीं दे सकते। अगर पर्यटन में हमें लोगों को आकर्षित करना है तो हमें अपनी मौलिकता को दिखाना है, अन्धी नकल नहीं करनी है।

फारेन एक्सचेंज के नाम पर और जो हमारे आफिसर कमाते हैं, विदेशों में इनके रिश्तेदार जाएंगे, इनके चापलूस दरबारी जाएंगे, मुझे मालूम है और माननीय सदस्य भी जानते हैं कि इन पांच सितारा होटलों में क्या होता है। सारा इन्तजाम इन अधिकारियों ने कर लिया और कभी-कभी राजनैतिक नेताओं को, संसद सदस्यों को भी उसमें डुबकी लगाने का मौका मिल जायेगा। इसलिए मैं बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि इन प्रैसटीजियस संस्थाओं को, ऐसे क्षेत्रों में अगर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को, विदेशी पूंजी को आपने छूट दी तो इसके बहुत ही घातक परिणाम होंगे, यह राष्ट्रघाती और आत्मघाती दोनों है।

इसलिए मैं चाहूंगा कि जिस सरकार का जनता में विश्वास जगा है, जो हमारी स्वावलम्बन की नीति है, जो हम विदेशी पूंजी या तकनीक भी आयात करना चाहते है तो उसकी भी प्रायरीटीज हैं, हमारे होटलों में ड्यूटी फ्री शौप्स खोलने में इस प्रकार की कभी भी इजाजत नहीं दी जानी चाहिये। मामला गंभीर है इसलिए मैं चाहूंगा कि सदन में इस पर बहस हो और मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप इसको खत्म करें क्योंकि अगर यह प्रक्रिया शुरू हो गई तो फिर ये अधिकारी पता नहीं इस देश को और इस सरकार को कहां ले जाएंगे, मेरी समझ में नहीं आता। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री भवानी शंकर होटा (सम्बलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय श्री तिवारी जी ने अभी बताया है कि एक बहुराष्ट्रीय अमरीकी होटल समूह के साथ भारत पर्यटन विकास निगम का जो समझौता हुआ है उसकी नियम और शर्तें किसी भी राष्ट्रीय मानदण्ड द्वारा स्वीकार्य नहीं हैं।

कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सरकार जहां तक आवश्यक हो, किसी विदेशी कम्पनी या विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनी के साथ समझौता कर सकती है जैसे अनुसंधान, चिकित्सा, शिक्षा सम्बन्धी अनुसंधान, कृषि सम्बन्धी विकास या औद्योगिक विकास इत्यादि। किंतु संसद सदस्य होने के नाते, मुझे इनमें कोई तर्क दिखाई नहीं देता भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा नियन्त्रित होटलों की प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार का एक अमरीकी कम्पनी एक होटल समूह, के साथ समझौता करना क्यों आवश्यक था।

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : यह एक अच्छा निर्णय है, मैं इसका समर्थन करता हूं। यह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये है। (व्यवधान)

श्री भवानी शंकर होटा : मुझे समझ में नहीं आता कि इतने वर्षों के बाद भारतीयों को एक विदेशी होटल समूह के पास इस क्षेत्र में सीखने के लिए और दक्षता प्राप्त करने के लिये क्यों जाना पड़ता है, जैसे कि वे यह भी नहीं जानते कि भोजन-सामग्री को मेज पर किस प्रकार सजाते हैं। मैं यह समझ नहीं पा रहा। और, विशेष तौर पर मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि हम एक ओर 7 करोड़ रुपये खर्च करेंगे और दूसरी ओर 30 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा कमाएंगे। किन्तु मुझे इन आंकड़ों में विश्वास नहीं है। और, विशेष तौर पर, यहां केवल एक देश का नाम है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री इस ओर ध्यान देंगे।

आज हमें इस मुद्दे पर सहमत होना चाहिए, कि यदि एक वर्ष पश्चात होटल समूह सम्बन्धी आंकड़े, जो समझौते के समय दिये थे, गलत या असत्य निकलते हैं तो जो व्यक्ति इस समझौते के लिये जिम्मेदार है, उस पर मुकदमा चलाया जायेगा। हमें इस सम्बन्ध में सुस्पष्ट होना चाहिये। क्योंकि, मैं जानता हूं कि यह सच नहीं हो सकता। और फिर मुद्दा यह है कि इतनी जल्दबाजी की जरूरत भी क्या है ? इसकी इतनी क्या आवश्यकता है ? कितनी ही अन्य बातें भी हैं। इसके लिये विश्वव्यापी निविदा को आमन्त्रित क्यों नहीं किया गया ? मैं इस मुद्दे को तकनीकी दृष्टि से विशेष रूप से नहीं उठा रहा हूं क्योंकि मैं यह नहीं मानता कि पंचतारा होटलों का नवीनीकरण किया जाना चाहिये या उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिये, और मैं यह भी मानता हूं कि पर्यटन विकास निगम के होटल, जैसे वेल्कम होटल, पैलेस होटल आफ मैसूर, और यहां तक कि महान सम्राट अशोक के नाम पर रखा गया अशोक होटल, घाटे में चल रहे हैं तथा इन्हें बन्द कर दिया जाना चाहिए। और इनके स्थान पर, देश के गरीब विद्यार्थियों के लिए यहीं दिल्ली में ही एक संस्थान खोला जाना चाहिये।

इन होटलों की क्या आवश्यकता है ? हम इन्हें क्यों चलाएं ? यह एक अन्य विषय है। मैं पिछले कई वर्षों से, विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय होटल समूहों के विरुद्ध अभियान चलाता रहा हूं और शौचालयों में प्रयुक्त होने वाले कमोड और अन्य वस्तुओं के आयात हेतु समझौता करने के लिये मैंने पिछली सरकार की भी आलोचना की थी। मुझे इस सबका पता अखबारों से लगा है।

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी : इटली की टाइल्स आई हैं।

श्री भवानी शंकर होटा : कहीं से भी आई हों यह हम नहीं जानते। हमने सब लोगों के सामने जाकर यह कहा है कि हम ऐसी नीति बनायेंगे जिस पर सब की आम सहमति हो। हमें वह खुद बनाना चाहिये। जो ज्ञान हमारे देश में उपलब्ध है उसको यहां लगाना चाहिये। होटल के लिये हम बाहर चले गये यह कुछ अजीब सा लगता है। हम इसकी बहुत पब्लिसिटी कर रहे हैं लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर इस सदन में 193 के अधीन बहस हो। इसको रद्द करने के लिए मैं आपसे अपील करना चाहूंगा। आप इस एग्रीमेंट को विदड्रा करने की कोशिश करें। इसके ऊपर बहस हो ताकि।

[अनुवाद]

इस प्रकार के समझौतों के प्रति सारे दृष्टिकोण पर सर्वांगीण चर्चा की जानी चाहिये और

[श्री भवानी शंकर होटा]

सरकारी नीति इस प्रकार तैयार की जानी चाहिये जिससे भविष्य में इस बात की पुनरावृत्ति न हो।

[हिन्दी]

प्रो० यदुनाथ पाण्डेय (हजारी बाग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो आधे घण्टे की चर्चा में मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। यह जो भारतीय पर्यटन विकास निगम ने संयुक्त राज्य अमेरिका से समझौता किया है, अभी माननीय बृज भूषण तिवारी जी ने भी कहा कि 1983 में जिसका जन्म हुआ आज वह हमें ट्रेनिंग दे रहा है। यह ठीक बात है कि पहले हमारे यहां लोग ज्ञान के लिये आते थे। और हम विज्ञान और टेक्नीक सीखने के लिये जरूर विदेश जाते हैं। यह भी इन के उत्तर में है कि बहुत सी कम्पनियों से बातचीत की गई, लेकिन कम्पनियों ने कुछ रुचि नहीं दिखलाई, अब उस कम्पनी ने रुचि नहीं दिखाई या हमारी रुचि उनसे नहीं हुई, यह तो खैर मंत्री महोदय ही बताएंगे।

आज यह पर्यटन विकास निगम घाटे में चल रहा है, इसका कारण क्या है। आज यह जो पांच सितारा संस्कृति है, जिसे पर्यटन विकास निगम ने अपनाया है, जिससे समाज में एक विषाक्त स्थिति उत्पन्न हो गयी है, आज जरूरत है कि इस पर्यटन विकास निगम के द्वारा भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही कोई व्यवस्था हो। जब देश के या विदेश के पर्यटक यहां आते हैं तो उन्हें महसूस होना चाहिए कि हम हिन्दुस्तान में हैं, भारत में हैं, भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही उनके रहने की कुछ व्यवस्था सस्ते में सुलभ होनी चाहिए। आज यह भारतीय पर्यटन विकास निगम एक सफेद हाथी की तरह हमारे सामने मुंह चिढ़ा रहा है।

हिन्दुस्तान में महात्मा गांधी ने किस भारत की कल्पना की थी, आज भारतीय संस्कृति में एक तरफ हमारे यहां लाखों लोग नंगे, भूखे और रोटी के निवाले तक उनको नहीं मिलते हैं और दूसरी तरफ पांच सितारा होटल में सारी सुविधाएँ प्राप्त हो रही हैं तो हम चाहते हैं कि अब हमारे देश की जो नीति निर्धारण करने वाले हैं, मैं तो कहता हूं, न नेता की कमी है, न नीति की कमी है, कमी है तो नीयत की। मुझे एक शेर याद आ गया :

"तूफान जो नाव डुबाये, तो माझी पार लगाये,
मांझी जो नाव डुबाये, उसे कौन बचाये।"

तो अगर हम नीति निर्धारण करने वाले भारत के जो नागरिक हैं, यहां भारत सरकार के जो मंत्री हैं, वह अगर भारतीय संस्कृति के अनुरूप भारतीय पर्यटन विकास निगम का विकास नहीं करेंगे तो लोग उसका समुचित लाभ नहीं उठा सकेंगे। आज दिल्ली, मद्रास, बंगलौर जैसे बड़े-बड़े शहरों में तो पर्यटन निगम है लेकिन जैसा बृज भूषण तिवारी जी ने कहा, जहां तीर्थस्थल हैं, बहुत सी छोटी-छोटी ऐसी जगह हैं, जहां पर्यटन का केन्द्र बना हुआ है, पर्यटन के लिए बहुत सी सुविधाएं हैं, लेकिन जैसा कहा गया कि जहां धर्मशाला है न कुछ है तो हम सुझाव देना चाहेंगे कि वहां पर ऐसी व्यवस्था पर्यटन विकास निगम के द्वारा होनी चाहिए, जो सब के लिए समान हो। ऐसी व्यवस्था हो कि एक जनता होटल के नाम से हो जिसमें सब को कम पैसे में पर्याप्त सुविधा हो ताकि देश विदेश से जो पर्यटक आते हैं उनको रहने की सुविधा हो।

जैसा पहले कहा गया, पहले चर्चा भी हुई कि जो रिसर्च करने के लिए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए आते हैं, बहुत कम पैसे में वह यहां रह सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : श्रीमन्, मेरे जिस सम्माननीय साथी ने यह बहस शुरू की है, वह छात्र जीवन में मेरे सीनियर रहे हैं। मुझसे एक साल पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रेसीडेंण्ट रहे और इतने अच्छे वक्ता माने जाते हैं कि जब मेरे अपने यहां मेरठ में हड़ताल चलते-चलते एक स्थिति यह आती थी कि अब हड़ताल नहीं हो सकती है तो हम इनको ले जाते थे और इनके भाषण के बाद हड़ताल हो जाया करती थी। तो मैं बहुत डरा हुआ था, जब यह नोटिस मिला कि माननीय बृज भूषण जी को बोलना है, चाहे जितना कमजोर केस हो, वह ऐसा कर देंगे कि मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जायेगी। लेकिन मैं अब कुछ राहत महसूस कर रहा हूं कि मैं शायद जो मेरे पास जानकारी उपलब्ध है, उसके आधार पर, आप भाषण तो अच्छा ही करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं हैं, मैं विनम्रता के साथ माननीय सदन के सामने रखूंगा तो मेरे बड़े भाई उससे आश्वस्त और संतुष्ट हो जायेंगे।

सबसे पहले यह स्पष्ट करना जरूरी है, जो बातें मैंने सुनी हैं और बाहर भी हैं, कि काफी गलतफहमियां हैं, जैसे सरकार फाइव-स्टार होटलों के पक्ष में है और इस काम में लगी हुई है। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। यह हमारे विभाग की बिल्कुल भी नीति नहीं है और योजना आयोग की बिल्कुल साफ डायरेक्शन्स हैं कि फाइव-स्टार होटलों के निर्माण और विकास में बड़े पैमाने पर बिल्कुल नहीं जायेंगे।

हमारा जो बजट है, ध्यान है, वह छोटी-छोटी चीजों, जैसे यात्री-निवास, वे-साइट फैसिलिटीज, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, लॉजेज और जहां आपने कहा धर्मशालायें, जहां तीर्थ-स्थान हैं, वहां छोटी-छोटी यात्रिकायें अन्य संगठनों की सहायता से इस काम को करने में हम लोग लगे हुए हैं।

बाकी हमने कोशिश की है कि प्राइवेट एन्टरप्राइज के जो लोग हैं, उनको जो छूट दे सकते हैं, वह देंगे। श्रीमन्, चूंकि हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं हैं, तो हम इस होटल के काम में लग भी नहीं सकते हैं। इसके अलावा हम पुरानी हवेलियों का विकास कर रहे हैं। कुछ जगहों में जैसे हिमाचल प्रदेश है, वहां हम दूर तक गए हैं। चूंकि हमारे पास जगह भी उपलब्ध नहीं है, तो वहां जो लोगों के मकान हैं, उन्हीं में हम कुछ कमरों को सर्टिफाई कर देंगे कि उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है कि हम कोई फाइव-स्टार होटलों के लिए देश की जनता का रुपया बहाने के पक्ष में हैं।

एक दूसरी सबसे बड़ी कठिनाई, जो मुझे लगता है, इस बहस में यह आई कि लोगों को यह अंदेशा है कि आई०टी०डी०सी० के जो होटल हैं, वे होटलों के अलावा और चीजें भी चलाते हैं। यहां मसला होटलों का हैं, इसलिए मैं होटल तक ही सीमित हूं। कहा गया कि आई०टी०डी०सी० के होटल घाटे में चल रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि 1966 से लेकर आज तक कुल मिलाकर आई०टी०डी०सी० के होटल कभी घाटे में नहीं चले हैं। पिछले साल, 1989-90 के साल में, आई०टी०डी०सी० को नौ करोड़ पन्द्रह लाख रुपए का मुनाफा हुआ है। हम घाटे में नहीं हैं। अब आप सवाल कर सकते हैं कि जब घाटे में नहीं है, तो यह काम करने की जरूरत क्या थी?

इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारे देश में टूरिज्म का बहुत महत्व है और आर्थिक कार्यवाही

[श्री सत्यपाल मलिक]

हमारे लिए बन गया है। आज आप देख रहे हैं कि विदेशी मुद्रा की कितनी हमको जरूरत है और आज हमारी हालत क्या है; 2400 करोड़ रुपये के करीब हमको विदेशी मुद्रा टूरिज्म से मिलती है और हमारा इरादा है कि हम इस विभाग को बढ़ायें। टूरिज्म में सबसे ज्यादा फॉरन-एक्सचेंज होता है; इसलिए उस कार्यवाही को हम बढ़ाना चाहते हैं। हमें तो खबंदार ऐसा चाहिए, जो सबसे ज्यादा खर्च करे और जब वह सबसे ज्यादा खर्च करेगा तो उसको कुछ सुविधायें तो देनी ही होंगी।

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि होटलों में प्रतिस्पर्धा जबरदस्त है और इस कारण से हमें होटलों के साथ मुकाबला करना पड़ता है। जो प्राइवेट होटल हैं, उन्होंने पहले से ही अनुबन्ध किया हुआ है, चाहे मौर्या शरेटन हो और चाहे हयात-रिजेंसी हो और जो भी बड़े-बड़े होटल हैं, उनके नाम ले लीजिए··· (व्यवधान)··· दस बड़े-बड़े होटल करीब देश में चलते हैं, लगभग सब का देश में इस तरह का अनुबन्ध है। हमारी दिक्कत है कि हमारा अनुबन्ध नहीं था। इसकी वजह से आज हालत यह है कि जो विदेशी टूरिस्ट यहां आता है, उसका अनुपात हमारे यहां 40 : 60 का है और इन प्राइवेट सैक्टर के होटलों में 65 : 35 का है। इस तरह से आई०टी०डी०सी० बहुत कठिन परिस्थिति में काम कर रही थी और इसलिए हमको यह काम करना पड़ा।

सदन में टैंडर मांगने की बात भी कही गयी, मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसे सिलसिले में टैंडर मांगने की कभी कोई प्रथा नहीं रही है। टैंडर मांगे नहीं जाते हैं। इसका तरीका यह होता है कि जो मशहूर होटल चेन्स हैं, आठ-दस-बारह उनसे बातचीत की जाती है। जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध है, मैं विनम्रता के साथ बताते हुए कहना चाहूंगा कि कुछ प्रमुख होटल्स जो विदेशों के हैं, उनका आलरैडी हिन्दुस्तान के होटलों के साथ समझौता है, तो उनसे बात नहीं की जा सकती है। मान लीजिए—शेरेटन का मौर्या के साथ है, तो उनसे बात नहीं कर सकते थे।

उनसे हमारा मुकाबला है। काफी होटल इस तरह से बाहर हो जाते हैं। अभी तक के प्रसिद्ध जो होटल थे, उनमें कुछ ऐसे होटल थे, जो सिर्फ सुपर डिलक्स होटल ही चलाते हैं और कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। इसलिए रैडिसन को चुनने के पीछे एक तर्क है। हमारी जो आई०टी०डी०सी० की सम्पत्ति है, वह कोई बहुत सुपर-डिलक्स नहीं है, मामूली है, इसलिए हमको यही चेन-सूट करती थी।

6 00 म० प०

मैं पहले बता दूं कि हमने बातचीत किन-किन से की। मेरिडियन होटल ग्रुप से शुरू जुलाई 1989 में बात की। उन्होंने कहा कि हम तभी इसमें जाएंगे जब मैनेजमेंट आप हमें दे दो। उसके लिए न हम तैयार थे और न तैयार होना चाहिए। हिल्टन ग्रुप से बात की जुलाई 1989 के आसपास, तारीख गौर से सुन लें, ताकि कोई शक-शुबहा न रहे। उन्होंने पहले तो अनिच्छा दिखाई, फिर उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट आप हमें दे दो, अगर जनपथ होटल 50 साल के लिए आप हमारे मैनेजमेंट में दे दो तो हम इसका नवीनीकरण भी कर देंगे, लेकिन यह हमें मंजूर नहीं था, हमने मना कर दिया। इसके बाद रेडीसन के साथ नवंबर 1989 में मेमोरेंडम आफ अंडरटेकिंग साइन हो गया। रेडीसन के पक्ष में जो तथ्य हैं, तर्क हैं, वे यह हैं कि यह 1983 में शुरू हुआ, लेकिन दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई होटल हास्पीटेलटी चेन है। 1983 में इनके पास 50 संपत्तियां थीं, आज 315 संपत्तियां हैं और करीब 68000 कमरे इनके पास हैं।

अमरीका, कनाडा, यूरोप, मेक्सिको, केरीबियन, मिडल ईस्ट, फार ईस्ट, आस्ट्रेलिया तथा दुनिया के अन्य हिस्सों में यह फैला हुआ है। इसके साथ-साथ इसका सेल्स और बाकी नेटवर्क जबरदस्त है जो हमको सूट करता था। हमारे जो हित थे, उनके मुताबिक यह हमको सबसे बेहतर लगता था। कुल मिलाकर दुनिया के सबसे 10 जो बड़ी चेन हैं, उनका एक हिस्सा यह है, न कि घटिया तरह की चीज है। इसके अलावा इसका जो मैनेजमेंट इनफरमेशन सिस्टम है, इन हाउस डिजाइन सिस्टम, टेक्नीकलिटी, सेल्स सब कुछ इतना बढ़िया था इसलिए हम इसमें गए।

उपाध्यक्ष महोदय, रेडीसन और आई० टी० डी० सी० के बीच जो बातचीत हुई है, उसके मुताबिक हमको जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वह यह है कि आन लाइन रिजरवेशन सिस्टम की स्थापना जहां-जहां रेडीसन है, वहां सब जगह हमारे लिए बुकिंग करेगा, हमारे संपर्क में रहेगा और हमको उससे फायदा होगा। हम उनके लिए करेंगे लेकिन वह सारी दुनिया में फैला हुआ है। इसके अलावा एचीवमेंट प्रोक्योरमेंट, सिक्यूरिटी सिस्टम, टेलीफोन सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, सफाई, रख-रखाव, बिजनेस, मीटिंग सुविधाएं, इन सब के विकास में हमारा सहयोग करेगा। यह कहा जा सकता है कि ये साधारण चीजें हैं, लेकिन जिस हिसाब से दुनिया में व्यापार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए इससे हमको लाभ होगा। मैं कहीं अखबार में पढ़ रहा था कि मर्सडीज जो जर्मनी की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके चेयरमैन के कमरे में लिखा हुआ है कि जो लोग वक्त के साथ नहीं बदलते हैं, वे जल्दी ही पुरातत्व का हिस्सा हो जाते हैं।

तो सारी देनिया में जो हो रहा है, उसके मुताबिक अगर हम नहीं चलेंगे तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इस लिहाज से जो सुविधाएं मार्केटिंग के लिए, फाइनांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, इसके अलावा 10 एग्जीक्यूटिव्स को डेढ़ महीने से लेकर 9 महीने तक की ट्रेनिंग मुफ्त उनके द्वारा दी जाएगी, स्टैंडर्ड प्रोसीजर सिस्टम शुरू करने में हमारी मदद करेगा। अब सवाल यह आता है कि इससे इन फ्लो, आउट फ्लो कितना फायदा होगा जो हमने वर्क-आउट किया है, मोटे तौर पर, होटा जी तो बहुत सख्त हो गए कि अगर नुक्सान हो तो फांसी पर चढ़ा दीजिए।

मैं यह नहीं कह सकता टूरिजम मिनिस्टर होने के नाते इस सर्वोच्च संस्था में खड़े होकर कहूं कि आई० टी० डी० सी० में सब कुछ ठीक है, कोई घपला या गड़बड़ी नहीं है या माननीय सदस्यों ने जो शिकायतें की हैं, वे सब गलत हैं, ऐसी बात नहीं है, अगर मैं ऐसा कहूंगा तो गलती करूंगा।

आप भी मिनिस्टर रहे हैं और जिस रिपोर्ट को आपने रैफर किया है, उसको मैंने देखा है, उस पर कार्यवाही कर रहे हैं, इसके अलावा जो सालाना रिपोर्ट है, उस ओर भी मैंने बहुत सी चीजें, जिन पर ऐतराज किया जा सकता है, बहुत सुधार की गुंजाइश है, लेकिन जो चीजें अपने पास हैं, उनको सुधारने की तरफ यह कदम है और उसकी बढ़िया परफारमेंस के लिए हमने इस काम को किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, शर्तें जो हैं, पैसा देने की बात है, उसमें एक लाख यू० एस० डालर हम एक मुश्त देंगे, तीन फीसदी हम कमरे का टर्न ओवर देंगे, रायल्टी के तौर पर। छः डालर प्रति कमरा रिजर्वेशन फी के तौर पर उनको देंगे, जो कमरा बाहर बेचा जाएगा। मैं कागज से पढ़ कर बता सकता हूं कि जो बाकी देश के होटल हैं, प्राईवेट होटल हैं, जिन्होंने बाहर टाई-अप किया है, उन्होंने जो शर्तें मानी हैं, उनके मुकाबले हमारी शर्त कहीं भी घाटे की नहीं है। कुल हमने जो अंदाजा लगाया है हमें नेट इनफ्लो 11 करोड़ 55 लाख के करीब होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह हो। न हमें किसी को फांसी देने की जरूरत पड़े और हम अपनी संस्था को बेहतर बना सकें।

इसके अलावा, मैं समझता हूं इसमें और ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं माननीय सदस्यों

[श्री सत्यपाल मलिक]

को यकीन दिला सकता हूं कि जो मौजूदा सरकार की नीति है उसके चलते हमारे विभाग ने यह तय किया है कि पर्यटन के सिलसिले में विदेशी मुद्रा के लिए जो प्रयास होगा, वह अपनी जगह है, लेकिन जो हमारे देशी पर्यटक हैं, जिनमें बाहर निकलने की इच्छा और जानकारी बढ़ रही है, उनकी सुविधाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा जो हो सकता है वह हम कर रहे हैं। अगले महीने सारे देश के पर्यटक मंत्रियों का सम्मेलन करके, अगला साल हम ईयर ऑफ विजिट इण्डिया के तौर पर मना रहे हैं।

हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि माननीय सदस्यों को एक्टिवली इन्वाल्व करेंगे, ताकि जो शिकायतें आई० टी० डी० सी० के सिलसिले में हैं उसके लिए पूरी तरह संवेदनशील और जिम्मेवार हो कर हम जवाब दे सकें। लेकिन मैं बता सकता हूं, जितना मैंने समझा है, यह संस्था घाटे में नहीं चल रही। इसमें काफी सुधार पिछले सालों में हुआ है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हम फख्र कर सकते हैं कि दुनियां के स्तर की चीजें हमारे लोगों ने बिना सहयोग के की हैं। लेकिन आज जो दुनियां में घट रहा है उसके लिए यह सहयोग करना जरूरी था। मुझे इसमें पेंच, शुबहा दिखायी नहीं देता है।

मैं यह कह कर तमाम माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं।

6.07 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

खाड़ी की स्थिति के संबंध में मास्को, वाशिंगटन, अम्मान, बगदाद तथा कुवैत के अपने हाल में किए गए दौरे के बारे में विदेश मन्त्री द्वारा दिया गया वक्तव्य—(जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा पुनः शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं श्री समरेन्द्र कुण्डू से बोलने का अनुरोध करूं, मैं सभी सदस्यों को यह बतलाना चाहता हूं कि मेरे पास ऐसे सदस्यों की लम्बी सूची है जो बोलना चाहते हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे विषय से भटकें नहीं और संक्षिप्त रहें और बिना किसी भूमिका या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दिए बोलें ताकि सभी सदस्यों को बोलने का अवसर मिल सके।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा कितनी देर चलेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस चर्चा के लिए हमारे पास दो घण्टे हैं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ : अर्थात् यह चर्चा आठ बजे तक चलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, इस चर्चा पर कुछ समय पहले भी निकल चुका है।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ : किन्तु मुझे नहीं लगता कि यह चर्चा 7 बजे तक या आज समाप्त हो सकती है। यह चर्चा सोमवार को भी जारी रखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें सभी की रुचि है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह विभिन्न दलों के सचेतकों पर छोड़ता हूं कि वे विचार विमर्श कर के मुझे बता दें कि वे क्या करना चाहते हैं। वे सभा के बाहर विचार विमर्श कर सकते हैं, ताकि साथ-साथ माननीय सदस्य चर्चा जारी रख सकें। माननीय मंत्री, आप इनकी बात सुनिये और आप उनसे सलाह कर सकते हैं। आप निर्णय कर लें और मुझे बता दें। आप जो भी निर्णय लेंगे, उस पर मुझे आपत्ति नहीं है। दलों के सचेतक सभा के बाहर निर्णय कर लें और अपने निर्णय के बारे में मुझे सूचित करें······

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सेट आप भी चर्चा में भाग ले सकते हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, आज हम एक घंटे चर्चा करके फिर सोमवार को चर्चा जारी रख सकते हैं क्योंकि काफी सदस्यों को बोलना है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : इसमें दिक्कत क्या है, मैं समझा नहीं। ··· (व्यवधान) ···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यही तो मैं कह रहा हूं। कि अगर वे अपनी बात कहना चाहते हैं, आप अपनी बात कहना चाहते हैं, तो सदन में चर्चा करने के स्थान पर, सचेतक और दल में अन्य महत्वपूर्ण सदस्य यह निर्णय करें कि क्या करना है, और आप मुझे बता दें कि क्या करना है तो हम वही करेंगे। साथ ही साथ हम चर्चा भी जारी रख सकते हैं। अब आप कृपया हमारे चेम्बर में या अपने चैम्बर में जाएँ या चाय पीते हुए यह निर्णय कर लें।

हां, समरेन्द्र कुण्डू जी।

श्री समरेन्द्र कुण्डू (बालासोर) : महोदय, मैं कह रहा था कि हमारे माननीय विदेश मंत्री ने एक बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है ? देश की इतनी नाजुक स्थिति में वे अपनी राजनयिक कुशलता के बल पर दूसरे देशों यहां तक कि अमरीका और सोवियत रूस से भी मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल पाने में सफल हुए हैं। यह कोई छोटा काम नहीं है क्योंकि देश में भय है, एक तरह से भय का वातावरण बन रहा है और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कालाबाजारी और ऐसी ही चीजें होंगी। इसके साथ ही, मैं माननीय मन्त्री के ध्यान में यह तथ्य भी लाना चाहूंगा कि मन्त्री जी को कुवैत और इराक से वहां रह रहे 3000 लोगों की वर्तमान स्थिति के बारे में एक सूची प्राप्त हुई है। अभी तक, इनमें से कुछ भी इन लोगों के पास नहीं पहुंचा। कम से कम मैं तो इसका शिकार हुआ हूं, मैंने दो नाम दिए थे। मैं इसका प्रयास कह रहा हूं। मैं वह पाने में सफल नहीं हुआ और आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, जैसा कि मैंने उस दिन कहा था, यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। यहां के परिवारों को कितनी मुश्किल हो रही होगी। अतः, इस मुद्दे पर, माननीय मन्त्री को धन्यवाद देता हूं कि वह उस क्षेत्र में गए जहां जाना वर्जित था। और उन्होंने कुछ नाम और सूचना एकत्र करने के प्रयास किए। किन्तु, अभी भी बहुत कुछ करना है और मैं अनुभव करता हूं कि उन्हें यह सूचना प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।

[श्री समरेन्द्र कुन्डू]

यह कहने के पश्चात्, मैं विश्व के संभावी घटना क्रम का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं मंत्री जी द्वारा पूरी विश्व की स्थिति को समझने के दृष्टिकोण का समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की बातें मध्य पूर्व में होती रहीं तो भारत प्रभावित होगा और भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य हिस्सों में भी इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अतः, उनका यह कहना उचित है कि हमें भी वहां शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए मध्यस्थता करनी चाहिए ताकि भारत को अस्थिरता से बचाया जा सके। किन्तु अगले दिन, मैं नहीं जानता कि क्यों उनका खुद पर से विश्वास उठ गया और उन्होंने कहा, "मैं मध्यस्थता करने नहीं जा रहा।" ठीक है, यह सही है कि किसी ने मध्यस्थता करने के लिए नहीं कहा। भारत की छवि कुछ अलग है। भारत से मध्यस्थता करने के लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं है। विश्व के किसी भी भाग में शांति स्थापित करने के प्रयासों में हमें अग्रणी होना चाहिए। क्योंकि शांति अनिवार्य है। जब विश्व में खतरा मंडरा रहा है, और मध्य पूर्व में विस्फोटक स्थिति है, जब भारत पर और इसके पड़ोसी देशों पर भी खतरा मंडरा रहा है दो देशों ने सऊदी अरब में अपनी सेनाएं भेज दी हैं—इस स्थिति में भारत चुपचाप नहीं बैठा रह सकता। मैं सोचता हूं कि मंत्री जी को भी प्रयास करना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत की छवि सही रूप में प्रस्तुत हो। इसके लिए, वे चुपचाप राजनयिक प्रयास कर रहे होंगे। ऐसा प्रतीत होता है। वक्तव्य से ऐसा लगता है। शायद वे गुटनिरपेक्ष देशों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु इसके साथ ही वे गुट-निरपेक्ष आंदोलन और 'अरब लीग' को पृष्ठभूमि में रख रहे हैं। मैं नहीं जानता कि वे गुट निरपेक्ष आंदोलन और अरब लीग की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। हमारे औपचारिक हित है, औपचारिक मित्र नहीं। यह वक्तव्य दिया गया था। किन्तु कभी-कभी मुझे यह वक्तव्य अच्छा नहीं लगता। हमारे सिर्फ स्थायी हित हैं और स्थायी मित्र नहीं हैं। यह वक्तव्य उन लोगों द्वारा दिया गया था जिनके पास अपने को प्रस्तुत करने के लिए वास्तविक नैतिक आदर्श नहीं है। मैं जानता हूं कि यह एक भावुक स्थिति है। इराक हमारा अच्छा मित्र है। इराक हमेशा हमारे साथ रहा है। अरब लीग में बांग्लादेश का समर्थन करने वाले देशों में इराक एक था। इराक में हमारे करोड़ों रुपए लगे हैं। इराक ने कश्मीर पर हमारे रुख का समर्थन किया है। किन्तु, इसके साथ ही इराक में हमें यही लाभ है कि हम सद्दाम हुसैन से सीधे सम्पर्क कर सकते हैं। हमें सीधे इस सम्पर्क माध्यम का प्रयोग करना चाहिए ताकि इराक कुवैत से अपनी सेनाएं हटाए, और वहां तनाव कम हो और खाड़ी क्षेत्र में पुनः शान्ति स्थापित हो। यह करने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन मे भारत को भी अग्रणी भूमिका निभानी होगी। जल्दी से एक बैठक बुलाएं या गुटनिरपेक्ष देशों के महत्वपूर्ण नेताओं की एक बैठक बुलाएं और उन्हें स्थिति को सुलझाने के लिए कुछ प्रयास करने के लिए कहें। अगर आपने इस प्रक्रिया में देर की तो, मुझे भय है कि शायद अपना पक्ष मजबूत बनाने में हम असफल न हो जाएं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में दूसरी बात कहता हूं, मैं नहीं जानता कि वास्तव में क्या हुआ था और अमरीका ने सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव की अवज्ञा क्यों की और नाकाबंदी कर दी। मुझे बताया गया कि यह नाकाबदी गलत थी, किन्तु मैं नहीं जानता। अमरीका भी इन दोनों देशों स विदेशी नागरिकों की वापसी पर विचार करने के लिए सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने के लिए सहमत नहीं हुआ। किन्तु जब कुछ अमरीकी लोगों को बंदी बना लिया गया, तब अमरीका ने सुरक्षा परिषद् की बैठक बुलाने का निर्णय किया। किन्तु वास्तव में सही स्थिति क्या है ? नाकेबंदी की क्या स्थिति है, क्या सुरक्षा परिषद् ने इस नाकेबंदी की अनुमति दे दी है ? यह स्थिति हमें भी बतलानी चाहिए, क्योंकि समाचार पत्रों से हम भिन्न-भिन्न खबरें सुनते हैं।

महोदय, मैं सोचता हूं कि गुट-निरपेक्ष आंदोलन को तेज करना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में समाधान ढूंढ़ना चाहिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को संयुक्त राष्ट्र संघ को हिम्मत से काम करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए जिससे इस क्षेत्र में शान्ति और स्थिरता हो। हमें किसी भी एकतरफा कार्यवाही का समर्थन नहीं करना चाहिए।

मुझे बताया गया है कि कुवैत की मुद्रा की कीमत गिर गई है और इसका खरीद मूल्य नहीं रह गया। सही स्थिति क्या है? क्या इराक मुआवजा देने को तैयार है या कुवैत मुद्रा के बराबर मूल्य देने को तैयार है क्योंकि हमारे भारतीयों की लाखों की कुवैती मुद्रा बैंकों में पड़ी है? इस पर हमने कहा कि इस क्षेत्र में शान्ति स्थापित होगी और तनाव कम हो जाएगा जोकि अपने देश के हित में है और इससे इस उप क्षेत्र में शान्ति स्थापित हो जायेगी। मैं चाहूंगा कि और अधिक प्रभावी कदम उठाने चाहिएं जो एक बहुत ही प्रतिभाशाली और राजनीति कुशल मंत्री, श्री आई० के० गुजराल द्वारा किये जाने चाहिएं।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में कोई वक्तव्य नहीं दूंगा परन्तु मैं छः अथवा सात प्रश्न पूछूंगा। इसके दो पक्ष हैं। हम अपने नागरिकों विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, वृद्ध तथा बीमार व्यक्तियों को उस युद्ध क्षेत्र से बाहर कैसे निकाल कर लाएं क्योंकि जोर्डन से निकलने के मार्ग भी बंद हो गए हैं जैसा कि समाचार पत्रों में बताया गया है। मैं नहीं जानता। मैं माननीय विदेश मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि जब वह जहाज द्वारा खाद्यान्न, दवाईयां इत्यादि कुवैत में भेजें तब उसी जहाज से क्या वह वहां पर रह गई शेष महिलाओं, बच्चों, वृद्ध तथा बीमार व्यक्तियों को वापस ले आने पर विचार करेंगे? क्या वह इसपर भी विचार करेंगे? क्या वह इस पर भी विचार करेंगे कि अम्मान के अलावा अन्य सड़क मार्ग से जोर्डन की सीमाओं, खाड़ी से होते हुए अकाबा बंदरगाह पर पहुंच जाए जहां से चार्टर किए गए जहाजों द्वारा वहां से उन लोगों को यहां पर लाया जा सके। जैसाकि समाचारपत्रों में बताया गया है कि कुवैत में दवाओं की भारी कमी है जिसका सबसे अधिक असर कुवैत में रह रहे हमारे अपने ही व्यक्तियों पर पड़ेगा अतः क्या आप कुवैत में दवाईयां भेजने पर विचार करेंगे? जैसा कि वहां पर हैजा फैल रहा है क्या वह वहां पर एक चिकित्सक दल भेजेंगे जो हैजाग्रस्त मरीजों की देखभाल करेगा तथा हैजा से लोगों का बचाव करने के लिए उन्हें इंजेक्शन देगा तथा इस प्रकार से हैजा फैलने से रोक सकेगा?

यदि हम इसे राजनैतिक रूप से देखें तो ऐसा लगता है कि अत्यन्त पुराने इतिहास को एक बार पुनः दोहराया गया हो। पहले जिसे एसीरिया कहते थे तथा आजकल जिसे इराक कहते हैं वहां उत्तर में उपजाऊ भूमि है क्योंकि इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषि का ही काम किया जाता है। अब यह उपजाऊ भूमि पेट्रोल तथा कच्चे तेल के कारण दक्षिण में आ गई है। अब लड़ाई यह है कि अब पेट्रोल तथा कच्चे तेल के क्षेत्र पर किसका प्रभुत्व रहता है? यदि इराक के पास पेट्रोल तथा कच्चे तेल वाली उपजाऊ भूमि अधिक होती है तब यह औद्योगिक रूप से विकसित तथा विकासशील राष्ट्रों को विनाश के कगार पर पहुंचा देगा। यदि अमरीका उस पर आधिपत्य जमाता है तब वह अरब देशों को भी अपने अधीन रखेगा। पेट्रोल वाले क्षेत्र पर प्रभुत्व जमाने के लिए यहां संघर्ष किया जा रहा है। स्वयं अरब समुदाय भी अपने को अक्षम महसूस कर रहा है क्योंकि स्वयं अरब देश ही विभक्त हो गये हैं। धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र जैसे मिस्र, सीरिया तथा मोरक्को भी सऊदी अरब में अमरीकी लोगों का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। लीबिया तथा जोर्डन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। ईरान अपना अलग खेल खेल रहा है। ईरान को युद्ध के अपने कैदियों को वापस ले आने की स्वतंत्रता मिल गई है। मैं नहीं जानता परन्तु यह मेरा अनुमान है कि संभवतः इराक द्वारा वही पुराना प्रलोभन

[श्री यादवेन्द्र दत्त]

देकर ईरान का समर्थन खरीदा गया है। अर्थात टूरिसल तट, अरब के संयुक्त अरब अमिरात पर प्रभुत्व। इस समय अमरीकी, फ्रेंच तथा ब्रिटिश सभी चाल चल रहे हैं क्योंकि उनका औद्योगिक आधार पूरी तरह से कच्चे तेल तथा पेट्रोल पर निर्भर करता है। अत: उन्हें संघर्ष करना होगा। यह लड़ाई काफी अधिक समय तक चलने वाली होगी, यह कोई छोटा मामला नहीं है। यह विशुद्ध रूप से केवल ताकत पर आधारित राजनीति है तथा हमें इस पर विचार करना है। हमारे लिए खतरे का चिन्ह भी है। मैं इस संबंध में अधिक नहीं कहूंगा। मैं इन सब बातों को श्री गुजराल के ऊपर छोड़ता हूं क्योंकि ये सब बातें इतनी संवेदनशील हैं तथा जो कुछ भी हम यहां पर कहते हैं उसका बुरा असर हो सकता है। पाकिस्तान ने अपनी सेनाएं सऊदी अरब भेज दी हैं। बंगलादेश ने भी अपनी सेनाएं भेजी हैं। सेनाएं भेजने के बहाने से वे काफी अधिक हथियारों से सज्जित होंगे। उन सभी भारी हथियारों तथा शस्त्र-अस्त्रों की सहायता से हमारी सीमाओं को पुन: खतरा हो गया है। हमें इस पर ध्यान देना ही चाहिए। मेरे विचार से भारत को धर्मनिरपेक्ष आंदोलन का नेता होने के नाते, उन लोगों से विचार-विमर्श करना चाहिए तथा अपने नैतिक दृष्टिकोण के आधार पर यह कहना चाहिए कि एक शक्तिशाली देश द्वारा अपने टैंकों तथा अपने हथियारों की सहायता से एक छोटे देश पर आधिपत्य जमाना गलत है। उन्हें कुवैत से हटना चाहिए। तत्पश्चात् उस के बाद विदेशी सेनाओं को भी वहां से हटना चाहिए क्योंकि यदि सेनाएं वहां रहती हैं तब आप कभी भी यह नहीं कह सकते कि लड़ाई कब समाप्त होगी। तीसरे, उन्हें सभी धर्मनिरपेक्ष देशों तथा उन देशों का समर्थन प्राप्त करना चाहिए जिनकी जीविका पेट्रोल पर ही निर्भर है, उन देशों को ध्यान रखना चाहिए कि वे इस सत्ता की लड़ाई में न पड़ें क्योंकि यदि यह ताकत पर आधारित लड़ाई चलती रहती है तब हमें काफी बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। चौथे, हमारी अपनी पेट्रोल की मांग पूरी करने के लिए विदेश मंत्री हमारे पड़ोसी देश बर्मा से इस संबंध में बातचीत क्यों नहीं करते? उनके पास बहुतायत में कच्चा तेल है। मैं सुझाव करूंगा कि तेल के बदले में हम उन्हें उनकी आवश्यकता का सामान दे सकते हैं तथा हमें इंडोनेशिया, मलेशिया तथा दक्षिण अमरीका के मैक्सिको, बेनेन्जुला जैसे छोटे देशों का समर्थन प्राप्त करना चाहिए। विदेश मंत्री को सीधे मास्को, वाशिंगटन, बर्लिन अथवा बौन, जो भी हो तथा पेरिस जाना चाहिए तथा इस धर्मनिरपेक्ष आंदोलन को और तेज करने के पश्चात् उन सब देशों को भी इस दृष्टिकोण से सहमत कराने का प्रयत्न करना चाहिए। एक अन्य दूसरा संकट भी है। नाकाबंदी कर दी गई है, पोत अधिरोध लागू कर कर दिया गया है। जब तक निषेधादेश लागू नहीं किया जाता तब तक पोत अधिरोध तथा नाकेबंदी का कोई अर्थ नहीं है तथा निषेधादेश का तात्पर्य है कि नौसेना भी तैनात की जाएगी। मेरा अनुमान यह है कि जोर्डन इराक के पक्ष में हो गया है। उनकी हेजाज के शरीफा पर कब्जा करने की बड़ी पुरानी अभिलाषा थी जहां से उनके महान दादा जी को इब्ने सईद द्वारा वहां से भागने पर मजबूर किया गया था, इब्ने सईद उस समय नेजद का शासक जिसने दोनों राज्यों को मिलाया था तथा सऊदी अरब बनाया था। संभवत: इराक ने संकेत दिया है क्योंकि जो नवीनतम सूचना मुझे मिली है—तथा यह सूचना गलत भी हो सकती है कि 'किंग' हुसैन ने अपने आपको हेजाज का शरीफा कहना शुरू कर दिया है। यही सत्ता की राजनीति यहां पर बनती जा रही है। मैं गलत भी हो सकता हूं परन्तु जो मैंने सुना था उसके आधार पर मैं विदेश मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति वापस आ गए हैं क्या उनके पासपोर्ट किसी न किसी बहाने से जब्त कर लिये गये हैं। क्या आप इस मामले को देखेंगे कि उनके पासपोर्ट जब्त न किए जाएं तथा लोगों को किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। यह पांच अथवा छ: प्रश्न मंत्री जी को सम्बोधित किए गए हैं।

जब हम इराक तथा ईरान के बारे में बात कर रहे थे तब दो दिन पूर्व ही मैंने मंत्री जी को सुझाव दिया था कि एक उच्च सचिवालय स्तरीय दल को वहां जाना चाहिए तथा स्थिति पर गौर करना चाहिए। परन्तु उन्होंने कहा था कि हमारे राजदूत के पास प्रत्येक समस्या का हल है। यदि हमारे राजदूत के पास प्रत्येक समस्या का हल मौजूद है तब इस समय ये सभी लोग परेशानी क्यों उठा रहे हैं ?

मैं इस सम्बन्ध में एक और प्रश्न पूछूंगा। हमें इस आक्रमण के बारे में क्या पहले से पता नहीं चला ? कोई भी देश सेना के दो अथवा तीन डिवीजन चुपचाप वहां नहीं भेज सकता। जो कठिनाइयां आ रही थी उनके बारे में बढ़ा-चढ़ाकर अफवाहें उड़ाई जा रही थीं। तत्पश्चात यह अफवाह उड़ी कि इराक ने तथाकथित चुराए गए पेट्रोल के बदले कुवैत से बीस करोड़ अथवा बीस अरब डालर लेना अस्वीकार कर दिया है। आक्रमण करने का एक संकेत दिया गया था। क्या हमारे दूतावास ने हमें इसकी शीघ्र सूचना दी थी ? क्या हमें उचित रूप से सूचना भेजी गई थी ? बगदाद, बसरा अथवा कुवैत में अफवाहें अवश्य फैल रही होंगी क्योंकि आखिरकार जहां कहीं भी सेनाएं तैनात की जाती हैं वहां पर प्रत्येक बात का पता चल जाता है। क्या हमारे दूतावास ने अमरीका तथा सोवियत रूस से सम्पर्क किया था जिससे उसे गुप्तचर उप ग्रह से यह पता लग सके कि क्या वहां पर सेना तैनात की जा रही थी या वहां अचानक हमला किया गया था यदि ऐसा है तब इसे तदर्थ आधार पर रखने से काम नहीं चलेगा। दुर्भाग्यवश मैं इस संकट को युद्ध रूप में विकसित होने के लिए तीन सप्ताह का समय देता हूं तथा ये तीन सप्ताह काफी संकटकालीन हैं।

मैं आशा करता हूं कि हमारे विदेश मंत्री इस सत्ता की राजनीति का मुकाबला करने हेतु उचित तथा ठोस कदम उठाएंगे जिससे हमारा देश व सीमाएं सुरक्षित रहे देश में गड़बड़ी उत्पन्न न होने पाए तथा मध्य पूर्व में शान्ति स्थापित की जा सके।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष जी, जिस तरह से यह घटना अचानक घटी और जैसा अभी हमारे मित्र ने कहा कि दो-तीन हफ्ते से वातावरण में कुछ गर्मी आ रही थी, लेकिन हर गर्मी का मतलब युद्ध नहीं होता है। फिर भी कुल मिलाकर देखा जाये तो कुवैत पर दखल करने की जो बात सामने आयी, वह अचानक ही हुआ है। हमारे देश के बहुत से लोग वहां रहते थे और इस घटना के बाद जिस मुस्तैदी से हमारे दूतावासों ने, हमारी सरकार ने और खासकर हमारे मित्र गुजराल साहब ने काम किया, जितनी मुस्तैदी दिखायी, वह अवश्य तारीफ की बात है।

इसमें कोई शक नहीं कि हमारे लोगों को कुछ दिक्कत हुई और ऐसे वातावरण में दिक्कत होना स्वाभाविक है क्योंकि हमारे लोग एक दूसरे देश में रह रहे थे। अपने देश में भी यदि ऐसी मुसीबत आयी होती तो भी दिक्कत आती, फिर वे तो दूसरे देश में रह रहे थे और इस स्थिति के लिये पहले से तैयार भी नहीं थे। यही कारण था कि अचानक हुई इस घटना से उन्हें कई तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं और शायद आगे भी आयेंगी। फिर भी जो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए, कम करने के लिए यथासम्भव प्रयास किए जा रहे हैं और जितने सुझाव आए हैं, उनको ध्यान में रखकर सरकार हल करने का प्रयास करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस बात की ओर मैं ध्यान दिलाने जा रहा हूं वह यह है कि परिवार के किसी व्यक्ति के मरने से जितना खतरा नहीं है उससे ज्यादा खतरा इस बीमारी के फैलने का है। जिस

[श्री योगेन्द्र झा]

तरह से अमरीका ने वहां फौज भेज दी, मैं समझ रहा हूं कि यह कोई अचानक नहीं हुआ है। बहुत दिन पहले जब तेल उत्पादक देशों ने, मुख्यतः अरब देशों ने तेल की कीमतें बढ़ायी थीं, तो अमरीका ने खुलकर कहा था कि तेल पैदा करने वाले कुओं पर वह कब्जा करेगा, तो सोवियत संघ ने कहा था यदि ऐसा होगा तो सोवियत संघ तटस्थ नहीं रहेगा। आज उसे एक मौका मिला है तेल के कुओं पर कब्जा करने का और जो स्थिति ब्रिटिश समाजवाद में सैकड़ों वर्ष तक रही, खासकर प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद, उसने अरबों को छिन्न-भिन्न कर दिया। वह स्थिति आज फिर अमरीका के नेतृत्व में, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, पैदा की जा रही है और इससे एक भयंकर खतरे का सवाल है।

राष्ट्रसंघ ने, उसकी सुरक्षा परिषद् ने कुवैत को खाली करने का निर्णय लिया। इराक के बहिष्कार का निर्णय लिया, और भारत सरकार ने तय किया है कि सुरक्षा परिषद् के उस निर्णय को हम मानते हैं, अपनी दिक्कतों के बावजूद, ईराक के साथ अपनी दोस्ती के बावजूद, लेकिन उस निर्णय के बिना, उस निर्णय के बाहर जाकर, अमरीका, विलायत और कुछ देशों ने जो फौज भेज दी है, वह बहुत भयंकर बात है। मैं केवल निर्गुट देशों की बात नहीं कर रहा हूं।

अरब सागर में एक तरफ हम हैं, दूसरी तरफ हमारे मित्र अरब देश हैं और इस अरब सागर में, जो हिन्द महासागर का एक अंग है जिसमें राष्ट्र संघ के निर्णय के बावजूद, आज तक हिन्द महासागर शांति क्षेत्र बने, इसके लिए कोई सम्मेलन हो, अमरीका इसके लिए आज तक तैयार नहीं हुआ है। और उसे आज युद्ध क्षेत्र बनाने के लिए पहुंचा हुआ है। इराक, कुवैत या अरब का हिस्सा, ये सब पड़ोसी हैं, एक रहें, मिलें, कुछ झगड़ें, यह पड़ोसियों में होता रहता है। मगर संसार के एक फौजी टुकड़े के रूप में किसने अमरीका को नियुक्त किया है, जो पुराने जमाने की समुद्री डकैती का रूप इसने ले लिया है। हो सकता है, ऐसी स्थिति में अमरीका की फौज कहीं और भी चली जाए, कहीं भारत के गले पर आ जाए, किसी पड़ोसी के मामले में दखल दे सकती है। इसलिए यह हमारे लिए मुनासिब है कि हमारे विदेश विभाग के मन्त्री ने जो कुछ यहां कहा, मैं समझता हूं कि वह काफी नहीं है। इस देश की, 82 करोड़ लोगों की आवाज यहां से जानी चाहिए कि राष्ट्रसंघ के निर्णय के बाहर जाकर, अमरीका ने और जिन बाहरी देशों ने, जो फौज भेजी है, हम उसके खिलाफ हैं और जैसे हम कहते हैं कि कुवैत से इराक हट जाए, वैसे ही हमें कहना है कि फौरन, जो बाहरी फौज है वह वापस जाए। वहां से हट जाए।

उपाध्यक्ष जी, राष्ट्र संघ का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका के बहिष्कार का था, लेकिन आज तक अमरीका या विलायत के अन्य देशों ने वहां अपनी फौज नहीं भेजी। बार-बार के प्रस्ताव और अत्याचार के बावजूद इजराइल ने दखल दिया। राष्ट्रसंघ का उल्लंघन कर के, येरूशलम को इजरायल दखल में रखे हुए है, गाजा के इलाके को रखे हुए है, जोर्डन, लीबिया के पश्चिमी भाग को रखे हुए है, लेकिन राष्ट्र संघ का उल्लंघन कर के आज तक अमरीका ने फौज भेजना तो दूर, इजरायल से कड़े शब्दों में और रूप में कभी कहा भी नहीं कि वह उस क्षेत्र को खाली कर दे, क्योंकि अमरीका के बिना इजराइल अपनी दम पर नहीं लड़ सकता है। मैं जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि सद्दाम हुसैन ने खुलेआम कहा है कि राष्ट्रसंघ का फैसला मानकर, इजराइल 67 के युद्ध में, आक्रमण के जरिए अधिगृहीत अरब क्षेत्र को खाली कर दे, तो इराक भी कुवैत को खाली कर देगा।

कल के वक्तव्य को मैं गौर से सुन रहा था, अगर सुनने में मेरी गलती नहीं हुई है, तो इसका

जिक्र हमारे मंत्री महोदय ने नहीं किया है। मैं चाहूंगा वे इस बात को स्पष्ट करें ईराक ने जो कहा है, इसका समर्थन करने में हमें क्या हिचक है। जब हम कहते हैं कि कुवैत को ईराक खाली करे, सही कहते हैं, यह राष्ट्रसंघ का निर्णय है, उससे हम को और भी पुष्टि मिलती है। लेकिन जो इराक ने कहा है, यह आसान मामला है। मध्यपूर्व एशिया की शांति की दिशा में एक बहुत बड़ा और कारगर कदम हो जाएगा, इसी बहाने अगर वह भी खाली हो जाए। इसलिए इस पर भारत की आवाज उठनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इस संसद की एक आवाज इस पर हो सकती है इजराइल ने आक्रमण के जरिए, जो दखल किया हुआ इलाका है, इजराइल उसको खाली करे और कुवैत को ईराक खाली करे।

उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं। अमरीका तो फौज लेकर वहां पहुंच गया है तेल और सभी चीजों को इराक से आने-जाने को रोकने के लिए। यह अच्छी बात है कि अनाज भेजने का निर्णय हमने लिया है। हमारे लोगों को वहां अनाज चाहिए। मगर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सिर्फ हमारे लोगों के उपयोग के लिए वह अनाज जाएगा या उसका कोई और भी इस्तेमाल होगा। यदि इसको साफ करना मुनासिब समझा जाए तो साफ किया जाए क्योंकि भारत अपने लोगों के लिए जरूर है मगर सिर्फ अपने लोगों के लिए हो, यह मुझे जरा खटक रहा है। वहां भी लोग मरीज हैं, वहां भी लोग अस्पतालों में हैं।

इस तरह की चीज से जो मानवीय सुविधाओं के लिए होती हैं, उसमें यथासम्भव वहां और देशों के लोग हैं, पाकिस्तान के भी लोग हैं, और जगह के भी लोग हैं। मानवीय आधार पर जो हम कर सकें गैर फौजी मामले में, अपनी सामर्थ्य को देखते हुए राजनीतिक कारणों से हमारी चूक नहीं होनी चाहिए बल्कि उसमें हमारी पहल होनी चाहिए। निर्गुट देशों के बारे में कल के बयान मे बहुत ही नामलिहाजी जिक्र है। अमरीका को जो हमारे विदेश विभाग के मंत्री का वक्तव्य आया था, पता नहीं अखबार वालों ने सही लिखा या गलत लिखा, उसमें कुछ ऐसी बातें थीं क्योंकि अब दुनिया में दो गुट नहीं रहे, दो महाशक्तियों में बहुत से मामलों में सहयोग का वातावरण बना है, इसलिए हमारी विदेश नीति में बड़े परिवर्तन की गुंजाइश है। यह परिवर्तन हो रहा है, सुपरिवर्तन दुनिया के पैमाने पर हो रहा है। मगर हमारे परिवर्तन का क्या मतलब है ? जो निर्गुट देश हैं, जो तीसरी दुनिया के देश हैं, जो भारत और ऐसे पिछड़े देश हैं, उनपर पुराने साम्राज्यवादी देश आज के नव-उपनिवेशवाद देश आर्थिक शोषण, फौजी दबाव करते हैं। उस मामले में ऐसे सभी देशों को एक साथ मिलकर चलने में भी कोई परिवर्तन की गुंजाइश सोची गयी है।

नव-उपनिवेशवाद से अब वह सीधे फौज को भेज कर किसी बहाने पहुंच जाएंगे। पुराने जमाने में होता था। एक अफीम की लड़ाई लेकर चीन में विलायती फौज पहुंच गयी, ईस्ट इंडिया कम्पनी ने किसी न किसी झगड़ों का इस्तेमाल करते हुए भारत को अपना गुलाम बनाया था, ऐसे और देशों को भी किया। यह एक नया दौर तो नहीं शुरू हो रहा है। इसलिए ऐसी हालत में भारत को और भी सचेत होना है, अपने हित में, स्वार्थ में और परमार्थ में। इसमें अपनी भलाई है, पड़ोसियों की भलाई है और सारे संसार की भलाई है। इसलिए हमारी जोरदार आवाज जानी चाहिए।

भारत की नीति शान्ति की रही है, निर्गुटता की रही है और इसी हालत में हम एशिया अफ्रीका के देशों को यथासम्भव एक करने का प्रयास करते रहे। ऐसी स्थिति में अमरीका और साम्राज्यवादी देशों ने वहां फौज भेजी है, उसको हम केवल ईराक का मामला नहीं समझ सकते हैं, केवल सऊदी का मामला नहीं समझ सकते हैं। जो सऊदी के साथ रहे हैं उनके पीछे अमरीका की शक्ति पहले से रही है, सद रूप में अमरीकी नियंत्रण वहां पर रहा है।

[श्री योगेन्द्र झा]

वह केवल सऊदी की जनता के ऊपर नहीं है, केवल अरबों के कलेजे पर नहीं है, दक्षिण ऐशिया के सभी देशों के लिए खतरे की घंटी बजी है। खासकर जब आखिरी रूप में परसों ही राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद ने अमरीका को फौज भेजकर वहां पर घेराबन्दी करने की सलाह को मानने से इन्कार कर दिया तब अमरीकी राष्ट्रपति बुश ने धमकी दी कि आपका सहयोग मिले, यह हम चाहते हैं, न भी मिले तो हम आगे बढ़ेंगे। ऐसी हालत में हमारे लिए आवश्यक है कि राष्ट्रसंघ को मजबूत बनाने के लिए हम अपनी आवाज को और भी जोरदार करें कि यह फौजें बाहर जाएं और राजनयिक के निर्णय के बाहर जो कदम जिन देशों ने उठाए हैं, खासकर उसमें अमरीका है, उस कदम को वापिस लें। जहां तक मामला हमारे लोगों के आने का है, कुछ सवाल उठते हैं कि उनमें पुनर्वास का इन्तजाम हो। मैं नहीं समझता, जो मैं थोड़ा-बहुत जानता हूं उस इलाके में एक-आध बार जाने से या यूं भी कि हमारे सभी लोग वहां से आना चाहते हैं।

हमारे बहुत से लोग वहां स्थिर रूप में रह गए हैं, रिश्ता नहीं टूटा है मगर जल्दी भागना भी नहीं चाहेंगे और हम नहीं चाहेंगे कि वे जल्दी में सब कुछ छोड़कर, बेचकर बर्बाद करके आ जाएं। इसलिए वहां उनका जो कारोबार है, उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। भगदड़ के चलते या किसी सिक्के के मूल्य में गिरावट के चलते उनकी बर्बादी नहीं होनी चाहिये। यह सुरक्षा करना कि किसी तरह से भागकर ले आओ, यह हमारे हित में नहीं है, उनके हित में भी नहीं है, न अरबों के हित में है, न जो भारतवासी अरब मुल्कों में हैं उनके हित में है, न भारत के दूरगामी हित में है। इसलिये भगदड़ मचाने की बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो बेसहारा हो गये हैं, जो आने के लिए बेताब हैं, उनको यथा शीघ्र लाने का हम इंतजाम करें। इस सम्बन्ध में सुझाव ठीक ही आये हैं, सरकार भी सचेत है, जो विमान से आ सकेगा आयेगा, जो समुद्री जहाज समान लेकर आयेगा, वह यथा सम्भव ला सकता है, ऐसा प्रयास हमारी ओर से होना चाहिये।

जिस तरह का मामला हम झेलते आ रहे हैं, अपनी सरहद पर खास कर पाकिस्तान की ओर से, आज से नहीं 1973 में स्वर्गीय जिया-उल-हक पाकिस्तानी फौज के सेनापति होकर जब अम्मान गये थे, तब जार्डन की फौज ने फिलस्तीनियों को कत्ल करने से इन्कार कर दिया था तब अमेरिकियों के हुक्म पर पाकिस्तान की फौज जिया-उल-हक के सेनापतित्व में वहां पर गई थी, उस समय लाशों की दुर्गन्ध से अम्मान शहर दुर्गन्ध युक्त हो गया था। आजादी की लड़ाई में हमारा देश भी बंटा, छोटा सा आयरलैंड भी बंटा और फिलस्तीन भी बंटा, एक हिस्सा इस्राइल बना दिया और दूसरा जार्डन बना। जो फिलस्तीनी लेबनान में थे उनकी लाशों के ढेर लेबनान में भटक रहे हैं, 30 लाख फिलस्तीनी खानाबदोश हैं। यासर अराफात इस मामले में दूसरा रुख रखे हुए हैं, यह एक समझने की चीज है। केवल एक राजनीतिक दावपेच या सत्ता संघर्ष कह कर टाल देना मुनासिब नहीं है।

जिस पाकिस्तान ने अमेरिकियों के हुक्म पर फिलस्तीनियों का कत्ल करने के लिये अम्मान में फौज भेजी थी आज फिर पाकिस्तानी फौजें वहां गई हैं। खतरा यह है कि इस हाल में हमारी सरहद पर फौजी कार्यवाही करने के लिए जो अमेरिकी हथियार उन्हें मिल रहे हैं, उसमें और तेजी पाकिस्तान के जरिये तो नहीं आ सकती है। मैं चाहूंगा कि हमारे विदेश विभाग के मंत्री इसके बारे में हमें जानकारी दें कि इसी हमले की तैयारी में जो चुनी हुई सरकार श्रीमती बेनजीर भुट्टो की थी, उसको भी बर्खास्त किया गया ताकि आसानी से पाकिस्तान की फौज अरबों के खिलाफ जा सके और आसानी से और फौजी हथियार की मदद लेकर हमारे ऊपर फिर हमले का वातावरण तैयार हो सके।

क्या पाकिस्तान में जनतन्त्र की हत्या से अरबों के कलेजों पर और कल हमारे कलेजों पर नये खतरे की आशंका है या नहीं ? इन तीन बातों पर मेल है या नहीं यही आशंका है। हमारे ऊपर भी खतरे की आशंका है। बेनजीर भुट्टो की बर्खास्तगी का मामला इसमें मिला हुआ है, ऐसी स्थिति में और भी सचेत होने की जरूरत है।

सामरिक दृष्टि से जो बात होगी उसको यहां कहने की जरूरत नहीं है लेकिन जो विदेश नीति की बातें हैं उसके लिये आवश्यक है कि हम यथा शीघ्र अपने दोस्तों से सम्पर्क करके इस सम्बन्ध में बातचीत करें।

समाचारों से हमे मालूम हुआ है कि हमारे विदेश विभाग के मंत्री यूगोस्लाविया जा रहे हैं। वहां जाकर उनको भी तैयार करने की जरूरत है। आप गुटनिरपेक्ष देशों के नेताओं की यथाशीघ्र बैठक बुलायें। हम न तो अरब लीग में हैं, न हम कल उसमें जा सकते हैं लेकिन हम निर्गुट में हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसी घड़ी में आगे आयें और कोई रास्ता निकालें। अगर केवल अमेरिकी, विलायती और इनकी फौजों को बाहर कर दिया जाये तो इलाज निकल सकता है और उसमें भारत की अपनी भूमिका हो सकती है। हमारे विदेश विभाग के प्रवक्ता ने भी कहा है कि (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल प्वाइंट्स कहें। आप अपनी बात को समाप्त करें।

श्री योगेन्द्र झा : मध्यस्थता करने की भूमिका के लिए हमें नहीं जाना है, न पंचायती करने के लिए जाना है, एक अपना कर्त्तव्य पड़ोसी के नाते, विश्व के शांति प्रिय देश के नाते, साम्राज्य विरोधी देश के नाते निभाना है। दो महाशक्तियों के मेल के बढ़ते हुए वातावरण में हमारी भूमिका खत्म न हो जाये इसको देखना है। मंत्री जी के वक्तव्य से और अखबारों से जो मालूम हुआ है उसको स्पष्ट करें कि हमारी नीति शांति की है। इतना ही कहते हुए मैं आशा करता हूं कि आप इस सम्बन्ध में अवश्य ही कदम उठायेंगे। जो कदम आप बढ़ा रहे हैं उसके लिये मैं मंत्री जी को धन्यवाद करते हुए अपना कहना समाप्त करता हूं।

श्री सत्यपाल मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, आज हाउस 7 बजे तक है। इसके बाद यह मंडे को कंटिन्यू होगा।

[अनुवाद]

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां भाषण नहीं देना चाहता हूं। मैं कुछ बातों, विशेष रूप से कुवैत में भारतीयों की स्थिति तक ही सीमित रहूंगा। कुवैत पर दो अगस्त को कब्जा किया गया था। हमारा सत्र 7 अगस्त से शुरू हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अनावश्यक है। आप अपनी बातें कहने के लिए जितना समय चाहते हैं मैं उतना समय दूंगा परन्तु इतिहास बताने के लिये समय नहीं दूंगा, कृपया, इसकी चर्चा मत कीजिए, मैं आपकी सहायता करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको सम्बद्ध बातें कहने के लिये आपकी इच्छानुसार समय दूंगा।

श्री टी० बशीर : शुरू में सरकार पूर्णतः निष्क्रिय थी। उसके बाद सरकार ने कार्यवाही की है और मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय कुवैत गए थे। अपने लम्बे वक्तव्य में उन्होंने वहां की स्थिति और कुवैत में भारतीयों की हालत की जानकारी दी है।

[श्री टी० बशीर]

महोदय, मैं कुवैत में भारतीयों की स्थिति के संबंध में कुछ बातों तक ही सीमित रहना चाहता हूं। संचार व्यवस्था अभी भी उपलब्ध नहीं है। जहां तक रिश्तेदारों का संबंध है, सूचना का आदान-प्रदान सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने संचार व्यवस्था पुन: शुरू करने पर विचार-विमर्श किया है। यदि इसे अभी शुरू नहीं किया गया है तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इसे कब तक शुरू किया जाएगा। मुझे खुशी है कि मन्त्री महोदय ने वहां कार्य कर रहे भारतीयों से अनेक पत्र एकत्रित किए हैं। यह भी महत्वपूर्ण है। हमारे दूतावास के कर्मचारी इन पत्रों को उनसे लेकर भारत में उनके रिश्तेदारों तक पहुंचाने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं? क्या ऐसी कोई व्यवस्था की गयी है? यदि हां, तो क्या व्यवस्था की गयी है?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि मन्त्री महोदय वहां की प्राइवेट फर्मों, सरकारी सेवाओं और अन्य कार्य करने वालों की स्थिति स्पष्ट करें तो मुझे खुशी होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे अभी भी अपना-अपना कार्य कर रहे हैं, क्या कुछ भारतीयों की, जो बहुत बड़ी संख्या में है, नौकरियां छूट गई हैं। यदि हां, तो अब वहां उनकी क्या स्थिति है। मैं इस बात पर मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अगली बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे कुछ साथियों ने कुवैती दीनार के संबंध में प्रश्न उठाया है। इन घटनाओं से पहले भी उन्होंने भारत के लिए ड्राफ्ट भेजे थे तथा 2 और 3 तारीख के बाद हमारे बैंक इन ड्राफ्टों - केवल कुवैती ड्राफ्टों को ही नहीं बल्कि खाड़ी के अन्य देशों के ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समस्या से निपटने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन ड्राफ्टों को प्राप्त करने और उनका भुगतान करने के लिये हमारे बैंकों को कोई निर्देश देगी।

महोदय, आप जानते हैं कि कुवैत में भारतीयों की बहुत बड़ी मात्रा में सम्पत्ति है। मुझे बताया गया है कि मेरे राज्य केरल के लोगों की लगभग 800 करोड़ रुपये की सम्पत्ति है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने इसके बारे में कुवैत के अधिकारियों से बातचीत की है और भारतीयों की इस सम्पत्ति का क्या होगा।

अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी रिपोर्ट आई है कि अम्मान मार्ग बन्द कर दिया गया है और विकल्प के रूप में बसरा का मार्ग खोल दिया गया है। अनेक साथियों ने बताया है कि वे हमारे दूतावास और वाणिज्यिक दूतावास के सीमित कर्मचारियों के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वे अच्छा कार्य कर रहे हैं मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। परन्तु सच्चाई यह है कि ऐसी स्थिति में कर्मचारी तेजी से और प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए, इसमें सुधार करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? मेरा सुझाव है कि हमारे मंत्रालयों में ऐसे अनुभवी अधिकारी हैं जिन्हें इन खाड़ी के देशों में कार्य करने का अनुभव प्राप्त है, आप इन अधिकारियों को बगदाद के दूतावास और बसरा के वाणिज्यिक दूतावास में तुरन्त भेजिए। आपको ऐसे उपयोगी और अनुभवी अधिकारियों को वहां तुरन्त भेजना चाहिये। मैं इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। इससे हमारे दूतावास सुदृढ़ होंगे और त्वरित कार्यवाही करने में सहायता मिलेगी। वास्तव में अभी तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है। हमें बहुत कम समय में सभी कदम उठाने हैं हमारे पास समय बहुत कम है। हमें उन लोगों को निकालने के लिये, जो अपने देश वापस आना चाहते हैं,

यथा शीघ्र कदम उठाने हैं इसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। अधिक कर्मचारी भेजे जाने चाहिए और दूतावासों को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

जब विदेश मन्त्री महोदय ने वक्तव्य दिया था तो उन्होंने कहा था कि इराकी अधिकारियों ने हम से कुवैत में दूतावास को बन्द करने के लिए कहा है। इसलिये हमें भी कुवैत में अपना दूतावास बन्द करना पड़ सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या दूतावास बन्द कर दिया गया है अथवा अभी भी कार्य कर रहा है। क्या दूतावास के कर्मचारी हमारे लोगों की सहायता कर रहे हैं? वक्तव्य में उन्होंने बताया है कि भारतीय समुदाय के सर्वाधिक जरूरतमन्द लोगों के लिये सरकारी रसोईघर बना दिए गये हैं और इन रसोईघरों द्वारा छ: हजार से अधिक लोगों को नियमित रूप से भोजन दिया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि स्थिति खराब है। वहां खाद्य सामग्री आवास और क्रय शक्ति की कमी है। इस वाक्य से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि वहां कितनी दयनीय स्थिति है। इसलिए मैं इस संबंध में वर्तमान स्थिति को जानना चाहता हूं। इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

उन्होंने यह भी कहा है कि लोगों को निकालने के लिए हम बसरा और अम्मान को अपने विमान भेज रहे हैं। मैं इस संबंध में एक सुझाव देना चाहता हूं। जब आप अम्मान और बसरा के लिए विमान भेजें तो आप इन विमानों से ही वहां खाद्य सामग्री भेज सकते हैं और वापसी में इन्हीं विमानों से उन लोगों को ला सकते हैं। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस सुझाव पर विचार किया जाए। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। आपको देश के बाहर ही नहीं बल्कि देश के अन्दर भी कुछ कदम उठाने चाहिएं। अनेक लड़के-लड़कियां आ रहे हैं। वे वहां विद्यार्थी थे। उन्हें यहां अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। इसलिए सरकार को उन्हें स्थान और सुविधाएं देने के लिए शिक्षा संस्थाओं को निर्देश देने चाहिए ताकि वे अपने देश में ही अपनी शिक्षा जारी रख सकें।

अन्त में, परन्तु यह कम महत्वपूर्ण बात नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समस्या के देश में विशेषत: मेरे राज्य में निस्संदेह गम्भीर प्रभाव होंगे। मैं आंकड़े नहीं बता रहा हूं। आप यह जानते हैं। मेरे राज्य के हजारों लोग खाड़ी के देशों में कार्य कर रहे हैं। वास्तव में एक समय खाड़ी के देशों से केरल के लिए लगभग 7.00 करोड़ रुपये प्रति वर्ष भेजे जाते थे। आपको यह मालूम है। खाड़ी देशों की इस स्थिति से अब निश्चित रूप से वहां से लोगों का पलायन शुरू हो जाएगा। इसका केरल राज्य की अर्थव्यवस्था पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, हम उन लोगों के जो खाड़ी देशों से आए हैं, पुनर्वास के लिए योजनाएं बनाने के लिए बहस करते रहे थे। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने खाड़ी देशों से आने वाले भारतीयों के पुनर्वास हेतु लगभग 750 करोड़ रु० की एक परियोजना बनाई है। ··· (व्यवधान) ··· यह इस संकट से पहले की बात थी। खैर, मैं मन्त्री महोदय से पुरजोर आग्रह करूंगा, कि सरकार को इस मामले को अपने हाथ में लेना चाहिए तथा योजना को स्वीकृत करना चाहिए। मैं जानता हूं कि यह बात प्रत्यक्ष रूप से विदेश मंत्री से सम्बन्धित नहीं है। परन्तु आप यथाशीघ्र संबद्ध मन्त्रालयों से विचारविमर्श कर सकते हैं। सरकार को इस परियोजना को स्वीकृत करना है। केरल में इन योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु कदम उठाए जाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सोचता हूं कि अन्य सदस्य सोमवार को अपनी बात कह सकते हैं तथा अपने विचार प्रस्तुत करने का उनके पास समय होगा। परन्तु माननीय मन्त्री जी स्वयं आज कुछ बातें कहना चाहते हैं। जो बातें आज कही गई हैं उनके सम्बन्ध में तथा जो प्रश्न सोमवार को

किए जाएंगे, उन सबका विस्तृत उत्तर उसी दिन दिया जाएगा। परन्तु वह अब हस्तक्षेप करना चाहेंगे।

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। मेरा विचार अभी होने वाली चर्चा में पूछी गयी बातों का उत्तर देने का नहीं है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं आपके विचार विमर्श हेतु एक सूचना देना चाहूंगा। आबूधाबी से टेलीफोन पर मुझे बताया गया था कि मेरे एक मित्र श्री सुलेमान जो केरल के हैं, उन्होंने टेलीफोन पर बताया कि बगदाद में हमारे हजारों भारतीय रुके हुए हैं। आपके कुवैत से वापस आने के पश्चात काफी लोग बगदाद चले गए हैं।

उनके अनुसार यह संख्या 20,000 से भी अधिक है। वे वहां फंसे हुए हैं। उन्हें कोई आश्रय नहीं मिल रहा है। उनके सामने भोजन की समस्या है। हमारे दूतावास द्वारा किए गए प्रबन्ध पर्याप्त नहीं है।

7 00 म० प०

अत: उन्होंने मुझे आपसे अनुरोध करने के लिए कहा है कि आप बगदाद के राजदूत को यथा-संभव सहायता करने के लिए निर्देश दें। उसने आबूधाबी से यह भी कहा था कि वे आपके दूतावास के माध्यम से कुछ धनराशि बगदाद भेजने की व्यवस्था कर रहे थे। परन्तु जब वे कुछ डालर लेकर अबूधाबी स्थित हमारे दूतावास में पहुंचे तब द्वितीय सचिव ने यह धनराशि बगदाद दूतावास भेजने से इंकार कर दिया। अत: मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप तुरन्त एक संदेह भेजिए तथा पता करिए कि बगदाद में कितने व्यक्ति असहाय होकर रह रहे हैं तथा उन व्यक्तियों की देखभाल कीजिए।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं अभी इस चर्चा का उत्तर देना नहीं चाहता तथा यदि मैं ऐसा करता हूं तो यह इस सदन के लिए इसे उचित नहीं होगा क्योंकि अभी कई माननीय सदस्यों को बोलना है। परन्तु मैं इस अवसर पर केवल एक या दो बातें कहना चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ अत्यन्त ज्वलंत मामलों से सम्बन्धित कुछ प्रश्नों का उत्तर अगले दो दिनों तक दिया ही न जा सके क्योंकि इस मामले में हमारी जनता सम्बद्ध है।

मैंने दूसरे सदन में घोषणा की थी तथा मैं दोहराना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी तथा जिनके बारे में मैंने कल घोषणा की थी, उनको सरकार 25000 रु० की अनुग्रह राशि देगी। अब वह राशि बढ़ाकर 1,00,000 रु० कर दी गयी है। मैं एक यही बात कहना चाहता था।

दूतावास के बन्द किए जाने के बारे में कुछ गड़बड़ है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों में दूतावास को बन्द होने से नहीं रोका जा सकता। इस स्थिति में हमने इराक तथा कुवैत के विलय को स्वीकार नहीं किया है तथा सुरक्षा परिषद के संकल्प 662 विषय-सामग्री को नोट कर लिया है। परन्तु भारत स्थित कुवैत का दूतावास वैसे ही कार्य करता रहेगा जैसा कि वह अभी तक सामान्य परिस्थितियों में कर रहा था।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ : क्या आपने कुवैत स्थित अपने दूतावास को बन्द कर दिया है?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं। कुवैत के तेल मन्त्री अबसे दो अथवा तीन दिनों में मुझ से मिलने के लिए आ रहे हैं। हमारे अतिथि के रूप में उनका स्वागत है। हमें वहां पर व्याप्त परिस्थितियों के कारण ही अपने दूतावास को बन्द करना पड़ा है। स्थानीय अधिकारियों ने कहा था कि आज से विद्युत तथा जल से मशीनों का कनैक्शन काट दिया जाएगा तथा राजनयिकों को वे सुविधाएं प्रदान नहीं की जाएंगी जो उन्हें अभी तक दी जा रही थीं। अत: हमने यह किया है कि हम अपने सभी राजनयिकों को बसरा भेज रहे हैं तथा मेरा सुझाव है कि बसरा वाणिज्य दूतावास को सुदृढ़ किया जाए। हम एक व्यवस्था कर रहे हैं जिसके अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठन तथा कुछ कमिष्ठ स्थानीय कर्मचारी हमारी इमारत स्थित कार्यालय से ही कार्य करते रहेंगे तथा वहां पर स्थित हमारे नागरिकों को सहायता प्रदान करते रहेंगे तथा हमारे राजनयिक भी बसरा से कार्य कर रहे हैं। वे उनसे लगभग प्रतिदिन ही मिलते रहेंगे तथा देखेंगे कि उनको कोई समस्या न हो।

प्रो० पी० जे० कुरियन : बसरा से यह कितनी दूर है ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : सड़क मार्ग से डेढ़ घंटे लगते हैं। दूरी अधिक नहीं है। एक अन्य कठिनाई जो उठ खड़ी हुई है तथा जिसका उल्लेख कई अन्य सदस्यों ने भी किया है वह जोर्डन के मार्ग के बारे में है। महामारी के बारे में कुछ खबरें मिली हैं तथा वहां पर असंख्य शरणार्थियों के आने की भी कुछेक खबरें मिली हैं। आज से हमने दिन में दो उड़ानें आरम्भ कर दी हैं तथा शटल लगातार चल रही है तथा हम बहुत शीघ्र ही ओर्डन मार्ग को खाली कर लेंगे। परन्तु समस्या गम्भीर है। हमने अपने राजनयिकों से कहा है कि वे इस बात का पता लगाएं कि क्या ईरानी सरकार अपने देश से हमें अपने लोगों को वापस लाने की अनुमति दे सकती है। एक अन्य कठिनाई उत्पन्न हो गयी है।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : क्या हम किसी ऐसे स्टीमर की व्यवस्था नहीं कर सकते जो 2000 अथवा 3000 व्यक्तियों को ला सके ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : जिस दिन तक मैं वहां था अर्थात् परसों तक शतुल अरब से होकर जो मार्ग ईरान को जाता है उस मार्ग से केवल ईरानी नागरिक ही जा सकते थे तथा अन्य नागरिक नहीं जा सकते थे। अत: हम ईरानी सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि वह उस मार्ग से हमारे लोगों को भी जाने दें।

दूसरी बात मैं निधि के अंतरण के सम्बन्ध में कहना चाहता था जिनकी मेरे मित्रों ने भी मांग की है। सामान्य तौर पर खाड़ी के इन दो देशों के बीच राजनयिक संबंध इस प्रकार के हैं कि उनमें निधि के अन्तरण का मुझे कोई व्यवहारिक उपाय नजर नहीं आता। परन्तु मैं इस बात की ओर ध्यान दूंगा जिससे निधियों का अन्तरण किया जा सके। मेरे माननीय मित्र का यह कहना ठीक है कि इस समय बगदाद में काफी अधिक संख्या में हमारे नागरिक रह रहे हैं। जिस दिन मैं वहां से चला था उस समय वहां पर लगभग 1600 नागरिक थे। परन्तु यह संख्या भी दो दिन पहले की है। और अधिक व्यक्ति वहां आ गए होंगे। मैं आज रात उनकी ठीक संख्या प्राप्त करने का मैं प्रयत्न करूंगा। बगदाद से ही उन्हें हवाई जहाज द्वारा लाने का हम प्रबन्ध कर रहे हैं। उसमें एक कठिनाई हो रही है जिसको मैं अभी बताऊंगा। अन्तर्राष्ट्रीय बीमा अधिकारी अथवा जो कुछ भी उन्हें कहा जाता है संभवत: यह एक प्रकार का सहायता संघ होता है जो सभी हवाई जहाजों के बीमा तथा पुनर्बीमा का कार्य करता है; उन्होंने उस सुविधा को वापस ले लिया है। इस समय हम इस बारे में पता कर रहे हैं।

[श्री इन्द्र कुमार गुजराल]

जहां तक इराक में एयर इंडिया की उड़ानें भेजने का सम्बन्ध है, इसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। हम इस सम्बन्ध में जांच कर रहे है तथा ऐसा करने के लिए कोई वैकल्पिक उपाय पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम जोर्डन अम्मान हवाई पत्तन के अलावा कुछ अन्य हवाई पत्तनों को इस्तेमाल करने पर भी विचार कर रहे हैं। परन्तु यदि ईरान हमें सहयोग करे तथा यदि ईरानी सरकार हमें हमारे लोगों को वहां से लाने की अनुमति दे दे तब हमारे लिए यह कार्य और आसान हो जाएगा क्योंकि वहां से इसे काफी कम रह जाती है तथा ईरानी हवाई पत्तन तथा ईरानी बन्दरगाह से ईरानी बन्दर गाह से अपने लोगों को लाना संभवतः और भी अधिक आसान हो जाएगा।

इस समय मैं केवल इतना ही कहूंगा परन्तु अपने उन सभी मित्रों, जो मेरे प्रति इतने उदार रहे हैं, का धन्यवाद किए बिना नहीं बैठना चाहिए। मैं सोमवार को उनका और अधिक विस्तृत रूप में धन्यवाद करूंगा।

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : एक माननीय सदस्य चाहते थे कि मन्त्री जी उन व्यक्तियों के नाम बतायें जो मारे गए हैं जिससे इस संबंध में अटकलबाजी समाप्त हो सके।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मुझे नाम ज्ञात हैं। मैं अभी बताता हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मेरे निर्वाचन क्षेत्र का एक व्यक्ति जार्ज है। उसका शव वहां पर पिछले लगभग दो सप्ताह से पड़ा हुआ है। आक्रमण के पहले अथवा दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई थी, हो सकता है शायद सदमे से उसकी मृत्यु हुई हो तथा युद्ध से उसका कोई सम्बन्ध नहीं हो परन्तु उसका शव अभी भी वहां पर पड़ा हुआ है। उसकी मृत्यु कुवैत में हुई थी।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : आप कृपया मुझे इसके बारे में विस्तार से बताइये।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैंने कल आपको एक पत्र भेजा है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं इसे तुरन्त पढ़ूंगा।

श्री जार्ज को कुवैत में दफनाया गया। यह सूचना वहां से प्राप्त हुई है। हमारे दो भारतीय दुर्भाग्यवश गोलाबारी का शिकार हुए थे, उनके नाम श्री सनी जोन तथा श्री हसन हैं। दोनों ही केरल के हैं।

प्रो पी० जे० कुरियन : केरल में कहां के हैं ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : इस सम्बन्ध में आपको मैं बाद में बताऊंगा।

जैसी कि हमने घोषणा की थी, हम एक लाख रु० की अनुग्रह राशि देने जा रहे हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : श्री जार्ज मेरे निर्वाचन स्थान के कुम्बनाद से हैं जो केवल 50 कि०मी० दूर है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उन्हें किस तारीख को दफनाया गया था ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं इस सम्बन्ध में विस्तार से पता करके आज रात को ही आपको बताऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा सोमवार, 22 अगस्त, 1990 को पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

7.08 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 27 अगस्त, 1990/ 5 भाद्र, 1912 (शक)
के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-53